

**राज्य सत्र विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़
भारत सरकार**

पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावरण मंत्री सौमन शेषटर—१३, नवा हायपर ब्लॉक नगर, गिरा-जाहांगीर (गो.)

ई-मेल : sejacc00@gmail.com

समिति— राज्य सत्र विशेषज्ञ अंकन समिति (एसडीएसी), छत्तीसगढ़ की 345वीं बैठक दिनांक 07/11/2020 को सम्पन्न 346वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

— ०० —

सम्पन्न सत्र विशेषज्ञ अंकन समिति (एसडीएसी), छत्तीसगढ़ की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020 को भी लीखद रूपों अथवा राज्य सत्र विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यकाता में सम्पन्न हुई। बैठक में समिति को विस्तृत विवरणों ने भाग लिया—

१. श्री गोहन ललत अध्यकाता, सदस्य, राज्य सत्र विशेषज्ञ अंकन समिति
२. श्री गीतेश्वर प्रसाद चाहू, सदस्य, राज्य सत्र विशेषज्ञ अंकन समिति
३. श्री एम. डास्तु फारूक खान, सदस्य, राज्य सत्र विशेषज्ञ अंकन समिति
४. श्री दिकास कुमार दीन, सदस्य, राज्य सत्र विशेषज्ञ अंकन समिति
५. श्री दीपक चिन्हा, सदस्य, राज्य सत्र विशेषज्ञ अंकन समिति
६. श्री कालदिव्या चिन्ही, सदस्य, राज्य सत्र विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री लीखद रूपों द्वारा विद्वियों काम्पॉर्टिंग के माध्यम से बैठक की अध्यकाता की गई एवं श्री अदित्य चूमार चौधरी, सदस्य विद्वियों काम्पॉर्टिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। समिति द्वारा एवेंग्डो में समिक्षित विषयों पर विस्तार सहार विचार लिया गया—

एवेंग्डो आगामी बायांक—१: 345वीं बैठक दिनांक 06/11/2020 के कार्यवाही विवरण का अनुदान।

राज्य सत्र विशेषज्ञ अंकन समिति (एसडीएसी), छत्तीसगढ़ की 345वीं बैठक दिनांक 06/11/2020 को सम्पन्न हुई थी। समिति की अध्यकाता बताया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण उपर लिया जा रहा है। जिसे समिति को समझ दीजिए जिसका विवरण दिया जाए। एवं इसमें समिति जहांता हुई।

मीण / मुख्य सचिवालय, केन्द्रप्रदेशीय पर्यावरण एवं वैज्ञानिक परियोजना संबंधी प्रकरणों की प्रस्तुतीकरण उपर्युक्त पर्यावरणीय नीतियों / नीतिकार हेतु निर्णय लिया जाना।

१. मीणी भी द्वारा दाखिला (प्रिपलाकड़ाव काट्टजाईट एवं निर्दिष्ट रोपण प्रधारी), श्राम-प्रिपलाकड़ाव, लहसील-खौरागढ़, जिला-काशीगढ़गाँव (सर्विकालय का नमांक १३४९)

ओनलाईन आवेदन – द्वारा दाखिल कर्त्तव्य – एसआईए / रीफी / एसआईएन / ५४१२२ / २०२०, दिनांक १२ / ०७ / २०२०। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कैनलाईन आवेदन में अभियोग होने को छापन दिनांक १७ / ०७ / २०२० द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट वित्त यथा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निर्दिष्ट जानकारी दिनांक २१ / ०९ / २०२० को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से साक्षात्कार काट्टजाईट एवं निर्दिष्ट सेवा (नीति नीति) द्वारा है। श्राम-प्रिपलाकड़ाव, लहसील-खौरागढ़, जिला-काशीगढ़गाँव नियम पाठ॑ और श्राम-प्रिपलाकड़ाव का नमांक ७०८, काल-खौरागढ़-२१३३ (कैनलेयर ने है)। श्राम-प्रिपलाकड़ाव एवं गाँव-१८,००० हेक्टेकर्नी है।

वैठानी का विवरण –

- (a) नीतियों की ३४२वीं वैठक दिनांक ०९ / १० / २०२०:

समिति द्वारा प्रस्ताव की मतांकी एवं प्रस्तुत जानकारी का वरीभाव तथा सरलाभ्या शर्वसामाजिक सो नियमानुसार निर्णय लिया गया था—

१. पूर्व में आंशिक रूप से वर्तने केरु राज्य सरकार द्वारा वार्षिक नियंत्रण प्राधिकारा (एसईएए), घासीलागढ़ ज़ख्मा जिला स्तरीय वर्धकरण समाधान नियोजन आंशिक दिनांक १८ / ०८ / १८)। घासीलागढ़ द्वारा वार्षिक नीतियों की गई है, पूर्व में जारी वार्षिक नीतियों की द्वारी एवं अधिकारियों वार्ता की बातें में जी गई कार्यवाही की जानकारी एंटोडाक्स सहित प्रस्तुत की गई। इस ही वृक्षान्तरण की अवधान नियंत्रित की जानकारी फोटोदाक्स सहित प्रस्तुत की जाए।
२. निमांक वर्षी में लिए गए सरकारी वाचा की जानकारी समिति ने इसांग से इसांग जानकारी का वर्तने केरु प्रस्तुत की गए।
३. नीतिकार (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण की सभा प्रस्तुत किया जाए।
४. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त दृष्टि जानकारी / उपराख्या (कालान्तर फोटोदाक्स) के सभ्य आगामी भाग की अवधीनित वैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट वित्त यथा।

उपराख्या वरियोजना प्रस्तावक को एसईएए, घासीलागढ़ की जाना दिनांक २९ / १० / २०२० द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु लूपित किया गया।

- (a) समिति की ३४३वीं वैठक दिनांक ०७ / ११ / २०२०:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी जिलेन्द जोनेवार अधिकृत प्रतिनिधि उपलिखित हुए। समिति द्वारा उपराख्या जानकारी का अकलीकृत एवं परीक्षण करने एवं नियम स्थिति गढ़ी गई—

1. शाम वैकायत का अनापित प्रमाण पत्र — अवधारणे की कांडे में शाम प्रमाण अपिलाकाधार का दिनांक 20/06/2020 का अनापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. एक्स्ट्रान योग्यता — नीलिमाईड जाती प्राच (जिल्हा इम्बायलेंगट एवं उपर्याती कालीतम फ़ाम) प्रस्तुत किया गया है। जो संतुष्टा संवालक, संकालनात्मक भौतिकी तथा खनिकाने, तथा रुद्रमुख अद्वा नगर के शामन जनांक 631/ शिर्पीलीजी(जो.जी.)/भाईनिय लीन/काईज एवं ती-सलनादिगांव/ ७०० नं. 11/2017 नाम राष्ट्रपुर, दिनांक 20/01/2020 द्वारा अनुर्ध्विता है।
3. 500 मीटर की परिधि में विधत खदान — जार्डीलब बलेकटर (ज़िले शासा) ज़िला-शजनादिगांव के शामन जनांक 408/०३ लिंग०३/2020 वाजनादिगांव (दिनांक 18/02/2020) के अनुसार आर्थिक खदान से 500 मीटर की ओर १ लादान, छोड़फल ५.०५ ट्रैक्टेयर होगा खदान गया है। जिससे कैमरा बिलालीन खदान के लीज नीमा से 500 मीटर की दूरी में अविवाक खदानी का विवरण दिया गया है। यहां प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पता है कि उसके लादानों के 500 मीटर के बीच उम्मीद खदान है अथवा नहीं? इसके अलावा ज़िले शासा २००६ (यथा संस्थापित) में परिभाषित बलेकटर अनुसार योद्धा बलेकटर तक होनीप्रियमियम विवरण के ने विशालाकार खदान की लीज नीमा से 500 मीटर की ओर आने वाले शामी लादानों की जागील उत्तरे हुए तथा हुए उत्तर लादानों की लीज नीमा से 500 मीटर की ओर आने वाले अन्य लादानों की (बलेकटर के खदानों को बता तक जागील किया जाए, जाती तक ५०० मीटर की दूरी में जाती खदान कालीरियत म हो) जागील विवर जाना चाहिए।
4. 300 मीटर की परिधि में विधत कार्यजनिक होट/शरणार्थ — जार्डीलब बलेकटर (ज़िले शासा), ज़िला-शजनादिगांव के शामन जनांक 408/०३ लिंग०३/2020 वाजनादिगांव, दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उपर्यात खदान से 300 मीटर की दूरी में काहू मी जार्डीलब होट जैसे नीटर, गरिजार, मरापट, अस्पताल, सहूल, युवा, बांद एवं कांड जारी आयुर्वेदिक और अधिकृत दंड विवित नहीं हैं।
5. लीज का विवरण — यह शासालीय घृनि है। लीज की रोपा इकाइयों की भाग पर ली: लीज लीक २० वर्षी अवधि दिनांक ०९/०९/१९९४ से ०८/०९/२०१४ तक की अवधि होने ली। तथाकालीन लीज लीक में २० वर्षी की दिनांक ०९/०९/२०४४ तक जो अवधि पूर्ण हो गई है।
6. District सर्वे रिपोर्ट — एवं २०१७ की किस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की अवृत्त प्रस्तुत की गई है।
7. एवं विभाग का अनापित प्रमाण पत्र — जार्डीलब अनसाकल्लिकानी, उम्मीदगांव लीयागढ़ ज़िला-शजनादिगांव के शामन ३/०३/२०२५/१५० वाजनादिगांव, दिनांक 21/06/2020 से जारी अनापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
8. बहुत्यरूपी शरणार्थी की दूरी — विकासन जाती शाम-प्रिलाकाधार नं. ५ की दूरी राष्ट्र-विवरण ७ किमी एवं अस्पताल लीयागढ़ ५ किमी तक दूरी

कर दिया है। साइटीय राजमार्ग 36 किमी एवं राजमार्ग 10 किमी दूर है। अग्रनंद नदी 0.9 किमी दूर है।

9. पारिविष्टिकीय / वौशिकियता सहेदनकील क्षेत्र — परिवोजन समाचारका द्वारा 10 किमी ली वसिये ने अलरीकीय लीमा, साइटीय राजमार्ग, अभ्यासमार्ग, कन्दीय प्रदूषण विश्वासण बीठ द्वारा घीरित किटिकली फैल्स्टेट दरिया, पारिविष्टिकीय सहेदनकील क्षेत्र या घोषित वौशिकियता क्षेत्र दिया नहीं होना प्रतिक्रिया किया है।

10. समुन्न राष्ट्रीय दृष्टि धनन का कियना — लिपोलाजिकल रिपोर्ट 2,55,960 टन, भार्टुगेहल रिपोर्ट 1,91,860 टन एवं दिवाकरेश्वर रिपोर्ट 1,62,672 टन है। लीमा ली 7.5 मीटर गोदी लीमा घटटी (उल्कुनम के लिए प्रतिवर्षित लोध) का लोकाल 0.45 हेक्टेएक्ट है। औपन घोट लिये हो रखनन किया जाता है। उत्तरानन की प्रक्षापित अधिकतम गहराई 0 मीटर (From surface level) है। ऊपरी मिट्टी की पोटाई 0.3 फीट है। बैठ की ऊपाई 3 मीटर एवं गोदाई 3 मीटर है। राजमार्ग की सम्भालित आयु 11 वर्ष है। लीमा क्षेत्र में बाहर खालित नहीं है एवं इसकी अवधानी का अस्तित्व नहीं किया गया है। लीक हिन्द से फ्लिंग दृष्टि काटील फ्लाईटिंग किया जाता है। राजमार्ग में आयु प्रदूषण नियन्त्रण हेतु जल का छिपाकाम किया जाता है। वर्षावार प्रक्षापिता राजमार्ग का दिवारण विभासुलार है—

पर्य	दोउपाल (घर्मीटर)	महराई (मीटर)	बायकन (घर्मीटर)	प्रस्तावित राजमार्ग ROM (टन)
प्रथम वर्ष	2,500	3	7,500	15,000
द्वितीय वर्ष	2,500	3	7,500	15,000
तृतीय वर्ष	2,500	3	7,500	15,000
चतुर्थ वर्ष	2,500	3	7,500	15,000
पंचम वर्ष	2,500	3	7,500	15,000

11. जल आपूर्ति — परिवोजना हेतु आपायका जल की ज्याता 8 प्रमाणीटर प्रतिदिन होती। राजमार्ग में विभिन्न विधाकलानी (जल किलोग्राम, युआरोपन) हेतु जल की आपूर्ति नियिक्य विधानों में एकवित जल एवं पेयजल की आपूर्ति यात्रा विधायत की आपायक से जीव यात्राएँ। इस आवश्यक यात्रा विधायत की जाएगी।

12. युआरोपन कारों — लीक होने की लीमा में यात्री और 7.5 मीटर की घटटी में 1,500 लर्ड युआरोपन किया जाएगा। यात्रावाले में 500 लर्ड घीरे घीरित होना चाहिए गया है। दोष युआरोपन 1 दर्जे में किया जाएगा।

13. प्रस्तुतीकरण के लीमान परियोजना प्रस्तावक द्वारा आपाया गया कि लीमा होने की याती और 7.5 मीटर की लीमा घटटी का युल लीकाल 4,500 घर्मीटर होने है। जिसमें ही कुछ भाग इस्तम्बक 1,800 घर्मीटर उत्तरानित है। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा समिति को आपाया गया कि इंटर्नैट ए रिपोर्ट के उस्तुतीकरण के पूर्व उपरोक्त उत्तरानित होने की पुनर्वसन्न कर युआरोपन का कार्य घर लिया जाएगा। प्रस्तुता अनुसारिदा नाईनित घटटम में युर्डी की उत्तरानित समिति की ज्याता की कम किया गया है ज्याया नहीं? यह सफर नहीं हो सकता है। जाय ली विधाकलीकाल विधायत नाईनित रिपोर्ट की राजमार्ग ज्याता की व्यवस्था उत्तुप नहीं ही नहीं है। अतः युआरोपन का उपरोक्त ज्याती पूर्व उपरोक्त की व्यवस्था कर सकती है।



14. व्यक्तिगतीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, जन एवं जलसंग्रह परिषद् ने कानून, नई दिल्ली द्वारा भी जोल मार्किन प्रौद्योगिक बेटु नामक पर्यावरणीय योजना गढ़ी है। इसी कानूनक पर्यावरणीय योजना के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

इस नामक योजना की अनुसार मार्किन जीव द्वारा को 7.5 मीटर और अधिक नीचे वृक्षों के उत्पादन किया जाना आवश्यक है।

15. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति राखदी विवरण—

- पूर्व में ज्ञानोन्नदात द्वारा शिलिंग सेवा जलाल यादि जीव नामक नामक 705 एकड़ी भूमि क्षेत्र — 3133 हेक्टेकर क्षमता — 2000 टन प्रतिदिन ऐ पर्यावरणीय स्थीरकृति जिला जलरीय पर्यावरण सम्बन्धीय नियंत्रण प्रतिक्रिया विभाग—साजनाकाम प्राच दिनांक 29/01/2018 को जारी की गई। यह स्थीरकृति दिनांक 31/03/2020 तक की जारी हेतु जारी की गई है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरकृति को जारी के पासमें से की गई कानूनीय जानकारी प्रदर्शित की गई है।
- स्थीरकृति वालन्नुसार कृषिकृषि नहीं किया जाया है।
- बायोसिए कृषिकृषि (खेति जाला), विज्ञ-विवरणीय विभाग द्वारा दिनांक 432 / वा लिंग 3 / 2020 साजनाकाम प्राच दिनांक 13/02/2020 द्वारा जिले पर्यावरणीय विभाग द्वारा जारी की जानकारी दिनांगुराम है—

वर्ष	सफाई (टन)	वर्ष	सफाई (टन)
2003	निर्वाक	2011	150
2004	2,000	2012	150
2005	350	2013	
2006	100	2014	
2007	43	2015	150
2008	55	2016	
2009	150	2017	
2010	150	2018	700
		2019	2,300

16. जानकारीय एवं जीवीय, विसिनीय विभाग, नई दिल्ली द्वारा कानूनी वालन्नुसार सहकार, पर्यावरण, जल और जलसंग्रह परिवर्तन विभागों, नई दिल्ली एवं अन्य विभागों द्वारा जालन नं. 156 (जीव 2016 तक अस्य) में दिनांक 13/03/2018 विभाग अधिकारी ने भुज्यों एवं जीवनानुसार विवरित किया था—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEVA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

प्राप्ति द्वारा प्रियां विभाग द्वारा संवेदनस्थि ने निम्नानुसार मिशन लिया गया—

1. कानूनीकरण कार्यपाद (जिले खाड़ा) विभा-संज्ञानदाता की द्वारा नं. 468/ख.लि.03/2020 जालनादाता दिनांक 18/02/2020 के अनुसार आदेश द्वारा ने 500 मीटर के भीतर 1 लाख एकड़ियों 4.05 हेक्टेयर है। आदेश द्वारा नियम-विधानकालानुसार का सबक 2133 हेक्टेयर है। इस उक्त आदेश द्वारा नियम-विधानकालानुसार कोल रक्षा 0.18 हेक्टेयर है। उक्त जीवा की दृष्टि भी परियों ने नवीकरण/साक्षित छायाँनी का कूल मौजाहड़ 5 हेक्टेयर से अधिक का उल्लंघन मिला होने की बत्ती पर उपरोक्त दोनों की घटनी गयी।
2. भारत लीज कंपनी और रक्षा गैरिक भीड़े संगठी जीए के कूप भाग में लिये गये जलावाहन के तात्पर्य इस क्षेत्र के द्वारा दी गयी Remedial Measures के संबंध में लग लीज कंपनी और भारत लीजिंग क्लियरकलाली की जलावाहन प्रदूषण नियामन इतु अवश्यक उपायों पर वृक्षाशोषण आदि के लिये समर्पित तपाको जावत जावाजला जावाजनात्ता भीमिकी तथा विशेष इंटाक्सी भवन वा नवा नायपूर अटल नगर निला - नायपूर (छत्तीसगढ़) से जावकाली पराया की जाए।
3. नियंत्रि द्वारा प्रियां विभाग द्वारा संवेदनस्थि से प्रकरण चौ। कोटेगढ़ी का होने के बावजूद जलावाहन, पर्यावरण, जल और उत्तराधि परियोंने भवालव द्वारा अद्वा 2015 में इकायित टैक्सहड़ टन्स बीफ रिसर्वेस (टीओआर) भवेत है जाईए /ई.ए.ए. लियर एंड ब्राउन ब्राउनरस /एक्टीविटीज रिसार्वरिंग इन्डिप्रेट बीटीपीस अफल है जाईए नाट्टियाकलान, 2006 में यांत्रित खाड़ी 1(ए) का द्वैयाहड़ टैक्सहड़ (जोक चुनावहूँ रहित) भीन कोल नाइंग ब्रोडवर्टस हेतु निम्न वर्गीकरित ट्रीक्टर्स के द्वारा उत्तीर्ण किये जाने की अनुशंसा ही नहीं।
 - i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
 - iii. Project proponent shall submit revised approved mining plan incorporating all blocked reserves in calculations & mined out quantity.
 - iv. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
 - v. Project proponent shall submit compliance report for Environment Clearance from Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur.
 - vi. Project proponent shall submit the previous years (financial year) production details.
 - vii. Project proponent shall submit the copy of lease deed.
 - viii. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.



- iv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- v. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- vi. Project proponent shall submit CEP proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

पांचवां वर्ष प्रतिवर्ष समाप्ति नियंत्रण आवधारणा (एक ही अवृत्त एवं) अन्तर्गत भी नियानुसार कृतिगत लिया जाए।

- गोदारी शीमली बांकड़ा छोरीबाड़ (कल्हकत्ता जार्फुम रटोन क्षेत्री), पांच-कालकाला सामाजीक-शीरामद, जिला-साधनादगाव (संचिकालय का नामीक नामांक 1274) और मिलाईन आवृत्तेन - प्रयोगश नामन - एसआईए / शीरी / एमआईए / 127754 / 2020, दिनांक 25 / 03 / 2020। उल्लिखितना प्रसाकरण द्वारा प्रत्युत अनियानुसार आवृत्तेन से करियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12 / 05 / 2020 द्वारा गोदारी प्रत्युत करने ही पूरी नियंत्रित लिया गया। परियोजनाएँ प्रकल्पात्मक द्वारा विभिन्न तात्त्वकारी दिनांक 25 / 09 / 2020 तो अनियानुसार प्रत्युत ही गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूरी से सम्बलित युवा प्रत्यक्षर (सीम रामित) द्वारा ही। इसका नाम-कल्हकत्ता जार्फुम-शीरामद, जिला-साधनादगाव नियंत्रण वासना नामांक 232, जल अंगठाल-0.35 हेक्टेयर में है। ज्ञापन भी आवेदित उत्तरानन वामा-10,000 रुपा दर्तिदार है।

वैतानों का विवरण -

(अ) समिति वाली 342-वीं बैठक दिनांक 08 / 10 / 2020:

समिति द्वारा प्रत्यक्षर की नहीं एवं अन्तर्गत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तरानन सार्वत्राभासि से नियानुसार निर्णय लिया गया था:-

- प्रत्युत 600 मीटर के प्रस्ताव पर्च से यह न्यूनता नहीं हो रहा है कि यात्रा वादानी के 500 मीटर की गीतार बाल्क द्वारा है उत्तरानन ही? उत्तराई पौर्तियितोत्तरान, 2008 (यथा सामाजिक) में वरिष्ठाधिक बलवट्टर अनुसार "योहु जलवट्टर उत्तरानन वामाद्वारा जार्फुम, ज्ञाप एवं शीरी को वारिसारी से दीप दूरी द्वारा छाड़ी" सामिज उत्तरानन में अन्य पट्टे के परिक्षर से 900 मीटर से ज्ञाप है। यारीत बलवट्टर द्वारा उत्तराधिकनियता नियन्तर से दीप में विद्युताधीन द्वारा ही गीज बीच से 500 मीटर तो गीतार आने वाले सभी द्वारानों को तामिल करते हुए तथा हुस-उपारे जागिल द्वारानों के लीज लीगा हो अन्य नीटर जीतार आने वाले अन्य सारी द्वारानों को (बलवट्टर में द्वारानों नो यारी तक सामिल लिया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में जोहु द्वारा आपरिवृत्त न हो) जागिल लिया जाना चाहिए। इस उपरोक्ताधुसार प्रमाण वज्र प्रत्युत लिया जाए।

2. जागीरदार कलेक्टर (जनरिज बाबा) द्वारा उक्त खदान की 500 ग्रीटर की वर्तमान में भवित्व नहीं है अतः अस्थायी लागू आदि प्रतिबिधिये केवल निर्मित होने वाला है न होने जापान जानकारी की स्फरण / पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. यूपी में आवंधित सबल पर जनने हेतु राज्य सरकार पाकोंवरण समाजाता नियांत्रण प्राधिकरण (एसीआईएए) द्वारा जनरिज वर्तमान वर्धाया जिला वर्तीय वर्धाया समाजाता नियांत्रण व्यवितरण (एसीआईएए), इन्हींके अन्तर्गत द्वारा पाकोंवरणीय वर्तीकृति हो गई है। यूपी में जनरिज पाकोंवरणीय वर्तीकृति की प्रति एवं उपरिवर्तीप्रति जारी का वालन में ती गई कलर्वर्षी की पाकोंवरणी प्रोटोकॉल सहित प्रस्तुत की जाए। जापान की प्रकाशित जी अडान नियांत्रि की जानकारी प्रोटोकॉल सहित प्रस्तुत की जाए।
4. नियांत्रि यारी में किए गए उत्तरायन की गालतविकास याचि की जानकारी अनियांत्रण से प्रभावित करते हुए प्रस्तुत की जाए।
5. मु—जागीरिया जानकारी/रखावेज की गहनीक विवि प्रस्तुत की जाए।
6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु नियांत्रण प्रस्तुत यूपी विधान सभा प्रस्तुत भित्र जाए।
7. परिवर्तीकरण प्रस्तावक को जपानीज समस्त पूर्ण जानकारी / रखावेज (जानकारी प्रोटोकॉल) की जापान जानकारी माझ की आधीरित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु नियांत्रित भित्र जाए।

उपन्यास परिवर्तीकरण प्रस्तावक की एसीआईएए उपरिवर्तीप्रति की जापान दिनांक 25/10/2020 द्वाय प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित भित्र जाए।

(4) समिति की अन्तर्वी बैठक दिनांक 07/11/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु की विशेष जीनेवार अधिकृत प्रतिनिधि सुपारिशह हुए। समिति द्वारा नक्ती हस्तानुसारी जापानीज का जपानीकरण एवं परीक्षण करने पर भिन्न नियांत्रि हेतु—

1. जापान वर्तायत का वर्तायत प्रभावण घन्त — जानकारी के संग्रह में जापान पर्यावरण वर्तायत का अपाराधिक प्रभावण एवं प्रस्तुत भित्र जाए है।
2. उत्तरायन योजना — जापानी वर्तन (एलोगिक इन्हायाकेन्ट मिनेजमेंट वर्तन एवं कार्बोर्जन परान) प्रस्तुत भित्र जाए है, जो उपरिवर्तीप्रति (जनरिज बाबा), जिला—वायुर जी जापान वर्तन /क्र/सारि/रीन-6/2017/2034 भाग्यु दिनांक 07/09/2017 द्वारा अनुमीतित है।
3. 500 ग्रीटर की परिवि में विद्या खदान — पार्वतीज वर्तन (जनरिज बाबा) जिला—राजनावगाव जी जापान दिनांक 4258/वा.लि.03/2020 राजनावगाव दिनांक 21/10/2020 की अनुसार आवेदित खदान से 500 ग्रीटर की भीतर के खदाने, दोजकल 6.30 के बीते होना जाताया जाए है। यित्राने कराते विद्यालयीन खदान के इतिज सीमा से 500 ग्रीटर की परिवि ने अपरिवर्ती खदानी का विवरण भित्र जाए है। उक्त अनुसार यह की जा सकत नहीं ही जाए है कि उक्त खदानी की 500 ग्रीटर की भीतर अन्त खदान है अथवा नहीं? हेतु अर्थात् नोटिविकेशन, 2000 (जनरिज बाबा) में उपरिवर्तीप्रति वर्तन अनुसार "कोई वर्तन उपरिवर्तीप्रति जापानी जापान, जप्य एक दीज की परिवर्ती के बीच दूरी जप्य जनवरा जनरिज दीज की अन्त पहटे की परिवर्ती से 500 ग्रीटर से कम है।" अधीत वर्तन दीज हीमोनियोस विनाशक दीज में विद्यालयीन खदान के दीज जीमा से 500 ग्रीटर की भीतर जाने जानी खदानी की जानिल करते हुए तथा इस प्रकार जानिल

चारोंनी ने अपील योगा के 500 मीटर के भीतर आने पाए तब उनी चारोंनी को इसके भीतर में रखदानी की गई तभ रामिल दिया गए, जहाँ तभ 500 मीटर की दूरी से फैरां रखदान करवियत न हो) रामिल दिया जाना चाहिए।

- 200 नीटर की परिविहार में सिवत सार्वजनिक होता/संरक्षणात्मक - काल्पनिक नासेक्टर (एवनि शास्त्री), जिला-राजनांदगांव के द्वारा दर्ता का 1801/प्र.लि.03/2020 दाखनांदगांव दिनांक 06/07/2020 द्वारा आदि प्रभाव का अनुसार तका दर्ता दाखनांदगांव की 200 नीटर की परिविहार में वाहौ भी सार्वजनिक होता जैसे गोपनीय सार्वजनिक यथावधार, अस्थायी लकड़ी, गुल, गुल, घास, एवं जल आपूर्ति आदि परिविहारित होता चिह्नित नहीं है।
 - लौज का विवरण - यह जातीश्वरीय भूमि है। लौज भीनी अस्थायी लौजियाव के द्वारा पर्याप्त है। लौज भीनी ३ वर्षों आवधि दिनांक २०/११/१९९८ से १९/११/१९९५ तक की आवधि हेतु है। लौज का प्रधान नक्शीकरण दिनांक २०/११/१९९६ से १९/११/१९९८ तक की आवधि हेतु, दिसीय नक्शीकरण दिनांक २०/११/१९९९ से १९/११/२००१ तक की आवधि हेतु, एवं दूसीय नक्शीकरण दिनांक २०/११/२००६ से १९/११/२०१३ तक की आवधि हेतु दिनांक दाया गया। उत्प्रकाश लौज भीनी में ९ वर्षों की दिनांक २०/११/२०१३ से १९/११/२०२२ तक की आवधि दृष्टि की गई है।
 - डिस्ट्रीग्रेट रार्ड रिपोर्ट - वर्ष २०१९ की डिस्ट्रीग्रेट रार्ड रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रत्युत्तम की गई है।
 - कम विभाग का अनावरणित प्रभाव पर्याप्त - जातीश्वरीय इनसेक्टरालीकारी उन्नतपूर्वक लौजागढ़, जिला-राजनांदगांव के द्वारा ग्रामीक/ग्रा.पि./नं.पि. २५/२२५६ द्वारा दिनांक ०१/०७/२०२० से बढ़ती अनावरणित प्रभाव पर्याप्त प्रत्युत्तम की गई है।
 - पहाड़पूर्वी संरक्षणात्मक की दृगी - निकटतम ग्रामीकी उपर्याप्ति-कलाकर से ०.९ किलोमीटर पूर्व अस्थायी लकड़ीपुर १ किलोमीटरी लौज पर विद्या है। लकड़ीपुर राजमार्ग २९ किलोमीटर दूर राजमार्ग २३ किलोमीटर दूर है। अग्रेसर गढ़ी ५८ किलोमीटर दूर है।
 - पारिविहारिकीय/दौविविहारी शब्देनवरीत होता - पारिवारिका इकायावाक द्वारा १० किलोमीटरी लौज परिविहारित जीवा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्यायप्रयुक्ति लौजीद प्रभावण मिवेक्षण भोवी दुर्गा पीपित तिटिकाली लौजपुरोड़ एवं एक पारिविहारिक जीवानवीत होता या पीपित जीवानवीत होता विद्या नहीं होना प्रतिवेदित विद्या है।
 - खानग संपर्क एवं खानग का विवरण - खिलोद्वीलिपाल जिलांवे १,५०,००० एवं एवं रिकालोद्वाल जिलांवे ७७,४४० दम है। लौज की ७.६ मीटर भीड़ी लौज वर्ती (उत्प्रकाश के लिए प्रतिविहारित होती) या छोड़ागांव ०.५ हेक्टेएर है। लौज अस्थायी ग्रामीणहाटीज विदि लौज उत्प्रकाश विद्या जाता है। उत्प्रकाश की दूरतावाक अधिकावत्तम गहराई ६ मीटर है। दैव भी ऊंचाई ३ मीटर तक ५०० भीड़ी ३ मीटर है। उत्प्रकाश की अस्थायी लागु १० वर्ष है। लौज होती है ज्ञान अव्यापित सही है। एवं दूसरी रूपावाक द्वारा उत्प्रकाश नहीं विद्या देता है। लौज उम्हा द्वारा उत्प्रकाश विद्या जाता है। उत्प्रकाश में लागु प्रभावण मिवेक्षण हेतु जल का विद्युताव विद्या जाता है। दैवावाक दूसरीदैव रूपावाक द्वारा विद्युत विद्युतावाद है।



क्रम	शेजरफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रदूषणित रासायनिक ROM (टन)
जलान घर	1,667	3	6,000	10,000
दिलोय घर	1,667	3	6,000	10,000
पुलीय घर	1,667	3	6,000	10,000
संग्रह घर	1,667	3	6,000	10,000
बच्चे-घर	1,667	3	6,000	10,000
कुटा-घर	1,667	3	6,000	10,000

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की आवा एवं उत्पादन प्रतिदिन होती। इसमें विभिन्न क्रियाकलापों (जल वितरण, शुल्कारेपण) हेतु जल की आपूर्ति लिखित रूपमें एकत्रित जल एवं प्रभावकल सी आपूर्ति इस प्राप्ति का आवश्यक से भी ज्ञाएगी। इस बोधत यह संक्षेपत रूपमें लिखी जाएगी।
12. शुल्कारेपण कार्य – लोअर बीच की ओरा में यहाँ पर 7.5 मीटर की ऊंची से शुल्कारेपण लिया जाएगा।
13. प्रसूतीकरण के द्वारा परियोजना प्रसूतावक द्वारा याताया गया तो जीव बीच के बाहरी और 7.5 मीटर दूर के पृष्ठ आग उत्पन्नित है। इसका संक्षेप भौतिकी प्रकार से नहीं लिया गया है। परियोजना प्रसूतावक द्वारा बढ़ाई जीव याताया गया हो जाएगा एवं रिपोर्ट के प्रसूतीकरण के पूर्व एवं दूसरे प्रसूतावक द्वारा योग्यता प्रसूतावक का शुल्कारेपण का जाये जाव लिया जाएगा। यात्य ही प्रसूतावक अनुमतिया भौतिकी प्रकार से लिया जायेगा 10 प्रतिशत की आपार पर की रही है। तो यह अप्रमुख नहीं है। यात्य रिपोर्ट की प्रगति प्रसूतावक लिया जाना आवश्यक है। तो यात्य रिपोर्ट का याताया गया हूये उपप्रमुख की प्रगति याद संजोयित भौतिकी प्रकार प्रसूतावक लिया जाना आवश्यक है।
14. बलरेफलनीय है कि यात्य संरक्षक पर्यावरण, यह एवं यात्यायु परियोजना संकालय नहीं दिलनी हुआ भौति भौतिकी प्रोटोकलों हेतु यात्यायु पर्यावरणीय जीव जीवी नहीं है। इसे क्रमांक VIII (८) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त अनुक्रम की अनुसार भौतिकी द्वारा बीच की ऊंचाई 7.5 मीटर जीवी संजोयित जीवों में शुल्कारेपण लिया जाना आवश्यक है।

१५. पूर्व में पारी पर्यावरणीय स्थीरता संबंधी लियवाह-

- पूर्व में यहाँ पारी पर्यावरण अवान अनुसार क्रमांक 262. गहुल शेजरफल - 0.85 वर्गमीटर, आयतन - 10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्थीरता लियवाह पर्यावरण अवान अनुसार अनुमति लियवाह प्राप्तिकरण, लियवाह-प्राप्तिकरण द्वारा दिनांक ०२/०३/२०१७ तो याती ही रहे। यह स्थीरता लियवाह ३१/०३/२०२० तक तीव्रता हेतु जायी ही रहे।



- ii. यूट-मे पारी पर्यावरणीय स्थीरता को जल्दी के पात्रम ने जीव वासियों की जलनाशी इस्तेहास को गई है।
- iii. नियोनित जलानुसार प्रशासनिक नीति लिखा गया है।
- iv. कार्योलय कलेक्टर (जनपि शास्त्र) जिला-कालनाडगांव के अधीन अमाल 4358/ख.पि.02/2020 जलनाडगांव दिनांक 26/11/2020 द्वारा लिखा गया नीति ने लिखे गए उल्लङ्घन की जलनाशी निम्नानुसार है:-

वर्ष	संत्यादन (डब)	वर्ष	संत्यादन (डब)
2009-09	1,890	2014-15	
2009-10	1,920	2015-16	
2010-11	2,450	2016-17	
2011-12	1,895	2017-18	3,500
2012-13	3,550	2018-19	2,500
2013-14	400	2019-20	2,800

17. नामनीय एम-जी टी. डिलिपल केर, नई डिली द्वारा सार्वजनिक संस्कृत वात्सल्यकार प्रयोगकारी काग और उत्तमायु परिवर्तन मंडपनाम नई डिली पर अन्य (प्रीमियम) एनिलोकान नं. 106 (प्रीम 2010 द्वारा अन्य) ने दिनांक 13/09/2019 की घोषित तारीख में सुनुषा द्वारा से निम्नानुसार निर्देशित लिखा गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease area exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

सामिति द्वारा लिखा गया जलनाशी उपचार सर्वसम्मति को निम्नानुसार लिखा गया:-

- जारीलय कलेक्टर (जनपि शास्त्र) जिला-कालनाडगांव के अधीन अमाल 4358/ख.पि.03/2020 जलनाडगांव, दिनांक 21/10/2020 की अनुसार जारीदित लौहान दे 500 लीटर की छीतर व लूपाने के लिए कुल 0.30 हेक्टेयर है। जारीदित लौहान (जाम-कलकना) का उपका 0.86 हेक्टेयर है। इस जारीदित लौहान (जाम-कलकना) को जिलाका कुल उपका 7.00 हेक्टेयर है। लूपान की सीधे दे 500 लीटर की पर्सिये व स्पील्स/सिलिंग लौहान का लूपका कुल 0.30 हेक्टेयर दी जायेगा जो बलस्टर निर्मित होने की जल्दी यह उपका 'दी' बोनी ही भागी रही।
- गाइन लौहान के जारी लौप 7.6 नीटर जीके संपर्की पर्स के बहु यात्रा में लिखे गए उल्लङ्घन की कारण द्वारा लौज की उन्नती उपायी (Renewal Measures) के साथ में ज्ञात लौज के ऊंचर माझ्यानिंग लिंगाकलापी को जारी उपका प्रदूषण नियन्त्रण (इन्ट्रु आपायक उपायी यथा प्रशासनिक अधि के लिए अनुसित राजनी वाका, संचालक, नियन्त्रित, नीतिकी ज्ञात नियन्त्रण, इंद्रानी वर्धन, भाषा, दोषानु अटल नगर, जिला - राजपुर (छलीदारगढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।
- सामिति द्वारा लिखा गया जलनाशी उपचार सर्वसम्मति से अवादन हीरे के लिए जाने की जलनाशी भारत सरकार, प्रधानमंत्री, इन और उत्तमायु परिवर्तन संबलय द्वारा



अप्रैल, 2018 में प्रकाशित रद्दीपत्रक दस्ती गोपनीय विधायिका (टीवीआर) कीरा लूटुर्हा / वृंदावन नगर बोर्डसह/एक्टीविटीज विकासविभाग इन्डियामें जलीयदेव अभ्यास इंजिनियर एक्टिविटीजन 2000 ने घोषित थीनी 1[ए] का रद्दीपत्र टीवीआर (लोक सम्प्रदाय चाहिए) नीन कोल नाइनिंग बोर्डसह देख निम्न अंतिमिति दीक्षितार के साथ जारी रिये पाने जी अनुसारा यी गढ़—

- i. Project proponent shall inform B.E.A.C Chhatrapati before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- iii. Project proponent shall submit revised approved mining plan incorporating all actual blocked reserves in calculations & mined out quantity.
- iv. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- v. Project proponent shall submit the readable NOC of Gram Panchayat.
- vi. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- vii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- viii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- ix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

उपर दत्त याचिकावन वासायात नियोजन आधिकार्य (दूसरी आडेटर), छत्तीसगढ़ की अधीनस्थ द्वारा दिया गया।

3. वीराम एवं बल्लीपाल केराप उग्री आसकीय विजिता भागविकाल्य (सुपर लैंडिंगलिटी बोर्डसह, अम्बर वी.एम.एस.एस.वाए. फैजा-IV), पान-डिमदापाल, तालील-जगदलपुर, विला-बक्कर (समिकाल्य की जर्दी क्रमांक 1403)

अधिकार्यालय— छत्तीसगढ़ — एक्टिविटीज/ वीरी/ एक्टिविटा/ 174475 / 2020, दिनांक 26 / 09 / 2020।

प्रत्यक्ष का विवरण — यह प्रकाशित सुपर लैंडिंगलिटी बोर्डसह (अम्बर वी.एम.एस.एस.वाए. फैजा-IV) है। यह बोर्डसह पान-डिमदापाल, तालील-जगदलपुर, विला-बक्कर विला जलाल जलाल 91 एवं 82, फैजा-एक्टिविटीज-41,556.4 वर्गमीटर में

प्रस्तावित विनियोग दैत्याल 28,787.27 कर्मचारी की वयोवरणीय स्थिरता देख आवेदन किए गए हैं। परियोजना का विनियोग रूपी 82 बारोड हुआ।

दैत्यकों का विवरण —

(अ) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 06 / 10 / 2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की नसी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण का तरीकाम सर्वेक्षण से निम्नानुसार निणीय हिता देया गया—

१. नुसी राजनीतिक अकादी उत्तराखण्ड प्रस्तुत किए गए।
२. राजनीतिक द्वारा देखी भए निम्नीय अनुग्रह की छाति प्रस्तुत की गई।
३. शैक्षिक और देखी प्रस्तावित चयापर अवधारणा का फूली विवरण, उपचारित दृष्टिकोण के सम्बोधन / पुनर्व्यवस्थाएँ तथा व्यवस्था का यूनि विवरण प्रस्तुत की गयी।
४. यादु प्रदूषण विवरण हेतु प्रस्तावित व्यावस्था कम्युनिटी बाट उत्तराखण्ड मिलान से हेतु प्रस्तावित व्यावस्था का विवरण प्रस्तुत की गयी।
५. दोस अवलोकनी के विवरण हेतु प्रस्तावित व्यावस्था एवं विवरण अभेद्य प्रस्तुत की गयी।
६. प्रस्तावित उत्तराखण्ड के उपराज्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गयी।
७. प्रस्तावित से—बाइट में दूषांश्चय को दर्शाते हुये दूषांश्चोदन की संभावना का विवरण प्रस्तुत की गयी। दूषांश्चय के द्वारा दूषांश्चय का प्रस्तुत तो नहीं।
८. लीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पुनि विवरण के साथ प्रस्तुत किया गया।
९. परियोजना प्रस्तावका तो जागमी नाम की आपीलिंग बैठक में संपर्काता समाप्त दूषांश्चय जानकारी / दस्तावेज (उत्तराखण्ड बोर्डप्राप्त) लाइसेंस वाली विवरण दिये गये हेतु निर्देशित किया गया।

हांगुलार घोटालोजना प्रस्तावका तो एसईएसी, भूतीकरण के द्वारा दिनांक 29 / 10 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु दृष्टिकोण किए गया।

(ब) समिति की 343वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिष्ठित उपरिणीत नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावका द्वारा कोई अनुरोध एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विकार विकारी उपराज्य राजीवान्नति से निणीय हिता देया गया तिवरिकाना प्रस्तावका तो जागमी नाम के आपीलिंग बैठक में यूं में कानी गई लाइसेंस जानकारी एवं समस्त दूषांश्चय जानकारी / दस्तावेज लाइसेंस प्रस्तुतीकरण दिये गये हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना प्रस्तावका तो लदानुसार दृष्टिकोण किया गया।

४. मैकासी रहिया विकासी कारो एण्ड फिल्म ग्रिमनी विकासी प्लाट (प्र.) द्वि
दिनेश ज्ञानवाला), पान-दलित, राहसील व गिरा-गुरुपुर (समिकाला का
नम्बरी अमाका 1410)

बी-एलाइट आवेदन — परोल्यूल नम्बर — एवार्ड्स/ शीली/ एवार्ड्स/
173009 /2020, दिनांक 27 /09 /2020।

प्रश्नाव का विवरण — यह गृह दी संसाधन गिर्दी उत्तराखण्ड (एम एन) द्वारा
एवं फिल्म ग्रिमनी द्वारा प्राप्त है। यहां पान-दलित, राहसील व
गिरा-गुरुपुर गिरा ज्ञानवाला अमाक 1296 /1, 1296 /2 एवं 1297 गुरु शेषकले —
1001 इकट्ठेश्वर में है। यहां की आवेदित ग्रीष्म रामेश उत्तराखण्ड द्वारा — 675
एकड़ीहर जलियाँ एवं द्वितीय द्वारा अमाक — 6,61,500 नग छलियाँ हैं।

विवाहों का विवरण —

(अ) शानिति की 342वीं बैठक दिनांक 08 /10 /2020:

शानिति द्वारा प्रश्नाव की भवती एवं प्रस्तुत यानकारी का परिचय तथा उत्तराखण्ड
शर्वसम्मिति से गिरानुसार विर्यव लिया गया था—

1. यान-विवाह के अनावधि प्रभाव पर भी पठनीय प्रति प्रस्तुत की गयी।
2. गृह में आवेदित लोल एवं जानने हेतु नियम एवं पानीयता उपचारा गिर्दीया
प्राप्तिकाला (एस इ आई ए ए), घटानियां अक्षां जिला संस्थीय पानीयता उपचारा
गिर्दीया एवं विवाह (एस इ आई ए ए), उत्तराखण्ड द्वारा पर्यावरणीय विवाह की गई
है, गृह में जारी पानीयता जीवनी की प्राप्ति एवं अधिनीयित गाँव एवं जालन में
की गई जारीयता की यानकारी औटोपारस रहेंते प्रस्तुत की गयी। यान-वि
प्रश्नाव की अन्तिम शिखि की यानकारी औटोपारस रहित प्रस्तुत की गयी।
3. विवाह वार्षी न लिए नए उत्तराखण्ड की वायरलिक साक्षा की यानकारी रामेश
गिराने की प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत की गयी।
4. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विवाह प्रस्ताव गृह
शिखि की यान-प्रस्तुत किया गया।
5. परिवोज्ञा प्रस्ताव के उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दसाविय (उत्तराखण्ड
प्रस्तुतिकाला) के यान-विवाह की अधीक्षित बैठक एवं प्रस्तुतिकाला द्वितीय तरी
हेतु विवेचित जिला गाँव।

गिरानुसार विवाहीयता प्रस्ताव के एस इ ए ए, घटानियां दी जाएन दिनांक
29 /10 /2020 द्वारा प्रस्तुतिकाला हेतु सुचित फिला गया।

(4) शानिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 /11 /2020:

प्रस्तुतिकाला हेतु भी दीता यानकारी अधिकृत प्रतिनिधि वापसिया हुए। शानिति द्वारा
नामी विवाह प्रस्तुत यानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर गिरा शिखि यार्ह गई—

1. यान-विवाह का अनावधि प्रभाव पर — यानकाल के तथा यान-विवाह का अवलोकन दिनांक 05 /09 /2010 का अनावधि प्रभाव पर प्रस्तुत गिरा गया
है।
2. उत्तराखण्ड योजना — यान-विवाह, इन्डस्ट्रीलोगिस्ट मैनेजमेंट प्लान पर्यावरणीय
विवाह प्रस्तुत किया गया है, जो विनि अधिकारी, जिला-तीर्तीया की



लापन नमंक 2394 / रायगढ़ / दस्ति.2 / 2020 जारीया, बेगुराड्युर दिनांक
18 / 08 / 2020 हारा अनुचित है।

३. ६०० मीटर की परिधि में विषय स्थान — बालौलय कोटेश्वर (बालौलय इलाय),
जिला—सूरजगढ़ के लापन नमंक / ६८६ / रायगढ़ / २०२० सूरजगढ़ दिनांक
२२ / ०९ / २०२० के अनुसार आवेदित स्थान से ६०० मीटर के भीतर अवधिक
अन्य स्थानों की संख्या निम्न है।
४. २०० मीटर की परिधि में विषय सावेजनिक शैक्षणिक — बालौलय
कोटेश्वर (बालौलय इलाय), जिला—सूरजगढ़ के लापन नमंक / ६८६ / रायगढ़ / २०२०
सूरजगढ़ दिनांक २२ / ०९ / २०२० हारा जारी लापन पर अनुसार विषय स्थान से
२०० मीटर की परिधि में कोई भी सावेजनिक छोड़ तैरी नहीं की गई और भौतिक भवितव्य
जलस्थान, स्थान, पुस्त, बाँध, एवं कार्बन एवं जल आपूर्ति आदि प्राप्तेविषय की निम्नता
होती है।
५. लीज का विवरण — शुभि एवं लीज भी दिनांक जलस्थान के नाम पर है।
लीज की १० वार्षीय अवधि दिनांक २२ / ०७ / २०१० से २१ / ०७ / २०२० तक भी
आवधि होती थी। जलस्थान लीज ढोक में २० वार्षीय की दिनांक २२ / ०७ / २०२० से
२१ / ०७ / २०४० तक भी आवधि हुद्दि की गई है।
६. डिस्ट्रीक्ट रिपोर्ट — वर्ष २०१९ की डिस्ट्रीक्ट रिपोर्ट (District Survey
Report) में प्रति प्रत्युत की गई है।
७. जल विधाय का अन्यायित प्रभाव पक्ष — बालौलय अन्यायिताविहारी, परिवार
सरदूला चन्दमाला, अमिलाड्युर के लापन नमंक / बालौलय / १० / १४७० अमिलाड्युर
दिनांक ११ / ०५ / २०१९ हारा जारी अन्यायित प्रभाव पक्ष प्रत्युत किया गया है।
८. भाहस्थपूर्व सरचनाओं की दृश्य — निकटतम जलावाही द्वाग-देखित ०.७ किमी
व्युत जल-देखित ०.८५ कि.मी. एवं अस्थान किलोमीटर ५.७५ कि.मी. की दृश्य व्युत
होती है। जलस्थान जलस्थान २.७५ कि.मी. एवं जलस्थान १७.१५ कि.मी. दूर है। जल
नदी ८.१ कि.मी. दूर है।
९. पारिविक्तिकीय / जैवविधिक संवेदनशील शैक्षणिक — परिवोजना प्रत्यावर्त्तन प्रत्युत
१० कि.मी. की परिधि में अतर्हितीय शैक्षणिक व्युत अस्थान, क्षमतालय, कन्टीय
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड हारा घोषित किटिकाली गोल्डफॉर्म फॉर्म, पारिविक्तिकीय
संवेदनशील शैक्षणिक व्युत या पौधित जैवविधिक संवेदनशील होना प्रतिवेदित किया गया है।
१०. अन्य संघर्षों एवं स्थान का विवरण — डिस्ट्रीक्ट रिपोर्ट नमंक १५.३६३
पानीटर भाट्टेनेट दिनांक ८.१३९ पानीटर एवं रिकालेल रिपोर्ट ८.४३५ पानीटर
है। लीज के लाजी भौत १ मीटर का शैक्षणिक ०.०५ डिक्टेवर है। औपचारिक व्युत
विधि से जलस्थान किया जाता है। जलस्थान की प्रत्यावर्त्तन अस्थानम
प्रत्युत २ मीटर है। ये व्युत की लंबाई १ मीटर एवं ऊँचाई १ मीटर है। उसका लीज
भौत को भौत द्वारा द्वितीय होता है। द्वितीय द्वारा द्वितीय तथा द्वितीय द्वारा
विधाय की लंबाई ०.२ डिक्टेवर है। प्रत्यावर्त्तन विधाय की लंबाई ०.३ मीटर है।
कोइते की मात्रा ८७.५ टन प्रतिवर्ष है। इस विधाय होता है कि साथ ५०
प्रतिवर्ष प्रत्युत एवं का जलस्थान किया जाता है। स्थान की संवाधित आपूर्ति २० वर्ष
है। स्थान की साथ प्रदूषण विधाय का जलस्थान किया जाता है।
पर्यावरण प्रत्यावर्त्तन स्थान का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	मिट्टी कल्पना (प्रति एकेएस)	प्रसारित कल्पना (नग.)
बजार वर्ष	675	6,75,000
दूधोली वर्ष	675	6,75,000
लालीय वर्ष	675	6,75,000
खालीय वर्ष	675	6,75,000
दर्दम वर्ष	675	6,75,000
हुडवे वर्ष	675	6,75,000
सालामी वर्ष	675	6,75,000
आठी वर्ष	675	6,75,000
लौंगी वर्ष	675	6,75,000
दसवीं वर्ष	675	6,75,000

नोट- ग्रामीण में इसकल्पना को बाहर की गणनाक्षमीक जिया गया है।

11. खल आगुनि - परियोजना हेतु आवश्यक जल वी भाड़ा 4.34 प्रति एकाएक प्रतिदिन होती। इसकल्पना में जल वी आगुनि छान पहलवान के साथ से जी जाएगी। इस वर्षानुसार प्रभावित से रहनेवाले जी गई हैं।
12. गुकारीपण कर्म - श्रीज देव वी श्रीमा वी बाही लौंग 1 एकेएस की कल्पी में 286 नग गुकारीपण विभव दाएगा।
13. पूर्व में जारी प्रारंभिकलीय रक्षीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में मिट्टी कल्पना क्रमांक 1296/1, 1296/2 एवं 1297, वी लालत 1,061 एकेएक, दानां-1977.75 प्रति एकाएक (10,09,061 नग) प्रतिवर्ष हेतु प्रदूषितप्रभीय रक्षीकृति जिला सरकारी पर्यावरण समाधान नियंत्रण विभाग, फिल्म-सुराजपुर इनका दिनांक 19/12/2016 की जारी वी गई। यह रक्षीकृति 3 वर्ष तक जी अवधि हेतु जारी वी गई।
- ii. पूर्व में जारी प्रारंभिकलीय रक्षीकृति जी जारी वी पालन में जी गई कार्यकारी जी जलवारी इस्तुत की गई है।
- iii. मिथाप्रित जारीमुकाबल प्रारंभिक नहीं जिया गया है।
- iv. कार्यालय कल्पकट (खंडिज जारी), फिल्म-सुराजपुर के हुडवन क्रमांक 635/लानिज/2020 सुराजपुर, दिनांक 22/09/2020 की अनुसार दिनांक जी में किये गये कारगदर्श का विवरण जिम्मानुसार है—

वर्ष	वार्षिक कल्पना (नग.)
2017	4,45,000
2018	6,00,000
2019	6,00,000

- v. यिनां वर्षी में किये गये मिट्टी उत्पन्नन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रवर्तनक द्वारा अभियंता वी जारा विस्तार से जारी उपरोक्त जिम्मानुसार विवरण प्रस्तुत किया गया है—



Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
28.94	2%	0.58	Following activities at Government Primary School Village – Datia	
			Rain Water Harvesting System	0.77
			Plantation with fencing	0.10
			Total	0.87

समिति द्वारा विभार नियम उपरात सर्वेश्वरति की नियमित लिया गया था। परियोजना प्रस्तावक को विभार द्वारा खास विभार की वालीका मार्ज की जानकारी (विलीन रूप) समिति विभार के अनुसार लिया जाना कर अनुसार लिये जाने होंगे। नियमित लिया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए।

5. मेहरां हाईटेक सुपर सीमेंट एण्ड स्टील प्रोफेट नियमिटेक याम-विलाय बीड़ानदटा, तहसील-विलाय, विलाय-विलायपुर (साक्षियालय की नसी लागत 1373)

ओनलाइन आवेदन - प्रधानमन्त्री नम्र - एसआरए/ सीटी / आईएनी / 199010-2020, दिनांक 20/08/2020। परियोजना प्रस्तावक के अनुसार ओनलाइन आवेदन में याचिनी होने से ज्ञापन दिनांक 29/08/2020 द्वारा यानकारी अस्तुत घोषित होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारीत जानकारी दिनांक 02/10/2020 की ओनलाइन अस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा याम-विलाय बीड़ानदटा, तहसील-विलाय, विलाय-विलायपुर लिया जाना अभीक 302/1/4, 302/1/5, 302/2, 302/3, 302/4, 302/5, 302/6, 302/7/2 एवं 11(पार्ट) कुल अधिकल - 7.22 एकड़ में प्रस्तावित सीमेंट स्टोरिंग मूलिक अमाता-1,000 (इ. गुण 200 टक्के) द्वा विभिन्न के प्रयोगशील सीमेंट ग्राह करने हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विविधीय कमात 10 लाख होगा।

वैदायी का विवरण -

- (अ) समिति की 342वीं बैठक का दिनांक 05/10/2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की नसी एवं अस्तुत यानकारी का विभार द्वा तथा सरकारी सर्वेश्वरति से नियमानुसार नियमित लिया गया था:-

- न्-सामिति संसदी दरताली की एकीय प्रति अस्तुत की जाए।

- प्राइवेट ने स्थापित दूकानों (यदि कोई हो) हेतु प्रतीक्षित व्यवहारण संस्कार गठन हाल जारी आमति जारी के पालन में कोई गई कार्रवाई की विनाशक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- ग्राम्य काटर सिंज व्यवस्थाओं एवं ऐन काटर हार्डस्टोर व्यवस्थाओं का विवरण (विवरण एवं भावूक जटिल) प्रस्तुत की जाए।
- कृषि जल हेतु प्रस्तावित उच्चास्त व्यवस्था वा पूर्ण विवरण, संघातित दूकित जारी के अपग्रेड / पुनरुत्पादन की जानकारी पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
- ग्राम्य प्रदूषण सिंज व्यवस्था, कृषिजिटिव बस्ट ललार्न व्यवस्था, और-गटेरियल जी वरियन कट एवं बिंदुहन व्यवस्था (छक्क / रेल मार्ग) का विवरण प्रस्तुत की जाए।
- तीस उपशिष्टों के विषयमें हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विनाश जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- जै-आइट में प्रस्तावित कृषीरोपण की वशीत हुई कृषीरोपण की रक्खा तथा कृषकाल जा-विवरण प्रस्तुत की जाए। कृषीरोपण हेतु जारीजानना प्रस्तुत की जाए।
- रीएसार (Corporate Environment Responsibility) हेतु विवरण पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- कृषियोजना प्रस्तावक के उपर्युक्त समस्त पूर्ण जानकारी / एसाई-एसी (अधिनक्षित फोटोडायाफ) की जांच जागती भाँड की आमति बिटाक में प्रस्तुतीजानन दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

ग्राम्यकार परियोजना प्रबन्धक को एसई-एसी- प्रतीक्षित द्वारा प्राप्त दिनांक 29/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीजानन हेतु दूषित किया गया।

(4) जागिति वी 340वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

प्रस्तुतीजानन हेतु जी विनित नुमार बहाकाल एवं जी विनित गुमार अग्राहन, गीर्वांकन जारीकृता गुरु। जागिति द्वारा गत्ती, प्रस्तुत जानकारी का अचलोकन एवं परीक्षण करने पर जिम्मा निर्दिष्टि पाई गई—

- यह प्रस्तावित विनियोजना एक नींवीट आइडिंग युनिट है, जो जनीवन आइडिंग प्रौद्योगिक जागति होगी।
- राजीवस्थ विधान कियाकलायी रांची जानकारी—
 - समीपस्थ झाराबदी जाम-विलह 0.8 किमी एवं शहर विलासपुर 1.3 किमी जी दूसी पर विधान है। निकटतम रेलवे स्टेशन विलह 0.2 किमी, जी दूसी पर विधान है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.3 किमी, दूर विधान है। जनीवन गाड़ी 0.5 किमी जी दूसी पर है।

- * 10 किमी ली चारिंगे ते झोलापिणीस सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्नारपांडु नोन्होगा प्रदूषण नियंत्रण कोड हुआ घोषित किंटिकली पौल्सुटेक एरिया, मारिशियनोवीय संघटनांकीला होप या घोषित खोल्डिंग्साला होप एरिया वारी ठोका याया आहे।
 - 3. लेप्ल एरिया कट्टेटमीट - कुल एरिया 7.22 एकड है, जितम ते जांत दुरित 1.51 एकड, पार्किंग एरिया 0.91 एकड, लीन बेल्ट एरिया 2.99 एकड, लोड एरिया 0.47 एकड एव्ह खुला होप 0.95 गे प्रकाशित आहे।
 - 4. शू-खागित - गुगी भी आदित्य अगाहाल के जाय पाव आहे। उनी हुआ बगालात गोरी के लिए सहभागी द्वारा हुीसा गताचा याया।
 - 5. शू-गट्टेरिपातळ-

१०८ **—पर्याप्ति—**

S. No.	Material	Quantity (TPD)	Mode of Transportation
OPC			
1.	Clinker	950	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
PPC			
1.	Clinker	600	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
3.	Plyash	350	Rail
PSC			
1.	Clinker	500	Rail
2.	Gypsum	50	Rail
3.	Slag	450	Rail

- गायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – गायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बैग मिल्टर समाप्ति किया जाना प्रस्तावित है। यिनीं से पौर्णसूख रोटर का उत्तरार्द्ध 30 विलेवाम / जानवर बलौटर ही तम रक्षा करेगा। इसकी जट नियंत्रण / प्रयुक्तियाँ जट उत्तरार्द्ध के नियंत्रण हेतु जल प्रिवासी की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। शी-मटोडिलक्ष सटीरेख लूटिया कलाक लिया एवं कलाक गहरा प्रस्तावित है। जटीर यो प्रबन्ध किया जाएगा तथा स्टोरेज एरिया में बनाए गए जट तथा ट्रॉफी की सुविधा रहेगी।
 - शीत अपशिष्ट अपचहन व्यवस्था** – राइलिंग मूर्मिट से शीत अपशिष्ट अपचहन की होगा। गायु प्रदूषण नियंत्रण समाजदण्डी में एकलिंग जट को एक अपशिष्ट अपचहन किया जावेगा।
 - जल प्रबंधन व्यवस्था** –

३ अल दर्शक विवर-

- जल स्थपति एवं स्वामीता संबंधी जानकारी – परिवेशपाल द्वारा दिए गए बहुत काम के फैल में 10 घनमीटर एवं 20 घनमीटर तीव्र में 25 घनमीटर प्रतिदिन (प्रतिवर्ष) द्वारा 8 घनमीटर प्रतिदिन, बहुत संवेदन डेटु 10 घनमीटर प्रतिदिन, तीव्र में 20 द्वारा 7 घनमीटर प्रतिदिन) जल स्थपति होगा। कानकदृष्टियां फैल में उड़ा दीकर के समक्ष ही किंचित् अविदेया तथा डीपरेशनल फैल में उड़ाते भू-जल होंगा। अधिकतर जल की सापोर्गिता डेटु अनुभवित होन्हुल आठवां दौरा ज्ञानियों से लिए जाने वाला आयोग गिरा गया है।

- नल प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था — इंटर द्वितीय जल की साजा दृष्टिकोण प्रतिशिल्दा होगी। द्वितीय जल के उपचार हेतु १ घण्टनीटर प्रतिशिल्दा बनावा जा सकेगा ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर जाना प्रस्तावित है। शून्य नियन्त्रण की विधि रखी जाएगी।
- गृ—जल नियन्त्रण प्रबंधन — परियोजना अलग ट्रीटमेंट प्लाटफॉर्म काटर द्वारा अनुसार सभी विदिकल जीन में आता है। विदिकल अनुसार—
 (म) तुड़व एवं नद्यम सूचीय की रूप से कम ३० प्रतिशत गुणित जल का गुनाहकार एवं तुलनात्मक किया जाना है।
 (घ) गारुण्य नाटर विनाश हेतु अपनाई गई जलनीक जल रेनफाटर हार्डिंग / ऑर्सेनियरियल एवं विनाशी की जाओत पर गृ—जल नियन्त्रण जाने की अनुरूप ट्रीटमेंट प्लाटफॉर्म बोर्ड हारा दिए जाने का प्रावधान चा। केवल भूमि जल नायिकनग की अनुसार सूचीय काल होनेप्रिटिवल जीन की अनुरूप रहता है। जलांग को रेनफाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- रेन फीटर हार्डिंग — उद्योग परिवर्तन में जर्कों के पानी का गृ—जल इनर्जी १.७२२ घमनीटर प्रतिवर्ष है। ऐन फीटर हार्डिंग व्यवस्था के अनुरूप जार्डिंग ग्रिट विनाश जाना प्रस्तावित किया जाया है जिसकी मानना में तुड़ि है। अतः रेन फीटर हार्डिंग व्यवस्था की विद्युत मानना सहित जानवारी प्रत्युत किया जाना आवश्यक है।
- 9. विद्युत ऊपर एवं कमी — परियोजना हेतु २,५०० मीट्रीका विद्युत की आवश्यकता है। विनाशी अनुरूप घलीवारह लल्ल विद्युत वितरण कमी जी जाएगी। विनाशी विद्युत कमी हेतु जी जी सेट लगावा जाना प्रस्तावित होना चाहिया याहा है। अतः जी जी सेट की अनुरूप एवं गृ—जल प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था की जानवारी प्रत्युत नहीं नहीं है।
- 10. गृहारोपण संबंधी विवरण — गृ—जल लोपणाल ने जी लगावा २.५८ एकड़ (४१.२८ एकड़ा) में ३,०२० लक्ष गृहारोपण दीन बोर्ड का विनाश जाना प्रस्तावित है। उपरिवर्तन में जारी और न्यूनतम १ फीटर जी जी बट्टी जा विनाश जाना प्रस्तावित विनाश जाया है। जी जी कम से कम १० फीटर किया जाना आवश्यक है।
- 11. प्रस्तावितरण के द्वारम परियोजना प्रस्तावक द्वारा जाना याहा कि १०० प्रतिशत जली गारुण्यी का परियहन ऐल मार्ने से किया जाये प्रस्तावित है। खाली परिवर्तन जी जी हुई जली जी जी से ऐसे वार्डिंग लगा दुआ है। विनाश कापड़ी प्रस्तावित इकाई हेतु किया जाना है। ऐसे कापड़ीं से प्रस्तावित अलग जल आवश्यकता की विए जानक का निर्माण किया जाएगा।
- 12. गृ—जलीरेवलस जल जल प्रतिशत परियहन ऐल मार्ने से किया जाना प्रस्तावित किया जाक है। लोक एवं वातावर्ण ऐल मार्ने से किया जाना अभ्य विनाशी जी जी होता है।
- 13. जी जी वार्डिंग एवं वातावर में लोकिंग एवं अनलॉकिंग विन्युओं वर ऐल नायेशन/पर्सुलिटिव डक्ट दातावर्जन के विनाश हेतु प्रस्ताव प्रत्युत जारी किया जाया है।
- 14. कौपरिट पर्यावरणीय वायिल (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानिये के नामक विनानुज्ञान प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
1000	2%	20	Following activities at Government Primary School Village-Mahbhata and Government High School Village -Silha Rain Water Harvesting System Plantation with fencing Running Water Facility for Toilets	

उमरीका की विस्तृत प्रस्ताव यहीं विवरण के साथ व्यक्त की जाती है। वाली यह अधिकारीका भी अवास भी कुछ दर्शित हो चुकी है।

रामिति द्वारा विचार किन्तु उपराज सर्वसम्मति से विभागनुसार विभेद किया गया:-

- पुनि भी जाइंग असलाल के ताम-एव है। उनको द्वारा प्रस्तावित करने के लिए यह महामती काबित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 - सी-मटेरियल्स यथा रिहाई, बैंग, चलाई ऐश एवं शिवाय की आपूर्ति के समय में आपूर्तिकर्ता के ताप सुधे एवीमेट की प्रति स्वीकृत एवं नाड़ा के उल्लंघन सहित प्रस्तुत किया जाए।
 - उमी सी-मटरियल्स का एक वित्तान विवरण ऐसे तरीके से दिया जाने की मटरियल बैंडिंग के ताप विस्तृत गणना कीजिए जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 - ऐसे साइडिंग से प्रस्तावित स्थल तक जानकारी की लिए प्रस्तावित सड़क और प्रस्तावित मूलि के दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे तथा ऐसे साइडिंग विद्युतना स्थल एवं प्रस्तावित शहर की एक नक्शे गे दर्शाया जाए।
 - ऐसे साइडिंग एवं विवरण में जीहिं एवं अम्बेडिंग विद्युतो एवं इस्ट विद्युतन/विद्युतिंग इस्ट फ्लायरों के नियन्त्रण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 - प्रस्तावित स्थल, जानकारी, ऐसे साइडिंग को कौन प्राप्त करेगा तथा उसकी जान से कम ५० मीटर कीमी पहली की विकास योजना को जे-आरट में वर्णीय एवं प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 - प्रस्तावित गोपेज ट्रीटमेंट लाइट की सुगिट्स को गोपेज लाई में दर्शित करते हुए प्रस्तुत किया जाए।
 - विकासित प्रस्तुत स्थान हेतु गोपेज लाई की विकास एवं गोपेज विवरण जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 - परिधीजन स्थल सेटल एन्ड गार्ड बोर्ड की अनुसार सीमी विकिंग्स जीम में आवा है। गोपेज कास की उपकॊन की विवरण एवं गोपेज विकास स्थानों का अवलोकन जैसे उल्लंघन प्रस्तुत किया जाए।

10. एवं वीटर सुनीलदत्त खानका की विस्तृत गायत्रा जाहिर जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 11. परिवेशना की वात्सल्यिक लागत का विवरण प्रस्तुत करते हुए तदानुसार गोई बाएँ (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव पूरा विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
 12. परिवेशना प्रस्तावके की प्रपरोक्ष जानकारी / वात्सल्यका विस्तृत विवेचन कामे हेतु मिर्रित किया जाए।
- परिवेशना प्रस्तावके को तदानुसार सुनित किया जाए।

6. गोसर्ह नशवाला लाईग रस्टोन कवारी (प्रो.- श्री वीचरद दित्यानी), ग्राम-नवदहा, ताहमील-आरंग, जिला-रायपुर (संचिवालय का नम्रता अन्वाक 1412) आजमाईन आवेदन - प्रपात्ति नम्बर - एप्राईल / गोई / एप्रिल / 07130 / 2020 दिनाक 03 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - एवं प्रस्तावित कुल गत्वार (गोप्य विभिन्न) छादान है। ग्राम ग्राम-नवदहा, ताहमील-आरंग, जिला-रायपुर जिला जानकारी अन्वाक 1666, कुल वीकाल-1.500 हेक्टेक्टर में प्रस्तावित है। ग्राम की आवेदित उत्तराधिन अमरा-80,000 रुप वित्तित है।

देशकों का विवरण -

(क) समिति की 342वीं बैठक दिनाक 08 / 10 / 2020

समिति द्वारा प्रकाशन की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का विवरण देखा गवानमय सम्पादित ही विषयानुसार विवरण दिया गया था-

1. ग्राम योगाया की अनावर्तित घमाना यज वी वर्णनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तुत 900 गोटर वी घमाना यज वी यह व्यष्ट नहीं हो रहा है कि याते खादानी की 500 गोटर की भीतर अन्य जादान है जायारा नहीं है जाईए नीतिविकासन 2000 (दसा लोगोंका) में विभिन्नित वातावर अवस्थाएं "लोई वातावर दस जाय बनाया जाएगा। अब एक लोग के घरियादों वे दीज दूरी तक सहज वानिक हीर में अन्य घट्टे के घरियार तो 500 गोटर से कम है।" जलाई वातावर हेतु होनाविकासन विभाल हीर में विद्युतावीन जादान के लोग लोगों से 500 गोटर ली भीतर जाने याते जायी खदानी को जानिल करते हुए गाया इस प्रवान वानिक खदानी के लोग लोगों की 500 गोटर की भीतर अन्य सभी खदानी पीछे वातावर में खदानी को यही तक जानिल किया जाए जाती तक 500 गोटर की दूरी के कोई जादान अवशिष्ट न हो। जानिल किया जाना चाहिए। जान उपरोक्तानुसार प्रस्तुत वात प्रस्तुत किया जाए।
3. पर्वि घूमी में छोटीविहा स्थान पर झेल्म हेतु राज्य सरकार घमानावाल जिलोंका घमानावाल (एकई आई ए.ए.), छलीसगढ़ जायपा जिला जलदीय घमानावाल घमानावाल घमानावाल (दीई आई ए.ए.), छलीसगढ़ द्वारा घमानावालीय लदीकाति वी वर्ष हो, तो घूमी में जायी घमानावालीय जीकति वी प्रति एवं अधिकैपित जाती वी जादान में जी गई जायतेगाड़ी की जानकारी फोटोप्राप्ति जाहिल प्रस्तुत की जाए। ग्राम वी घमानावाल की जायतेन जिलोंती वी जानकारी फोटोप्राप्ति सहित प्रस्तुत वी जाए।

- पर्यावरण पूर्ण संभासित है, जो विश्व बौद्धि में लिए गए अवधारणा की वास्तविक साथ की व्याख्यानी स्वतंत्र विभाग से प्रभासित करता करते प्रक्रिया की तरह।
- भू-व्यापक संसारी विभागीय/व्यवसाय की घटनीय पर्यावरण की जाए।
- सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा विभाग पूर्ण विवरण में जाए प्रस्तुत विभाग जाए।
- परिवेशना प्रश्नावाच की उपलेखन समस्या पूर्ण व्याख्यानी/व्यवसाय (व्यापक और व्यापक) की साथ आगामी भावुकी व्यापकीय ऐडम ने प्रस्तुतीकरण दिये जाने तक निर्देशित किया जाए।

व्यापक व्यवसाय व्यवसायक एवं एसडीएसी व्यवसायक विभाग के जापन दिनांक 29 / 10 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) व्यापक की 34वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु की व्यवसाय कुमार जूषमानी जिमियूल प्रतिनिधि उपस्थित हुए। सभी इस सभी व्यवसाय व्यवसायी का अवलोकन एवं परीक्षण जारी कर लिया गया।

- भाग व्यवसाय का अनावृत्त प्रमाण पत्र — व्यवसाय के बाबा ने यात्रा व्यवसाय संबंधी या दिनांक 14 / 04 / 2012 का अनावृत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया।
- व्यवसाय गोपना — कारो एवं व्यापक व्यवसाय की व्यापक व्यवसाय एवं व्यवसायी कलीजन व्यापक प्रस्तुत किया गया है। जो उप संसाधन (विषय), व्यवसाय व्यवसायी व्यापक व्यवसायी गवा रायपुर बाटल बगर की ज्ञापन व्यापक 4044 / रायपुर / ना.प्र.अनुसोदन / ना.प्र. 04 / 2010/2) व्या रायपुर दिनांक 29 / 09 / 2020 इनक अनुमोदित है।
- 500 मीटर की परिधि में व्यवसाय स्थान — व्यापक व्यवसाय (व्यवसाय व्यवसाय), विभाग—रायपुर के ज्ञापन नंबर 806 / रायपुर / ना.प्र. 6 / 2020 रायपुर दिनांक 11 / 09 / 2020 के अनुसार व्यापक व्यवसाय स्थान से 500 मीटर की दूरी 22 व्यवसाय व्यवसाय 34.25 हेक्टेक्टर होना चाहिया गया है। जिसमें केवल विभागीय स्थान की लौज लौज की 800 मीटर की परिधि में व्यापक व्यवसायी का विवरण दिया गया है। उपर व्यापक पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो पता है कि ज्ञापन व्यवसायी की 300 मीटर की लौज ज्ञापक छादान है अथवा नहीं? हेक्टेक्टर नीटियोंकोरन 2030 (विभागीय व्यवसायी) में परिवर्तित करवाने अनुसार “लौज करवाने जून समझ व्यवसाय प्रत्याप्त, जब एक लौज की परिवर्ती के बीच दूरी या व्यवसाय स्थान की 300 मीटर से विवरण से 500 मीटर से कम है।” अर्थात् व्यवसाय हेतु विभागीय व्यवसाय विवरण हेतु में विभागीय स्थान की लौज जीवा से 300 मीटर तक विभाग आये उपरे सभी स्थानों को व्यवसाय करने हुए राया इस व्यापक व्यापक व्यवसायी की लौज लौज के 300 मीटर के भीतर आने पड़े अन्य सभी स्थानों की (व्यवसाय में स्थानीय पौधों वाली जाक व्यवसायी व्यवसायी की दूरी में लौज स्थान अवशिष्ट न हो) व्यवसाय विभाग जाना चाहिया।
- 200 मीटर की परिधि में व्यवसाय सार्वजनिक लौज/रायपुर — व्यापक व्यवसाय (व्यवसाय व्यवसाय विभाग—रायपुर) के ज्ञापन नंबर 806 / रायपुर / ना.प्र. 6 / 2020 / 806 रायपुर दिनांक 11 / 09 / 2020 द्वारा व्यापक प्रमाण पत्र

Ch.

अनुसार जमा जायान से 200 मीटर की दूरी पर जोड़ी भी साफिलिक द्वारा बनाई गई गढ़वाल अवधि अस्पताल, लहौल, पुल चंड, एग्रीकल्ट एवं जल आपूर्ति आयोजित होता रहिए नहीं है।

5. एलओआई का विवरण — एलओआई कार्यालय कलेक्टर (ब्रिगेड इनिंग) जिला—राजपुर के ज्ञानगढ़ क./क./ख.लि./टीन-४/व.प./२०२०/६०३ राजपुर दिनांक ११/०९/२०२० द्वारा जारी की गई विस्तीर्णी आयोजित १ तो है।
6. घृ—स्वामित्व — गृही भी बीचद विलासी के नाम पर है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष २०१८ की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) भी इसे प्रदर्शित की गई है।
8. गहलतपूर्ण संरक्षणार्थी की दूरी — निष्ठान आजाही जाम—गढ़वाल १ कि.मी. रसुन—गढ़वाल—गढ़वाल २ कि.मी. रसुन—अस्पताल—गढ़वाल २ कि.मी. की दूरी पर विद्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग १५ कि.मी. दूर है।
9. परिविविलिकीय / दीवालिविषयता संवेदनार्थी कोर — परिवारकर्ता प्रस्तावक द्वारा पर जिसी की परिवार में जलनिवारीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, जानवरालय, कैन्टीन और गढ़वाल निवासी द्वारा द्वारा दीवालिविषयता की विविलिकी विविलिकी एवं परिविविलिकीय संवेदनार्थी कोर का विविलिका दीवालिविषयता की ही हीना दीवालिविषयता विद्या है।
10. स्वनम संघर्षों एवं झुम्न का विवरण — जिलोलालिकल जिलवी १,७३,७५० टन एवं भार्दुन्यल जिलवी ५,२०,१४२ टन है। जीज की १.५ मीटर ऊंची जीजा गढ़वाल द्विवालन के लिए योग्यता दीवाल विविलिका का उत्तरापल ०.३८ हेक्टेयर है। गोपन जलवायी निवासी जिलवी की उत्तरापल विद्या जाता है। उत्तरापल की प्रस्तावित अधिकाला गढ़वाल २५ मीटर है। जमीनी मिट्टी की जामा ६,०३४ भार्दुन्यल एवं भार्दुन्यल ०.५ मीटर है। बैंग की जामीट ३ मीटर एवं भीकाट ३ मीटर है। जामान की सम्भावित जाम १७ दर्ज है। जीज कोर में गोपन जलवायी विविलिका जाना प्रस्तावित नहीं है। जीज दीना से हिलिन एवं कट्टूल बसारिंग विविलिका जाता है। जलवायी में बायु और गढ़वाल निवासी दीवालिविषयता की विविलिका जाता है। अधिकर प्रस्तावित जलवालन का नियमन निम्नानुसार है—

पर्याय	दीवाली (वर्गमीटर)	गहलतपूर्ण (मीटर)	जामान (घनमीटर)	प्रस्तावित जलवालन ROM (टन)
झारग दर्जे	५,०००	३	२४,०००	६०,०००
द्वितीय दर्जे	५,०००	३	२४,०००	६०,०००
तृतीय दर्जे	५,०००	३	२४,०००	६०,०००
चालूर्य दर्जे	५,०००	३	२४,०००	६०,०००
पर्याय दर्जे	५,०००	३	२४,०००	६०,०००

11. जल आपूर्ति — नियोजित है आवश्यक जल एवं गाँड़ा ४ घनमीटर प्रतिदिन होती। जलवायी में विविलिका विविलिका जलवायी (जल विविलिका, बृहारीपल) है। जल की आपूर्ति नियमित जलवायी में एकजित जल एवं गोपनजल की आपूर्ति जाम विविलिका की जानलन से ही जाएगी। इस जाम द्वारा विविलिका से सहनायी ली जाएगी।

12. पुरातीय कार्य - दीवाने की जीत में यात्री वाहन तक 7.5 मीटर की गल्डी (3.632 करोड़ रुपये) में 900 वाहन पुरातीय विधि लाएगा।
13. प्रदूषणकारण के दीवाने परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया है कि दीवाने के 7.5 मीटर लोड को बृहत् भाग से उत्तमतम् सुरक्षित के लीज खालक द्वारा लिया जाता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लिये गए हैं इनमें से अन्तिम लियोट के प्रदूषकारण के पूर्ण प्रबंधन लियोट की पुरातात्त्व विधि की पुरातात्त्व विधि का बायो वाहन लिया जाएगा।
14. सांख्यिकीय है कि भावत सरकार पर्यावरण का एक नियमानुसार विशेषज्ञ भवितव्य विवरण नहीं दिल्ली द्वारा ऐसा कोई भवितव्य घोषित नहीं किया गया है। इसी अनुसार VIII (j) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

इसके बाबत यह है कि आमतौर पर्यावरण की ओर 7.5 मीटर लोड के लीज में सुरक्षात्त्व विधि लाना आवश्यक है।

15. पूर्ण या जारी पर्यावरणीय रक्षीकृति संबंधी विवरण— इस वायाम को पूर्ण पर्यावरणीय रक्षीकृति जारी नहीं की गई है।
16. गान्धीजी एनबीआरी, विसिपत्र वेस, नहीं दिल्ली द्वारा सतर्क फार्मल विस्तृत पर्यावरण विवरण वाहन वाहन नियमानुसार विशेषज्ञ भवितव्य नहीं दिया रखा (भीसिंगल एफिलेक्टन म. 100 अंक 2016 एवं अन्य) में दिनांक 12/09/2010 द्वारा प्रसिद्ध जारीकरण में सुनिय रूप से नियमानुसार विशेषज्ञ विधि दिया गया है।

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever 5 is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

रानिये द्वारा विधाय विभाग द्वारा लापत्ति की नियमानुसार विधि दिया गया—

1. नारदीला वालेकर (रानिया रायाना), विका—रायपुर की छापन इनाम 800/रायपुर/टीका-८/2020 रायपुर, दिनांक 11/09/2020 की अनुसार आवेदित वायाम की 900 मीटर के लीज 22 छदाने, दीवान 34.25 हेक्टेयर है। आविष्कार रायपुर (रायपुर—नरदाना) का वायान 1550 हेक्टेयर है। इस वायान आवेदित वायान (रायपुर—नरदाना) को वितानांत द्वारा वायान 36 एक हेक्टेयर है। छदान की जीत की 900 मीटर की विधि वे रक्षीकृत/संवर्धित वायानों का युक्त विचार 3 एवं विचार 5 अनुसार द्वारा विशेषज्ञ लोड की वायान वाहन छदान है। यहीं जीत मन्त्री नहीं की गयी।

१. नाईन लौल क्षेत्र के जारी और इस स्टैटर द्वारा संभवी गोन के गुप्त मार्ग में हिस्से रहने वाले नाम के बारे में इस शीर्ष के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के सम्बन्ध में इस लौल शीर्ष के अंदर नाईनिंग फ़िल्मकलायी के काले चालने प्रयत्नम् नियंत्रण के लिये समुचित उपायों वाला वायव्यक व्यवस्था व्यवस्थाएः आवश्यक संवालनालय भीगिकी तथा अनियन्त्रित इकायों सदर तथा वायपुर अद्वान नगर नियंत्र - राज्यपुर (जिल्हारागढ़) से जानकारी प्राप्त की जाए।

२. समिति द्वारा प्रियांत लियोन डाफ्सल सर्वेतभागी से इसका लौल के द्वारा जारी गायले गायले साकार व्यवस्थाएः तथा और जलवाया व्यविधान भौतिकत्व द्वारा लैप्स २०१६ में प्राप्तिक्रिया लैप्स के अंतर्वर्ती रिफरेंस (टेक्स्टिल) पौर हुआईए / ई-एम-टी लिफ्ट और ड्रीलेक्टरा / एक्टिविटीज रिपोर्टरिंग इनडस्ट्रीज लैप्सलेस अप्पार हुआईए लैटिकलोगान २००६ में उपर्याप्त खेति १(१) तथा लैप्सलैट लैप्सलैट (लैप्स सुनवाई समिति) नीन कोल नाईनिंग ड्रीलेक्टरा हितु विष्णु अधिकारी लैप्सलैट के साथ जारी लिये गये की अनुदान की गई—

- i. Project proponent shall inform S.E.A.C. Chhattisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- iii. Project proponent shall submit the Common Environment Management Plan.
- iv. Project proponent shall submit the details of top soil management.
- v. Project proponent shall submit blasting permission from DGMS.
- vi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone and submit the revised approved mining plan accordingly.
- vii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year and incorporate the details alongwith photographs in the EIA report.
- viii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost.

३. शाह राह व्यवस्था नामवाला नियंत्रण प्राविकाना (जनहुआवारा), खट्टियारह की गायनुसार उत्तिष्ठा लिया जाए।

४. नीन द्वारा शामिल मेटल्स (दाक्करामुड़ा लाईग रसीन नाईन), याम-दाक्करामुड़ा, लहरील-लोहाकीमुड़ा, लिला-बरठर (संविवालय का नस्ती जमार ७४०) अनियन्त्रित आवेदन — युह में प्रयोगल नम्बर — एसआईए/ लीजी/ एमआईए/ २५४९६/ २०१८, दिनांक १४/०४/२०१८ द्वारा दैतीयार हितु आवेदन लिया गया था। आवेदन में प्रयोगल नम्बर — एसआईए/ लीजी/ एमआईए/

४५

46295 / २०१८ विनाक ३९/१२/२०१९ द्वारा पर्यावरणीय संस्थानों की जांच करने के लिए अधिकारी द्वारा दिया गया है।

प्रत्यावरण का विवरण — यह दिनांक १५/०१/२०१८ को शुरू हो करातिहां बूता बाघर (जामू लैमिज) खदान है। यह खदान जाम-टाक्कानगुड़ा, लालचीला-लौहारीगुड़ा, जिला-बलराम राजसवारा ग्रामीण २७६/१(बाटी), बूल बैंकापाल — २.६२ हेक्टेक्स में है। खदान की आवेदित उत्पादन दम्भा — ५५,२०० टन प्रतिवर्ष है। यह खदान १५/०१/२०१८ को प्रवाली विभाग पर्यावरणीय संस्थानों की उत्पादन करी रखने के लिए उत्पादन की लैंगी का है। इस प्रकरण में सन्मिति की ३७३वीं ऐडक दिनांक २१/०३/२०१९ को सुनाई ही नहीं दिया गया और जारी करने का नियमित विषय नहीं। प्रकरण में जिस लिंगि वाई गई—

१. जाम पश्चापत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — यह पश्चापत टाक्कानगुड़ा द्वारा दिनांक १५/०६/१९९९ को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रवर्त्तन किया गया है।
२. १८८४वाल योजना — गोलिपिलोहान छन एप्पलाव-साड़मिय खदान विद गोलिपिलोहान तजीजार खदान प्रवर्त्तन किया गया है, जो बीजीप जाम विभागक जारी करी शायदुर के खदान अन्तर्क बरतार/चूप/खाड़ी-११५८/२०१८ द्वारा दिनांक १२/०७/२०१८ को वर्ष २०१८-१९ से २०२२-२३ तक जो जारी हुई अनुमोदित है।
३. ५०० बीटर की परिधि में विषय खदान — गुलांगांव कलेक्टर (लैमिज जाम) अमदाबादपुर, जिला-बलराम के द्वारा दिनांक २३/०८/२०१८/विभा/वालि.१/खा८/२०१८ अमदाबादपुर दिनांक २०/०९/२०१८ के अनुसार आवेदित खदान की ५०० बीटर की भीतर जन्म खदानी की जांचा निरुक्त है।
४. यह विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — इस संलग्निकर्त्ता द्वारा यह गहरा, अमदाबादपुर के द्वारा दिनांक ११/०२/२०१९ के अनुसार अनुमोदित भूमि धम देव खदा जा. पी/१६१४ विलियम्गुड़ा से ३५ विलोमीटर दूरी पर दिया है। इस विभाग से जारी हुआ है।
५. गहरत्वपूर्ण कारबनाली की दूरी — जामीपर्य आमाडी जाम-टाक्कानगुड़ा ०.६३ किलोमीटर एव जारा जगदलगुर २०.७ किलोमीटर तो दूरी पर दिया है। यहां पूर्व जायमी भैंडिकाल जाम-टाक्कानगुड़ा ०.८ किलोमीटर की दूरी पर दिया है। उत्तर स्टेशन लौजायाल १४.८ किलोमीटर की दूरी पर है। जामगुर ०.७४ किलोमीटर है। इन्दाकाली नदी १.६ किलोमीटर की दूरी पर है।
६. पारिविक्षिकीय/बीघदिविषयक संवेदनशील गोत्र — परिवोजना प्रसारका द्वारा १० किलोमीटर की परिधि में अंतर्जलीय गोत्र, बाध्यीय खदान, अभावाल्य, गंदरीय प्रदूषण नियन्त्रण गोत्र द्वारा धीरित किटिकली व्हेस्टुटेक एविया, पारिविक्षिकीय संवेदनशील गोत्र या धीरित धीरिकेता गोत्र दिया गयी प्रतिवेदित किया गया है।
७. लौज का विवरण — लौज द्वारा गेहारी विवरण दिनांक १७/०९/२०१२ से ०८/०८/२०२२ तक जो जारी हुए हैं।
८. खनन प्राप्तवा एव खण्ड का विवरण — गाठ्येवल दिनांक २००.८४९ टन है। लौज द्वारा गेहारी भीत १.५ बीटर (१.८१ लैमटेक) बूता होने द्वारा गया है। लौज कटाक विवरण किये गए उत्पादन किया जाता है। अंतिम में उत्पादन की

महाराष्ट्र ने गोटर है। यसका लगभग 20% प्रसाधित अधिकाराम गोपायडु 17 मीटर होती है। ये की कमाई 3 मीटर एवं औपर 4 मीटर है। गोपायडु की गड़वाई + गोटर है। याकान की संभावित आय 8.5 लाख है। हिलिंग एवं कन्ट्रोल चार्टिंग किया जाता है। जल की भाड़ 7.295 किलोनोटर प्रतिदिन है। जल की अनुप्रीति गोटर द्वारा होती है। याकान ने यादु घट्टाघट नियन्त्रण हेतु जल का उत्तराधिकार किया जाता है। लौज होड द्वारा जाते और 7.5 मीटर बुला होड से 600 मर मुद्राप्रोत्तर किया जाता है। तिगड़ गोटी का उत्तराधिकार का उत्तराधिकार निभानुसार है—

वर्ष	प्रसाधित उत्तराधिकार (टन)	Actual उत्तराधिकार (टन)
2013-14	—	—
2014-15	14,965	9,233
2015-16	14,965	14,328
2016-17	14,965	9,328
2017-18	14,965	—

उत्तराधिकार की वर्षवार प्रसाधित पोषणा

वर्ष	प्रसाधित उत्तराधिकार RDM (टन)
2018-19	45,000
2019-20	45,000
2020-21	45,000
2021-22	45,000
2022-23	45,200

नोट: योगिता में दरावन्तर के बाद के अंत में संचालकारी किया गया है।

(ii) यूरोप में जारी खण्डितरशीय रक्तीकृति रांचीयी विवरण— यूरोप में परिवर्तनाएँ प्रसाधिकार द्वारा दूसरा दूसरा दूसरा होते खण्डितरशीय रक्तीकृति प्राप्त नहीं होती है।

एवं इ.प.री. छत्तीसगढ़ के लाइन दिनांक 26/06/2019 द्वारा अधिसूचना का जा 1030 (रु.) दिनांक 08/05/2018 के प्राप्तवार्ता की अनुसार इन्हींपरिवर्त द्वारीकृत असामिक रिपोर्ट इन्हींपरिवर्त लेनेजेट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार यांत्रिकरण इन द्वारा जालवायु परिवर्तन संबंधी द्वारा अप्रैल 2015 में प्रशासित थेरी 1(ए) का एन्कुष्ठ रीओआर (किंतु लोक युवाओं) सेवा कोह सार्वजनिक प्रोत्तेकर्ता हेतु दीपाली जाते किया गया।

वैदिकों का विवरण—

(अ) समिति की 300ठीं बैठक दिनांक 16/01/2020

समिति द्वारा नसीर जलवायी का आलीकान एवं परिवर्तन करने का नियमित गोपयन होता है—

i. ईआईए. रिपोर्ट का विवरण—

i. जल एवं यादु आदि युवाकर्ता रांचीयी जालवायी — नीलिटिंग जारी भारी 2019 से मई 2019 के लिये किया गया है। 10 किलोनोटर के अंतर्गत 8

ज्ञानी वर्ष परियोगीय काले सुप्रबलता जाना। ६. ज्ञानी वर्ष मूलतः सुप्रबला स्थापन, ८. ज्ञानी वर्ष जानि स्तर स्थापन, ५. स्थानी वर्ष ज्ञानी जल सुप्रबला जाना ८. ज्ञानी वर्ष निर्देशी के नमूने एकाधित कर विस्तैयन किया गया है।

७. भौमिकात्मक वरिष्ठानी के अनुसार वी.एम. २७ से ३०० माइक्रोग्राम/घणवीटर वी.एम. ६६४ से ७५३ माइक्रोग्राम/घणवीटर एसडी. १०८ से १४९ माइक्रोग्राम/घणवीटर तथा एनडी. १८३ से २०५ माइक्रोग्राम/घणवीटर पाई गई है। परियोजना क्षेत्र के आवश्यक वात स्थानी की गुणवत्ता महत्वात् प्राप्तवाक अनुसार है। वरिष्ठानीय वर्ष जल (Day-time) ४८ वीं घोषणा से ५३६ घींडीप् एवं वर्ष जल (Night-time) ३३.५ घींडीप् याका गया।

समिति द्वारा उत्तराधिकार सर्वेत्तम्भति से निर्णय लिया गया यह—

१. भवता क्षेत्राद् वर्षोपराण एवं और जलवायु वरिष्ठानी स्थापन, तथा चिह्नी की ओ.एम. दिनांक ०१/०३/२०१८ की अनुसार गोट्टारे (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रसारप्रस्तुत किया जाए।
२. परियोजना प्रस्तावक को आवासी वात की आवीजित वैठक में उपलेख समाप्त सुनिश्चालन जानकारी / दस्तावेज (आधिकारिकोंद्वारा) लहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्राप्तानुसार यानि निर्देशक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसडीएसी, छातीसगढ़ की आप्त दिनांक २२/०२/२०२० द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

(३) समिति की ३१७वीं बैठक दिनांक २९/०२/२०२०:

प्रस्तुतीकरण हेतु जोई भी प्रतिनिधि योग्यता नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध एवं उपलेख नहीं किया गया है।

समिति द्वारा उत्तराधिकार सर्वेत्तम्भति से निर्णय लिया गया यह कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा लहित जानकारी एवं अनुरोध एवं प्रत्यक्षीय वात की जानकारी की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को एसडीएसी, छातीसगढ़ की आप्त दिनांक ०९/०३/२०२० द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक ०९/०३/२०२० की अनुरोध एवं प्रस्तुत किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक को एसडीएसी, छातीसगढ़ की आप्त दिनांक २७/०३/२०२० द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक २७/०३/२०२० की अनुरोध एवं प्रस्तुत किया गया है।

(४) समिति की ३३३वीं बैठक दिनांक ०४/०७/२०२०:

प्रत्यक्ष में प्रोफेसर जलाहलार के स्वयं मेहरां हुन रिकॉर्डवाहने लिये औपचारिक ओपन से भी विकल्प नाहु उपलेख द्वारा दिया गया। उनके द्वारा याताया यथा कि उनका काल्पनिक नहीं होमें को काल्पनिक वात का वात आज प्रस्तुतीकरण लिया जाना जान्य नहीं है। तब प्रस्तुतीकरण हेतु अन्य तिथि दिये जाने वा अनुरोध किया गया। जिसी अनुमति द्वारा यात्य लिया गया।

समिति द्वारा उत्तराधिकार सर्वेत्तम्भति से निर्णय लिया गया यह कि परियोजना प्रस्तावक को आवासी आवीजित बैठक में दूर्व में बाही गहु यात्रित जानकारी एवं प्राप्तवाक सुनिश्चालन जानकारी / दस्तावेज लहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

✓
A/

सरकारी वित्तीय संसाधन की ई-गेल दिनांक 06 / 07 / 2020 के बायम से ८
सुनिश्चित किया गया।

(५) सामिति की ३३६वीं बैठक दिनांक 10 / 07 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रसारात्मक द्वारा
कोई अनुरोध या प्रश्नाएँ नहीं किया गया है।

सामिति द्वारा संसाधन संबंधित ही निष्पत्र लिया गया था कि परियोजना
प्रसारात्मक तो आमतौर सह जी आवोलित बैठक में पूछे गे जाएं गई वाहिका जानकारी
एवं समस्त सुविधाएँ जानकारी / वस्ताविक सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने का
निवेदित लिया जाए।

सामुदायक परियोजना प्रसारात्मक की एकई रुपी छालीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक
26 / 08 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(६) सामिति की ३३७वीं बैठक दिनांक 01 / 09 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रसारात्मक द्वारा
कोई अनुरोध या प्रश्न उपस्थित नहीं किया गया है।

सामिति द्वारा संसाधन संबंधित ही निष्पत्र लिया गया था कि परियोजना
प्रसारात्मक द्वारा जारी आवोलित आमतौर एवं अनुरोध या प्रश्न एवं आमतौर जारी
की जाएगी।

सामुदायक प्रसारी-एवं रुपी छालीसगढ़ की ३३७वीं बैठक दिनांक 01 / 09 / 2020 के
परिणाम में परियोजना प्रसारात्मक द्वारा ही-गेल दिनांक 16 / 09 / 2020 के बायम से
प्रस्तुतीकरण हेतु जन्मदेश या विविध निवेदित किया गया है।

(७) सामिति की ३४२वीं बैठक दिनांक 08 / 10 / 2020:

सामिति द्वारा जारी आवोलित जानकारी/या जा जावोलित एवं परीक्षण कर, संसाधन
संबंधित ही निष्पत्र लिया गया था कि परियोजना प्रसारात्मक तो आमतौर सह की
आवोलित बैठक में पूछे के जारी रही वाहिका जानकारी एवं समस्त सुनामों जानकारी
/ वस्ताविक सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निवेदित किया जाए।

सामुदायक परियोजना प्रसारात्मक की एकई रुपी छालीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक
29 / 10 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(८) सामिति की ३४५वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु या सूधे जोड़ दिया गया, अधिकृत प्रतिनिधि एवं प्रोटोकॉल समाधान की
जांच में जारी इस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन के बारे या जी विजय संस्कृत परिवर्तित
हुए। सामिति द्वारा जारी आवोलित जानकारी जा आवोलित एवं परीक्षण करने पर जिस
निवेदित रही रही—

१. कॉर्पोरेट सफाई-संगीय सामिति (C.E.R.) — परियोजना प्रसारात्मक द्वारा सामिति
को जारी किया गया या जारी कुपरात्रि निष्कामकार प्रसारात्मक प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)

			Rupees)
Following activities at Nearby Government Primary School Village-Takraguda			
45	24	0.90	Rain Water Harvesting System
			Drinking water facility
			Planning water facility for toilets
			Plantation with fencing
			Books Distribution related to Environment Conservation
			Total
			0.91

- परियोजना प्रत्यापक द्वारा पुनः उल्लेखन नहीं किए जाने के साथ मैं उल्लेखन (Affiliation) प्रस्तुत किया गया है।
 - इंजाईट रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के 90 किमी की विस्तृति में Schedule-I species के बायो जीव अवयवम क्षेत्र में पाये गये हैं। दीर्घायत्र के विन्दु अमानक 18 के अनुसार अवयवम क्षेत्र में Schedule-I species में दाय जीव हीमे पर उनके उत्तराधिकारी द्वारा एवं उनके जीव विभाग से प्रदानी कार पत्रम दीयाव दिया जाना चाहिया है। परियोजना प्रत्यापक द्वारा यताका गया कि उत्तराधिकारी द्वारा दीर्घायत्र की संयुक्त एवं प्रबोधन समिति की एवं उनकी जीव विभाग सहमती अध्यान किये जाने वाला प्रस्तुत प्रत्यापक प्रस्तुत किया जाएगा।
 - प्रस्तुतीकरण के द्वारा परियोजना प्रत्यापक द्वारा यताका गया कि उत्तराधिकारी की जारी की और 7.5 शीटर क्षेत्र के कुछ नाम चुल्हानित हैं। परियोजना प्रत्यापक द्वारा उल्लिखित की बताया गया कि उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र की पुनर्मान इन प्रकारीकरण का कार्य किया जाएगा। इस बाबत कार्य पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाया है।
 - प्रस्तुतीकरण की फैलत समाप्ति, परियोजना, एवं दूसरी वार्ताएँ विवरणीय रूपान्तरण, नई विलीनी द्वारा नीन कील नाईनिर प्रोजेक्टल द्वारा यतीकरणीय गाँव जारी की गई है। याते उमाक (VILLAGE) की छंगसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एक भान्क रात के अनुसार मैट्टेन लीप ब्रेंड के पार 75 सेटर और विशेषता में जारीपन किया जाना चाहिएगा।

४. यात्राचरणीय संतिपत्ति हेतु कानूनी प्रमा-

1. उक्त विधान में दूसरे से प्राप्तिशील स्थिरता का लाभ किए जिसे इन व्यापकता प्राप्तिशीलता के समानांतर उपायों को अपनी प्रयत्नता की व्याप्तिशीलता बनाना गा। यह व्य

सुनिश्चित नहीं करते हुए प्रदूषण किया गया है। जिसके कारणकारी मटीरेयल उत्पादन, अधिकालम परिषेकन के गायु प्रदूषण से सभी पर्यावरण पर सिविल समाज की लिखित भित्ति भित्ति हुई तथा परिषेकन से परिपेक्षीय गायु से 0.1237 गाइडलाइन / धनरीति लाइन, की बढ़ि जो घोषित रहा। जीव जीव के गायु और उचित परिषेकन हेतु निर्दीरित 7.5 नीटर की सौफटी जीव में गुणात्मक गती गत्ते के कारणकारी प्रदूषण पर विवरित किया गया।

- ii. परिषेकन प्रदाताक द्वारा Environmental Compensation हेतु जिस वार्ताल के अन्तर पर गायु कर अपेक्षित राशि (Damage Cost) प्रदृश दिया गया है—

$$EC = PI \times N \times R \times S \times LF$$

Where

EC - Environmental compensation in Rs.

PI - Pollution Index of Industrial Sector

N - Number of days of violation took place

R - a Factor in Rs. For EC

S - Factor for scale of operation

LF - Location Factor

$$\text{Environment Compensation} = PI \times N \times R \times S \times LF \times S$$

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

$$= (250 \times 13.834) / 14,985 = 231$$

$$\text{Environment Compensation} = 80 \times 231 \times 100 \times 0.5 \times 0.5 = \text{Rs. } 4,62,000/-$$

= say Rs. 5,00,000/-

- iii. समिति ने गाये गए दिनांक 10/05/2020 को गायमा 322वीं रिपोर्ट में Environmental Compensation के अंकलान की Methodology हेतु जिए गये नियम के अनुसार परिषेकन प्रदाताक द्वारा प्रदृश देनेकियज्ञ प्रमाण एवं अपेक्षित राशि (Damage Cost) राशि 5,00,000 रुपी गायमा को गायु किया गया।

समिति द्वारा जिसका उपरांत सर्वसम्मति से जिमान्युआर निर्णय लिया गया—

1. गतवर्षीय गाये गए गुणभरण कर गुणात्मक गाये गए गाय के सीधे जिए गए गायमा पर विवरित किया गया।
2. अधिकारी गाय के Schedule-I species के गम्य जीव के सम्बन्ध हेतु एवं/या जीव जिसमें गायमारी उपरांत गोवन्या दियाए कर उस जिसमार के गायमा अधिकारी के अनुसार उपरांत उपरांत गोवन्या की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विवरित प्राप्ति पूर्ण विवरण के सभी प्रदृश दिया जाए।
4. समिति द्वारा परिषेकन प्रदाताक द्वारा जिए गए गुणभरण की लिए Environment Compensation के रूपमें राशि 5,00,000/- रुपये निर्दीरित की गई। इसका उपरांत आरा-गाय के गायाकीय रक्तल/गायाविलालय/गायाकान में रेनवीटर ग्राहीकरण घटावाया जान्दर बाबर गाये गए गाये गायी की घटावाया एवं गुणात्मक गिए जाने हेतु विवरित कार्यक्रम (प्रतिवित रक्तल/गायाविलालय/

- संवाद का नहीं पड़ा एवं कार्यालय का विचलन) प्रस्तुत किए जाने से इन परियोजना प्रस्तावका और निर्देशित किया जाए।
३. उपरीकलामुक्त प्रस्ताव दिया कर 5,00,000/- रुपये की रूप भर्ती एवं समाचार वार्ताओंना का प्रस्ताव प्रस्तावगढ़ परिवर्तन संस्कार बोर्ड, नवा प्रद्युम अटल नगर, जिला-राज्यपुर ने प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्ताव को निर्देशित किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावका जो नामनुसार सुनित किया जाए।

एजेन्डा अधिष्ठानकार्यक्रम-३: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ ने दिनांक ०६ / ११ / २०२० तक प्राप्त नवीन आवेदनों का वरीयता का प्रस्तुतीकरण केतु निर्णय लिया जाना।

१. मंत्री श्री प्रसाद निंद (शिल्प सौदाइल/ऑर्डिनरी की बाबी), पान-जिला, राहसील-चौराहा, जिला-राजनांदगाँव (संविवालय का नम्बरी क्रमांक १०८०), जीनलाईन आवेदन - जनजल नगर - द्रविताई/ लीजी/ एनआईएन/ १३८५७० / २०१९, दिनांक २७ / १२ / २०१९। परियोजना प्रस्तावका द्वारा प्रस्तुत जीनलाईन आवेदन में कामियों होने से द्वायन दिनांक ०७ / ०१ / २०२० द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावका द्वारा लाइन जानकारी दिनांक १८ / १० / २०२० की जीनलाईन प्रस्तुती की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूरी से जानलिए निटटी व्यवस्थने गिरि लगियरु खाली है। यादान याम-जिला, राहसील-चौराहा, जिला-राजनांदगाँव दिना घरात जमांक २५२, २६५, २६३, २६५ / ३, २७०, २६७, २६२, २६०, २७०, २६० / १, २७६, २६४, २६३, २६५ / १, २६५ / २, २६०, २६३, २६५, २६५ / १, २६१ / १, २६७, २६८, २७२, २७० / १ २६९, २६७, २७६ / २, २६८, २७३, ३०५ / १ एवं ३०५ / २, युल लोकल - ३५८३ लोडेकर में है। यादान की आवेदित उत्तरानन जमांक - १८०० घरमीटर परिवर्ती है।

वैठक का विवरण—

(४) जमियों की ३५०-वीं वैठक दिनांक ०७ / ११ / २०२०:

जमियों द्वारा प्रकरण की गयी एवं प्रस्तुत जानकारी का परिवर्तन तथा नियाम निर्णय संबंधी नियामनुसार निर्णय लिया गया-

१. पूर्व में आवेदित स्वतं पर जमांक हेतु दायर एवं उपर्युक्त दायरा नियोग प्रतिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ नामक जिला नवीन पर्यावरण नामकावय नियायिक प्रतिकरण (जी.ई.आई.ए.ए.), राजनीतिकार्यक्रम प्रतिकरण एवं अधिकारीकृत एवं जानकारी की गई कार्यालयी की जानकारी कोटोटोरापत्र सहित उत्तरान की जाए; जोधपुर की युद्धालोपण की आवाज लियायी थी जानकारी कोटोटोरापत्र सहित प्रस्तुत गयी जाए।
२. नियत जमीं में विए गए उत्तरान की जानकारी जानकारी जानिया जानाने से प्रभावित करने का प्रस्तुत की जाए।
३. जी.ई.आई. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत जानकारी नियोग की जाए प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रवाहावक गी वार्षीया जलसत्ता मूर्च जानकारी / दस्तावेज़ (अधिकारी और उपाधीयालय) में सभ जागाएं जहाँ की आपौषिण बिठ्ठ ने प्रगतीशीलगमन दिये जाएं हैं।

परियोजना प्रवाहावक की अनुमति दी गई जाए।

2. पैसरी भी अभ्यास कुमार मर्ग (करावीरा शेष्ठ लाईन, याम-करावीरा, यामसील-कटघोरा, जिला-कोरबा), निवासी-करखाना एवं या, कटघोरा, यामसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (संधिवालय का गती क्रमांक 1416)
अनलाईन आवेदन - जोड़ाजल नम्बर - एसआईए / जीडी / एमआईए / 178458 / 2020, दिनांक 10 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित ऐत खाद्यम (पीपुल अग्नि) है। यह याम याम-करावीरा, यामसील-कटघोरा, जिला-कोरबा स्थित राजसरा जलाल 430, कुल जलमाल = 11,000 हेक्टेयर में से 202 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। यालजनम अधिकारी की से जिला जामा अस्तावित है। खद्यम भी आर्टिक्युलेटेड जलमाल - 30,360 एकड़ीटर अस्तित्व है।

बिठ्ठ का विवरण -

- (a) जागिरि की 346वीं बिठ्ठ दिनांक 07 / 11 / 2020-

सभीति इन्ह प्रवाहा गी नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी को परियोजना तथा विभाग विभाग उपरान्त सम्बन्धामति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

- प्रस्तावित खाद्यम की जिला एवं जीडी तथा नदी की जात की आवाही गी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- यो जलाल द्वारा प्रस्तावित खाद्य एवं प्रस्तावित खाद्य की आवाही तथा जलालसीमे 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुजा 25 मीटर का लिए बनाया जायेगा तथा जलाल के लेवल्स (Levels) लेवल दिए गए में प्रतीक्षित कर प्रस्तुत किये जाएं। इसके अर्थात् जलाल स्तरों के बाहर / नदी तट (दीना और) में 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी जलाल के जलाल (Levels) का में सही लिया जाए। जलाल लेवल्स (Levels) द्वारा गंगा की जल 2 टैक्सीटी बैम नाम (TBM) में आरदह, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) असित लिये जाएं। गंगा में टैक्सीटी बैम नाम (TBM) को भी दर्शायित रखने वाली असित लिया जी प्रस्तावित उपरान्त योटीशामा शहित जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाएं।
- लंबीत दे जलाल की सीमा गी दूरी न्यूलाल 75 मीटर या नदी ते जात की जीडी जल 10 प्रतिशत (जी भी अधिक हो) तकी जानी है। तदि इसके अनुसार जलाल की युक्त क्षेत्र में उत्खनन किया जाना जाना ते तो तो उत्खनी गलता कर जानी जल यातीपाप। इसका जलसोला नाहिनिंग फ्लूम में असिती जल गी जाना जाए। जलाल की सीमा गी एवं प्रतिवित होग को नहीं यह जानित लिया जी सीमागतन कराकर, प्रमाण पक्का दापा किया जाए।
- प्रस्तावित खाद्य तो निकटालम गुल, बोध, एगीकट एवं जल आपूर्ति रक्षाएं की दूरी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल, इनीकट गी दूरी जलाल की आपसीलम में न्यूलाल 500 मीटर तथा जलालसीमे न्यूलाल 250 मीटर जला जाना जायावक

है। यदि लीक होने वाली संस्कृतानुसार दूरी को छोड़ दिया हो, तो उपरोक्त जाग्रत पर लुभनम है। प्रशिक्षित होने वाले आपसंपरकानुसार गणी पर धिनित करना सर्वथा बीजे अन दीमांकन तथा सहीनिम इत्यत में दूरा करके उल्लेख किया जाए।

५. ऐसा सुलझानम हेतु प्रस्तावित रूपरूप यह वर्तीनाम में उपलब्ध रेतों की गोदाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में ताम से जल एक गढ़दा (PQ) लौटाने वाली वास्तविक गोदाई का भाग बनाने का, खनिज विभाग से प्रभागित जानकारी प्राप्त की जाए। ऐसों गोदाई वाली वास्तविक गोदाई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाए।
 ६. यदि यूं में आवेदित रूपरूप यह खनन हेतु रक्त उत्तर पश्चिमांश वास्तविक निर्दिश प्रधानिकाण (एसईआईएस), उत्तरीसमानु अधार विभाग उत्तर पश्चिमांश वास्तविक निर्दिश प्रधानिकाण (एसईआईएस), भौतीसमानु द्वारा प्रधानिकाण रक्तोंकी दो गोदाई, तो यूं में जारी प्रधानिकाण रक्तोंकी दो प्रति एवं अधिकांशित रक्तों को खाली में गड़े कार्यकारी भी जानकारी प्रस्तुतीप्राप्त रखिए। इसका यह जाए; जल की गोदाईप्रय की अद्यतम निर्दिश भी जानकारी प्रस्तुतीप्राप्त रखिए। इसका यह जाए।
 ७. यदि खदान यूं से रक्षालित है, तो विभाग यहीं में लिए एवं सुलझानम की वास्तविक भाला भी जानकारी खनिज विभाग से प्रस्तुत करा जाए। इसका यह जाए।
 ८. लौटीजार (Corporate Environmental Responsibility) हेतु निर्दिश प्रत्यावर्ती विद्युत को जाप्त प्रस्तुत किया जाए।
 ९. यदि निर्दिश एवं परियोजना प्रस्तुतीप्राप्त की जावान में ऐसा की अवधारणा (Level) होती है, तो सर्वेयर (Surveyor) द्वारा आगामी भाल की आवंशिक विवर में उपरीका जनका सुहागत जानकारी / वक्ताविक (अद्यान औटोसाइट) विभाग इसकी क्रमांक दिए जाने हेतु निर्दिश किया जाए।

स्वामी भिरुदाम एवं परिदूतना उत्तमायक की लदानसाथ समिति किसान चारों

३. श्री नवोदय कुमार पाण्डित (पहांदा दीप्ति गाईन, चाम-पहांदा, तहसील-बोटा, जिला-गिरजापुर), सरिकन पास, याम व पोर्ट-कोटमीसोनार, तहसील-अकलधारा, जिला-जलजमीर-चापा (साधियाहराय का नरती छान्दो
1417)

मानवांचीन प्रावेदन - अपोकल गव्हर - एसआईए / रोटी / एग्जाइरन /
178729 / 2020 दिनांक 12 / 10 / 2020 |

पुरस्कार का विवरण — यह पूर्ण से समाप्ति रत्न पुरस्कार (गोपीनाथ) है। यह पुरस्कार गोपीनाथ—प्रधान, लक्ष्मीनाथ—कोटा, फिल्म—फिल्मशाहर विधान सभासभा जन्माया-111, बुलंडशहर-475 लैक्टरीवर में है। उल्लङ्घनन खरपा नदी से विद्या प्राप्त है। पुरस्कार की विशेषता प्राप्तिकर्ता भास्तुता - 21,048.4 प्रभागिता प्रतिवर्ष है।

from an Army -

(अ) समिति की ३४६ की बैठक दिनांक ०७ / ११ / २०२०:

ज्ञानीय द्रुता प्रवाहम वाली नदी एवं प्रस्तुत जाग्रकारी का पठेताम तथा शिखार विभाग
उपरांत शब्दसम्पर्क से जिम्मानशार निर्णय लिया गया—

1. याम पंचायत के क्रन्तिकारी प्रवास परम भी पहलीध प्रति इसकी ओर।

यात्रीका समस्त शुभाग्र आनंदाशी / देखताहैं जिंदगी (जीवन जीतना) करिए
प्रस्तुतीप्रस्तुति हिसे जाने हेतु भिरेंगा किया जाए।

4. ये सर्वों ली मनोज कुमार पाण्डेय (कौनसरा रोपड माईन, पाम-कौनसरा, रातारील-कौटेल, जिला-बिलासपुर), उपरिजन पाता, पाप व पौरह-कटमीरीनार, रातारील-कैकलसरा, जिला-जाजीर-चांचा (तनिगालग का नवाची अमाक 3418).

जीनजार्हन आवेदन - प्रबोधन सम्बन्ध - एसजार्हे / शीर्षी / एसजार्हेन
173036 / 2020, दिनांक 14 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूरी से जापानित रेत खदान (मीठे खनियाँ) है। यह खदान चाम-कालाकार, गहराई-कोटा, जिला-पिलामपुर लिए जाते जलका 213/1. युग्म श्रीज्ञान - 4.6 हेक्टेक्टर में है। चलचित्र अरण भट्टी को जिला जाता है। खदान की जारीदित उत्पादन रकमा - 43,700 प्रतीति रुपयों है।

卷四 漢賦

(a) राजिका सी 346 की वैद्यक दिनांक 07/11/2020

स्वामींति द्वारा प्रकाशित की जाती हुव प्रसूति यानकी का बटोराप तथा विचार विभाग सारांत अवैश्वमधि हो विचारसार विशेष लिपा गया—

- प्रस्तावित यन्म होड की जमीं एवं गौदार्दि तथा नदी की प्राप्त की गौदार्दि की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 - या उत्कर्षन के प्रस्तावित काला पूर्व प्रस्तावित काल के अवश्यीय मामा जातनकर्त्तृयां में 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर सूपा 25 मीटर का यो घटाकर घटाकर में ऐसे सेतु के स्तरलय (Levels) जैसा पिछे में घटाकर कर प्रस्तुत किये जाएं। इसके अतिरिक्त यन्म जैसा के बाहर / नदी तट (टीपी तट) को 100 मीटर तथा की लेवल में नदी सतह को स्टर्स (Leveles) पानी की रिया करें। उपर लेवल (Levels) के त्रिमुख से कम 2 टंगटी के (Concreted TBM structure) निर्मित किये जाएं। टंगटी के यो मात्रा (TBM) के आरएम- को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अक्षिया किये जाएं। पिछे यो यो उभयनी दृष्ट नदी (TBM) को भी दर्शाकर उन्ही अनियंत्रित विभाग के उपरीकरण उपराट फोटोग्राफा कहिए जानकारी/उत्कर्षन प्रस्तुत किये जाएं।
 - नदीस्टर तो खदान की रीमा की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के पाट की गौदार्दि तथा 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसी अनुसार खदान की दूरी दोनों में उत्कर्षन किया जाना चाहिए तो तो युक्ति गणना कर अक्षी पर दर्शाकर इसका उल्लेख नाहुनिंग प्लान में अनियार्थ तथा से कराया जाए। खदान के ऊपर ऑफ एंट्री परिषिकित धारा की ओर दृष्टिकोण विभाग की भीमांकन कराया, अग्राम पक्ष छापा किया जाए।
 - प्रस्तावित काल से गिरेटरम युल, एन्ट्री, एनीमट एवं सब आगूती संकेत की दूरी बाहर जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीमट की दूरी खदान के अवश्यीय न्यूनतम 500 मीटर तथा जातनकर्त्तृयां ने न्यूनतम 250 मीटर तथा अग्राम की। यदि लैंज बोर उत्कर्षनकार दृष्टी के अन्तर फ्लॉप तो तो उपरोक्त अवश्यीय

- एवं यातन के द्वारा प्रतिबिधिए द्वारा को आवश्यकतानुसार जारी पर घोषित कर उपलब्ध होके पर शीघ्रांकन सभ्या गाइडलाइन प्रकाश में दृस बाबत संलग्न लिया जाए।
5. वैदा नियमनम् हेतु उत्तमता प्राप्ति क्षमता पर यातन के शोधाई यातन के लिए प्रति लोटाईपर में इस से कम एक ग्रहण (Pc) छोटकर यातन की वास्तविक गहनाई का सापेक्ष कार व्यापक दिभान से उपलब्ध जानकारी प्रस्तुत की जाए। यह की वास्तविक गहनाई हेतु प्रकाश्या भी प्रस्तुत लिया जाए।
 6. नाद पूर्व में वायोमित स्थान पर यातन हेतु साम्ब सार पर्यावरण सम्बन्धत नियमित प्राप्तिकरण (एसईआईएए), उत्तीर्णगृह अध्ययन जिला जारीय पर्यावरण सम्बन्धत नियमित प्राप्तिकरण (डीईआईएए), उत्तीर्णगृह द्वारा पर्यावरणीय स्थोषणीय गृह ही तो तो गृह में जारी पर्यावरणीय रक्षणात्मकीय की प्रति एवं अधिकृति जारी की यातन में जी गृह जायेकाही की जानकारी फोटोचाचन सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही युक्तान्तरण की जायतन लियाही की जानकारी फोटोचाचन सहित प्रस्तुत की जाए।
 7. विभाग वारी गे विष् गए नियमन की वास्तविक वात्रा की जानकारी सामिज विभाग से अमरिता करा कर प्रस्तुत की जाए।
 8. एसईआई (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण विभाग की साथ प्रस्तुत लिया जाए।
 9. इस नियोजक एवं परियोजना प्रस्तावक को खाद्यान गे रेट के संबंधत (Levels) लिए याती सर्वियर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्त यातन कुरागत प्रकाशनी / विभावेज (अद्यतन फोटोचाचन) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु नियोजित लिया जाए।
- यानि नियोजक एवं परियोजना प्रस्तावक को उदानुसार सुनित लिया जाए।

6. योग्य नियाचा फलेन रटीन ल्यारी (प्रौ.— श्री अमर दास कुरै), याम—नियाचा, राहसील—आरंग, जिला—रामपुर (साधिकालय का नमस्ती नमाक 1127)
- वीनलाईन ल्यावेन — प्राप्तिकरण — एसआईए / श्रीजी / एसआईएन / 138407 / 2020, विभाग 12 / 01 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वीनलाईन गोटेट्टम में कमिक्स होमे से जापन दिनाक 30 / 01 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु लियोजित लिया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वापिस जानकारी दिनाक 14 / 10 / 2020 की गोनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्तावक का विवरण — यह पूर्वी शी लक्षित ब्लैन रटीन (शीधु लूगिज) यातन है। यातन याम—नियाचा, राहसील—आरंग, जिला—रामपुर लियत यातन का नमाक 1340, कुल लोकसं—३४४५ फैलेट्टर में है। यातन की आवेदित जायन का अमता—7,016.4 डन जरियान है।

वीडक वाल विवरण —

(अ) समिति की ३४५वीं बैठक दिनाक ०८ / ११ / 2020:

समिति द्वारा प्रकाशक की गरती एवं प्रस्ताव जानकारी का परिक्षण याता विचार लियार्हा उपर्यात सर्वजामति सी नियनानुसार विवेय लिया गया—

i. यात्रा प्राप्तान को प्रनायाति द्वारा यात्रा की वहीय प्रति प्रस्तुत की जाए।

- पूर्व में आमोदित रूपत एवं उत्तम द्वारा प्रभावित सम्मानात्मक नियन्त्रण प्राप्तिकाल्पन (एसईआईएए), अल्टीमार्गद अध्ययन विज्ञान विभाग एवं प्राप्तिकाल्पन (एसईआईएए), अल्टीमार्गद द्वारा प्रभावित स्थीरता की रक्षा हो, तो पूर्व में इनमें प्रभावित स्थीरता की बढ़ियां एवं अधिकोषित रातों के प्रत्यय में भी ऐसे कार्यकारी की जानकारी प्रोटोकॉल बनाई इन्हें इन्सुत की जाए। साथ ही प्रभावित स्थीरता की अवधारणा विधि की जानकारी प्रोटोकॉल सहित इन्सुत की जाए।
 - विभाग एवं में विद्यु एवं उत्तमानन की वास्तविक भावत की जानकारी जानिया चिनाये से उपर्युक्त कार्य के प्रत्यय इन्सुत की जाए।
 - जी ई आर (Corporate Environment Responsibility) एवं विस्तृत व्यवसाय एवं विवरण को लाभ प्रदान किया जाए।
 - परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पाठी जानकारी / इसायोर (अंतरान प्रोटोकॉल) को विश्व अगारी भाड़ की आवृत्ति वैद्यक में प्रत्युत्तिकालण दिये जाने तथा अधिकारित किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त सुनिश्चित किया जाए।

- शीमली विध्या सिंचन (गोदापुर विकास और फले पानी पुष्टि किया विमली खाट), छात्र-मोहापुर, लहरील व विला-गूरुपुर (समिकालय का ग्रन्ती अन्ताक 1410)

परियोजना आवेदन — प्रयोग्य वर्ष — एसआईए/ शीमी/ एसआईए/ 1790/0/2020, दिनांक 15/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व में जानातित निटटी उत्तमानन (शीम जानिया) वादन एवं विमली फैट उत्तमानन इन्हाँ है। उदान छात्र-मोहापुर लहरील व विला-गूरुपुर विध्या स्कूल का प्रमाण 15, कुल सीपक्षत — 173 फैलोयर है। उत्तमानन की आमोदित उत्तमानन कमता — 2242.04 घनमीटर प्रतीकारी एवं ईट उत्तमानन कमता — 14.22.289 नम द्वैटीयर्थ है।

वैद्यक का विवरण —

(अ) वामिति वी 346वी वैद्यक दिनांक 07/11/2020:

वामिति द्वारा प्रकल्प की जली एवं प्रत्युत जानकारी का विवरण विमली उपराना सर्वेसम्मति से विस्तारानुसार विराज्य किया जाया—

- पूर्व में आमोदित रूपत एवं उत्तम द्वारा प्रभावित सम्मानात्मक नियन्त्रण प्राप्तिकाल्पन (एसईआईएए), अल्टीमार्गद अध्ययन विज्ञान विभाग एवं प्राप्तिकाल्पन (एसईआईएए), अल्टीमार्गद द्वारा प्रभावित स्थीरता की रक्षा हो, तो पूर्व में इनमें प्रभावित स्थीरता की बढ़ियां एवं अधिकोषित रातों के प्रत्यय में भी नई कार्यकारी की जानकारी प्रोटोकॉल सहित इन्सुत की जाए। साथ ही प्रभावित स्थीरता की अवधारणा विधि की जानकारी प्रोटोकॉल सहित इन्सुत की जाए।
- विभाग एवं में विद्यु एवं उत्तमानन की वास्तविक भावत की जानकारी जानिया चिनाये से उपर्युक्त कार्य के प्रत्यय इन्सुत की जाए।
- जी ई आर (Corporate Environment Responsibility) एवं विस्तृत व्यवसाय एवं विवरण के लिए इन्सुत किया जाए।

Ch.

4. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त मुद्रा जानकारी / दस्तावेज़ (अकड़ण और छाप) के साथ आगामी महीने की आवधिकालीन बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को शासनकार सुनिश्चित किया जाए।

7. मैत्री अभियान एवं सीधी, प्री— श्री आशीष अच्छाल (पुरनापानी होम्प माझन, गुरु—पुरनापानी, लहरील—देवगीर, जिला—गढियाबंद), अर्जुन इनकलेव, भैरव नगर, गोकुल नगर तोड़, संस्थाकी नगर, लहरील व जिला—हायपुर (संचिवालय का नमी क्रमांक 1395)

ओनलाइन आवेदन — बोजल नगर — एसआईए/ शीजी/ एसआईएन/ 173467 / 2020, दिनांक 16 / 09 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ओनलाइन आवेदन में लाभितो होने से आपन दिनांक 03 / 10 / 2020 द्वारा यह कामों प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताई जानकारी दिनांक 16 / 10 / 2020 को ओनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संधारित हो रहा है (पीपल खानिया) है। यह खानाम गुरु—पुरनापानी, लहरील—देवगीर, जिला—गढियाबंद लिया जाना जानकारी, गुल कीकरकल — 4.1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्तरानन लोक नदी से लिया जाता है। खानाम की अन्तिम वर्णन कामता — 67,132 मेट्रीटर डिलिक्ष्य है।

बैठक का विवरण —

(अ) साधित की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020

साधित द्वारा प्रस्ताव की सरही एवं प्रस्तुत जानकारी का अधिकार राजा विभाग एवं सार्वजनिक सी निम्नानुसार निर्णय लिया जाया—

- प्राप्त प्रेतायात की अनागतीत प्रमाण पत्र की पठाईय प्रती प्रस्तुत की जाए।
- प्रस्तावित खाना लोक ने लोहाई-एवं शीघ्राई-स्था नदी के पाट ने भीड़ की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- वेत यात्यनन्य हेतु प्रस्तावित स्थान एवं प्रस्तावित स्थान की अपनीय तथा जातनकीय में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुण 25 मीटर का विवर करताकर यात्यन्य में वेत जातह के लेवल्स (Levels) स्तैंकर छिद्र में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसको अरिहिति स्तर तीखे के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी जातह के साथ (Levels) का भी जाये किया जाए। यात लेवल्स (Levels) हेतु राम से राम 2 टेम्पल बेत नार्न (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पलही बेत नार्न (TBM) में आरएल- को-ऑर्डिनेट्स (Coordinates) अंगित किये जायें। छिद्र में टेम्पलरी बेत नार्न (TBM) को भी यात्यन्य उन्हीं सुनिज विभाग से प्रभावीकरण एवं सार्वतोर्यात्मक जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जायें।
- गटीतट से खाना की नीमा को दूरी नूनाम 7.5 मीटर पर नदी के पाट की शीघ्राई का 10 डिग्रीस (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। पर्याप्त इसकी अनुसार खानाम के कुछ क्षेत्र में उत्तरानन लिया जाना सामग्री एवं नदी नकारी पर दर्शायें। इसका सुलतेज गार्डिनिंग बहाने से अनिवार्य रूप से कराया जायें। खानाम की समग्र क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षेत्र को भीतों पर लाभिता विभाग से सीधानन जानकार प्राप्त कर प्राप्त किया जाए।

8. गेलरा बी फन्टमली फोनी (पिटाईवद रोड, गाईन, छाग-पिटाईवद, तालकोट-हजिम, जिला-गणितावद), रोकटर-११, जोन १ खुशीपान, जिला-हिमाचल प्रदेश (शाखियालय का संख्या १३०४)

ओनलाइन आवेदन — प्रधानमंत्री — एक्सप्रेस/ गोदी/ एक्सप्रेस/ 173456/ 2020 दिनांक 10/09/2020। परियोग्यना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ओनलाइन आवेदन में कलिली हैंसे से ज्ञापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने की विदेशित घोषणा करा। परियोग्यना प्रस्तावक द्वारा वाचित आगवानी दिनांक 10/10/2020 को ओनलाइन प्रस्तुत ही गई।

प्रसारण का विवरण — यह पुर्ती संचालित रेत व्यापान (गोप्य ग्रनाइट) है। यह व्यापान द्वारा—तिंगार्कवद, लहानील—लालिम, लिला—गोप्यवद, विष्णु व्यापान—कमाज 01, व्युत्त लीलपाल — 49 ट्रैकट्रैकर में प्रस्तावित है। लकड़नं लहानीली से किया जाएगा। व्यापान की अवधित उत्तरानन कमता — 80,000 घम्फीटर प्रतिवर्ष है।

विषय एवं विषय —

(x) जारिि की 345वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020

- प्राप्त प्राप्तियां के अनुसारित प्रमाण पर्याप्त ही पहचान द्वारा प्रति प्रस्तुत की जाए।
 - प्रस्तावित सम्मान होता ही जीवाई तथा नदी की पार की गौलाई की प्राप्तियां द्वारा प्रस्तुत की जाए।
 - ऐसा सामाजिक हेतु प्रस्तावित सम्मान एवं प्रस्तावित सम्मान के अनुसारी सभा प्राप्तियां में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर तक दिए गए प्रति सम्मान की सामान्यता के लिए लेवल (Levels) हेतु इनमें से प्रत्येक का प्रस्तुत किये जाये। इकाई अतिरिक्त सम्मान लीन के बाहर / नदी तट (टीनी और) से 100 मीटर तक की दूरी में नदी दृश्य के लिए (Levels) 100 मीटर किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेटर द्वारा बास (Concreted TBM structure) निर्मित किये जाये। टेम्परेटर बोर मार्ड (TBM) में आरटेम एंड-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंतिरिक्त किये जाये। इनमें से टेम्परेटर बोर मार्ड (TBM) को भी दर्शाकर एवं अनुसारित विभाग से चलाकीकारी प्रयोग कीटोमायरी/ दस्तावेज़ प्रस्तुत कियो जाये।
 - नदीतट से सामान की लीका की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर या नदी के घाट परी की गौलाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसाँहा अनुसार सामान के गुण की बीच में उत्तमतम किया जाना चाहिये तो उसकी प्रक्रिया कर नहीं पर उत्तमतर इकाई उत्तमतम किया जाना चाहिये। उक्त सम्मान होता एवं प्रतिविधि होता ही भीको पर खांगेत्र विभाग से गोपालगंग काटकर उत्तमतम किया जाए।
 - प्रस्तावित सम्मान ही निकटतम घुल बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति लोत की दूरी बाटा जानकारी प्रस्तुत की जाए। घुल /एनीकट की दूरी सामान के अनुसार ने न्यूनतम 250 मीटर तक सामानस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर तक जाना चाहिया है। यदि इसी दूरी तक उत्तमतम न्यूनतम दूरी के अंदर लिया जाए, तो उपरोक्त जानकार खनन द्वारा प्रतिविधि की बीज जो जायापूरकन्युक्त भवते पर विनियुक्त तथा उत्तमतम न्यूनतम एवं उत्तमतम नियन्त्रित जाए।
 - ऐसा उत्तमतम हेतु प्रस्तावित सम्मान पर बर्फस्तम से उपलब्ध-रेत की सेटिंग जानकारी दिए जानी हेतु उसी कम एवं गढ़वा (P) छोटीकर नहीं की जानी चाहिये तो यहाँ से जानकारी प्रस्तुत की जाए। ऐसी वीज उत्तमतम गहराई हेतु विभाग में प्रस्तुत किया जाये।
 - यदि पूरी से जानकारी सम्मान पर उत्तमतम हेतु राज्य विभाग समाधान विधायिका उत्तमतम (एवं अवृत्ति एवं), उत्तीर्णसम्बद्ध अधिकारी विभाग समाधान विधायिका उत्तमतम (जी दूरी गहराई एवं), उत्तीर्णसम्बद्ध राज्य विभाग सम्बद्ध इतीर्षति की गई हो, तो यहाँ से जानकारी विधायिका उत्तमतम की प्रति एवं अतिरिक्तिका उत्तमतम से यहाँ गढ़े कार्यकारी भी जानकारी प्रोटोटाइपायल सहित प्रस्तुत की जाए। राज्य की प्राप्तियां की अनुसार विधायिका भी जानकारी प्रोटोटाइपायल सहित प्रस्तुत की जाए।
 - विभाग एवं में जिए गए उत्तमतम की प्राप्तियां भाजा ही जानकारी समिति विभाग से प्रस्तुत की जाए।
 - सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विभाग प्रस्ताव पूर्ण विभाग से जाप प्रस्तुत किया जाए।

10. यहां निरीक्षक एवं परिवोजन प्रसारक की जगत में ऐसे ही लेवल्स (Levles) से जैसे गोर्डर (Surveyor) के तरह आगामी बाहर की आपोडिट रिपोर्ट वा अमरीका दामत चुनावों का अफारी / इकायों (आदानपान कीटोंशाखा) वाली प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निरीक्षित किया जाए।

यहां निरीक्षक एवं परिवोजन प्रसारक की जगत कुछ भी किया जाए।

9. निम्न वैद्यीन इकायों प्राइवेट लिमिटेड, चाम-चिराईपानी एवं तुम्हारी, ताहसील-धरपाल, जिला-रायगढ़ (विधिवालय की नम्रती नम्रता 1421)

ओनलाइन आवेदन- प्राप्तीकरण नम्र - एसआईए/ नीमी/ आईएनकी/ 57500/ 2020, दिनांक 10/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परिवोजन प्रसारक इस चाम-चिराईपानी एवं तुम्हारी, ताहसील-धरपाल, जिला-रायगढ़ लिप्त जगत की 17, 19, 20/1, 20/2, 20/3, 25, 27, 29, 31/2, 31/3, 49/2, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, एवं 49/7, कुल ठाउफाल - 15.474 हेक्टेयर में उपर आवरण फ्लॉट (2x85 लीपोडी वीलस्ट्राइप रिप्ल) कमता - 62,700 रुपये प्रतिएवं इन्डिपेन्डेंट नोनेंस (एमएस रिसेटर्स/इमार्टर) कमता - 1,98,000 रुपये प्रतिएवं (2x12 लीपोडी वील/स्ट्राइप/रीटील/भैंस फ्लॉट) कमता - 1,92,000 रुपये प्रतिएवं (2x12 लीपोडी), गोवर फ्लॉट (2x मेगापार्ट) उभेज्य प्राप्तीकरण, बेस वील फ्लॉट - 5 मेगापार्ट (2x12 लीपोडी) एवं एक बीनी बेस वील फ्लॉट - 15 मिगापार्ट (1x12 लीपोडी) के आवेदनपानी कीवृति द्वारा करने हेतु आवेदन किया जाए।

वैद्यक का विवरण -

(ii) नामिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020-

नामिति द्वारा प्राप्तव्य की अस्ती एवं असाधु जानकारी पर विवाह-विवाह वापसात सर्वसाम्मति की निम्नानुसार निर्भव किया गया-

1. वर्तमान में व्यवसित इमारीयों हेतु उत्तीर्णगद पर्यावरण संस्थान नहीं द्वारा जारी समति छानी के बालंबन में की घट्ट कार्यवाही की विन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. भूमि चालानित / भूमि आवेदन संख्या दस्तावेज प्रस्तुत की जाए। यह रूपरूप विवाह काए कि एक दूसरस्तीयत एवं वीरिय की अंतर्गत शानित की अवधार नहीं? यदि एक दूसरस्तीयत एवं वीरिय की अंतर्गत शानित है, तो इसकी युक्ति हेतु व्यापिक एवं उद्योग कियान द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।

3. वार्तानाम वीलिंग लिप्त में ही-डीटिंग फैसी की व्यापकता किया गया है अथाव नहीं? इसका विवाहार की रहा वीलिंग लिप्त में ही-डीटिंग फैसी की व्यापकता किया जाना व्यवस्थित है अथवा नहीं? ही-डीटिंग कर्मसु व्यापित है तो ही-डीटिंग फैसी की दृष्टियां लम्बा, फूर्खा या व्यापार एवं मात्रा, प्रधूमि फूर्खा के अधार पर लियनी की उपलाई लगाना एवं वार्तानाम में प्रदूषण नियंत्रण लगाना की आवश्यकी। वर्तमान में व्यापित इन्डिपेन्डेंट कर्मसु की संख्या लम्बा, इसमें व्यापित प्रदूषण नियंत्रण लगाना एवं व्यापित लियनी की उपलाई लम्बी जानकारी दर्शाना चाहीं। लम्बा विवाहार की तात्पुर लोलिंग लिप्त में यदि ही-डीटिंग फैसी की व्यापकता किया जाए प्रमाणित है तो ही-डीटिंग फैसी की संख्या लम्बा, फूर्खा या व्यापार एवं मात्रा,



प्रयुक्ति विधन के अन्तर पर विस्तीर्णी की कमता गवाना चाहिए जानकारी एवं प्रस्तावित वायु प्रदूषण विशेषज्ञ व्यवस्था की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. समर्पित द्वारा व्यापित लागतों की उत्तराधिक की इसे एवं कमता विस्तार लाभदार व्यवस्था की एक में युवा प्रदूषण भर्त की गणना कर (जल उपयोग की भाँति जल की जाता / गुणवत्ता प्रदूषणों के उत्तराधिक की जाता एवं उत्तराधिक आविष्टी की जाता) प्रस्तुत की जाए।
6. बीचूल प्रायग्राम नीटर आविष्टी द्वारा जारी गांधीजीन भानुसार परियोजना कामता नीमी विस्तीर्ण अध्ययन विस्तीर्ण अध्यक्ष की ओर के अंतर्गत आने वाली जानकारी प्रस्तुत की जाए। एकत्रित याटर उपयोग कानून हेतु सेटल द्वारा उत्तराधिक याटर आविष्टी की इसे प्रस्तुत की जाए।
7. नीतीकृत एवं कमता विस्तार की तहत प्रस्तावित गांधीजी याटर विधायक व्यवस्थाओं एवं ऐसे याटर हाईसिटर व्यवस्थाओं का विवरण (नीति एवं याटर विधायक) प्रस्तुत की जाए।
8. नीतीकृत एवं कमता विस्तार की तहत प्रस्तावित गांधीजी याटर विधायक व्यवस्थाओं की प्रस्तुति की जाए।
9. नीतीकृत एवं कमता विस्तार की तहत प्रस्तावित गांधीजी याटर विधायक व्यवस्थाओं का विवरण (नीति एवं याटर विधायक) प्रस्तुत की जाए।

10. मैत्री भौमिकी व्यविधि कट्टर (बैंडला जीप्प नार्दन, चाम-भैंडला, राहसील-भानुप्रसाधपुर, जिला-काकोर), रुपेला, मिलाई, जिला-दुर्म (संविवालय का नंबरी क्रमांक 1423)

अधिकारीकृत आवेदन — प्रधानमंत्र नम्रता — एसएसई/सीनी/एमआईए/ 179018 / 2020, दिनांक 19 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह यूप्ट से संबंधित रेत खाड़ी (गोम खागिल) है। यह खाड़ी प्राम-भैंडला, राहसील-भानुप्रसाधपुर, जिला-काकोर विधायक जामान 501 / 11, गुजरात बोरकल — 6 हैबटीयां में है। यस्तावत खाड़ी गढ़ी के विषय जाता है। खाड़ी की अवधिकृत उत्तराधिक जामान — 31,036.5 करोड़ रुपयों है।

मैत्री वायु विवरण —

(अ) रामिती की 340वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

संभिति द्वारा प्रकारण की तरही एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विनाश विभार्ता द्वारा वार्षिकमयी से विभानुसार निर्धार्य लिया गया—

1. प्रस्तावित जामान की तथाई एवं गोमाई जामान नदी के बाट जी गोमाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्तराधिक हेतु प्रस्तावित जामान एवं प्रस्तावित जामान के आगस्टीन तथा द्वारुनस्टीन में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर तक 25 मीटर का फिल बैंडलर वर्तमान में रेत जामान के लवलस (Leveles) लेकर यिन्हें बैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त जामान लीज की बाहर / गटी तट (टोनी

लेवल) से 100 मीटर तक के दौड़ गे जबकि शहर के लाई (Leaves) तक मैं उपरियोग करते हैं। इसका लीवल्स (Leaves) ऐसा कम हो कर 2 ट्रॉफिक्स बैश भावी (Concreted TBM structure) निर्मित किये जाते हैं। दैनदीर्घी दैश भाव (TBM) से अधिक तो-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अविस्तरित किये जाते हैं। दैश भैश दैश भाव (TBM) को भी दैशभैश उन्हें उपरियोग किया जाएगा तो प्रकाशितना उपरियोग कोटोडाफना सहित जानकारी / दैशभैश प्रस्तुत किये जाएं।

3. भवीत शै खदान की सीमा की दूरी न्यूमान 7.5 मीटर तो नहीं के खोट की चौकाई या 10 प्रतिशत (जो भी आविष्या हो) कर्त्ता जाती है। यदि इसकी अनुसार खदान की चौकाई में उत्कृष्टता विद्या जाना समय के लिए भी उपरियोग भवन नहीं पर दैशभैश इसका उल्लेख नाईनिंग खदान में उपरियोग क्षमा के जनाना चाहते हैं। खदान की खुम्हन क्षेत्र एवं प्रतिशतित क्षेत्र को भी उपरियोग किया जाएगा तो भीमावन करावार, प्रवाण पर ध्रापा किया जाए।
4. प्रकाशित खदान से निकलता पुल, बाल एनोइट इव जल आनुसूति खदान की दूरी खोपत जानकारी प्रस्तुत ही जाए। पुल / एनोइट की दूरी खदान की अपरिवृत्ति ने न्यूनतम 500 मीटर तथा उत्तमलक्ष्मीम में न्यूनतम 250 मीटर बढ़ा जाना अनुचानक है। यदि भीका लेव एप्लोइमेन्टपुस्तर दूरी के लंदर विद्या हो तो उपरियोग जापारे पर खम्हन ऐसु प्रतिशतित क्षेत्र को जापारान्नान्नान्नाव भवनी पर विनियुत कर उपरियोग कीका वीका पर भीमावन तथा माईनिंग खदान में इस जापार उल्लेख किया जाए।
5. ऐस उत्कृष्टता ऐसु प्रकाशित रखता पर जानकारी तापान्ना वेत की गोलाई जानने के लिए, भीति डॉल्टेयर में कम हो कर 100 मीटर (Pm) जोड़का उपरियोग करावार अनुचानक गहराई का भवन बढ़ा उपरियोग कियाजाए जानकारी प्रस्तुत ही जाए। ऐस की जानकारी पर जापार उपरियोग की गोलाई जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
6. यदि दूरी में आवेदित खदान पर खदान ऐसु जान खदान पर यातारण जानकारी नियारिय प्रतिशतावध (एस.ई.आई.ए.ए), यातारियाइ अध्या किला तरीय यातारण जानकारी नियारिय प्रतिशतावध (ही.ई.आई.ए.ए), छत्तीसगढ़ तुम्हा यातारणल्लीट रोकहि दी गई हो, तो दूरी में जानी यातारणल्लीय स्टीक्सित की प्रति एवं उपरियोगित जानी की जालन में की गई जानकारी की जानकारी कोटोडाफना सहित प्रस्तुत ही जाए। जान जी जानकारी की जानकारी की जानकारी कोटोडाफन सहित प्रस्तुत ही जाए।
7. विनाय दूरी में विद्युत जाए उत्कृष्टता की जानकारी भाव की जानकारी उपरियोग की उपरियोग खदान करे प्रस्तुत ही जाए।
8. नीति-जार (Corporate Environment Responsibility) ऐसु विस्तृत प्रकाश दूरी विद्युत के जान प्रस्तुत किया जाए।
9. उनि निरीक्षक एवं परियोजना ब्रह्मादक को खदान में ऐस की सीमाना (Leaves) को जाने जाईया (Surveyor) के जान आगामी भाव की जानकारी देख के जानकारी जानकारी तमका तुम्हारा जानकारी / दैशभैश (अप्लान परियोगावाह) जानकारी प्रस्तुतीकरण दिये जाने ही ऐसु विद्युत किया जाए।

जाने विद्युत का एवं विद्युत जान प्रकाशावाह को जानकारी दूषित किया जाए।

11. मेहरी बी नियामन पालक (लीरा स्टोर वारी), चाम-चौरा, तहसील-शहरनगर, ज़िला-सूरजपुर (संघिकालय का नंबरी क्रमांक 1627) की नियामन आवेदन - परीक्षण सम्बन्ध - एसआईए / शीजी / एमआईए / 179586 / 2020, दिनांक 20 / 10 / 2020।

प्रदान का विवरण - यह घृत से संबंधित उत्पादन प्रकृत (लीप खण्ड) खदान है। खदान चाम-चौरा, तहसील-शहरनगर, ज़िला-सूरजपुर जिला क्रमांक 357, कुल लोडफल-1.3 ट्रैकटर में है। खदान की आवेदित उत्पादन अन्तर्गत-105196 टन दर्जित है।

वैठक का विवरण -

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020-

समिति द्वारा प्रकृत की भरती एवं प्रस्तुत प्राप्तकारी का परीक्षण तथा विवार विभार उभरते सर्वेतरामिति से विभागनुसार निष्पत्ति दिया गया:-

1. यह मेहरी नियामन एवं खदान द्वारा परीक्षण उत्पादन नियोजित प्रकृतियाँ (एसआईआईए) प्राप्तीकारी अवस्था विकास करीबी प्राप्तकारी उत्पादन विभाग द्वारा दिया गया (लीप खण्ड) है। प्राप्तीकारी हृता परीक्षणीय लीपकृति की वृद्धि होती ही यहाँ परीक्षणीय लीपकृति की प्रति एवं उत्कीर्णित भरती के प्रत्यक्ष में उनी नहीं कर्तव्यपात्री औं जानकारी प्रोटोटाप्लस सहित प्रस्तुत की जाए। याद ही कूआरोपण एवं अद्यतन विभाग की जानकारी प्रोटोटाप्लस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विभाग नाहीं निया गए उत्पादन की वास्तविक भाव औं जानकारी समिति विभाग से ज्ञानप्रियता के द्वारा एवं प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रत्यक्ष विवरण से सम्बुद्ध किया जाए।
4. परियोजनाभूत प्रस्तावक वर्ग उपरोक्त उम्मति एवं जानकारी / दस्तावेज (आवास प्रोटोटाप्लस) की साथ आवासी माह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने होते नियोजित विकास जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेहरी बी नियामन धीनर एण्ड इरप्राइवेट लिमिटेड, चाम-चौटेढोगर, तहसील व ज़िला-शारायणपुर (संघिकालय का नंबरी क्रमांक 1358)

कीनलाईन आवेदन - परीक्षण सम्बन्ध - एसआईए / शीजी / एमआईए / 54995 / 2020, दिनांक 23 / 07 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जीनलाईन आवेदन में लिखिये होने से इसान दिनांक 25 / 08 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत जानी होती नियोजित विकास जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताये जानकारी दिनांक 30 / 10 / 2020 को जीनलाईन प्रस्तुत की जाए।

प्रश्नाव का विवरण - यह प्रस्तावित वायरन और (मुख्य खण्ड) खदान है। खदान चाम-चौटेढोगर, तहसील व ज़िला-शारायणपुर जिला इन नंबर क्रमांक 252, 267, 268, 269, कुल लोडफल - 57 ट्रैकटर में प्रस्तुतिएँ हैं। लदान बी आवेदित उत्पादन 10,00,000 टन दर्जित है।

वैठक का विवरण -

(ii) नामिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

नामिति द्वारा प्रकरण की नमूनी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण करा विचार निम्न उपरात सर्वेशास्त्रि दो विभागोंसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यादित हेतु बन दी अवधि जाए है। आ फारम नियरेस की इस प्रस्तुति की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (सर्विज जाती) द्वारा उक्त घटाया गी 200 मीटर की परिधि में भौद्रि भविष्य अवासान सहूल आदि प्रतिक्रिया द्वारा निर्मित होने अवधि न होने जानकारी की रफ्तर / संतुष्टीय घटि प्रस्तुत की जाए।
3. यदि यूई में आवेदित खेल पर खगन हेतु राज्य कान्त परिवर्तन समाजात नियरित प्राविकरण (एसडी आइएए) अवधि फिल्ड निरीय प्राविकरण समाजात नियरित प्राविकरण (डीपीआईएए), अवधि फिल्ड द्वारा प्राविकरणीय जीववृक्षों की जहु रो, हो यूई में जानी पर्यावरणीय जीववृक्षों की घटि एवं आवेदित सती के गत्तन में की गहु कार्यादी की जानकारी छोटीशाखा सहित प्रस्तुत की जाए। जाव औ प्राविकरण की अवधि की जानकारी पर्यावरणीय सहित प्रस्तुत की जाए।
4. यदि खगन पूर्व रो राजित की गई तरह उत्तमन की जानकारी जानिज विभाग से प्रदर्शित करा जाए प्रस्तुत की जाए।
5. एसईआर (Corporate Environmental Responsibility) द्वारा प्रस्तुत प्रवाह यूई विवरण को जान प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना उत्तमन को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / उत्तमाया (अन्तर्म छोटीशाखा) के साथ जानकारी बाह की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना उत्तमन को सदाग्रसार सुनित किया जाए।

12. वेसन शीघ्र जानकारी (कलकत्ता लैब्य बटीन जवारी), राज्य-कलकत्ता, ताहसील-खौरानाड, जिला-राजनांदगाम (संवितालय का नमूनी क्रमांक 1392) जीनलाईन आवेदन — प्राप्तजल सम्बन्ध — एसआईए / दीजी / एसआईए / 163006 / 2020, दिनांक 12 / 09 / 2020। परियोजना उत्तमन द्वारा प्रस्तुत जीनलाईन आवेदन में जानियी होने से जुधन दिनांक 21 / 10 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत जाने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना उत्तमन द्वारा प्राप्ति जानकारी दिनांक 21 / 10 / 2020 को जीनलाईन प्रस्तुत की गई।

उत्तमन का विवरण — यह यूई की जावहित खगन विवार (जीव जानिज) जाव है। जाव द्वारा जानकारी ताहसील-खौरानाड, जिला-राजनांदगाम विवार जावा अन्तर्म 340 / 2 एवं 341, बुल लैब्यकर-0547 हैबैटर में है। जावान की जानकारी उत्तमन अन्तर्म 5,000 टन व्यापारी है।

बैठक का विवरण —

(iii) नामिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

नामिति द्वारा प्रकरण की नमूनी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण करा विचार निम्न उपरात सर्वेशास्त्रि दो विभागोंसार निर्णय लिया गया—

1. प्रस्तुत 500 मीटर की दूरी पर वह उपर सही हो जाए है कि यकृत आदानी की 500 मीटर के गोलार अन्वयनाम है इसका मत्ती? इंडिपेंडेंस, 2008 (पक्षा सार्वजनिक) ने विभिन्नता बलवटर अनुसार “कोई बलवटर नहीं समग्र बनाए जाएगा, जब एक लौज के परिसरों का दौर दूरी वह सदूच आनित होती है अथवा घटने के विशेष भी 500 मीटर हो जाए है।” अर्थात् बलवटर हेतु होमालियिट विवरण लौज ने दिया आदानी बनाए जाने के 500 मीटर के गोलार बाने वाले अभी तक आठमिल बहुती भी लौज लौमा के 500 मीटर के गोलार बाने वाले अन्वयनाम हो जाए ताकि आदानी गोलवटर में उपर सही तक आठमिल विवरण जाए जहाँ तक 500 मीटर की दूरी ने कोई चलान आवश्यक न हो। आमिल विवरण जाना आविह। आप आदानीआनुसार इसका पक्ष प्रस्तुत विवरण जाए।

2. पूर्व में आधेडिग समल पर चलने हेतु रामव लाम पर्यावरण समाधान निधीन्द्रा प्रदान (एसईआईएस), उत्तीर्णगढ़ आदाना विवरण बारीमात्र पर्यावरण समाधान निधीरण प्राधिकरण (सीईआईएस), खलीसगढ़ हावा पर्यावरणीय लौकिकता की दृष्टि से एवं एक में जारी पाठीरपीम लौकिकता की दृष्टि एवं अधिरोपित गाँवीं की जालन में वो एक कार्यालयी की जानकारी फोटोप्राप्त लिहा प्रस्तुत हो जाए। जाल की दृष्टिकोण की प्राप्तान स्थिति की जानकारी फोटोप्राप्त स्थिति प्रस्तुत हो जाए।
3. विवरण वाली ने फिर एह उत्तरानन भी आमारिक गाँव की जानकारी आनिल विवरण से प्रस्तुत जाए।
4. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विवरण प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत विवरण जाए।
5. आदिकोनामा उत्तरानन वो उपरोक्त समल पूर्ण जानकारी / एसारैम (अधारन फोटोप्राप्त) वो आव आदानी भाल की आधिकारित बैठक में प्रस्तुतीवरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट विवरण जाए।

परिवर्तिता उत्तरानन वो उत्तरानुसार सूचित विवरण जाए।

14. गोपाल भी राजुरान कोवट (हरदीबीह सैन्ध गाईग, गोप-हरदीबीह, तहसील-आवग, जिला-तायपुर), भारत पिंगल, तहसील-अकलतारा जिला-धाव-गोर-धावा (संविवालय का नम्बर क्रमांक 1428)

गोपालद्वारा जावेदन — परोजल गाँव — एसारैम/ गोपी/ एसारैम/ 183099/ 2020, दिनांक 21/10/2020।

प्रवर्तन का विवरण — यह दूरी से सांचिता वो जावान (गोप गाँव) है। यह जावान गोप-हरदीबीह, तहसील-आवग, जिला-तायपुर विवरण जावान तकम्ब 190, दूरी शोकलन — 5 एकडीयर म है। उत्तरानन नहानपी से विवरण जावा है। जावान की आधेडिग उत्तरानन जावा — 75.3383 घण्टीटर प्रतिक्षेप है।

बैठक का विवरण —

(अ) गाँविति वो 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020;

गाँविति जावा उत्तरानन वो नहानी एवं प्रस्तुत जानकारी का वरिष्ठान तथा विवरण विवरण सुफरात सर्वसम्मिति से विभानुसार निर्णय लिया गया—



- प्रस्तावित लागत सेव की जगह एवं गोकाई रासा नदी के पाट परी गोकाई और जनकारी प्रश्नोत्तरी जाए।
- ऐसा उल्लङ्घन है, प्रस्तावित अखल एवं प्रस्तावित खल के आगमनीय रासा लालूनस्ट्रीम में 100 गोटर की दूरी तक, 25 गोटर तक 25 गोटर का इन तराफ़ रासायन में ऐसा शाह के लेवल (Levels) लेवल गिरे थे एवं प्रस्तावित तर लालून गिरे जाएं। इसके अतिरिक्त रासायन लेवल के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 गोटर तक के बीच से नदी रासा के रासा (Levels) का भी गिरा जाए। अब लेवल (Levels) हैं एवं तो उन्हें दैर्घ्यरी देख खाक (Concreted TBM structure) निर्मित किये जाएं। दैर्घ्यरी देख खाक (TBM) में लाइन को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किये जाने। यिन दैर्घ्यरी देख खाक (TBM) को भी रासायन तरह खनिया दियागा ही पुण्याचीकरण रासायन कोटोप्राप्ति सहित जानकारी / दृष्टिकोण प्रश्नोत्तर किये जाएं।
- नदीपाट के खान में जीवा की दूरी अनुमान 7.5 गोटर या नदी के खाट की गोकाई के 10 अंतिशाम (यों भी अधिक हो) रासी जानी है। यदि इसके अनुमान खनाम की दूरी देख से एल्लूनन गिरा जाना कठिन तो तो इसकी अनुमान देख दर्शाकर इसका कल्पनेक मार्गनिंग यहान में अनियार्थ क्षय से बचाया जाए। खदान के खनन देख एवं प्रतिविधि होने की गोकी पर उत्तरिया दियागा ही लोकोपयन वर्णन इमान पर द्वारा किया जाए।
- प्रस्तावित खल तो निकटवर्ती मुख्य बाय एवं एनीजट एवं यहान आपूर्ति लेना की दूरी जाबहु जानकारी प्रश्नोत्तर की जाए। पुल / एनीजट की दूरी खान में अपरटीम ने अनुमान 800 गोटर तथा जावनस्ट्रीम में अनुमान 250 गोटर रखा जायाएगा है। यदि इनी दोनों दूरी रासायनकानुसार दूरी के अद्य रिया हो, तो जावनोंका आवाय यह खनन हैं एवं प्रतिविधि होने की आवश्यकतानुसार नक्षी पर विकित यह उदान गोकी पर रासायनकानुसार यहान में इस बाबत कल्पनेक दिया जाए।
- ऐसा उल्लङ्घन है, प्रस्तावित लंबत पर यातनान में उपलब्ध रेत की गोकाई जानकारी को लिए, प्रति हेक्टेयर में यात से एवं एक गोटरा (Pit) वास्तविक उदान का आवाय कर, उभित दियाग की उपलब्धित जानकारी प्रश्नोत्तर की जाए। रेत की वास्तविक गोकाई हैं एवं यातनाना भी प्रश्नोत्तर किया जाए।
- यदि दूरी में जाकेंद्रित अखल यह खनन हैं रासा तथा यातविक रासायनिक नियोजन आपूर्ता (एलईआईएए), छत्तीसगढ़ उपचार दिला न्यायिक अनावान नियोजन व्यापिकनप (डीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा यातविकरणीय बोर्ड की तरह हो, तो दूरी में याती पर्यावरणीय स्थीरता की प्रति एवं व्यापिकनप याती के पासन में की गई कार्यकारी की जानकारी पोटोप्राप्ति सहित प्रश्नोत्तर की जाए। याता की प्रश्नोपयन की अधारान दियती की जानकारी पोटोप्राप्ति रातिक प्रश्नोत्तर की जाए।
- किसी दूरी में यिन गए उल्लङ्घन की जास्तविक बाय की जानकारी दीर्घिया दियाग की प्रश्नोत्तरी याता पर प्रश्नोत्तर की जाए।
- सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हैं एवं प्रश्नोत्तर प्रस्ताव पूरी दियेग की जाय प्रश्नोत्तर किया जाए।
- पूर्ण निरीक्षक एवं विविधाना प्रस्तावक ने यहान में रेत के उपलब्ध (Levels) लेने के लिए सर्वेयर (Surveyor) की जाय आगमी याता की आपीकेत बेटक में

वर्षान्तीका वर्षमान सूचीनुसार जानकारी / दस्तावेज़ [अधिकारी प्रोटोकॉलसी] संग्रह
प्राकृतिकस्त्रुत द्विये जाने हेतु निर्देशित लिखा गया।

जाने निरीक्षण एवं चारिगाहना प्रस्तावक को एकादशर सुनिध लिखा गया।

16. मैरानी श्री दिलीप गुप्ता (भौदारी बौद्ध भाईन,
एम-भौदारी, लालसील-पान्डुपानगर, गिला-बलरामपुर-भागमानुभवण), भागरपुर,
झज्जूरा, गिलासापुर (संचिवालय का नम्रती क्रमांक 1429)

अंगलाईन आवेदन — अपील्ज नम्र — एसडाईए/ गीती/ एमवाईए/
179999 / 2020, दिनांक 22 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्ति तो संचालित को लाभान् (वीय लक्षित) है। यह
लाभान् एम-भौदारी, लालसील-पान्डुपानगर, गिला-बलरामपुर-भागमानुभवण लिखा
लाभान् क्रमांक 1127, गृह नं. १०३५-८ हिंदोपुर में है। उन्हें इसी नदी के लिए
जारी है। लाभान् को आवेदित उत्तरानन बोमा — 71,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

वैतक का विवरण —

(अ) संभिति की उम्मीद वैतक दिनांक 07 / 11 / 2020।

निम्नि इस उत्तरानन की नदी के उत्तरानन कानकारी का परिक्षण लाभा विवार-विकार
उपरात सर्वानुम्भवि श्री निम्नानुसार निर्णय लिखा गया—

- प्रस्तावित लाभान् को लाभाई एवं चौदाई लाभा नदी के पाट की गीताई की
जानकारी प्रस्तुत की गया।
- ऐसे उत्तरानन एवं प्रस्तावित लाभाई एवं प्रस्तावित लाभान् के अंगरेजी लाभा
उत्तराननस्त्रीन में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गूँड 25 मीटर का विक
कानकारी बहनानन में रेत लालह के लेवल्स (Levels) लोकल विक में इवाईना का
प्रस्तुत किया गया। इनके अंतिरिक्ष छन्न लैंप के लालह / नदी लाट (लोनी
आर) का 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी लालह के लालह (Leveles) का भी लाव
किया गया। लालह लेवल्स (Levels) निम्न लाम से ऊपर २ टेम्परेशन एवं नदी
(Concreted TBM structure) निर्मित किये गये हैं; टेम्परेशन बैंक भारी (TBM) में
आरएल को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित कियी जाती हैं। विवर विवर में
टेम्परेशन बैंक भारी (TBM) को भी दर्शायें चाहे लालह विकास के उपरातीक्षण
उपरात सॉटोसालका रखेता जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जायें।
- नदीलाट की लाभान् की गीता भी दूरी न्यूनतम २५ मीटर पर लाभी के पाट की
गीताई जा १० वर्षियां (जो भी अधिक हो) जारी जानी है। यदि इसकी अनुसार
लाभान् के न्यून दूरी में उत्तरानन लिखा जाए तो उसके न हो तो उसकी गणना कर
नहीं जा सकती क्योंकि इसका उत्तरानन नाहिंनिर प्राप्त है अनियार्थ का हो जाएगा
जारी। लाभान् की लाभान् दूरी एवं प्रतिवर्षित दूरी को भीके पर लाभित लिखा हो
सीधाकार करायें, प्रस्ताव पर द्राप्ता किया जाए।
- प्रस्तावित लाभान् की लिकाटहन नुल, लाट, एनीकट एवं जल आवृति स्तरों की दूरी
जानकारी प्रस्तुत की गया। नुल /एनीकट की दूरी लाभान् की अंगरेजी में
न्यूनतम ३०० मीटर तथा लाभाननस्त्रीन में न्यूनतम २५० मीटर लाभा जाना आवश्यक
है। यदि लालह लाभ लाभाननस्त्रीन दूरी के अंदर लिखा हो, तो लाभीकार लाभान-



- पर खनन हेतु अधिकारी होते ही आवश्यकतानुसार नम्बर पर लिखित गांव उपर का सौंपे पर सीमांकन तथा सार्वजनिक प्रसाद में इस गांव के छहलोड लिखा जाए।
५. ऐसा उत्थानन हेतु प्रवालीत सबल पर जीमान में उपलब्ध होने वाले जीमानों के लिए प्रति हेक्टेकर में कम ही कम एक गड्ढा (घम) छोड़कर उपर की प्रसादिक गहराई का मापन कर, उपरिकृत लिखान के प्रवालीत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ऐसे जीमानों का गहराई हेतु वर्णनमा भी प्रस्तुत लिखा जाए।
 ६. यदि यूं में आवेदित सबल पर खनन हेतु रास्ते सहर एवं बस्ती समाजाता निवासियों प्राविकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अध्या जिला स्थानीय गवाहकों समाजाता निवासियों प्राविकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता दी गई हो, तो यूं में जारी पर्यावरणीय स्थीरता की प्रति एक अधिकारीपत्र जारी के बाले में तो न्यू जारीकरी भी जानकारी पोटीगामा सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रदानेपत्र की आधारमें लिखित जीमानों पोटीगामा जारीकरी प्रस्तुत की जाए।
 ७. लिखा गया जीमान के लिए यह उत्थानन की जानकारी जारी की जानकारी लानिया प्रवालीत जीमान के प्रस्तुत की जाए।
 ८. श्रीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत जानकारी यूं प्रिवेट के साथ प्रस्तुत किया जाए।
 ९. जानि निरीक्षक एवं परिवोजना प्रवालीका की जायाम में ऐसे के लिएकर (Leveles) तेजे जारी सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगमकी गांव की आपोजित केन्द्रीकृती जागीराता समाज सुदृगत जानकारी / यज्ञादेव (आधारभूत पोटीगामा) जारीकरी प्रस्तुतीपत्रण दिये जाने हेतु लिखित लिखा जाए।

जानि निरीक्षक एवं परिवोजना प्रवालीका की उदानुसार यूंचित लिखा जाए।

१५. गीरावी सामाजीकौशल गाईन्स एण्ड जिनरल्स (अकलतारा जीलीभाईट रोड गाईन), गांव व तहसील—अकलतारा, जिला—जामगीर—बांधा (शाखिवालग का नम्बर छठांक १४३०)

ओमजलाई जावेदन — प्रदीपत नम्बर — एसआईए / सौंपी / एमआईए / १८०२११ / २०२०, दिनांक २२ / १० / २०२०।

प्रवालीका का लिखरण — वह ज्ञानाधित डोलीमाईट पाल्म (गीर जामगीर) जायाम है। जायाम गांव व तहसील—अकलतारा, जिला—जामगीर—बांधा जिला बांधा प्रभाग ७८३ / २, नूज बोर्डफला-१ हेक्टेकर में प्रवालीत है। जायाम की आपोजित जागीराता गांवां—१५.५३२.५ टम प्रतिघर है।

वैतक का लिखरण —

(१) जानियो गीरी ३४६की वैतक दिनांक ०७ / ११ / २०२०:

जानियो द्वारा प्रवालीका की जायाम एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण जाया जिमार जिमार उपरांत जारीकरीते भी जिमानुसार निर्णय लिया गया—

१. यदि यूं में आवेदित सबल पर खनन हेतु रास्ते जारी पर्यावरण समाजाता निवासियों प्राविकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अध्या जिला स्थानीय गवाहकों समाजाता निवासियों प्राविकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता की गई हो, तो यूं में जारी पर्यावरणीय स्थीरता की प्रति एक अधिकारीपत्र जारी की जाए।

१४

- में जो गई कार्यकारी की प्राचलिका कोटीपापड़ा सहित प्रस्तुत की गई। लाभ की पुष्टिपापड़ा की अदर्शता विभिन्न की जानकारी कोटीपापड़ा सहित प्रस्तुत की गई।
२. एवं यहाँ पूर्व से सामाजिक ही दिग्गज यही में विषय गए सम्बन्ध की सारांशिक स्थान की जानकारी विभिन्न विभाग से प्रमाणित करा जए प्रस्तुत की गई।
 ३. नीति इन्स्टिट्यूट (Corporate Environmental Responsibility) द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत एवं विवरण के लाभ प्रस्तुत किया गया।
 ४. परियोजना प्रस्तावक की प्रत्येक समाज पर्यावरणीय / इस्तोरिक (आधार कोटीपापड़ा) के लाभ आगामी माह की कार्योत्तित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु विवेचित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को सदानुसार सुनिश्चित किया गया।

१७. वैभव की वैभव राजूजा (वी-१ गोस्ती रोपह नाईन, राम-बौद्धी, रामगढ़ी-साया, विला-जालगांव-चापा), आरटीएच फ्लॉर, दीर्घवानिया रिजेंसी, विला-सायपुर (तापियालग का नामी क्रमांक १३०७)

वैभवराईन आवेदन — परियोजना गवार — परामार्थिप/ वीडी/ एफमार्थिप/ १५४३५४ / २०२० दिनांक २८/०९/२०२०। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वैभवराईन आवेदन से जारी होने से ज्ञापन दिनांक ०९/१०/२०२० द्वारा जानकारी प्रस्तुत जाने हेतु विवेचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारीत प्रस्तावक दिनांक २२/१०/२०२० को वैभवराईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्तावक का विवरण — यह प्रस्तावित रेट-खदान (गैंग लाइज) है। यह वाहन पान—बौद्धी, रामगढ़ी-साया, विला-जालगांव-चापा विधि स्थान सम्मत । खुल दोजपाल-५ हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्तरांगन हारावेल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवृत्ति वर्क्षनन क्रमांक — १००,००० मीट्रीट्रिक घटियर है।

बैठक का विवरण —

- (अ) रामिति नं ३४६०३ बैठक दिनांक ०७/११/२०२०:

रामिति ३४६०३ द्वारा की जारी एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विभाग विभागीय सम्मिलित संवेदनसम्मिलित से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

१. प्रस्तावित खदान की जारी हेतु जारी होनी के बाट की जीर्णी की जानकारी प्रस्तुत की गयी।
२. नेतृ उत्तरांगन हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के अपलूप्ति सम्भाल लेवल्स में १०० मीट्रिक वीट दूरी तक, २५ मीट्रिक गुण्डे २५ मीट्रिक वीट दूरी तक, जीर्णीमें से ऐसा जाहू जो लेवल्स (Levells) लेवलर ग्रिड में उत्तरांगित जाए प्रस्तुत किये गये। द्वारा की अतिरिक्त खदान छीप की बाहर / नदी दृष्टि (दोनों ओर) से १०० मीट्रिक तक के दोनों नदी जाहू के उत्तरी (Levels) का भी जारी किया गये। उत्तरी लेवल्स (Levels) हेतु यान से जाने २ एम्परेस देश सर्की (Concreted TBM structure) विवरित किये जाते। टेम्परेस देश सर्की (TBM) में जाने एवं को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अविवादित किये जाते। बिंदु यान में टेम्परेस देश सर्की (TBM) को भी बाहीकर उन्हें उत्तरांगन की प्रस्तावित जानकारी/इस्तोरिक प्रस्तुत किये जाते।

- मीडियट ने व्यवास की जीवन की दृष्टि व्यूनाम 7.5 मीटर या नहीं के बारे में जीवाई वा 10 मीट्रिक्स (जो नी अलैस हो) लिखी जानी है। यदि इसको अनुसार व्यवास के लकड़ी सेव में उत्पादन किया जाना संभव न हो तो हमली व्यवास नहीं यह दर्शाकर इसका उत्पादक व्यूनिंग प्लान में अनिवार्य क्षय की घोषणा करें। व्यवास की जीवन की दृष्टि प्रतिविधि की ओर यह अनियंत्रित कियाग दीभावन लाना चाहिए। यह अनियंत्रित कियाग दीभावन अनुसार यह घोषणा किया जाए।
 - अन्यत्रिवित व्यवास की निकटतम पुल, बांध, एनीमट एवं जल आपूर्ति संसाध की दृष्टि व्यवास जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दृष्टि व्यवास के अपनीम में व्यूनाम 500 मीटर तथा आपनस्त्रीम में व्यूनाम 250 मीटर तक जाना आवश्यक है। यदि जीव द्वेष उपरोक्तस्त्रीम दूरी के बाहर किया जाए, तो उपरोक्त आवास तथा उत्पाद इन्हुं प्रतिविधि की आवश्यकतामुख्य भवतो यह कियाग दीभावन की घोषणा की यह जीभावन जाना चाहिंग प्लान में दूसरा जावा उत्पाद किया जाए।
 - एवं उत्पादन हेतु प्रतिविधि व्यवास पर यान्त्रिक में उपलब्ध रेत की मात्राई जानने के लिए, प्रति हेटटियर में तम से तम एक गढ़दा (Pa) कोलोना उत्पादक व्यवासियों द्वारा गढ़दा गढ़न कर, अनियंत्रित कियाग से प्रस्तुत जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की व्यवासियों गढ़दा हेतु प्रस्तुत किया जाए।
 - यदि धूप में अन्येधित व्यवास पर यान्त्रिक हेतु जलम सावधान व्यवासियों समाप्ति अधिकार (एकड़ आई ए ए), छल्लीसाथू अध्ययन विद्युत व्यवास व्यवासियों समाप्ति विधियां प्रतिविधि कर (टी.ई.आई.ए.ए.), छल्लीसाथू द्वारा प्रतिविधि व्यवासियों दी गई हो, तो धूप में यानी व्यवासियों व्यवासियों की इच्छा एवं अन्येधित व्यवासियों की यानी में यान्त्रिक गढ़दा कार्यकारी की उत्पादकारी पौटीद्वारा उत्पाद उत्पाद की जाए। साथ की व्यवासियों की अपतन विधि जी जानकारी पौटीद्वारा उत्पाद उत्पाद की जाए।
 - विशेष यथा में लिये गए उत्पादन की व्यवासियों याजा की आनन्दानी अधिकार कियाग से प्रस्तुत की जाए।
 - सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत कियाग की साथ उत्पाद उत्पाद की जाए।
 - सभि विदेशक एवं परियोजना प्रस्तावक की जादा ने रेत की लियाल (Levels) लिये जाने व्यवासियों (Surveynor) के जाव अपनी भाव नी व्यवासियों द्वारा उपरोक्त समझ सुरागत जानकारी / व्यवासियों (आवश्यक व्यवासियों) उत्पाद प्रस्तुतीयां दिये गाए हेतु विदेशक किया जाए।

सभि विदेशक एवं परियोजना प्रस्तावक को जावामुख्य चुनित किया जाए।

मेसरों की योगीश जाकलिया लाईग स्टोन कवारी, चाम-हुमरवीकला, तांसील य फिला-जाजनारगांव (संगिमालय का भवती क्षयिक 1371)

आनन्दाईय जावेदन — प्रधानमन्त्री — रामवाईए / गोपी / एमवाईए / 104307 / 2020, दिनांक 25 / 03 / 2020। परियोजना प्रस्तावक इसका प्रस्तुत औनलाईन आवेदन में यानियों होने से जावन दिनांक 29 / 08 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु विदेशक किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा व्यवासियों जानकारी दिनांक 22 / 10 / 2020 को औनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह यह की सम्बलित युवा यावर (प्रति यानिय) जावन है। यहांत यावा-जावरवीकला, तांसील य फिला-जाजनारगांव जिया यह की अन्य यावां

प्रत्याव का विवरण — यह गुंडी की समस्तित गुल प्रब्लै (वीणा वानिक) खदान है। खदान एवं उनकरणीयतात वासीनु ए जिला—हाजारामाब विधान पाँड अधिकारी गुलाम

क्रमांक 108, कूल लैन कलान-2729 फ्लट्टर में है। आवान की आवृद्धि उत्तम समय-8250 दूर प्रविष्ट है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 34वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रबन्धन की नवीनी एवं उत्तम जानकारी का वर्णण तथा विचार विषय सम्बन्धी सर्वसम्मिति से गिर्भानुसार विचार किया गया—

- प्रभुता 500 मीटर के दूरमाल यह से यह अधिक नहीं हो सका है कि जूला राधानी से 500 मीटर के भीतर जान्य शक्ति है अथवा नहीं? इन्हाँईए सेटिपिंग्स्ट्राइप, 2006 (एवा सेटिपिंग्स) में वरिष्ठाधित पलट्टर अनुसार “कोई कलरेटर इस समय इसका जाएगा, तब एक लैंप के परिसरों के बीच दूरी जान नहीं” जिसका क्षेत्र में अन्य कलरेटर के परिसर से 500 मीटर से ज्यादा है। अपार्टमेंट कलरेटर के दूरमालियां नियमज्ञ द्वारा ने वित्तानकोम जानकारी के लिए लिए से 500 मीटर के भीतर याने यानी जानकारी की जानकारी के 500 मीटर के भीतर याने यानी अन्य जानी जानकारी की विलस्टर में यादानी को यही तरफ जागिल किया जाए जानी तक 500 मीटर की दूरी में कोई जानकारी नहीं। जागिल किया जाना आविष्य। आउफान्ड्स्ट्राइप इसका यह प्रभुता किया गया।
 - पूर्व में अधिकारी पर्याल ने खानप हैंग राज्य सरकार पर्यावरण समाजांग सेवाओं का प्रतिक्रिया (एसईआईएए), उत्तीर्णगढ़ अधार जिला सरकारी पर्यावरण समस्याओं नियोजन व्यविस्थण (डीईआईएए), उत्तीर्णगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की गई है, तो पूर्व में जानी पर्यावरणीय स्वीकृति की जिति पूर्व अधिकारीपिट जानी के बजाने में जी गई जानकारी की जानकारी कोटोडाप्त नहिं प्रभुता की वाए। जान ही कूपानीपाल की जानकारी जिला सरकारी पोषोपायक संस्थित प्रभुता की जाए।
 - दिग्गज वर्षी ने विन्द सए जलसंगति की यात्राविका जाजी की जानकारी जागिल कियागे से प्रस्तुति कर प्रभुता की जाए।
 - सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हैंग विस्तृत प्रस्ताव यही विकल्प को जान प्रभुता किया जाए।
 - परिवोजना प्रस्तावक को उपनीक समस्त यूर्ज जानकारी / उत्तीर्ण (जलान्वय औटानाव्यव) के जान जानकारी नहीं की जायीजिता केवल में प्रकल्पीकरण डिवे जान हैंग निर्दिशित विषय जाए।
- परिवोजना प्रस्तावक को उदानुसार सूचित किया जाए।
- मैसारी श्री चंदन आनंद शीघ्री (पोर्टरा जोण्ड नाईन, ब्राम-धोरदा, ताहरील-तोपरगांव, जिला-राजनांदगाव), श्रीएन.श्री. शिव कीलोनी, ताहरील व जिला-राजनांदगाव (वरिष्ठवाल्य का नम्बरी क्रमांक 1406)
- अधिकारीइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ शीघ्री/ एसआईए/ 174500 / 2020 दिनांक 26 / 09 / 2020। परिवोजना प्रस्तावक द्वारा प्रभुता अधिकारीइन आवेदन में कमियों होने से इन्हें दिनांक 06 / 10 / 2020 द्वारा प्रदर्शकारी



प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट गिया गया। वरिष्ठोंना प्रस्तुतका द्वारा वाचित उत्तरालयी दिनांक 23 / 10 / 2020 को अवैताल्यैन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पृष्ठ से संबंधित ऐत खदान (गोप्य श्वरित) है। यह खदान एस-पीस्टो, लालसील-झीगरगांव, जिला—साजमानीखाल लिया पाई गोप्य खदान ग्रनाइट 67% युल क्षेत्रफल— 3.5 एकड़ीयर में है। लकड़नम शिकायत नहीं हो गिया जाता है। खदान की अवैताल्यैन उत्तरालय शक्ति— 35,000 घनमीटर प्रतियां है।

वैतक का विवरण —

(अ) अवैति की 346वीं वैतक दिनांक 07 / 11 / 2020

अवैति द्वारा प्रकाश की वस्ती एवं प्रस्तुत जामकारी का परिवार तथा विभार विभार सुप्रतात् जबैकाम्हति से निम्नानुसार विवर्य लिया जाया—

- प्रस्तुत 800 मीटर के खदान वज्र से बहु खदान नहीं हो रहा है कि उपर खदानी की 500 मीटर के भीतर अभ्य खदान है जावा नहीं है। इन्हाँमें जावा अवैतिलयन 2006 (जावा जावालिय) में परिवर्तित छलाटव अमुलार जोड़ी वर्तकर उस उभद विवाह खदानग, जब एक लीज के परिसरी को बीच दूरी तक खदान अवैतिल जोड़ने के दूरी पहाड़ के परिसर हो 600 मीटर हो जाता है। अर्थात् कहान्दर हेतु अपैतिलियस लियरजा लीज में प्रियालयीन खदान को लीज लीज से 600 मीटर के भीतर अन्य खदानों को जाविल करने हुए तभा इस प्रकार कानिल खदानी को अपैति लीज की 500 मीटर के भीतर अन्य जावी खदानों के विवराल में खदानी को बही तक अवैतिल लिया जाए जाती जाता 800 मीटर की दूरी में लीज खदान अवैतिला है ती) जाविल लिया जामा जातिय। अतः अपैतिलयनानुसार प्रमाण पक्ष उपस्तुत लिया जाए।
- प्रस्तावित खदान लीज की जावाँ एवं भीजाँ तथा नदी के पाट की जावाँ की जामकारी प्रस्तुत नहीं जाए।
- ऐ उल्काम हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के अपैतिल एवं अवैतिलार्टील में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर तुका 25 मीटर का विक गमावाद जावाम ने ऐ जावा की लेवल्स (Leveles) लेवल लिये वैष में प्रस्तावित कर प्रस्तुत किये जाएं। इस्यो अतिरिक्त खदान लीज के बाहर / नदी तथा दोनों ओर) से 100 मीटर तक के लेवल में नदी जावा के जावी (Levelets) का भी जावे लिया जाए। एकत लेवल्स (Leveles) हेतु जावे के जावे इ टेम्परेश वैष गुर्का (Cemented TBM structure) लियावित किये जाएं। इम्पररी जावा नामी (TBM) में जावर एवं औ-अवैतिलेट्स (Co-ordinates) अवित किये जाएं। जिन वैष में इम्पररी जावा (TBM) को भी दर्शायें, उन्हें जाविल लियाग जो प्रमाणीकरण करप्राप्त फोटोएप्स्ट लिया जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत लिये जाएं।
- भवीतह जी खदान की दूरी अपैतिल 7.5 मीटर या नहीं के पाट की जावाँ एवं 10 प्रतिलिप (जो यी काढिका हो) लीज जावी हैं। यदि इसके अमुलार खदान यी जुह लोड में उत्तरालय लिया जामा जायेन हो तो उसकी जावान खदान अपैती पर बहानिल। इसका अवैतिल गाँवित खदान के जाविल लीज से जावाया जाए। खदान के खदान लीज एवं प्रतिवर्तित लीज को भीको जावे जाविल लियाग जी जीवामान करानार, जावान एवं प्राप्त लिया जाए।
- प्रस्तावित खदान की लिकालम तुका, जावे, एवीकर एवं खान आनुवां लीज की दूरी जावान जावानी प्रस्तुत नहीं जाए। तुका / एवीकर जी दूरी खदान की अपैतिल में

महाराष्ट्र ३०० नीवर सभा वातिलस्ट्रीम से दूरताम २०० फीट दक्षा जलना आवश्यक है। यदि भीज तो युपरीतानुसार दूरी को अधिक किया जाए, तो उपरोक्त आधार पर जलन द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र को उपरागक्षानुसार नक्से पर विशिष्ट क्षेत्र जलना नीचे पर चीतावन तथा मार्टिनिंग प्लान में दूरी आवश्यक घोषित किया जाए।

6. ऐसे जलन द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र पर कार्यानन में सुपरिवास जेता की भीटाई जाने के लिए, इसे डोक्टरेशन में जल से कम एक ग्रेड़ (Pc) गोटवार जलाली गालिया पहाड़ी का जलन जल, यांगिल लिंगम से प्रतिबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाए। जल की जालाली गहराई द्वारा प्रक्षेत्रों की प्रस्तुत किया जाए।
 7. यदि यह से ज्ञानित क्षेत्र पर जलन द्वारा आवश्यक समाधान नियंत्रण यांगिलया (एसईआरपीए), छत्तीसगढ़ जलाली यांगिलया समाधान लिंगम यांगिलया (टीपीआरपीए), छत्तीसगढ़ दूसरा यांगिलनीय राष्ट्रीयता की नहीं हो, तो यह से जाली यांगिलनीय राष्ट्रीयता की यह एवं ज्ञानितवापित जाली के जलन में जल गहरा कार्यालयी की जानकारी फोटोग्राफ़र लिंगम प्रस्तुत की जाए। जल ही दूसरीया की जालाली जानकारी फोटोग्राफ़र लिंगम प्रस्तुत की जाए।
 8. विनाश जाली ने लिए गए जलन की जालाली जाली जानकारी राजनीति विभाग से प्राप्तिकृत करा कर प्रस्तुत की जाए।
 9. सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) के द्वारा प्रत्येक दूरी वितरण की जाल प्रस्तुत किया जाए।
 10. यहाँ निरीक्षक एवं वरिएटीजना प्रतिबंधक को जालाली में ऐसे के त्रिवलस (Levels) हेतु जाले जाते जातेर (Surveyor) के साथ आगामी जाह की ज्ञानितवापित दृष्टि में उपरोक्त भावकृत जूलागत जलनकारी / इन्जिनियर (जलाली फोटोग्राफ़र) लिंगम प्रस्तुतीयान्न दिले जाने द्वारा नियंत्रित किया जाए।
- लाली निरीक्षक एवं वरिएटीजना प्रतिबंधक को जालागुराब नहींकिया जाए।

20. मेरार्थ दिलीप लिंगमकौन लिंगिटेक (कोनकोना और्हिंगरी रटोन ट्रॉफी परमिट वर्करी (०३)), राम-कोनकोना, राहसील-पोडी लपरोहा, जिला-कोरबा (जालीय जम नक्सी जमाक १४३)

ओनलाइन आवेदन — प्रधानमन्त्री — एसआईए / नीजी / एनआईएन / १७९९९६ / २०२०, दिनांक २३ / १० / २०२०।

प्रत्याय जम विवरण — यह प्रतिबंधित समाधान प्रावधार (गोपनीय लिंगम) जालान है। जालान जाम-कोनकोना, राहसील-पोडी लपरोहा, जिला-कोरबा लिंगम जालान जमाक ०१, युज़ल लीकाफ़ल—१ लिंगम में प्रतिबंधित है। जालान की आवेदित प्रत्याय जमाना — ३.१५.४८६.२७ टा. प्रतिवर्ष है।

कालीलय परियोजना निर्देशान जालाली जालीय जालामान जालीकरन, यकात्तु, लोखा को यह जमाक २१०११ / २ / २०२०-पी.आर.ए. जोखा / वॉल-१ / २३४ दिनांक ३१ / १० / २०२० दूसरा जाला परियोजना की अंतर्गत प्रधारापाली करापाली तोहरे से नियांत्रित विलीय लिंगिटेक के यांगिलनीय राष्ट्रीयता जाला आवेदन एवं जालालीकरन की जालार पर जिलाव किये जाने हेतु अनुचेतन किया जाए।

पैकड़ा जा विवरण —



(अ) सामिति की 345वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत प्राप्तियाँ/पत्र का परीक्षण एवं अप्रीवीकरण कर दियार विषयी प्रबन्ध संबंधित सोचिता से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण सोचित एवं राज्य के विकास से संबंधित है। अतः उपरोक्त अनुसेध की भावना सही हुये प्रकार के परियोजना में परियोजना प्रस्तावक की समर्पण पूर्ण जानकारी / वकालीन (विद्यालय फोटोग्राफर) के साथ आगामी अनुसेधान बैठक दिनांक 11 / 11 / 2020 में प्रस्तुतिकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लापनुजार रूपित किया जाए।

21. गैरका दिलीप विल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना औडिनरी रटोन टेलररी परमिट कर्त्तवी (02)), पान-कोनकोना, राहगील-पोदी चपरोडा, जिला-कोरका (समिक्षालय का नस्ती क्रमांक 1432)

गैरका दिलीप विल्डकॉन लिमिटेड - प्राप्तियाँ वम्बर - एसआईए / सीजी / इम्प्रोजेक्शन / 180039 / 2020 दिनांक 23 / 10 / 2020।

प्रकरण का विवरण - यह प्रस्तावित प्राप्तियाँ प्राप्ति (पीछे लिखा) ज्ञापन है। यद्यापि यान-कोनकोना, राहगील-पोदी चपरोडा, जिला-कोरका जिला समर्पण करने के लिए एप्रिल-जून दौरान में प्रस्तावित है। यद्यापि यान की आवेदित प्रस्तावना रामांक - 232,078.07 टन प्रतिवर्षी है।

यान की यान परियोजना विवेदिका, आवेदीय वाटोर लाइसेन्स छापिकरण, बजाई, कोरका की एवं क्रमांक 21011 / 2 / 2030-वीजाई-पु. योगेश/वीज-1 / 234 दिनांक 01 / 10 / 2020 द्वारा यान परियोजना की अंतिम प्राप्तहोमार्ती करायीजा दोष से नेतारी दिलीप विल्डकॉन लिमिटेड के पर्याप्तवर्णीय उद्दीक्षित पालन आवेदन पर प्रस्तुतीकरण की आवाज एवं दियार किये जाने हेतु अनुसेध किया गया है।

बैठक नहीं विवरण -

(अ) सामिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी/पत्र का परीक्षण एवं अप्रीवीकरण कर दियार विषयी उपसंहित सोचित से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण सोचित एवं राज्य के विकास से संबंधित है। अतः उपरोक्त अनुसेध की वापि यानी सुधे उपरोक्त के परियोजना प्रस्तावक की समर्पण पूर्ण जानकारी / वकालीन (विद्यालय फोटोग्राफर) के साथ आगामी अनुसेधान बैठक दिनांक 11 / 11 / 2020 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को लापनुजार रूपित किया जाए।

22. गैरका दिलीप विल्डकॉन लिमिटेड (कोनकोना औडिनरी रटोन टेलररी परमिट कर्त्तवी (01)), पान-कोनकोना, राहगील-पोदी चपरोडा, जिला-कोरका (समिक्षालय का नस्ती क्रमांक 1433)

गैरका दिलीप विल्डकॉन लिमिटेड - प्राप्तियाँ वम्बर - एसआईए / सीजी / इम्प्रोजेक्शन / 180069 / 2020 दिनांक 23 / 10 / 2020।

प्रकरण का विवरण - यह प्रस्तावित प्राप्तियाँ प्राप्ति (पीछे लिखा) ज्ञापन है। यद्यापि यान-कोनकोना, राहगील-पोदी चपरोडा, जिला-कोरका जिला समर्पण क्रमांक

१/१ बुजु बंडलगत-१ हेतुवार में प्रस्तावित है। यहां की आवश्यिता जारीगत धनमा-
1,15,476.71 टके प्रतिलिपि है।

प्रतिलिपि नियोजना नियोजन, भारतीय राष्ट्रीय राजसभा में प्रसिद्धावाण् या वार्ड् कोरप्स
के एक अध्याक 21011/३/2020-वीआईए ओरका/बौल-१/234 दिनांक
३१/१०/२०२० प्राच साला नवला नियोजना के आगे परस्तावकी बटापोरा शंख में
प्रस्तावी दिलीप विलालीन लिमिटेड के परिवारीय रवीचूलि याकू आवेदन पर
प्राप्तिकरण के अन्तर पर विवाह किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

बैठक का नियरण —

(अ) समिति की ३५वीं बैठक दिनांक ०७/११/२०२०:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी/पत्र का परीक्षण एवं अवलोकन
पर, विचार विभाग समर्पित सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण
लोकप्रिय एवं राज्य के विकास की संबंधित है। अतः अवलोकन अनुसूची को सन्दर्भ
में उक्त विभाग में परिवारीय प्रस्तावक को जनकता पूर्ण प्राप्तकारी / दस्तावेज
(जारीगत खोटाप्राप्ति) के राज्य आगामी आयोगित बैठक दिनांक ११/११/२०२० में
प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

परिवीर्जना प्रस्तावक की जारीगत सूचित किया जाए।

२५. येरासी दिलीप विलालीन लिमिटेड (कोनकोना ज़ाहिनरी बटोय टैम्पररी अवगिट
कर्त्तवी (०४)), राज्य-कोनकोना, घडसील-पीढ़ी उपसीला, विला-कोरका
(समिक्षालय का नम्बरी ज्ञानांक १४३४)

येरासी दिलीप आवेदन — जारीगत रूप्ता — एस्ट्राइप / शीर्षी / रामानाथपुर /
५७८३१ / २०२०, दिनांक २३/१०/२०२०।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तुति जारीगत रूप्ता (राज्य समिति) द्वारा है।
जारीगत राज्य-कोनकोना, राहसील-पीढ़ी उपसीला विला-कोरका ज्ञानांक
१/१ बुजु बंडलगत-१ हेतुवार में प्रस्तावित है। यहां की आवश्यिता जारीगत धनमा-
1,80,372.85 टके प्रतिलिपि है।

प्रतिलिपि नियोजना नियोजन, भारतीय राष्ट्रीय राजसभा में प्रसिद्धावाण् या वार्ड् कोरप्स
के एक अध्याक 21011/३/2020-वीआईए ओरका/बौल-१/234 दिनांक
३१/१०/२०२० प्राच साला नवला नियोजना के आगे परस्तावकी बटापोरा शंख में
प्रस्तावी दिलीप विलालीन लिमिटेड के परिवारीय रवीचूलि याकू आवेदन पर
प्राप्तिकरण के अन्तर पर विवाह किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

बैठक का नियरण —

(अ) समिति की ३५वीं बैठक दिनांक ०७/११/२०२०:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी/पत्र का परीक्षण एवं अवलोकन
पर, विचार विभाग समर्पित सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह प्रकरण
लोकप्रिय एवं राज्य के विकास की संबंधित है। अतः उपसीला अनुसूची को सन्दर्भ
में उक्त विभाग में प्रस्तावक को जनकता पूर्ण ज्ञानकारी / दस्तावेज
(जारीगत खोटाप्राप्ति) के राज्य आगामी आयोगित बैठक दिनांक ११/११/२०२० में
प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

परिवीर्जना प्रस्तावक की जारीगत सूचित किया जाए।

24. मैत्री डिलीप विल्हेमीन लिमिटेड (बोनकोना और्जिनली कटीन टेप्सरी परमिट कर्तीरी (06)), याम-छोनकोना, तहसील-पीढ़ी उपरोक्त, जिला-कोरका (संचिवालय का नम्रती क्रमांक 1435)
- ऑनलाइन आवेदन - प्रोत्तर नम्र - एसआईए / सीजी / एसआईए / 180386 / 2220, दिनांक 23 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रसाधित जाकड़ाग पत्रक (प्रीम रिपोर्ट) जापान है। जाकड़ाग याम-छोनकोना, तहसील-पीढ़ी उपरोक्त, जिला-कोरका जिले सुन्दर क्रमांक ७/१, कुल बोर्डरल-०८७२ हॉटेलर में प्रसाधित है। जाकड़ाग की आवेदित जाकड़ाग क्रमांक - १७३५४१.१ टन प्रतिलिपि है।

जाकड़ाग चरियोजना लिंदेशक बासिन्दी गोद्दीय जाकड़ाग चालिकरण प्रकारी, कोरका क्र. १०४ क्रमांक २१०११/२/२०२०-सीआर्टीपु. कोरका/बीए-१/२३४, दिनांक ३१ / १० / २०२० इतना जाकड़ाग जाकड़ाग के आवंति जाकड़ागाली जाकड़ागत जेड में दिलीप विल्हेमीन लिमिटेड के पार्सेपरनीप सीजीपु जाकड़ाग आवेदन पर प्राप्तनियां जो अधिन पर विवाह लिये जाने हेतु अनुरोध किया जाता है।

वैठक का विवरण -

(अ) समिति की ३४६वीं बैठक दिनांक ०७ / ११ / २०२०:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी/यह का वर्णन एवं आवलोकन कर, विवार जिम्मे प्राप्तवाले सर्वेक्षणात्मक से विनिय लिया जाता है कि जाकड़ाग जाकड़ाग जाकड़ाग एवं राज्य के विवरण से संबंधित है। यह उपरोक्त अनुसूची की नम्रा जाकड़ाग द्वारे प्राप्त के परिमेय में चरियोजना प्रसाधक को समझ दूने जानकारी / वरानीय (जाकड़ाग पोर्टोरोपर्स) के जाकड़ागी आवेदित विषय ०५८८३ / ११ / ११ / २०२० में प्रस्तुतीकरण दियी जाने हेतु लिखित किया जाए।

चरियोजना प्रसाधक को जाकड़ागुसार सुविधा लिया जाए।

25. मैत्री दी.सी. कन्ट्रूक्शन (अजगरकाला और्जिनली कटीन टेप्सरी परमिट कर्तीरी (1)), याम-अजगरकाला, तहसील-पा जिला-कोरका (संचिवालय का नम्रती क्रमांक 1439)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोत्तर नम्र - एसआईए/सीजी/एसआईए/ 180386 / 2220, दिनांक 26 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रसाधित जाकड़ाग पत्रक (प्रीम रिपोर्ट) जापान है। जाकड़ाग याम-अजगरकाला, तहसील-पा जिला-कोरका जिले सुन्दर क्रमांक ३५, कुल बोर्डरल-०८७४ हॉटेलर में प्रसाधित है। जाकड़ाग की आवेदित उल्लेखन जाकड़ाग-४४.१३६० टन प्रतिलिपि है।

वैठक का विवरण -

(अ) समिति की ३४६वीं बैठक दिनांक ०७ / ११ / २०२०:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का पौलम रूपा विवार लिखी संपराया सर्वेक्षणात्मक से जिम्मागुसार निर्णय लिया जाता-

१. यदि यहाँ में आवेदित ज्यात पर खनन हेतु जाकड़ाग जाकड़ाग जिले प्राप्तिकरण (एसईआर्टीएए), उत्तीर्णगढ़ अवाया जिला अंतरीप जाकड़ाग समाप्ति

- नियोजित प्राप्तिकरण (सीईआईए ए), घट्टीकरण का समय व्यवहारीय स्थौलति की तरह हो, तो पूर्ण में जारी घट्टीकरणीय स्थौलति की इति एवं अधिसूचित सारों की वालन में भी गहरे कांपनाली छोटोशापत्र सहित प्रसारण की जाए। साथ की घट्टीकरण की वालन विधि की जानकारी फोटोशाप्ट सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि सादान पूर्ण में संबोधित है, तो विगत वर्षी वे किए गए उत्तराधिक बातों की जानकारी शानिज विभाग से प्राप्तिकरण का काम प्रस्तुत की जाए।
 3. शीर्षीभार (Corporate Environment Responsibility) द्वारा विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण की रूप प्रस्तुत किया जाए।
 4. परियोजना प्रस्तावक को वापरेका समेत पूरी जानकारी / वस्ताविज (अध्यात्म फोटोशाप्ट) के साथ जागारी वाह की आधीरित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु नियोजित विषय जाए।
- नियोजितमा इसावक को उदानुसार वृक्षित किया जाए।

26. गोपनी शीर्षी, कन्ट्रोलर (अग्रगतवाहक ऑडिटरी स्टोन टैम्परी परमिट कार्डी (2)), याम-खायवरवाहक, तात्सील वे जिला-कोर्ट (संविवालन का गवाह दिनांक 1440)

जीनझाईन आवेदन — जपान नम्बर — एनजाईएफ/ शीर्षी/ एमजाईएफ/ 180062 / 2220 दिनांक 26 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित सामाजिक नम्बर (गोप खायिज) जाएगा है। यहांन साम-अग्रगतवाहक, तात्सील वे जिला-कोर्ट दिनांक 33 / 1, 33 / 2 एवं 32, कुल क्रमांक-0.753 हेक्टेकर में प्रस्तावित है। यहां की आधीरित उत्तराधिक अनुसार-25.506.25 टन प्रतिवर्ष है।

वैतक का विवरण —

(अ) वार्षिक की अनुवी वैतक दिनांक 07 / 11 / 2020।

वार्षिक द्वारा प्रकारण ती जारी एवं प्रस्तुत जानकारी का वरीदान एवं विवार विभार उपरांत वार्षिकमध्ये से निभानुसार विषय लिया जाए—

1. यदि पूर्व में आधीरित स्थान पर दुनिम हेतु दानव लाल स्थानवालन जागाकात नियोजित प्राप्तिकरण (एनजीआईए ए), घट्टीकरण अवधि जिला जालीय पर्यावरण समाजात विधिवालन घट्टीकरण (सीईआईएए), घट्टीकरण अवधि पर्यावरणीय स्थौलति की मई हो, तो पूर्व में जारी घट्टीकरणीय स्थौलति की इति एवं अधिसूचित जारी वे वालन में यही नहीं जागायाहो की जानकारी फोटोशाप्ट सहित प्रस्तुत की जाए। साथ की घट्टीकरण की वालन विधि की जानकारी फोटोशाप्ट सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि सादान पूर्ण में संबोधित है, तो विगत वर्षी वे किए गए उत्तराधिक बातों की जानकारी शानिज विभाग से प्राप्तिकरण का काम प्रस्तुत की जाए।
3. शीर्षीभार (Corporate Environment Responsibility) द्वारा विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण की रूप प्रस्तुत किया जाए।

- a. परियोजना प्रस्तावक को समर्पित करता होता था। / एकांक [अंदरूनी फोटोग्राफर] के सम्मान में उपर्युक्त शब्द की कार्योनिष्ठ लिख बोक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने और निर्दिष्ट लिखा जाए।
परियोजना प्रस्तावक को उदाहरणार्थ सुनिश्चित लिखा जाए।

27. गेसरी श्री संजय शर्मा (डॉटमा सीएस माईन, याम-डॉटमा, राजसील-जीवीपुर, जिला—जांचगीर-चांचा), नगर वस्त्रायत जिलाभिकृती, जिला—जिलाशाही (जनियालक का नवीनी क्रमांक 1306)

जीनलाईन आवेदन — प्रधानमंत्री — एकांक/ सीओ/ एकांकएन/ 144504 / 2020 दिनांक 26/05/2020। परियोजना प्रस्तावक इस अनुसुन्धान आवेदन में कियी गयी होने वाली विवरण दिनांक 23/06/2020 द्वारा जानवारी प्रस्तुत करते हैं। जिलाभिकृत लिखा गया। वरियोजना प्रस्तावक इस वार्षिक जानकारी दिनांक 28/10/2020 को अनुसुन्धान प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित रेत खाता के लिये लिखा गया है। यह रेत खाता याम-डॉटमा, राजसील-जीवीपुर, जिला—जांचगीर-चांचा क्रमांक 1012 नंबर लोकलस—३ हेफ्टेचर में प्रस्तावित है। प्रत्यक्षम जानवारी के लिया जाना प्रस्तावित है। रेत खाता की जांचित उत्तराधिकारी क्रमांक — 1.00.000 इन्सीट्र. प्रतिलिपि है।

वैठक का विवरण —

(अ) जांचिते की 346वीं वैठक दिनांक 07/11/2020;

जांचिते द्वारा प्रकारण की जांची एवं प्रस्तुत जानवारी का विवर जिनकी पापरात जारीकरणाते से निम्नानुसार निष्पाय लिया गया—

- प्रस्तावित खाता को जांची एवं लीकाई रेत जड़ी के बाट जी जांचकारी प्रस्तुत की गयी।
- इस उत्कर्ष के द्वारा प्रस्तावित रेत प्रस्तावित खाता की जानवारी जानवरस्तीग में 100 ग्रैटर की दूरी तक, 25 ग्रैटर गुण 25 ग्रैटर का लिया जायेगा। यहांस में रेत खाता के लेवल्स (Levels) लेवल डिक्स में उद्दिष्ट कर प्रस्तुत किये जाए। इसके अंतिरिक्ष खाता के बाहर / जड़ी तट (दोनों ओर) से 100 ग्रैटर तक के लेवल ने जड़ी खाता के लेवल (Levels) का जी लिया जाये। रास्ता लेवल्स (Levels) से रेत गम की गम के द्वारा बनाए गए संरचनाएँ (Concreted TBM structures) जिकोरित किये जाए। रेत गम के नाम (TBM) से जारीएत, उत्तर-अंतिरिक्ष (Co-ordinates) अंकित किये जाए। लिया गया में उत्तरी बेत गार्ड (TBM) को भी दर्शाया, जांची जांचित विवरण में उत्तरी बेत गार्ड फोटोग्राफ लाइसेंस जानवारी/इकाई प्रस्तुत किये जाए।
- जड़ी तट के खाता की सीमा जी दूरी अनुसार १० ग्रैटर या जड़ी के बाट जी लीकाई का १० ग्रैटरात (जी भी अधिक हो) जड़ी जानी है। यदि इसके अनुसार खाता की यहां केवल एकलानन लिया जाए तो यह न हो जो उत्तरी सम्बन्ध का नपश्ची पर उत्तरीकर, इसका उत्तरी अनुनिय ज्ञान में अनियन्त्र जब जी कराया जाए। खाता की जानवर की एवं प्रतिबन्धित जड़ी की भीको पर जांचित विवरण की जांचकारी जानवार जानवर एवं प्राणी लिया जाए।

4. प्रस्तावित रूपन में लिपटलम पुरा, बाम, एवं नील एवं जल कानूनी नियम की दृष्टि साथें जानकारी प्रस्तुत जी जाए। पुरा / इनीकट जी दूरी दावान के अधिकारीमें न्यूनतम 500 मीटर तथा गाड़नकूदीमें न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना अपराधक है। यदि जीज तो वह उपरोक्तानुसार दूरी के अधर रिप्पत हो, तो उपरोक्त अधिकारी पर रूपन हेतु इतिहासित दोष को ज्ञायडियातानुसार जगही वह विभिन्न वर उपरोक्त दोषों पर सीमानाम तथा वार्षिक रूपन में हजार रुपलोक दिया जाए।
5. ऐत जात्यनम हेतु प्रस्तावित संघर्ष एवं जानकारी में उपलब्ध ऐत जी भीटाई जाने के लिए, इनीकटेवर ये रूपन में तथा एक गढ़दा (Pw) लोकान्द उत्तमी यातापिक गतिशील वह भाषण जल, अनियंत्रित जानकारी प्रस्तुत की जाए। ऐत जी जात्यनियंत्रित गतिशील हेतु जानकारी भी प्रस्तुत किया जाए।
6. यदि यहाँ में जातापिक रूपन पर रूपन हेतु शान्त तत्त्व परायापण जानकारी विविध प्राप्तिकरण (एसईआईएस), घटातिसागढ़ जानकारी तथारीय प्राप्तिकरण समाप्तता विविध इतिहासित (जीईआईएस), घटातिसागढ़ जात्यन वायावरणीय विविधता की जाई हो, तो यहाँ में जाती परायापिक रूपिकृती जी प्रति एवं अधिसौमित्र जाती की प्राप्तन में यह एवं जातापिकही की जानकारी प्रोटोकॉलस राहित प्रस्तुत की जाए। ताथ यह युक्ताप्रयोग की जात्यनम जिवाति की जानकारी फोटोग्राफस राहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि रूपन यहाँ से संभवित है, तो विषय सभी में विए गए जात्यनम की कानूनिक जात्यन की जानकारी अनियंत्रित विभाग की प्रस्तावित जल वह प्रस्तुत की जाए।
8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव युक्त प्रियदर्श के साथ प्रस्तुत किया जाए।
9. यहाँ विविधक एवं परियोजना प्रस्तावक की जावान में ऐत के लेवल्स (Levels) होने जाने वायें (Surveyor) के साथ आगामी भाव की जायेविता वेटक में उपलब्ध रूपन जूलगत जानकारी / इत्तापिक (अधिकार फोटोग्राफ) जातित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु विवेचित किया जाए।
- यहाँ विवेचित एवं परियोजना प्रस्तावक की जावानुसार रूपित किया जाए।
20. नीचती जी शान्त जाती (दैवीयत जीप्त जाईन, याम-दैवीयत, लक्ष्मी-जीवीपुर, जिला-जावनीर-जापा), नगर परायारा विरागटी, जिला-विलासपुर (संविवालय का नम्बरी छमांक 1309)
- जीभलाईन आवेदन — प्रवीजल नम्बर — एसआईए/ जीवी/ एमआईए/ 140530/ 2020 दिनांक 26/ 05/ 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जीभलाईन अपील ये जानकारी जाने से जापन दिनांक 23/ 06/ 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु विवेचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विवित जानकारी दिनांक 26/ 10/ 2020 की जीभलाईन प्रस्तुत की गई।
- प्रवलोक का विवरण — यह प्रस्तावित ऐत जात्यन (गोप्य अवनियंत्र) है। यह जावान याम—दैवीयत, लक्ष्मी-जीवीपुर, जिला-जावनीर-जापा जिला जासता जानकार 907, कुल होमपट-5 होमटीर में प्रस्तावित है। जात्यन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। जावान की आवेदित उल्लंगन जागता — 1.00.000 यामीटर वर्षिक है।
- वेतन का विवरण —

(iii) रागिनी की 340वीं पैलक दिनांक 07/11/2020:

ਜਾਮੀਨ ਦਾਤਾ ਪ੍ਰਕਲਾਣ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਏਥੇ ਪ੍ਰਕਲਾਣ ਜਾਨਕਾਰੀ ਕਾ ਸੰਚਾਰ ਤਪਾ ਮਿਲਾਰ ਮਿਲਾ
ਦੁਪਦੱਸ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾਨ੍ਤਸਾਰ ਨਿਧਿ ਲਿਆ ਗਿਆ:-

- प्रसारित जनन की सीधाई एवं गोडाई तथा नदी के पाट की गोडाई की जानकारी प्रस्तुत ही जाए।
 - यह डाक्टरगत हेतु प्रसारित जनन एवं प्रसारित जनन की अपर्याप्त तथा डाक्टरगतीम है 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर पुला 25 मीटर का तिक्का बनाकर कठिनाई में इस जनन की स्तरज्ञता (Levels) लेनार डिव में प्रस्तुत एवं प्रस्तुत जिसे जाए। इसकी अतिरिक्त जनन गोड़ की गोड़ / नदी वट (इन्हें जाए) तो 100 मीटर तक के सीधे नदी गोड़ की स्तरज्ञता (Levels) जो भी जाए दिया जाए। जनन स्तरज्ञता (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पलट वर्ष मार्ग (Concreted TBM structure) निर्दिष्ट किये जाए। इन्हें वर्ष गोड़ (TBM) में जाए एवं यो-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाए। डिव जो एंट्रेपर्टी वर्ष गोड़ (TBM) को भी दर्शाता है उन्हें उन्नित जिम्मा है प्रसारित जनन उपर्यात फोटोग्राफ्या सहित जानकारी / दर्शावेत प्रस्तुत किये जाए।
 - जीवीकट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 75 मीटर या नदी के पाट की गोडाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार जनन की दूरी सीधे में चलनामन जिम्मा जाना उभयन न हो तो उसकी स्थानता गोर, नहीं पर जाहीर, इसका उल्लेख नाहुमिय वर्णन में अनिवार्य रूप से लिया जाए। खदान की जनन दूरी एवं प्रतिशत दूरी को मौके पर जानित जिम्मा से जीवीकट जननका, प्रशासन एवं प्राप्ति किया जाए।
 - प्रसारित जनन से निकटतम गुरु, बाब, एनीकट एवं वर्ष आगुर्त रक्षण की दूरी जानकारी प्रस्तुत ही जाए। युल / एनीकट की दूरी खदान की अपर्याप्त में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाक्टरगतीम से न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज दूरी उपर्यातानुसार दूरी के अन्तर जितन हो तो उसकी जानित जनन पर जनन हेतु प्रतिशत दूरी को आवश्यकतानुसार नक्सा पर लिनेवेत यह उपर्यात गोड़ पर इन्हेकम जनन नाहुमिय फैलन में इस गोड़ न्यूनता किया जाए।
 - यह उपर्यातन दैतु प्रसारित जनल पर वर्गीकरण में उपर्यात ऐसे भी गोडाई जानने की जिए यदि हिउटेंचर में कम से कम एक गोड़वा (एक) चाँदीकरण उपर्यात जानकारी नाहुमाई का नापन मान, उन्नित जिम्मा से प्रसारित जानकारी प्रस्तुत जीवीकट की जनन दूरी की वास्तविक गोडाई हेतु उपर्यातन की प्रस्तुत जिम्मा जाए।
 - यदि दूरी में आवेदित जनल पर जनन हेतु वाप्त वर्तन प्राप्तिकरण जानामात्र जिम्मेवाला इन्हिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) उपर्यातन उपर्यात जिम्मा न्यूनता वाप्तिकरण नियारण प्राप्तिकरण (टी.ई.आई.ए.ए.), उपर्यातनदृष्ट द्वारा वर्धितवालीक रखीकरण की गई हो, तो दूरी में जारी वाप्तिकरणीय स्तरानुसि की जूते एवं आविरोधित जारी की जानन में जीवी गोड़ काँपावली की जानकारी फोटोग्राफ्या सहेज प्रस्तुत की जाए। जाप्त भी वाप्तीकरण की अल्लन जिम्मति भी जानकारी फोटोग्राफ्या कीर्तित प्रस्तुत यो जाए।
 - यदि जनन दूरी से बाहरित है तो जिम्मा की में जिए एवं जननमन की जानकारी जाना भी जानकारी जनन से जनन जिम्मा से प्रसारित करना वर्ष प्रस्तुत यो जाए।

26

८. गोपनीयता (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रसारण पूर्ण विवरण की साथ प्रस्तुत किया जाए।
९. अनि निरीक्षक एवं परिदीक्षित प्रस्तावक की खदान ने ऐसे की लेवल्स (Levels) से ने तात्परी करना चाहिए (Surveyor) के साथ अगमी भूज की आगोशित बेटक में उपरोक्ता जमीन गुणवत्ता जानकारी / दस्तावेज (आधिकारिक फोटोग्राफी) अहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निरीक्षित किया जाए।
- अनि निरीक्षक एवं परिदीक्षित प्रस्तावक को जाकर्नुपर्याय शुभित किया जाए।

२१. मैत्री की राम प्रकाश जानकारील (वनही-१ सेष्टा माईन राम-कर्ती, लहसील-जौलीपुर, जिला-जाहानार-धारा), भवानी नगर, रिमगिरीटी, जिला-बिलासपुर (संक्षिप्तात्मक का नस्ती क्रमांक १३१०) औन्प्राइवेट आवेदन - बांगल बाल - एमडीए/ नीली/ एमडीए/ १४२६३८/२०२०, दिनांक २८/०८/२०२०। परिदीक्षित प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत औन्प्राइवेट आवेदन की कागियी छापे की खदान दिनांक २३/०८/२०२० द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निरीक्षित किया जाए। परिदीक्षित प्रस्तावक द्वारा याहुस जानकारी दिनांक २८/१०/२०२० की औन्प्राइवेट प्रस्तुत की गई।

प्रस्तावक का विवरण - एह प्रस्तावित रेत खदान (तीव्र स्थिति) है। यह खदान राम-कर्ती लहसील-जौलीपुर, जिला-जाहानार-धारा शुद्धित जास्ती क्रमांक १७२६, द्वारा लोकपाल-५ द्वारा दिया गया है। प्रस्तावक मूलानदी की किया जाना प्रस्तावित है। खदान जी आवेदित जलदानन कमता - १,००,००० लस्टोटर घटिगर्व है।

दैवत का विवरण -

(अ) साविति की ३५०वीं दैवत का दिनांक ०७/११/२०२०

सामिति द्वारा दैवत की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परेक्षण तथा विवार विभावी कारणीत वार्ता सम्बन्धित हो निम्नानुसार निर्णय किया गया-

१. प्रस्तावित खदान दैवत की लेवल्स एवं गोपनीयता की बाट की गोपनीयता की जाए।
२. ऐसा यान्त्रिक द्वारा प्रस्तावित खदान के अपर्द्वारा तथा द्वारा गोपनीयता से १०० मीटर की दूरी तक, २५ मीटर तक शिड बनाकर, दूरीभाव में ऐसे तात्पर तीव्र लेवल्स (Levels) लेफन किड देये ने प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाए। इसके अतिरिक्त खदान जील के बाहर / नदी तट (तीव्री ०५m) से १०० मीटर तक की दूरी में गदी जाना की रहाँ (Levels) का भी जारी किया जाए। उपर लेवल्स (Levels) हेतु तम पी उम २ टैम्पली देव नामी (TEM) में आपर्द्वा, औ-जीर्णिनेटर (Co-ordinates) अविस दिये जाए। किड देये में टैम्पली देव नामी (TEM) को भी दर्शाइए, उन्हों खानिज कियाजान ती उपरानीकरण उपरानी खोटीगाराम सर्वित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
३. नदीतट से खदान की लीना की दृष्टि ब्यूनलय रक मीटर या नदी के बाट की गोपनीयता तक १० अविस (जो भी अधिक हो) सखी जानी है। परिए दूसरी अवूपार खदान की दृष्टि दीज में उपरानी किया जाना जाना त तो ती उपरानी गवान कर नकारी पर दर्शाइए, दूसरा उल्लेख जाहुरिन एवं दृष्टि दीज की जानी जाना

जाए। यद्यपि कुनै दोष एवं उत्तिष्ठित होने वाले अवसरों पर जीवित रियाय से अधिकारकों का विरोध असम्भव था।

- प्रश्नापित अधिकारी ने निकटस्थि पुल, घास, सौनीकट एवं जल आपूर्ति की दृष्टि से यान्त्रिकीय प्रस्तुत की जाए। पुल, एनीजट की दृष्टि व्यवहार की अपस्तुतीमें स्पष्टताम ३०० मीटर लंबा बालनस्ट्रीम में व्यूनाम २५० मीटर लंबा जाना चाहियाहोगा। यदि ऐसा हो एपरेक्षामुख्यार दूसी की ओर खिया हो, तो उनकीवत अधिकारी गंभीर दबाव देने वाले अधिकारी ने इस विविध विवरण को अव्याप्तप्राप्तानुसार बताया था कि निम्नलिखित जनवासी और जानवासी पर सीधाराम जल्दी बाँड़नी चाहिए तथा ये इस वास्तव लक्षण दिया जाए।
 - उस वास्तविक दृष्टि अधिकारी ने यहांनाम में उपलब्ध रेत की गोटाई जानने के लिए भूति हैमटेंसर में कम से कम एक गद्दा (२५) लीकेकर उत्तरी वास्तविक गहराई का नापन कर खनिज विभाग के प्रश्नापित जानकारी प्रस्तुत की जाए। ऐसी गोटाई गहराई से यहांनाम की प्रस्तुत विधा जाए।
 - यदि यहां से आवेदित अधिकारी ने यहां देश वासियों को जलाधारा नियंत्रित प्राप्तिकरण (एनईआईएर) , उत्तरीसागर का जल विभाग विद्युतिप्राप्ति वास्तविक नियंत्रण आविष्करण (टीईआईएर) , उत्तरीसागर द्वारा घटकोदयालीय जीवीकरण की जड़ी तो उस यहां में उत्तरी गार्फालपीय जीवीकरण की जड़ी एवं अधिकारीकी जानी की जावन से यहां जानकारी की जानकारी और यान्त्रिकीय औटोएयाम जाहिर दर्शात जैसे जाए। जावन के युक्ताधीपण की अधिकारी की जानकारी औटोएयाम जाहिर दर्शात की जाए।
 - यदि यहां यहां से संभासित है, तो विभाग को ने किए गए जानकारी को वास्तविक जानकारी जानकारी खनिज विभाग के प्रश्नापित जाना कर प्रस्तुत की जाए।
 - सीईआर (Corporate Environment Responsibility) से यह प्रस्तुत वास्तविक विभाग के साथ प्रस्तुत विधा जाए।
 - यदि नियोजक एवं परियोजना प्रस्तावका को यादान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेक्षक (Surveyor) की जाव जानकारी जाए तो वायोपिया विभाग में प्रपरेक्षा वास्तविक सुविधावाली / इकाईज (अद्यान औटोएयाम) विभाग प्रश्नापितामुख्यार द्विये जावने होते विवेकित विधा जाए।

यहाँ लिखी गई वर्णनों का समाप्त हो जायेगा। सुनिता ने यह जारी

३०. श्रीमां श्री वाम प्रकाश जायवामाल (कली-२ रोप्त गाईन पाम—कर्ती, सहस्रील—जीर्णपुर, खिला—जायवामीर—वापा), गवानी नगर, खिलगिटटी, खिला—खिलासापूर चिकित्सालय का नस्ती दरमान १३।।।

ऑनलाईन आवेदन – प्रशोधन समर्पण – एसआईए/ शीती/ एमआईएन/ 148534/2020, दिनांक 26/05/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत भीमकांडन आवेदन में कागियाँ हुंगे जो लापन दिनांक 25/06/2020 द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए उपलब्ध करेंगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वाहित उपलब्धता दिनांक 26/10/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

पुस्तकालय का विवरण – यह प्रस्तावित रेत संग्रह (स्टैच डिपोजिट) है। यह अन्तर्राष्ट्रीय-वर्ती ग्रन्थालय-डीलीपुर, निला-जलालाबाद-लोधा डिपोजिट संग्रहालय 1728, बूम सेक्युरिटी-के हैंडलर प्रस्तावित है। यह संग्रहन सामान्यीय तो किया एक प्राचीनीय। इसका जीवनकाल 100,000 एनसीटर अवधि है।

१०८ श्री विष्णु —

(अ) समिति की ३४८ की बैठक दिनांक ०१/११/२०२०

समिति ग्राम प्रगतिया वारी जवाबी एवं प्रस्तुत उत्तराधीन का परीक्षण तथा विचार विषयों सम्बन्धी वर्तीवासियों द्वारा निम्नानुसार निष्पत्ति लिया गया—

- प्रस्तावित खण्ड लोड की लकड़ी एवं चीमाई तथा नदी के पाट की गोलाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
 - ऐ सत्रावन्त ऐ उप्रस्तावित खण्ड एवं प्रस्तावित खण्ड के अपार्टमेंट द्वया सत्रावन्तर्मूलमें 100 मीटर की दूरी तथा 25 मीटर बुपा 25 मीटर का छिपे यमास्त, बीमान ने रेत तत्त्व के लेवल्स Leveles लेवल फिल में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाए। इसके उत्तिरिक्षत खण्ड लोड के बाहर / नदी लट (टोमो और) वी 100 मीटर लग के क्षेत्र में नदी जानुप के रेवल्स (Leveles) तथा भी सभी किया जाए। यहा लेवल्स (Leveles) ही एवं फम से कम 2 टैम्पलरी देख मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जाए। टैम्पलरी देख मार्क (TBM) में आरएल-को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अविल दिये जाए। फिल में टैम्पलरी देख मार्क (TBM) को भी टार्किंग बन्हे खण्डित कियाग तो प्रमाणीकरण द्वारा दोषात्मक फॉटोडायोड लहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
 - नदीलट से खण्ड लोड की दूरी व्यवहार 25 मीटर था तबी तर पाट लो गोलाई तथा 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसको अनुसार खण्ड की दूरी लोड में उत्तरावन किया जाना जाना चाहिए तो तो जानकारी जानना चाह लकड़ी पर जानकार इसका उल्लेख नामुमिल प्लान में उन्नियाती कर्य से जानाया जाए। खण्ड के अनन लोड एवं प्रतिशित लोड को भीको पर खण्डित कियाग तो खण्डित कराकर ध्वान भज्ज द्राघा किया जाए।
 - प्रस्तावित खण्ड से लिकाटलम पुल लोड एवं तार आगुनी लोड की दूरी खण्ड जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / लोडिंग की दूरी खण्ड के अपार्टमेंट में व्यवहार 300 मीटर तथा दानावन्तर्मूलमें व्यवहार 250 मीटर रखा जाना जानकार है। यदि लीज लोड लुम्हेज्जानुसार दूरी के बाहर फिल हो तो उसकोका अध्याय पर लेनन है उप्रस्तावित लोड को आवश्यकतानुसार नक्षे पर दिनित कर प्रमाण भीको पर लीग्जिकल लगा गार्डिन खण्ड में उस बाजत उल्लेख किया जाए।
 - ऐ उत्तरावन है उप्रस्तावित खण्ड पर वर्तनान में उपलब्ध रेत की नीटाई जानने के लिए अति उम्हेयर में तरम से तरम दान गढ़ना (Pit) लोडकर तेजकी लालचीक गहराई तथा मायम कर खण्डित कियाग जो प्रमाणित जानकारी जानुप जी जाए। रेत की जानकारी गहराई है उप्रस्तुत किया जाए।
 - यदि दूरी में आवेदित खण्ड पर खण्ड है तु लाल्य लाल्य वर्षावर्ष जानकारा निरीक्षण प्राविकरण (एस ई.आई.ए.ए.), चल्लीसनक अद्यता जिला कलशीय पर्वतशृंखला जानकारा निरीक्षण (टी.ई.आई.ए.ए.) खर्लीसनक द्वारा पार्वतीरणीय लंबीकारी दी गई हो तो तो एवं में जाती यायायलीय नदीकहि की प्रति एवं अधिकारित खण्ड की पाजन में जी एड्ड कारीकारी की जानकारी फॉटोडायोड लहित प्रस्तुत की जाए। लाल्य ही दूसरोंपर की जानकारा फॉटोडायोड लहित प्रस्तुत जी जाए।
 - अति खण्ड दूरी से राखालित है तो फिल एकी में फिल गए एकात्मन जी जानकारीक खण्ड की जानकारी खण्डित कियाग जो इन्विता करने कम प्रस्तुत जी जाए।

- b) शीर्षक (Corporate Environment Responsibility) द्वारा विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
- c) इनि निरीक्षक द्वारा परियोजना प्रस्तावक को खदान में बेत के लिए (Lewin) भेजे गए सैरेवर (Surveyor) के साथ आगामी महीने आयोजित ऐतामें उपरोक्त समस्त सुनांगल जानकारी / उत्तराधेय (उत्तराधेयान्म) संक्षिप्त प्रस्तुतिकारण द्विये जाने हेतु निरीक्षा किया जाए।
 यानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उदानुसार सुनिश्चित किया जाए।

21. नीती वी लोतान विहटकोन पाठ्वेट लिमिटेड (गोदानी खण्डी लाड्यांग कटीन माईन), गोदान-गोदानी खण्डी, लहसील-लिला, जिला-काशीपुर (काशीपालग का नामीक इनाम 1441)

आधिकारिक जारीदार - प्रधानमंत्री नव्वर - एसआईएस / नीती / एसआईएस / 180034 / 2020 दिनांक 27 / 10 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कूल खदान (गोदान घण्डी) जारीन है। जारीन प्राथ-गोदानी खण्डी, लहसील-लिला, जिला-काशीपुर स्थित जारीन इनाम 17 / 10, 17 / 11, 28, 29 / 6, 29 / 7, 29 / 8, 31 / 2 एवं 31 / 3, कूल क्षेत्रफल-4.5 हेक्टेयर का प्रस्तावित है। खदान गोदानी आयोदित उत्तराधेय इनाम-2,00,420.25 हन प्रतिमात्र है।

दैत्यराज वा विवरण -

(अ) समिति की 345वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020

समिति द्वारा प्राप्तनग की नसीही एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार किए जायरात सर्वेशम्भवि रो निम्नानुसार विवरित किया जाए-

1. यदि पूर्व में आयोदित न्यून घर खदान हीतु शाय्य रखते भवितव्यता जागतान निरीक्षण प्राप्तिकरण (एसईसईएस), उत्तीर्णांड अव्यावहारिक उत्तीर्णान निरीक्षण प्राप्तिकरण (शीर्षक) हैं। उत्तीर्णांड द्वारा घर्याकलीय विकासी की नई ही, पूर्व में जारी घर्याकलीय रुदीकृति की प्रति एवं अधिकारिक राई के पास से भी नई कार्रवाई की जानकारी फोटोयापसा राहित प्रस्तुत जी जाए। राई की उत्तराधेय की भवित्वन स्थिति जी जानकारी फोटोयापसा राहित प्रस्तुत जी जाए।
 2. यदि खदान पूर्व से संभवित है, तो विषय दारी में लिए गए उत्तराधेय की आसाधिक भावा की जानकारी खनिज विवाह से उत्तराधेय काम तथा प्रस्तुत जी जाए।
 3. शीर्षक (Corporate Environment Responsibility) द्वारा विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
 4. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त घर्याकलीय / उत्तराधेय उत्तराधेय (शीर्षक) के साथ जागामी भवह की आयोजित ऐतामें प्रस्तुतिकरण द्विये जाने हेतु निरीक्षा किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक को उदानुसार रूपित किया जाए।

32. नेपाली श्री अभियोग गौयल (बिधिमा लाईम रसीन याहान), राम-बिधिमा, तहसील-रामपुर, जिला-कलारामपुर-रामानुजगंगा (संचिवालय का नम्बरी क्रमांक 1447)

ऑफिसलाईन आवेदन — खालील नम्बर — एमआईए / सीजी / एमआईएम / ८७८४२ / २०२०, दिनांक २९ / १० / २०२०।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित चूना पाल्पार (ठिक खानिक) द्वारा है। लाईम राम-बिधिमा, तहसील-रामपुर, जिला-कलारामपुर-रामानुजगंगा जिला खालील क्रमांक ६४५ / १२, ५४, ५३, ३८, ३४, ३५, ४८, ५१ एवं ३२, कुल क्रमांक २,१९६ ठिकाईयर में प्रस्तावित है। द्वारा जी की आवोदित प्रस्तावना क्रमांक—२५९६ एमसीटर प्रतिवार है।

दीर्घकाल का विवरण —

(अ) खानिकी की ३४६वीं बैठक दिनांक ०७ / ११ / २०२०:

खानिकी द्वारा प्रस्ताव को नम्बरी एवं प्रस्ताव जानकारी का विवरण तथा विचार विनाश उपरांत सर्वसम्मति से विभानुसार निर्णय लिया गया—

- यदि पूर्व में आवोदित रूपता पर खाना हेतु दात्य तथा पराइवर रामानुजगंगा विनाशक प्रादिकरण (एसईआईएम), खानिकी विनाशक जानकारी लिया स्थानीय पर्यावरण रामानुजगंगा विनाशक प्रादिकरण (कीड़ी-आईएम), खानिकी विनाशक द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता है। यहाँ ही, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीरता नीं प्रति एवं अधिकारिता जाती ही पाल्पार में की गई कार्यतात्त्वी की जानकारी फोटोग्राफी लिया प्रस्तुत की गयी। ताकि ही खानालेपण की उठावाने की उपलब्धता की जानकारी कोटीघारपाल रामानुजगंगा प्रस्तुत की जाए।
- यदि दात्यान् पूर्व से संगतिता है, तो लिया गया नम्बरी ने लिए गए उल्लंघन की कालांतरिक भावना की जानकारी खानिकी विनाशक से प्रमाणित तथा उन प्रस्तुत की जाए।
- कीड़ीआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विनाश प्रस्ताव पूर्ण विवरण की रूप प्रस्तुत लिया जाए।
- विनाशकना प्रस्तावक को उपरोक्त रामानुजगंगा जानकारी / उदासीना (प्रस्तावना फॉर्मारेशन) की रूप जानकारी गहरी आवोदित बैठक में प्राप्तुरीकरण दिये जाने हेतु विनाशक लिया जाए।

परिवोजना प्रस्तावक की जानुसार सुनिश्चित किया गया।

33. नेपाली श्री रामदा विनाशक (प्री.— श्री आशीष लिकारी, निदिर हसीद लाईम रसीन नवारी), राम-निदिर हसीद, तहसील-आरग, जिला-रामपुर (संचिवालय का नम्बरी क्रमांक ३४१)

ऑफिसलाईन आवेदन — पूर्व में आवोदित नम्बर — एमआईए/ सीजी/ एमआईएम/ ५०८२७ / २०१९, दिनांक ०९ / ०९ / २०१९ द्वारा श्रीओआर हेतु उपेक्षण लिया गया था। वार्तामान में उपेक्षण नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ १८०९९२ / २०२०, दिनांक २९ / १० / २०२० द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता के लिए फाईल ईआईए लियो हेतु आवेदन लिया गया।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित चूना गल्ला (ठिक खानिक) द्वारा है। लाईम राम-निदिर हसीद, तहसील-आरग, जिला-रामपुर जिला खालील नम्बरी ६०६, गुरु

Ch.

क्रमांक = 4 वाले हिन्दौया में प्रस्तावित है। खदान की आवश्यकता उत्तराखण्ड क्षेत्र = 2,96,679 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एसईएसी एवं गोलीतारगढ़ के बापून दिनांक 27/11/2019 हारा प्रकरण ही—। कंटेनरों का गोले के काला भासा भावधार पर्यावरण का जीर्ण भासादामु परिवारीम गोलार्थ, नई दिल्ली हुआ अविव, 2015 में उत्तराखण्ड रेस्टर्ड इसी अंक निकाला (टीजीआर) फोर ई-जाहा-ए / ई-एम-पी लियोर फोर प्रोतोल्डस / एसईडीएल लियोररिक इन्फ्रारेट एवं प्रौद्योगिक अवधार है अहुए नीटिकोशाल 2006 में वर्णित अंकी 1(ए) का अंकार्ड टीजीआर (जाहा भुगायां संस्था) द्वारा गोल भावधार प्रोतोल्डस हीरु जाही लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक हारा प्रस्तावक ई-आइए लियोर दिनांक 28/10/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

वैठक का विवरण —

(अ) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति हारा प्रस्तावक की जहाँ एवं प्रस्तुत क्रमांक / समिति का वरीभत्ता कर याचा गया है। प्रस्तावक ई-आइए प्रस्तुतीकरण हो रहा है। पूर्व में समिति हारा ई-आइए के प्रस्तावों को प्रस्तुतीकरण हीरु बुलाये जाने पर विर्यो लिया गया है। समिति हारा वियाह विभाग उपरांत सर्वेताम्भति तो निर्णय लिया गया। तो परियोजना प्रस्तावक का गमता यूर्धि जानकारी / एवलोकन (अद्यात फोटोयात्रा) को साथ जागायी उत्तराखण्ड बैठक दिनांक 11/11/2020 में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक को हारानुसार सुनित लिया गया।

34. सेवानी श्री गारीष कुमार गोहान (साझीगांव सेवा गांव, गाम-गांगीपार, ताहातील-दग्धोबाडा, जिला-द.ब. दग्धोबाडा), नकुलनार, जिला-द.ब. दग्धोबाडा (संचिकालय का नामी छापांक 1407)

ओगलाईन आवेदन — प्राप्तिगत नम्रता — एसआईए / लोजी / एमजाइफल / 175733 / 2020, दिनांक 26/09/2020। परियोजना प्रस्तावक हारा प्रस्तुत अंगताईन आवेदन में समिति होने के बापून दिनांक 06/10/2020 हारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक हारा वासिय जानकारी दिनांक 28/10/2020 की अंगताईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व में राष्ट्रिया रो खदान (प्रीय वर्गिक) है। यह खदान गाम-गांगीपार, ताहातील-दग्धोबाडा, जिला-द.ब. दग्धोबाडा लिया गया छापांक 424, 429, कुल हेक्टेक्ट-4.49 हेक्टेयर है। उत्तराखण्ड अधिनीती के लिये जाता है। खदान की अधिकारी प्रस्तुत क्षमता = 44,900 परमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 340वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति हारा प्रस्तावक की जहाँ एवं प्रस्तुत जानकारी पर वर्णाण तो वियाह विभाग उपरांत सर्वेताम्भति तो निमनानुसार निर्णय लिया गया—।

- प्रायोजन कलेक्टर (यानिक ग्राहक) द्वारा प्राप्त खदान के 300 मीटर तो पर्याप्त है संग्रह, ग्राहण, अस्थान, बहुत आदि प्रतिक्रिया को भी आपका न करने वाला जानकारी की स्थान/प्रक्रिया परि प्रस्तुत की जाए।
- प्रतिक्रिया खदान को अवृद्धि एवं वृद्धिक तथा नदी के पाठ की वृद्धिकी की आनकारी प्रस्तुत की जाए।
- ऐ उत्कर्षन के प्रतिक्रिया खदान के अपर्टमेंट तथा घरनवासीमें 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर युक्त 25 मीटर का विकास वर्तनाम में ऐ उत्कर्ष के लेवल्स (Levels) जैविक विकास में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसकी अविविकता खदान लीव्स के बाहर / नदी सह (दोनों और) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी खदान के लेवल्स (Levels) तथा भी जारी किया जाए। उक्त लेवल्स (Levels) से जम से जम तक उत्कर्षीय विकास (Grounded TBM structure) प्रतिक्रिया किये जायें। उत्कर्षीय विकास (TBM) में अन्तर्गत, को-ऑडिनेट्स (Co-ordinates) लिनियर लिनो जायें। विकास विषय में उत्कर्षीय विकास (TBM) को भी उत्कर्षकर उभी यानिक विकास से प्रभावीतर उत्कर्षप्रतिक्रिया लाइट जानकारी/उत्कर्षकर प्रस्तुत किये जायें।
- नदीपान से व्यवाय तो सोमा औ दूरी अधूरतम् 7.5 मीटर या नदी की पाठ की वृद्धिक या 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) तकी जायें है। यदि इसके उत्कर्षकर उत्कर्षन के बुध कोर्ट में उत्कर्षन लिया जाना चाहिये तो उक्ती यानकार उत्कर्षन को यानीकर इसका उत्कर्षप्रतिक्रिया खदान में अविविकता तथा भी उत्कर्षन जायें। उत्कर्षन के खदान अब एवं प्रतिक्रिया को नीके पर यानिक लीनाम तो उत्कर्षकर प्रयोग वक्त द्वारा किया जाए।
- प्रतिक्रिया खदान के लिकटारम् युक्त, कोर्ट एनीकट एवं यान अधूरते लीव्स की दूरी जानकारी प्रस्तुत की जायें। युक्त / एनीकट की दूरी खदान के अपर्टमेंट में अधूरतम् 300 मीटर तथा घरनवासीमें नदीराम 250 मीटर रखना जाना आवश्यक है। यदि लीव्स कोर्ट उत्कर्षकर उत्कर्षन को अधिक तारामालानुसार नदी के यक्षित कर, उत्कर्षन भीको पर उत्कर्षकर तथा यानिक खदान में इस बायत उत्कर्षन लिया जाए।
- ऐ उत्कर्षन हेतु प्रतिक्रिया खदान पर उत्कर्षन में उत्कर्षकर या भी योटाहु जानने के लिए यानीकर ने जम से जम एक नदी (P) योटकर उभारी यानिक उत्कर्षक उत्कर्ष का साधन यान यानिक विकास से प्रभावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। उक्त भी यानिक यानकारी हेतु प्रयोग यानीकर प्रस्तुत किया जायें।
- यदि यूपी में आवंटित खदान यक्ष खदान हेतु यान्त्र तंत्र यानवरण जानकारी यानिकरण (एसईआईएपी), उत्कर्षकर अध्याय विकास संसीध प्रयोगरण यानकारा यानिकरण (डीईआईएपी), उत्कर्षकर यान यानिकरणीय उत्कर्षकर दी गई ही तो यूपी में जारी यानिकरणीय उत्कर्षकर भी प्रति एवं उत्कर्षप्रतिक्रिया लीव्स के फलान में उक्त यूपी यानकारी यक्ष यानकारी फोटोयानकर विकास प्रस्तुत की जाए। यान भी यानिकरण भी यानकारन लियाहु की जानकारी फोटोयानकर उत्कर्षप्रतिक्रिया लीव्स की जाए।
- प्रियत यक्षी में लिए गए उत्कर्षन की यानिकरण नाम औ जानकारी यानिक विकास से प्रभावित यान तर प्रस्तुत की जाए।
- सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रयोग यूपी विवरण की यान प्रस्तुत किया जाए।

10. इसी निरीक्षक एवं परिवोत्तमा प्रस्तावक की घटना में रेत के लेवल्स (Levels) और वाले सर्वियर (Surveyor) के साथ उत्तमी जाह की आयोजित केटा ही उपचाला समस्त सुरक्षा जानकारी / प्रस्तावक (प्रश्नापत्र कीटोडायपत्र) तभी प्रस्तुतिकरण किए जाएं हेतु निरीक्षित किया जाए।
अग्रि निरीक्षक एवं परिवोत्तमा प्रस्तावक ने तदानुसार सुनिश्चित किया जाए।

15. मैराती बी ग्रामीणी जाइय रटीना गाइन (प्री— बी जिटी-ए जपनात), ग्राम-जनसुली, गहरील-लिला, जिला-रायपुर (समिक्षालय का नामी फ़ाइल 1446)

बीजिताईन जागौड़न — फ़ोजल नगर — एनआईए / बीजी / एनआईए / ५७५३६ / २०२० दिनांक २० / १० / २०२०।

प्रस्ताव जा दिक्करण — यह प्रस्तावित चुना पालक (ग्रीन एगिज) जाहान है। जाहान ग्राम-जनसुली, गहरील-लिला, जिला-रायपुर किला जासरा फ़ाइल ५४३/५, ५४०/५, ५४३/११ तथा ५४३/१४, कुल ठोकार-२८१३ ग्रामीण में प्रस्तावित है। जाहान की आयोजित उत्तरानन्द कमाता-३८,०१९-टन प्रतिवर्ष है।

वैदेत का विवरण —

(अ) समिति की ३४४वीं बैठक दिनांक ०७ / ११ / २०२०:

समिति द्वारा प्रकल्प की सरकी एवं प्रस्ताव जानकारी का परीक्षण तथा विवार विभाग द्वारा सम्मिलित हो गिरानुसार विवेच लिया गया—

- प्रकल्प ५०० मीटर की प्रमाण पड़ से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्ता खदानी की ५०० मीटर की भीतर अन्य जाहान है यादों नहीं हैं। आईए लोटिकिलाल, २००८ (प्रामा समाविता) में परिवारिता वलस्टर अनुसार “जोई वलस्टर यहाँ जाहान जाएगा, ताक एक जीव को परिवारी के दीर्घ दूरी परसा रखना चाहिए ताक में अन्य पट्टटे के वलस्टर को ५०० मीटर से ज्यादा है” अधीन वलस्टर हेतु डोनोंप्रिमियस विवरण छोड़ में लियाराहीन जाहान की जीव भीमा से ५०० मीटर की भीतर जाने वाले सभी खदानी की जाहिल करते हुए तथा इस प्रकल्प कामिल खदानी को जीव भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानी की वलस्टर में जाहानी को बढ़ा तक जामिल किया गए, जहाँ तक ५०० मीटर की दूरी में जोई जाहान अवशिष्ट न हो। जामिल किया गया जाहिए। जात अपरीक्षानुसार प्रमाण पड़ प्रस्तुत किया जाए।
- वारि पूर्व में जाहोदेत स्थल पर जाहान हेतु सज्ज इतर परिवरण समायात विवरण प्राप्तिकरण (एनआईआईएए), छत्तीवाराङ जाहान लिया गयीय पार्टीलाल जाहानात विवरण प्राप्तिकरण (एनआईआईएए), छत्तीवाराङ द्वारा पर्सीजनलीय संतोकति की गई है, जो पूर्व में जाहो पार्टीलालीय संतोकति की प्रति एक अविसंरोपित जाहीं के वालमें की नहीं जाहींगाही की जानकारी पोर्टोडायपत्र राहित प्रस्तुत की जाए। जात दुकाशेपन की जाहान तिथिकृत की जानकारी पोर्टोडायपत्र राहित प्रस्तुत की जाए।
- यहि जाहान पूर्व से जागरित है, जो लिया गयी में लिया गया प्रस्तुत की वापलहित जाहान वहि जानकारी सुनिश्चित तिथान से द्रव्यमित करते तत्व प्रस्तुत की जाए।

4. शोईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रकाश पूर्ण प्रिवारण के बाबा प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रकाशक को उपरोक्त समर्ट पूर्ण प्रकाशी / प्रकाशन (अन्तर्गत शोईआरपूर) के लिये आगामी भाष्म की आधिकारिक बिहुक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- परियोजना प्रकाशक को लालनुसार सुनिश्चित किया जाए।

36. प्रेसार्स की सुदृश्य फुगार डा (बैहुबेडा सोँव गाईन, पाथ-बैहुबेडा, लहसील व जिला-नारायणपुर), लहसीलपारा, लहसील व जिला-नारायणपुर (राष्ट्रियालय का नम्रती क्रमांक 1415)

गोपनीयाईन बाबैदन - प्रपोजल गम्भे - इमाईए / शीर्षी / एमाईए / 178377 / 2020, दिनांक 10 / 10 / 2020। परियोजना प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत गोपनीयाईन बाबैदन में कथिया होने से ज्ञात दिनांक 20 / 10 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रकाशक द्वारा यानित जानकारी दिनांक 29 / 10 / 2020 यो गोपनीयाईन प्रस्तुत की गई।

प्रकाशक का प्रिवारण - महा पूर्वी सो नारायणी रेत खाद्यान (गोपनीयाईन) है। महा खाद्यान छाम-ब्रह्मेश्वर, लहसील व जिला-नारायणपुर जिला पाट अधिक लालन क्रमांक 120 युक्त ब्रह्मेश्वर - 223 गोपनीयाईन में है। लालनन कुमुक नदी से किया जाता है। खाद्यान यो जानेवित उत्पादन वालता - 13,800 घणमीटर ब्रह्मेश्वर है।

बैठक का प्रिवारण -

(म) यानित की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

सामिति द्वारा प्रकाशण गते यसकी एवं प्रस्तुत यानकारी का योषिताण तथा विवार विवरण उपरात जानेवालाहि सो विनानुसार निर्वाचित किया गया-

1. एस.आर.एस., / शीर्षी शीर्षी की बहुनीय पति प्रस्तुत की जायें।
2. बहुनीय द्वारा दोनों यो लक्षाई एवं घोडाई तथा नदी की पाट यो शीर्षाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. दो लालनन हेतु प्रस्तुतिका स्थान एवं प्रस्तुतिका स्थान को अपलॉड तथा जानकारीमें 100 ग्रीटर की दूरी तक, 25 ग्रीटर युक्त 25 ग्रीटर का प्रिवारण ब्रह्मेश्वर गोपनीयाईन में दो लालन की लेवल्स (Levels), लेवल प्रिवारण में दर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त लालन लील के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 ग्रीटर तक के दोनों से नदी सतान के लाली (Levels) कर भी करी किया जायें। याका लेवल्स (Levels) हेतु जग की जग उ टेम्परेट्री ब्रेक ट्रैक्चर (Concreted TBM structure) निर्माणित किये जाएं। टेम्परेट्री ब्रेक ट्रैक्चर (TBM) में आम एवं यो-अॉर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। प्रिवारण में टेम्परेट्री ब्रेक ट्रैक्चर (TBM) को भी दर्शाकर उन्हों वानिज विभाग सो प्रामाणीकरण अपशंस शोईआरपूर वाहित जानकारी/प्रकाशक प्रस्तुत किये जाएं।
4. नदीतट सो खाद्यान यो शीर्षा तो दुरी न्यूनतम 15 ग्रीटर या नदी की पाट की शीर्षाई यो 10 फ्रिगिन (जो भी अभिक हो) तकी बनाई है। इदै इसकी जानुसार खाद्यान की युक्त लोप में खाद्यानन किया जाना न्यूनतम हो तो उसकी खाद्यान कर नदी पर दर्शाकर इसका दस्तीवार माईनिंग यात्रा में अभिकर्वी लोप से कराया



जाए। यद्यपि यह नन्हा ही एवं प्रतिबिंधित होने वाले भीको पर समिक्षा किमान से बीचारन करायार, प्रभाव यह ग्राम किया जाए।

५. प्रस्तावित खाल से निकलताने मुख्य बाबू एवं इनीटिट द्वारा आयुर्वी खोल की दूरी खाल की अपलॉड में न्यूनतम १०० मीटर तथा बाह्यतान्त्रीमें में न्यूनतम २५० मीटर बचा जाना आवश्यक है। परि जीव वाले द्वारा यात्रानुसार दूरी के अनुरुप चिया ही, तो यात्रीका अवास यह खाल हेतु प्रतिबिंधित होने वाला यात्रानुसार नहीं पर किमिल कर उठाया जीके पर यात्राका लक्ष्य गार्डिंग वहाँ में हुआ याकूत नहीं किया गए।
६. ऐसा उल्लङ्घन हेतु प्रस्तावित खाल पर यात्राने में यात्राका बेत वी भीटाई जाती ही किए प्रति उल्लङ्घन में कम हो कम एक शब्दा (१००) बोलायार यात्री कानूनी वापरावृ वा आपात कार यानिक चियाग ती उभारित बाह्य वी जाए। ऐसे वी यात्राकिया गार्डाई हेतु पंचनामा भी प्रत्युत किया जाए।
७. यदि पूर्व में आदेता खाल पर यानन्द हेतु राज्य कार पर्याप्ततम बाधायात निरीक्षण प्रविधिलक्षण (एसड़-आईएस), छलीसन्द अवास किया जाईया गया परन्तु राज्याया नियोजन प्रविधिलक्षण (एसड़-आईएस), छलीसन्द द्वारा पर्याप्ततमीय जीवानी की नहीं ही, तो पूर्व में यात्री यात्रानीय जीवानी की परि एवं अधिकायित गारी के यात्रन में वी गार्ड यात्राकारी कोटोधारण कीता प्रत्युत की जाए। बाबू वी यात्रानीय की आठतान रियती की यात्राकारी कोटोधारण कीता प्रत्युत की जाए।
८. योगत वी वी किए गए उल्लङ्घन की यात्राकिया जाता वी जानाकारी यानिक चियाग ती उभारित करा कर प्रत्युत की जाए।
९. बी.टी.आर (Corporate Environmental Responsibility) ही, दिस्तुत प्रस्ताव पूर्ण निरीक्षण के साथ प्रत्युत किया जाए।
१०. युवि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावका की यात्राय में बेत के लेवल्स (Levels) नेमे यात्रे गवियर (Surveyor) के यात्र आगमी गार की आदेता किया जेता में उपरोक्त समस्त सुनांगत बहनारी, / बहलायेज (आधारम पौटोधारण) राहित उपलब्धियम दिए जाने हेतु निरीक्षण किया गए।
यानि निरीक्षण एवं परियोजना प्रस्तावका की यात्रानुसार सुनित किया जाए।

३७. मेसरी वी पर्वेश दीन (नद्वीगाल सौन्दर गार्ड गार्डन यात्र-यदवीगाल, तहसील व जिला-नारायणपुर), सोनपुर एवं दीन रहील, देवानग यात्रा, तहसील व जिला-नारायणपुर (सायिपालत का वर्ती क्रमांक १४१)

अनिक्षाईन आदेत - इवाजत नम्बर - एसआईए/ बीए/ एमआईए/ १७००७२/ २०२०, दिनांक १०/१०/२०२०। परियोजना प्रस्तावका द्वावे प्रकार अनिक्षाईन आदेत में कनियी होने से इतन दिनांक २०/१०/२०२० द्वावे जानकारी प्रस्तुत करनी हेतु निरीक्षण किया गया। परियोजना प्रस्तावका द्वावा चीकित यानकारी दिनांक २९/१०/२०२० को अनिक्षाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से सकालित देत यात्रान (मोर्निंग) है। मह यात्रान यात्र-यदवीगाल, तहसील व जिला-नारायणपुर जिला यात्रे जीका आवश्यक चाहाका

००१. गुरु श्रीगंगारेंड्रनाथ ने ही १५३३ ईस्टर्स वेल्स में एक बहुत खूबूल जाती की जिया रखा है। उनका जन्म खूबूल जाती की जिया रखा है। उनका जन्म खूबूल जाती की जिया रखा है।

दैरक का विवरण —

(४) समिति की ३४६वीं बैठक दिनांक ०७ / ११ / २०२०:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं इन्स्ट्रुक्शन जानकारी का परीक्षण तथा विभार विभारी उपरांत सर्वोच्चमहति जी निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

१. एक गोला / गोल की घटनीय जैसे प्रस्तुत की जाए।
२. इसमें अन्य क्षेत्र की लंबाई एवं ऊँचाई तथा यहीं के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
३. यह इन्स्ट्रुक्शन हीनु इस्तेहित रूप से प्रत्याक्षित रूप से उपलब्धीम रूप से १०० मीटर की दूरी तक २५ मीटर बूँदा २५ मीटर का विवरणात्मक प्रस्तुत में ऐसे रूपांक के लेवल्स (Levels) लेवल विवर में इन्स्ट्रुक्शन पर प्रस्तुत किये जाए। इसकी अतिरिक्त खनन लीन के बाहर / यहीं तक (कोनी बोर) के १०० मीटर तक की दूरी में यहीं रातह की रूपी (Levels) का भी यहीं विवर जाए। युक्त लेवल्स (Levels) हीनु कम से कम २ टेम्परेट द्वारा यार्ड (Combined TBM structures) अतिरिक्त किये जाए। टेम्परेट द्वारा यार्ड (TBM) में आरप्ल यो-ओर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाए। विवर विवर में दैरकती विवर यार्ड (TBM) को भी दर्शाइए उन्हें यानिक विभाग से प्रभावीतत्वात् उपलब्धीकरण नहिं जानकारी/इन्स्ट्रायेंज प्रस्तुत किये जाएं।
४. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम २५ मीटर या यहीं के पाट की चौड़ाई का १० प्रतिशत तकी में अधिक ही रखी जानी है। यदि इसके इन्सार खदान की युक्त क्षेत्र में इन्स्ट्रुक्शन लिया जाना चाहिए न हो तो उसकी याकद यह नक्शा पर दर्शाइए इसका उपरोक्ता गार्डिंग खाने में अनियार्थी रूप से कराया जाए। खदान के खनन तक एवं प्रतिबिंబित क्षेत्र को जीके पर यानिक विभाग द्वारा दीर्घाकाल बनायार दृश्यान् या प्राच्य लिया जाए।
५. इस्तेहित रूप से निकलाम बुल बाय, एनीकट एवं जल आपूर्ति रूपीय क्षेत्र खदान की प्रस्तुत की जाए। गुल / एनीकट की दूरी खदान की उपलब्धीम में न्यूनतम ३०० मीटर तक्ता इन्स्ट्रायेट्स में न्यूनतम २५० मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि जीके क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के बाहर लिया जाए, तो उपरोक्त आवश्यक यह खनन हीनु प्रतिबिंబित क्षेत्र को अवश्यकतानुसार नदी यह विस्तृत वर्तुलकारी और शीर्षाकार तथा मार्फिल खाने में दूर बाहर तरसेक्ष लिया जाए।
६. ऐसे खदानन हीनु इस्तेहित रूप से उपरोक्त तेज की चौड़ाई जन्मने के लिए अति हेक्टेयर में ताम से कम एक गढ़दा (मूर) छोरकार तथा की दारकीयक गलताई का यातन तक यानिक विभाग से इन्सारी इन्सारी की प्रस्तुत की जाए। यह की प्राच्यविकास नामही हीनु एवं नाम की प्रस्तुत किया जाए।
७. यदि दूरी में इन्सारी उपलब्ध तथा यह दूरी दूरी इन्सारी इन्सारी प्रतिक्रिया (एस-ई-आर्ड-ए-ए), घनतीसाराह अधिक विवरा रखाइए पर्याप्तता वालीयां नियोजन लियोकरण (ई-ई-आर्ड-ए-ए), घनतीसाराह द्वारा पर्याप्तता न्यूनति दी गई हो, तो दूरी में जारी पर्याप्ततायी नदीकर्ति की छाती से एवं अधिरोपित रूपी के यातन की यहीं नदी कार्यकारी की इन्सारी कीटोटीयां जाहिं प्रस्तुत की जाए। यातन की दृश्यान् याप्ति की इन्सारी कीटोटीयां जाहिं प्रस्तुत की जाए।

8. नियम कार्यी गे तिक्ष्ण रहे प्रशंसनीय की प्रत्याविक साजा की आवश्यकीय घटनियों
परिवर्तन से प्रभावित करा जाए प्रस्तुत की जाए।
9. शीर्षआद (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रशंसन पूर्ण
प्रियाभास के साथ प्रस्तुत किया जाए।
10. यानि निरीक्षक एवं परिवेशना प्रशंसक के सदाचार में ऐसे के लाइल्स (Levels)
जैसे यादे सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी बाहु की आवश्यकित केवल में
उपरोक्त समस्त सुसंगत कानूनों / दस्तावेज (आवश्यक फोटोग्राफ्स) सहित
प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु नियमित किया जाए।
- यहाँ निरीक्षक एवं परिवेशना प्रशंसक की सदाचारात्र शुरूआत किया जाए।
38. गोपाल आलोक खिलडेट प्राइवेट लिमिटेड (पार्टनर- श्री आलोक शिवहरे,
गुरुभूमि आडिनिंग एटोल फार्मरी), याम-मुख्यमंत्री, तापसील-बाबानगढ़ बीडी
पिल्ट-साधानादगांव (साधियालय का नस्ती छापाका 1448)
- अधिकारीकृत आवेदन — प्रयोगस नमार — पुण्यार्थी/ दीनी/ एनआईए/
180884/2020 दिनांक 29/10/2020।
- प्रशंसन का विवरण — यह प्रशंसित समाजसंघ पर्यावरण (मीम घटनिय) जामाना है।
साधाना याम-मुख्यमंत्री, तापसील-बाबानगढ़ बीडी, किला-कलानादगांव किला भारत झाँक
साधाना छापाका 202 गुरु ब्रह्माकल-1 फिल्टर में प्रस्तावित है। उदाध बीडीपिल
साधाना अमरा— 1.25000 टके प्रतिदर्श है।
- कार्यालय परिवेशना नियंत्रण, प्रातीक्षणाड़ लोक नियाम, शायुष जी नस्ती ग्रामाका
2005/ एडीबी/ एस-३ / फीनोडी-०९/ २०२० रायपुर, दिनांक ०३/११/२०२० हुआ
किया आलोक खिलडेट प्राइवेट लिमिटेड के परिवेशनीय स्तीजनी धारा अन्वेषित
प्रशंसन पर प्राप्तिकरण गो आवार पर किया जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
- बैठक का विवरण —
- (अ) त्रिमिति की ३५कानी बैठक दिनांक ०७/११/२०२०।
- स्थानिक द्वारा प्रकाश जी नस्ती एवं प्रस्तुत प्रान्तकारी/ या तो परीक्षण पुर्व अंगजोग्यम
कर, विचार किया जापर्वति सार्वजनिक औ निर्णय किया गया कि उपर प्रकाशन
लोकहृत एवं सांख्य ने किया हो सक्तीमान है। अतः उपरोक्त अनुरोध जो बन्ध बाहते
हुए उसके परिपेक्षे ने परिवेशना प्रशंसक को समाजा यूर्जा-आमदारी / पर्यावरण
(आवश्यक फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी नायोकित केवल दिनांक ११/११/२०२० में
प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु नियमित किया गया।
- परिवेशना प्रशंसक गो तदानुसार शुरूआत किया जाए।
39. गोपाल बी खिलडे कार्यालय (लकड़कोरा शौभ्य बार्ड, याम-बाबानगढ़, तापसील-साधिय
पिल्ट-गरियाबंद), किलामपारा, चित्त चौक, नौबरा, नमापारा, किला-रायपुर
(साधियालय का नस्ती छापाका 1448)
- अधिकारीकृत आवेदन — प्रयोगस नमार — पुण्यार्थी/ दीनी/ एनआईए/
180887/2020 दिनांक 29/10/2020।

प्रकाशन गत विवरण — यह पूर्वी सीधालित रेत खदान गोपनीय है। यह खदान पास-लगातार, लहराती-साफिल, जिला-परिधान विधि खदान क्रमांक 21, और अंतर्क्रम-4.81 मीटर घर में है। उत्तरमें बहुत सी जल विद्या खदान है। खदान की अवधित उत्तरमें क्षमता - 69,000 मीटर्सीटर प्रतिमिनट है।

वैदिक का विवरण —

(अ) समिति की 346वीं बैठक विवाक 07/11/2020:

समिति द्वारा उक्तपुरा की सभी एवं प्रस्तुत गोपनीयों का परीक्षण तथा विभार विभार सुनिश्चित सार्वजनिक से निम्नानुसार निष्पत्ति किया गया—

1. प्रस्तावित खदान छोड़ की लीटाई एवं लीटाई तथा जली के बाट की लीटाई की जलकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्तरमें हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान के अपनीम रखा जानलाईम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर गुण 25 मीटर का दिव खदान कर उत्तरमें रेत खदान के लेवल्स (Leveles) लेवल डिव में प्रस्तावित कर प्रस्तुत किए जाए। इसको प्रस्तावित खदान छोड़ के बाहर / जली तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक की दूरी में जली खदान के लेवल्स (Leves) ता की जै विद्या जाए। यहां लेवल्स (Leves) हेतु जल से ऊपर 2 हेबरली फैब नारी (Concreeted TBM structures) प्रस्तावित किए जाए। हेबरली फैब मार्क (TBM) में आरएल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किए जाए। डिव में दोपहरी फैब नारी (TBM) यो जी दर्शाकर उन्हें खसिया विभाग से प्रवालीकरण उपरांत जानकारी/वर्णाली प्रस्तुत किये जाए।
3. जलीतट की खदान की दूरी न्यूनतम 7.5 मीटर जल जली के बाट एवं लीटाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) तकी जानी है। यदि इसकी अनुसार खदान की दूरी दोनों ओर में उत्तरमें विद्या जाना संभव न हो तो उसकी जाना कर अक्षरी पर दर्शाकर इसका उल्लेख मार्किन खदान में जानियाँ लग से जाना जाए। खदान की जलन दोष एवं प्रतिक्रिया छोड़ की जौके पर सुनिता विभाग के लिए जानकारी द्वारा उपलब्ध वाले दस्तावेज विद्या जाए।
4. प्रस्तावित खदान से निकटाम पुल बाध एवं एक्सिट एवं जल जाली की दूरी खदान की जानकारी प्रस्तुत जी जाए। पुल / एक्सिट की दूरी खदान के अपनीम से न्यूनतम 300 मीटर तथा जानलाईम में न्यूनतम 250 मीटर जला जाना आवश्यक है। यदि जीव दोनों ओर उत्तरांतरानुसार दूरी की अदर रिक्षा हो तो एक्सिट खदान पर जलन हेतु प्रतिक्रिया छोड़ की अवधारकतानुसार जरूरी पर विनियोग जारी जाए। यहां भीकी पर जीवकान तथा मार्किन खदान में इस जाला उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्तरमें हेतु प्रस्तावित खदान पर खोलन में उपलब्ध रेत की लीटाई जलन की लिए यदि हंगामार में जल से कम एक गढ़दा (M) छोकर उसकी जानकारी गहराई का गापन जारी रखिया विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। तो की जानकारी हेतु दस्तावेज भी प्रस्तुत किया जाए।
6. यदि पूर्वी में अवधित खदान पर जलन से हुए राज्य राज्य वर्दीवरण जानकारी विवरण (एसईआरपीए), उत्तरांतरानुसार वर्दीवरण विला सहीय वर्दीवरण जानकारी विवरण वर्दिकरण (वीईआरपीए), उत्तरांतरानुसार पर्यावरणीय स्थिरता की जूही हो तो पूर्वी में जाली वर्दीवरणीय लीटाई की प्रति एवं अविनोपित जाली की जालन



- में की गई जानकारी की जानकारी पौरीतया सहित व्यक्त की जाए। इसमें सुनाईपता की अवधान स्थिति की जानकारी पौरीतया सहित व्यक्त की जाए।
- दिसंवर माह से लिए गए उत्तरदान की वाल्यादिक भाष्ट और प्रामाणिक विधान से प्रधानित करने का प्रस्तुत की जाए।
 - कोर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) ऐसु विशुद्ध प्रदूषण की सभी उत्तरावलीकरण की जाए।
 - इन विशेषज्ञ एवं परियोजना प्रस्तावक वो जातीन में देख के लेवल्स (Levells) में वाले वर्षायर (Surveyor) के साथ आगामी बाहु की आवश्यित विधान में वायोमिंग समस्त सुमंगल जानकारी / एकावेज (एकावेज कोटीसामाज) गतिविळीजनका दिये जाने हेतु निर्दिष्ट लिया जाए।
- इस नियोजक एवं परियोजना प्रस्तावक को लाभानुसार सुनिता किया जाए।

40. मैसारी गिरेन्द्र चूमार शिंह (फर्ती कटोन बाईन), राम-कर्ता, लहरील-नुण्डा, फिला-सरगुजा (जांचियालय का नवारी कानूनक 1450)

जीवनसाईन जावेदन — प्रायोजन नम्बर — व्यापाराई / गोपी / व्यापाराई / 130843 / 2020 दिनांक 29/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित द्वारा वाल्यादिक (वीण व्यक्ति) लिया गया है। इसमें राम-कर्ता, लहरील-नुण्डा, फिला-सरगुजा लियत जारी कानूनक 573/2 एवं 576/2, कूल वीक्षण-6012 हेक्टेकर में प्रस्तावित है। इसमें वाल्यादिक उत्तरदान कानूनक 424745 दन प्रतिवर्गी है।

वैतनक का विवरण —

(अ) सामिति नंबी 346वीं वैठक दिनांक 07/11/2020:

सामिति द्वारा प्रकल्प ली भवती एवं प्रस्तुत जानकारी का परिवर्तन जारी विवाद नियमी उपरात जारीरामन्ति से निम्नानुसार नियन्त्रण लिया जाए—

- जांचियालय कलेक्टर (खानित जाली) द्वारा लिया गयान जो 200 गीटर की परिमि वे नीदिए, भरपूर, कावपाल, सरगुजा आति प्रतिवर्गित होते गिरिस लौंगे अधिका न होने जानकारी की रवाना / वाल्यादिक इति प्रस्तुत की जाए।
- प्रस्तुत 500 गीटर की प्रमाण पत्र से वह उपर्युक्त नहीं होता है कि यहां उत्तरदान की 500 गीटर की भीतर अन्य खाली है या नहीं? हेतुआई, नीडिगिलोकान 2000 (याता संकोचित) में परिवर्तित बलस्टर अनुसार “कोई बलस्टर उस समय दबावावा जाएगा, जब एक लील गी गरिसाही को दीन दूने तक नहुन व्यापित होते अन्य पट्टे के परिसर से 500 गीटर से जार है” अभीत बलस्टर हेतु लोनोडिविडान नियमहत लौंग में विवादादीन रखदान की लील सीमा है 500 गीटर की भीतर आते वाले कर्मी जानकारी को लाभित होता है। तथा इस प्रकार व्यापित जानकारी की लील सीमा के 500 गीटर के भीतर आते वाले अन्य वाली जानकारी को (बलस्टर में रुकावाली को वही तक लाभित किया जाए जहाँ तक 500 गीटर की दूरी में कोई वायान अवशिष्ट न हो) व्यापित विषय जाना चाहिए। अतः उपरातानुसार प्रस्तुत विवाद जाए।

३. यहाँ पूर्व में आधिकारित भवन पर छानन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण समिति के नियमों
आधिकारित (एस.ई.आई.ए.ए), उत्तीर्णगढ़ अभ्यास जिला भौतिक पर्यावरण समिति
नियमों आधिकारित (डी.ई.आई.ए.ए), उत्तीर्णगढ़ द्वारा बयांबहारी रखी गयी हैं। यह
हो, तो पूर्व में जली धर्मान्वयीय रखी गयी है एवं आधिकारित जली को बालन
में बों गई कार्यालयी की जानकारी प्रदानकारक समिति प्रस्तुत वी जाए। जाए ही
पूर्वान्वयी की आधार जिला की जानकारी प्रदानकारक समिति प्रस्तुत वी जाए।
४. यहाँ सरायन पूर्व की जानकारी है, तो जिला जली में जिपु गए सत्तानमन जी
वानानिक जानकारी प्राप्तिकारी विभाग की अधिकारित वीकारे जब प्रस्तुत वी
जाए।
५. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु विश्वत प्रस्ताव पूर्व
जिला की जाव प्रस्तुत जिया जाए।
६. परियोजना प्रस्तावका तो उपरीका समकल जूरी जानकारी / जानकारी (जानकारी
फोटोप्राप्ति) को जली जानकारी जाव की आधिकारित वीकारे में प्रस्तुतीकरण दिये जाने
हेतु नियमित जिया जाए।

परियोजना प्रस्तावका जो जावनुसार जूरित जिया जाए।

४१. मेराही नरवाहा जार्डिन काली (पो.— श्री इन्द्र चूमार आरवानी),
जाम—नरवाहा, गांवील—आरम, जिला—सायपुर (आधिकारित का जनती जमाक
1330)

श्री गलाईन जार्डिन — प्रारंभिक वायर — एक्सार्टिय / सीपी / एमआईएम /
34032 / 2020, जिला 23 / 06 / 2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जीवनाईन
जार्डिन में जमियाँ इमें से जावन दिनांक 01 / 07 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत जानने
हेतु नियमित जिया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी दिनांक
30 / 10 / 2020 वी जीवनाईन प्रस्तुत वी गई।

प्रस्ताव का जियरण — यह पूर्व की जानकारी द्वारा जार्डिन (जीव व्यविज) द्वारा है।
जावन १३८—नरवाहा, गांवील—आरम, जिला—सायपुर जिवार वाटे आपा जाला क्रमांक
1045, जूरी बोजकल—८३६३ हैपटेयर वी है। जावन की जांचित जलानमन
क्रमांक—४३-५८०-८१। प्रस्तुत वी है।

वीकार का जियरण —

(अ) जानकारी की अनुवीक्षक दिनांक ०७ / ११ / 2020

जमियाँ द्वारा प्रकल्प की सर्वत एवं प्रस्तुत जानकारी का वरीयता जापा जिवार जिला
उपराजि जमीनानुसार जिवार जिया गया—

१. कार्यालय बदलेतार (जुरित जानकारी) द्वारा जलत जावन की ३०० मीटर की परियोजि वी
गदिर, भरापट, असालाहर, स्कूल, जारी प्रतिबिति वी जिमेना होने वाला न होने
जानकारी प्राप्तिकारी की सपष्ट / पठनीय प्रति प्रस्तुत वी जाए।
२. पूर्व में आधिकारित जलत पर जावन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण समिति के
आधिकारित (एस.ई.आई.ए.ए), उत्तीर्णगढ़ अभ्यास जिला भौतिक पर्यावरण समिति
नियमों आधिकारित (डी.ई.आई.ए.ए), उत्तीर्णगढ़ द्वारा पर्यावरणीय जीवालयी वी गई
हो, तो पूर्व में जली धर्मान्वयीय जीवालयी वी प्रति एवं आधिकारित जलत की जावन

में की गई कार्यकारी की जानकारी कोटोडाला समैत प्रस्तुत की जाए। साथ ही शुल्करोपन की आवास लिप्ति की जानकारी कोटोडाला सहित प्रस्तुत की जाए।

3. विधान सभी से लिये गए उत्तरणों की वापरादिक संक्षा की जानकारी उपर्युक्त विधान से प्राप्तित करने का प्रस्तुत की जाए।
4. शीर्षभार (Corporate Environment Responsibility) के मुख्य प्रश्नाओं परीक्षण से साथ प्रस्तुत किया जाए।
5. अधिकारीजनक प्रश्नाओं को उपरोक्त जानकारी वापरादिक संक्षा (अधारन कोटोडाला) के साथ जानकारी वापर की अधिकारीय कैफ़ा में प्रकाशित करना विद्युत वापर के नियमों के बारे में जाए।

परियोजना प्रश्नाओं को तदानुसार सूचित किया जाए।

42. नैपासी की भौमन लाइ अवधार (भौमन भौमाई नदी भौमन), चाम-गोहभद्रा, तहसील-फूरिया, जिला-मुग्गेली (तहसीलाला का नक्की क्रमांक 1452)।

बौद्धलाई आवोदन — घोषजाल नम्बर — एसआईए / शीपी / स्टकाईए / ५७९०६ / २०२०, दिनांक ३१ / १० / २०२०।

प्रश्नाव का विवरण — यह प्रश्नाको भौमनभौमाई [भौमन भौमिक] साधन है। चाम-गोहभद्रा, तहसील-फूरिया, जिला-मुग्गेली विधान सभाना जानकारी ७४२, ७४५, ७४६ / १, ७४६ / २, ७४७, ७५२, ७५३, ७५४, ७५९, ७६०, ९५३ / १, ९५३ / २, ९५४, ९५६ / २, ९६२, ९३२ / १, ९३२ / २, ९३२ / ३, ९३७ / १, ९३७ / २, ९३८, ९७६, ९७७, ९८६ / ३, ९३० एवं ९३१, कुल क्रमांक—५७२ उपर्युक्त में प्रकाशित है। इसक की अधिकारी प्रश्नाम सम्मान—१४ ३३५ टन अधिकारी है।

वैतनक वापर विवरण —

(अ) समिति की ३४६वीं बैठक दिनांक ०७ / ११ / २०२०:

समिति द्वारा प्रश्नाव की सर्वो पूर्व दस्तूर जानकारी का पठावाम एवं विवार विषय सम्बन्धीत सूचनानुसार निचोय किया गया—

1. अदि वृद्धि में अधिकारी ज्ञान एवं ज्ञान विवरण जानामान नियांत्रण अधिकारीय (एसआईएरए), छत्तीसगढ़ अधिकारी जिला न्यूटिक पर्यावरण सम्बन्धीय नियांत्रण प्राधिकारीय (शीर्षभारएरए), छत्तीसगढ़ द्वारा पार्टीप्रैरिय रीपोर्ट दी गई ही, तो वृद्धि में जारी पदावलीय संविहारी की अदि एवं अधिकारीय वाली की वापर में को गई कार्यकारी की जानकारी कोटोडाला सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही शुल्करोपन की आवास लिप्ति की जानकारी कोटोडाला जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. अदि खायाम यूई से संबंधित है, तो विगत वाली में लिये गए उत्तरणों की आवास वाली की जानकारी समिति विषय से प्राप्तित करने का प्रस्तुत करें।
3. शीर्षभार (Corporate Environment Responsibility) के मुख्य प्रश्नाओं परीक्षण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

३. अधिकारीजन्म प्रस्तावना की उपरीका समस्त यूंग जनकारी / चक्रांति (अवधारणा औटोट्रायल) की सभी जानकारी भाषा की आयोगिता केठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने के लिए निर्दिष्ट किया जाए।

परिवोजन उद्घाटक की सदानुसार सुचित किया जाए।

४३. मेसर्स राहसापुर लौहारा लाईन स्टॉन गार्डन (प) – बोहगढ़ अवालग मैपन), याम-राहसापुर लौहारा, तहसील-राहसापुर लौहारा, ज़िला-कर्बीखाल (साधिकालय का नक्ती क्रमांक 1454)

अधिकारीजन्म आवेदन – प्राप्तिकाल नम्बर – एसआईए / सीपी / एमआईए / ५७२३७ / २०२०, दिनांक ३१ / १० / २०२०।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित यूंग प्रावार (यौवन खानिज) खदान है। खदान साम-राहसापुर लौहारा, तहसील-राहसापुर लौहारा, ज़िला-कर्बीखाल निम्न लारा जम्मा क्रमांक ९३३ / १, ९३३ / २, ९३३ / ३, ९३३ / ४, ९३३ / ५, ९६४ / २, ९६४ / ३, ९६४ / ४ यूंग दोषानन्द-२१० ट्रैक्टर की प्रस्तावित है। खदान की जांचित जलामन कमात्त-५२,०००.८३ टन प्रतीत है।

बैठक का विवरण –

(अ) रानिजी की ३५६वीं बैठक दिनांक ०७ / ११ / २०२०:

रानिजी द्वारा प्रश्न की नसी इस प्रस्ताव जानकारी का वर्णण तथा विचार विशेष उपराय सर्विचाम्लिंगी से गिर्मानुसार निर्णय किया गया:-

- यदि यूंग में आयोगित नक्ती पर खदान है तो खदान कार यांत्रिकीय बाबायाता नियंत्रण प्राप्तिकरण (एसआईएए)। एसआईएए उपाया ज़िला-तहसील यांत्रिकीय बाबायाता नियंत्रित उपराय (कीईआईएए), छातीलगड़ प्राप्त यांत्रिकीय परीक्षणी दी गई है, यूंग में जारी यांत्रिकीय स्थिकति की प्रति इस प्रदिव्योगिता जारी के बालम ने की गई कार्यपाली की जानकारी कोटीखाला रानिजे उस्तुत की जाए। साथ ही यूंगदोषानन्द यौवन उपराय लिंगित की जानकारी कोटीखाला रानिजे प्रकृत की जाए।
- यदि खदान यूंग से शक्तिलित है, तो विस्त उधी में लिए गए लालामन की वास्तविक स्थिता की जानकारी खानिज विभाग से इमारित कर कर प्रस्तुत की जाए।
- सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा विश्वेत प्रस्ताव यूंग विवरण का साथ प्रस्तुत किया जाए।
- परिवोजन उद्घाटक की साधारणता समस्त यूंग जानकारी / उद्घाटक (अवधारणा औटोट्रायल) की साथ अन्यानी भाषा की आयोगिता बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने के लिए निर्दिष्ट किया जाए।

परिवोजन उद्घाटक की सदानुसार सुचित किया जाए।

४४. मेसर्स वितावा विकाला (पार्टनर- श्री बनीध छुमार अद्वाल), याम-लापती, तहसील-पश्चरिया, ज़िला-मुगेली (साधिकालय का नक्ती क्रमांक 1453)

अधिकारीजन्म आवेदन – प्राप्तिकाल नम्बर – एसआईए / सीपी / एमआईए / ५७२३२ / २०२०, दिनांक ३१ / १० / २०२०।

Any

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित छोलोमाईट (गोल रुमिज) खदान है। खदान प्राथ-अमरी, राहसील-पश्चिमा, ज़िला—मुगेली रियत घराता छानोक 42, 79, 83, 84, 85/1, 85/2, 89 जागिल 88, 90, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95/2, 96, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 102, 103/1, 103/2, 104, 105, 106, 107, 118, 119, 120, 122 एवं 123, बुल लेट्रफल—4.019 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आंकड़ी उत्तराखण्ड जनता—2,01,316.88 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण —

(a) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रस्ताव गो नमस्ती एवं प्रस्तुत प्रानकारी का वर्णन तथा विवार विस्तृत वर्पणमयी रो निमानुसार निर्णय लिया गया—

1. यदि पूर्व में आयोजित बधाल पर खदान हैं तो राज्य सरकार वर्धावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छोलोमाईट-अधया जिला स्टर्सिय वर्धावरण समाधान नियोजन प्राधिकरण (टी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा वर्धावरण नीति रदीकर्ति दी गई हो, पूर्व में जाती पर्यावरणीय सीमांकनी की प्रति एवं विभिन्नोंप्रिय जाती के प्रालन में की नई कार्यवाही की जानकारी फॉटोफाफत सहित प्रस्तुत की जाए। सभ्य ही वृक्षाशोषण की अवासन लियाँ जी जानकारी फॉटोफाफत सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से हैंडलेट हैं तो दिग्गत जी में छिए गए उत्तराखण्ड की कानूनानुसार भाजा जी जानकारी खनिज दिनांक से प्रभागित करा जब प्रस्तुत की जाए।
3. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हैं तो विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक जी संपर्कत समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज़ (आदतन फॉटोफाफत) के साथ जानकारी गति वी आयोजित बैठक में उत्तराधिकार दिये जाने हैं तु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक जी लदानुसार सुनित किया जाए।

45. बेसामी नवीना मिनरल्स (फिरना छोलोमाईट फटोन गाइन, पार्टनर— श्री गोहन लाल अद्वाल), याथ—किरना, राहसील-पश्चिमा, ज़िला—मुगेली (संविवालय का नमस्ती छानोक 1451)

बीनलाइन आयोग — प्रवीनल मन्त्र — एसआईए/ शीरी/ एमआईए/ 57900/2020, दिनांक 31/10/2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित छोलोमाईट (गोल रुमिज) खदान है। खदान याम—किरना, राहसील—पश्चिमा, ज़िला—मुगेली रियत घराता छानोक 486, 479/1, 479/2, 479/3, 480/1, 480/2, 480/3, 480/4, 482/2, 483/2, 483/3, 487/2, 487/3, 487/4, 488/2, 488/3, 489/1, 489/2, 490/1 एवं 490/4, बुल लेट्रफल—4.63 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आयोजित उत्तराखण्ड जनता—2,00,212.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण —

(a) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रकाशन की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का वर्णन तथा विचार किया।
उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज भाग) द्वारा उक्त छातान के 200 मीटर की परिसीम में अदिर, करघट, अरण्यालय, स्थल, आदि प्रतिक्रिया होने वाला न होने वाला जानकारी की रपट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
 2. यदि पूर्व में आवेदित तथा पर उक्त हेतु राज्य सरकार पर्यावरण समाधार निर्धारण प्रतिक्रिया (एस.ई.आई.ए.ए.) घट्टीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधार निर्धारण घासिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), घट्टीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय कौशिकी की नहीं हो, पूर्व में जारी पर्यावरणीय कौशिकी की प्रति एवं अधिरोपित शाही के बालन में की गई कार्यकारी की जानकारी कोटोडासा राजित प्रस्तुत की जाए। साथ ही दृष्टालेपण की अवधारण निर्धारित की जानकारी कोटोडासा रोडेंट प्रस्तुत की जाए।
 3. यदि छातान पूर्व से जापालित है, तो दिग्गज वर्षी में इसे गए उल्लेखन की वास्तविक भाव की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
 4. शीर्षभाग (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
 5. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त समस्त पूरी जानकारी / दस्तावेज (अधिकारी कोटोडासा) के साथ आगामी माह की अध्योजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावक की तदानुसार सुनित किया जाए।

46. वेसर्स वी शुकेश अरबाल (वीलाईच्युट लाईम कटीन माईन), शाम—वीलाईच्युट, तहसील—राजगुर, जिला—बलरामपुर—हमाननुजानज (संविचालन का नस्ती क्रमांक 1457)

ओनलाईन आवेदन — प्रोजेक्ट नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 100833 / 2020 दिनांक 03 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित बूना पक्षर (मीन खनिज) छातान है। छातान शाम—वीलाईच्युट, तहसील—राजगुर, जिला—बलरामपुर—हमाननुजानज फ़िल नम्बर ग्रनांक ६/२/२ रो ६/२२/२ वृत्त ई-आफल-१३१८ हिंदौरार में प्रस्तावित है। छातान की अवेदित उत्तरानन शम्भल-२३.५४२.५ हेक्टेयर में प्रतिवर्षी है।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा प्राकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का वर्णन तथा विचार किया।
उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. यदि पूर्व में आवेदित तथा पर उक्त हेतु राज्य सरकार पर्यावरण समाधार निर्धारण घासिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), घट्टीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधार निर्धारण प्रतिक्रिया (डी.ई.आई.ए.ए.), घट्टीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय कौशिकी की नहीं हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय कौशिकी की प्रति एवं अधिरोपित शाही के बालन



- में की यह कार्रवाई की जानकारी कोटोडासन सहित प्रस्तुत की जाए। नगर में इकाईपण की अद्यतन विभिन्न की जानकारी पोटोडासन सहित प्रस्तुत की जाए।
१. यदि लकड़ान गृह से संबंधित है तो जिगत जाती में जिए गए लकड़ान की अस्तित्विक भाँति की जानकारी खुलिया विभाग से प्राप्तित कर उन प्रस्तुत की जाए।
 २. लीटुआर (Corporate Environment Responsibility) में प्रस्तुत प्रस्ताव की विवरण की साथ प्रस्तुत किया जाए।
 ३. लीटुआर (Corporate Environment Responsibility) में प्रस्तुत प्रस्ताव की विवरण की साथ प्रस्तुत किया जाए।
- परियोजना प्रस्तावका बारे निम्नानुसार निम्न लिया जाए।

४७. गैरावी श्री बोहमद शहीद गैराव (भारतीय दोष लालन चाह-पारागांव, लालसील-आरंग, जिला-शायपुर), लालसील-फट्टीरा, गैरावी-कोरवा (संचितालय का भर्ती नम्बर 1450)
जीनलाईन आवेदन - लालसील नम्बर - एकाउंट / गोपनीय / एमलाईन / 181936 / 2020, दिनांक 03 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूरी से संबंधित हो सकता है इसका विवरण है। यह गैराव श्री-पारागांव, लालसील-आरंग, जिला-शायपुर लियत लालसील नम्बर 1590 / 1822, कुल क्षेत्रफल - 4 हेक्टेयर में है। उल्लेखनम् लालसील से जिला प्रभाग है। गैरावी की आविदिया उल्लेखन अमरा - 34,070.68 घनमीटर प्रतियार्थ है।

वैठक का विवरण -

(म) नामिति की 34वीं वैठक दिनांक 07 / 11 / 2020।

रामिति द्वारा प्रकरण की नक्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण करा जिलार मिल्ड चापराल सर्वसाम्मिति से निम्नानुसार विवरण लिया गया-

१. प्रस्तावित खाली भौज की जमाई एवं जौबाई तथा नदी के पाट की गोका की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
२. यह उल्लेखन हेतु प्रस्तावित रूपता एवं प्रस्तावित क्षेत्र की आस्तीन जाल जालनस्ट्रोम में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर पुस्ता 25 मीटर का नियंत्रित बनाएगा, पर्टीकल में यह सतह के लेवल (Leveles) लेवल विह से प्रदर्शित गया प्रस्तुत किये जाये। इसकी अविदिया खाली गोका की जमाई / नदी तट (Bank) और ५० मी १०० मीटर तक की गोका में यही जालह की जाती (Leveles) जा सकती जिया जाये। जाल लेवल (Leveles) हेतु जाल से इस ३ टैनारी देख जाल (Concreted TBM structure) नियंत्रित किये जाये। उल्लेखी देख जाल (TBM) ने जारी एवं जो-ओर्डिनेट्स (Co-ordinates) लेवल किये जाये। विह यह नियंत्रित देख जाल (TBM) को भी दालिया, जानी विभिन्न विभाग से प्रनालीवारज जागरात पोटोडासन संहिता जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
३. नवीनाट नी लकड़ान की गोका की दूरी न्यूनतम २५ मीटर या नदी के पाट की जौबाई का १० प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। परे इसकी अनुसार

सरायम गो बुल लीज में जनसंख्या जिता जाना संभव न हो तो उनकी जासता करने की पर दारोंग है। इसका अस्तित्व आईजिए खान में अधिकारी लाए ही जाना जाए। सरायम के जनन केवल एष प्रतिबंधित होने की पर जनिज विभाग ने शीघ्रता कराया, प्रमुख पर द्राष्टा फिल जाए।

4. प्रस्तावित सरायम के निकटतम पुल बांध एनीकट इस जल व्यापुरी क्षेत्र की बूँदी जाना जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की बूँदी जानान के अन्तर्गत में बूँदीतम 800 मीटर तक जानकारी से न्यूनतम 200 मीटर रखा जाना जाना चाहिए है। यदि लौज होके जानकारीनुसार बूँदी के अंदर विष्ट हो, तो उपरोक्त जानार पर जनन हेतु प्रतिबंधित होके को जानकारीनुसार जानी पर विभिन्न करना जानकारीका पर जानकारीनुसार जाना आईजिए खान में इस बाबत जलसेवा फिल जाए।
 5. ऐसा जानानम हेतु प्रस्तावित काल्पन पर जननम में जानारप्य ऐसा की जोडाई जानने के लिए प्रति इन्स्टीट्यूट में जन से जन एक गढ़वा (जिल) छोटकर जानकी जानारिक जानारी जा भागन जन विभिन्न विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। ऐसा की जानारिक गढ़वा हेतु जननम की प्रस्तुत फिल जाए।
 6. पूर्ण में आईजिए जनन पर जनन हेतु जन जन विभाग समाधान फिलेन प्रतिकारण (एसईजाईरर), जलीसगढ़ जाना फिला जानीय परायान जानारिक विभाग इविकल्प (जीईजाईएए), जलीसगढ़ द्वारा योग्यतापरीय स्वीकृति दी जाए हो, जो पूर्ण में जानी पर्याप्तीय बौद्धिकी की प्रति एवं अधिसौचित जानी के जानन में जो जाई कार्यालयी की जानकारी फोटोजान्मा जहिला प्रस्तुत की जाए। साथ ही जानारीपन की जानानम जिली की जानकारी फोटोजान्मा जहिल प्रस्तुत की जाए।
 7. विभाग वर्षी में लिए गए जानानम की जानारिक जाजा जौ जानकारी जानिज विभाग से प्रमाणित करा जाए प्रस्तुत की जाए।
 8. जीईजाई (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्तुत पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत फिल जाए।
 9. जानि विरीकाक एवं परियोजना प्रस्तावक को जानान में ऐसे की लेवल्स (Levels) सेने जाने संपेतर (Surveyor) के साथ जननमी जन्तु की आगोजित फिला में जानकारी जनन समान जानकारी / जनसावित (जानान फोटोजान्म) जनिज प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु विदीहित फिल जाए।
- जानि विरीकाक एवं परियोजना प्रस्तावक को जानानुसार यूकित फिल जाए।

48. नेताजी श्री जानान जुनार जानान (जुनान (जुटेला)) सोख्ड भाईन, याम-कुरुद, तहसील-जारंग, फिला-रायपुर, जिला कौम्पलेक्ष, फिल रेलवे रेलवे जनेशन जनिज विधानसभा रोड, याद्वी, तहसील व फिला-रायपुर (जानिज जानान का जनरी जनारी 1456)

बीमलाईन आवेदन - प्रयोगान भवन - एकाईर / जीवी / एआईए / 181004 / 2020, दिनांक 03 / 11 / 2020।

प्रस्ताव का फिलरण - यह पूर्ण की जानारिक सेन जानान (गोप्य जानिज) है। यह जानान याम-कुरुद, तहसील-जारंग, फिला-रायपुर फिल समान जनान 2742, जुन जनानपत्र - उ. एकटेयर ने है। जानानम जानकारी की फिल जाए है। जानान की आयोदित जानानन समान - 85,000 यामीटर प्रतिवर्ष है।

मैत्री कार नियन्त्रण —

(अ) समिति की 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा प्रबन्धन की नस्ती हेच इन्स्ट्रुमेंट जानकारी का प्रीव्हेन्च तथा विचार किमान समर्पित रो निम्नानुसार विशेष लिया गया—

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पास की चौड़ाई की आवश्यकी प्रत्युता की जाए।
2. इस उत्तराभास हेच प्रस्तावित खनन के आवश्यक तथा आवश्यकताओं में 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर तक 25 मीटर का विकल्पान्वय वर्तनालय में ऐसे स्तरहूँ के लेवल्स (Levels) लेवल लिये गए में सुधारित कर इन्स्ट्रुमेंट किये जाएं। इसके अतिरिक्त खनन क्षेत्र की नदी स्तरों (Levels) का भी यह किया जाए। उक्त लेवल्स (Levels) हेच तथा से कम 2 उच्चारणीय घर घरों (Concreted TBM structure) निर्मित किये जाएं। उच्चरणीय घर घरों (TBM) के अन्दर, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाएं। यह यहाँ देख लिया जिसने तीव्रांगीकरण उपसंत फोटोग्राफ्य सहित जानकारी/इलायेज प्रस्तुत किये जाएं।
3. नदीकट से छद्मन की दूरी न्यूनतम 25 मीटर तथा नदी के पास की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जाती है। यदि इसके आवश्यक उदाहरण की दूरी खेत्र में उत्तराभास विकास जलना चाहिए तो उसकी अग्रना तर नहीं पर एकाग्र, इसका उल्लेख नाईनिंग लास में वर्णियाँ तथा तो दर्शाया जाए। छद्मन की खनन क्षेत्र एवं प्रतिवर्षित जल की भौति एवं खनिया दिनांक से वीरांगन करका, प्रभाव सब छापत लिया जाए।
4. प्रस्तावित खनन की नियन्त्रण युक्त वाहन एवं एनीकट एवं जल आपूर्ति उत्तम की दूरी आवश्यकताओं प्रस्तुत की जाए। युक्त एवं एनीकट की दूरी खद्मन के आवश्यक न न्यूनतम 500 मीटर तथा आवश्यकताओं में न्यूनतम 250 मीटर तथा जलना आवश्यक है। यदि द्वीप शेत्र उत्तराभास विकास दूरी की जांच लिया जाए, तो उसकी अग्रना तर नहीं पर उत्तराभास हेच प्रतिवर्षित शेत्र की आवश्यकताओं जल के एवं खनिया दिनांक से दर्शाया उल्लेख लिया जाए।
5. इस उत्तराभास हेच प्रस्तावित खनन एवं यांत्रिक में उपसंत इस की सौराहत जानने की लिए इति इंस्टीट्यूट में कम से कम एक ग्राहा (Pto) योग्यान दर्तावी कारताविक गहराहूँ का बासन कर, खनिया दिनांक से प्रभावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। इस की आवश्यकता नहीं हेच प्रत्यक्षान्वयन की प्रस्तुत लिया जाए।
6. यहाँ दूरी ने अधिकारी तथा एवं खद्मन हेच राज्य सरकार द्वारा दर्शाया जानाया नियन्त्रण प्राधिकरण (एसडी आई ए पी), भारतीयानन्द अध्याता लिया जानीय योग्यान उपसंत नियन्त्रण प्राधिकरण (डीईआईएस ए पी), उत्तीर्णानन्द अध्याता योग्यान उपसंत नियन्त्रण की नई ही, तो यहाँ से यांत्री योग्यान नियन्त्रण की इति एवं अधिकारीप्रित जाति की यात्रा में जी यहाँ अधिकारी योग्यान योग्यान दर्शाया जाए। उत्तराभास की अवधारणा लियते की जानकारी फोटोग्राफ्य सहित प्रस्तुत की जाए।
7. लिया गयी गयी लिया गया उत्तराभास की आवश्यकता दर्शावा की जानकारी खनिया दिनांक से प्रभावित करना कर प्रस्तुत की जाए।

8. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा प्रस्तुत मूल फिल्म की तात्पुरता किया जाए।
9. समिति निरीक्षक एवं परियोजना प्रबन्धको को खातान से ऐत तो लेवल्स (Levles) लेने वाले सर्वोच्च (Surveyor) को साथ अधिकारी ग्रह की आयोगित बैठक में प्रपञ्चकालीन समस्त सुरक्षात् जानकारी / वर्तावी (अधिकारी प्रोटोकॉल) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

इन निरीक्षक एवं परियोजना प्रबन्धक को तदानुसार सुनिश्चित किया जाए।

49. पैशां की प्रदीप कुमार शाही (वाईन कर्म नाईन), याम-रेणाकोट, ताहारील-कोगरगढ़, जिला-राजनांदगाँव (वायिवालय का नमस्ती क्रमांक 968) जीनलाईन आवेदन - प्रांगणी गम्भीर - एसआईए / सीजी / एसआईएन 44503 / 2018 दिनांक 26 / 10 / 2018। परियोजना प्रबन्धको द्वारा प्रस्तुत जीनलाईन आवेदन में आगियी हुने वो द्वायन दिनांक 21 / 11 / 2018 द्वारा जानकारी प्रस्तुत गर्ने द्वारा निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रबन्धक द्वारा आवित प्राप्तकारी विनांक 04 / 11 / 2020 की जीनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रबन्धक का विवरण - यह युवा वी राधाकिंत वाईन कर्म नाईन (भीष यादवी) नामान है। घराने याम-रेणाकोट, ताहारील-कोगरगढ़, जिला-राजनांदगाँव विवाह संस्था क्रमांक 962 कुल छोडफल-228 ट्रैकटेगल री है। यद्यान की आवेदित तात्प्रथान राशी-1,00,000 रुप प्रतिवार्ष है।

वैतक का विवरण -

(अ) समिति की ३४०वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020

समिति द्वारा प्रबन्धक की नमस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का प्रीक्षण का विवाह विभाग चयनीय वर्तीसम्भाली वो विभागनुसार विषय किया गया:-

- पूर्व में आवेदित व्यक्ति द्वारा खलन केरु शाय फल एवं गोवाइण जामायात निर्धारित वायिकारा (एसआईआईएए), तात्प्रथान अवाया जिला स्वास्थ्य पर्यावरण सम्पादन विभागका प्रविधिकार्य (वीईआईएए), यस्तीसामान द्वारा पर्यावरणीय वर्तीकारी वी वाई एवं ती युवा में जायी वायोदर्वनीय वर्तीकारी वी प्रति एवं अविवेकित जाती तो जलन में वी गई जानीजानी की जानलाई प्रोटोकॉलावासा नहिंन प्रस्तुत की जाए। साथ ही युवायोवण की जातान नियति की जानकारी प्रोटोकॉलावासा जाहिन प्रस्तुत की जाए।
- दिग्दा वर्षी गे विए गए तात्प्रथान वी प्राविधिक वाया वी जानकारी समिति विभाग वी प्राविधिक वाया द्वारा प्रस्तुत की जाए।
- सीईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा प्रस्तुत मूल फिल्म की तात्पुरता किया जाए।
- परियोजना प्रबन्धक को उपरोक्त समस्त पारी जानकारी / वायावार (अधिकारी प्रोटोकॉलसह) के साथ आगामी माह वी आयोगित बैठक में प्रस्तुतीकरण किये जाने द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रबन्धक की तदानुसार सुनिश्चित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावको से संबंधित जानकारी /
दस्तावेज पापा प्रकरणों पर विचार कर
पर्यावरणीय स्थीरता / दैनिक जाव हेतु निर्भय
लिया गया।

१. गैरां श्री शीलेन्द्र गुप्ता जाव (भौतिक लाइंग उठीन वाधी),
साम-भौतिक, लड़कील-होमरगाँव, जिला-राजनांदगाँव (सामियालय का
मकान क्रमांक 1226)

जीनलाइन जाव - प्रयोगश नम्बर - एनआईए/ श्री/ एमआईए/ 149977/2020 दिनांक 04/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जीनलाइन जाव में कामिया होने से झायन दिनांक 13/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत कर्ते हुए निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वापिस जानकारी दिनांक 17/03/2020 को जीनलाइन प्रस्तुत ही रही।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित एक प्रथम (प्रारंभिक) खदान है। खदान साम-भौतिक, लड़कील-होमरगाँव, जिला-राजनांदगाँव लिया जाना क्रमांक 209, कुल लंबाई-0.769 मीटर से है। खदान की आधिकारिक उत्तरानन लंबाई - 4,940.25 टन प्रतिकी है।

खेती का विवरण -

- (अ) जानिती की 32वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

जानिती द्वारा प्राप्त और नहीं एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण जाव सामाजिक सम्बन्धों से निम्नानुसार निर्भय लिया गया था:-

१. यदि पूर्व में आधिकारिक रूप से वाहन हेतु काज जहर पर्यावरण जानकारी निर्दिष्ट प्राप्तिकरण (एनआईएए)। छलीलगढ़ क्षेत्र किया जाता रहा तथा पर्यावरण सामाजिक निर्दिष्ट जानिकारी (डीईआईएए), जलीसागर द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता की जाती है, तो पूर्व में उसके पर्यावरणीय स्थीरता की प्रति एवं निर्दिष्ट जाव की प्रत्यन्त में की रहे प्रारंभिकी ही जानकारी कोटीप्राप्त लेहित प्रस्तुत की जाए। जाव की वृक्षान्तरण की अवधान निर्दिष्ट की जानकारी कोटीप्राप्त सार्वजनिक प्रस्तुत ही जाए।
२. यदि खदान पूर्व से संवाचित है, तो विशेष एवं सिव्य पर वर्त्तमान की प्रास्ताविक गाड़ी की जानकारी व्यापिय विभाग से प्रमाणित करा जाने प्रस्तुत की जाए।
३. नाला सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायी परिवर्तन भवितव्य, नहु दिल्ली के यो एवं दिनांक 01/05/2018 के अनुसार शीर्क्षा (Corporate Environmental Responsibility) हेतु उत्तराव प्रस्तुत किया जाए।
४. परियोजना प्रस्तावक की उपरोक्त जानकारी पर्यावरण (प्राप्त जानकारीकारण) के जाव जलाशी माह की आधोंनित दिनों से प्रकृतीप्राप्त दिनों तक हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

प्राप्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक को एनआईएल_ अलीनगढ़ की जापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकारण हेतु सूचित किया गया।

- (ब) जानिती की 32वीं बैठक दिनांक 02/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हुए थीं जो निवास क्षेत्र सहू, प्रौद्योगिक राजधानी हुए। अधिकृत द्वाया नवीनी, प्रस्तुत वामवाही का अवलोकन एवं बलेश्वर करने पर निम्न सिद्धि पाई गई—

1. याम प्रभाग्या का अनापत्ति प्रमाण पत्र — प्रस्तुत के नवम में याम प्रभाग्या पत्रका का दिनांक 03/02/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रस्तुत गोपना — जारी पत्रक एलान जिस कठीन उत्तीर्ण नाम जिप इन्डियन्स ग्रिन्डरेस्ट एलान प्रस्तुत किया गया है, जो एवं वालालक (जन्म-1981) जिप-रायगढ़ के छापन ग्रामक ज./खंड./तीम-6/2017/471 रायगढ़ दिनांक 04/06/2017 हुआ अनुमोदित है।
3. 600 बीटर की परिधि में विवत खादान — जारीतय फैलेक्टर (जन्म-1981) जिप-रायगढ़दिनांक की जापन जन्मान्त्र/4040/खंडि. 03/2019 रायगढ़दिनांक दिनांक 07/12/2019 में अनुमान अनुमोदित खादान की 600 बीटर की भौमि अपनिवास अन्य घटानों की संख्या निरक्त है।
4. 200 बीटर की परिधि में विवत सार्वजनिक होश/सरखाप — जारीतय फैलेक्टर (जन्म-1981) जिप-रायगढ़दिनांक के जापन जन्मान्त्र/4040/खंडि. 03/2019 रायगढ़दिनांक दिनांक 07/12/2019 हुआ जारी प्रमाण पत्र अनुमान घटान की 200 बीटर की परिधि में गोई भी जारीतय फैलेक्टर होश और भौमि अपनिवास अन्य घटानों की संख्या निरक्त है।
5. लीज का विवरण — यह शारीरीय भूमि है जिसमें लीज की निवास क्षेत्र सहू के नाम पर है, लीज लीज 05 वर्गी अधीक्षा दिनांक 02/11/2009 ते 01/11/2014 तक की अधिकृत गोई थी। लायगढ़ लीज की दिनांक 02/11/2014 से 01/11/2019 तक की अधिकृत गोई थी तथा यहीं है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — जारी सरखार, पर्यावरण एवं और जलवाया परिवर्तन विज्ञान, नहु विज्ञी की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 हुआ विवित जारी से डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. यम जिमान का अनापत्ति प्रमाण पत्र — जारीतय यम निवास अधिकारी जाजनादिनांक यम जापन, जिप-रायगढ़दिनांक के जापन जन्मान्त्र/संभि./3065 रायगढ़दिनांक दिनांक 10/07/2005 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत आवेदित होता जन भूमि की सीमा ने 20 किमी की दूरी पर है।
8. महावधुरी जारखानावी की दूरी — जिकल्टम जारीतय राम-बीत्तमाता 05 किमी, स्कूल जाम-बीत्तमाता 0.8 किमी, रेल्वे स्टेशन 12 किमी की दूरी पर विद्यम है। रामहींग जारखानावी 6 किमी की दूरी है। जिकल्टम नहीं 1 किमी की दूरी है।
9. गारितिशिथितीय/जौविविधा रविदेवशील होश — परिवोजना प्रस्तावक दूरा 10 किमी की परिधि में अलवीजीय सीमा, केंद्रीय प्रपुण विवरण लीजे हुए योगित जिकिनावी फैल्युठेव एवं यारितिशिथितीय रविदेवशील होश का भौमि गोईतिशिथा होता किया गया होता परिवेदित किया है।
10. जामन संघटा एवं खनन का विवरण — जियोलोगिक्स जिजी लगभग 1,73,102 टन एवं लाईनेचल रिजर्व 52,641 टन एवं रिफ्लेक्टर रिजर्व 47,077 टन है। लीज होश के गहरे भौमि 7.6 बीटर (0.248 एक्टेस) होता है। अपन जामन सेमी नेटो-नामुख गिरि हो प्रस्तुतन किया जाता है। जामन की प्रस्तुति



अधिकारी गहराई ० मीटर है। उपर्युक्त मिट्टी की मात्रा ३,४८० प्रमाणीटर द्वय गोलाई १ मीटर है। बेच की कमाई ५.५ मीटर एवं गोलाई १.५ मीटर है। खदान की संभागित आय २० रुपये है। लौंग होम की कमाई संभागित नहीं है एवं इसकी उत्पादना एवं प्रसारण भी किया गया है। जैक हिंसा से ड्रिलिंग एवं लटोल घासांचित्र प्रिया जाता है। अर्थात् प्रसारणित संतुष्टि का विवरण विस्तृत गुरुराम है—

वर्षवार प्रसारणित संतुष्टि कीजाना।

वर्ष	शेषफल (पर्यामीटर)	गहराई (मीटर)	आगतन (प्रमाणीटर)	प्रसारणित उत्पादन (रुपये)
प्रथम वर्ष	१८७	१.५	१,३३३	३,३३६
द्वितीय वर्ष	११४	१.५	१,३७१	३,४३७
तीसरी वर्ष	१३५	१.५	१,४००	३,५०८
चतुर्थ वर्ष प्रथम वेद	५०८	१.५	७०२	१,४०४
चतुर्थ वर्ष द्वितीय वेद	४६६	१.५	७४२	१,४०१
पाँचवां वर्ष	१,०६२	१.५	१,३७८	२,९५५

आगामी वर्षों का संतुष्टि का योजना।

वर्ष	शेषफल (पर्यामीटर)	गहराई (मीटर)	आगतन (प्रमाणीटर)	प्रसारणित उत्पादन (रुपये)
छठवां वर्ष	१,१०६	१.५	१,०५९	२,१४७
सातवां वर्ष प्रथम वेद	२२१	१.५	३३१	६,६२१
सातवां वर्ष द्वितीय वेद	१३२	१.५	१,३९६	२,६९६
आठवां वर्ष	१,२३१	१.५	१,८४६	४,८१६
नौवां वर्ष प्रथम वेद	४१९	१.५	६३७	४,६४९
नौवां वर्ष द्वितीय वेद	४७५	१.५	१,३१२	४,६१२
दसवां वर्ष	१,३१९	१.५	१,३७९	४,९४६

बीड़: लालिका में प्रसारण की जल की छोड़ी की गुरुराम्भिकी किया गया है।

11. खल आगामी — लौंगोंजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा १० प्रमाणीटर प्रतिदिन होगी। यह की आपूर्ति दोस्ती के सम्बन्ध से किया जाता है। खदान में लाए गए गुरुराम नियन्त्रण हेतु यह का विशेषज्ञ किया जाता है। यही आवश्यक प्रसारणित कार्यकलाप उपरात्र अपाराई जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु दोस्ती का गुरुराम गीटर लालिकी से अनुपर्युक्त लिया जाना प्रस्तावित है।
12. कुशारोपण कार्य — लौंग होम की सौमा में पानी कीर २.५ मीटर की पट्टी में १,२०० नम कुशारोपण किया जाएगा।
13. प्रस्तुतीकरण के दौरान प्रतियोगिना प्रस्तावक हाशा बताया गया कि लौंग होम की सारी जीव २.५ मीटर (खदान के लिए प्रतिवर्षित क्षेत्र) होम के कुछ भागों में उत्पन्न किया जा सकता है।
14. पूर्व व जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- पूर्व में यूना पालाव खदान जलसंग्रह २०९, बुल लौंगोंजना — ०.७०९ हेक्टेक्टर जमात — ४०४६.२६ टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जीता

सर्वोच्च नियंत्रण समिति नियंत्रण प्राधिकरण, गिरा-दालानुसार इसा दिनांक 29/01/2018 को जारी की गई। यह नियंत्रिति दिनांक 31/03/2023 तक की अवधि हेतु जारी की गई।

- i. यहाँ में जारी पर्यावरणीय नियंत्रिति के शर्तों के पालन में की गई कार्यकारी की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- ii. नियंत्रित शासनानुसार प्राप्तीय नहीं किया गया है।
- iii. कार्यालय कलेक्टर (जनि शासन), डिल्ली-शासनानुसार की जापन इनाम/324/स.लि.03/2020 शासनानुसार, दिनांक 04/02/2020 द्वारा दिनांक की से किये गये उल्लंघन की जानकारी नियमानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2009	100
2010	280
2011	120
2012	250
2013	410
2014-17	निम्न
2018	4,367
2019	2,900

15. कौपरिट एयरवेलीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, कौपरिट, एन एफ जलाशय, परिवर्तन प्रशासन, एवं ट्रोडी के ऊपर दिनांक 01/09/2018 के अनुसार की दृष्टिकोण (Corporate Environmental Responsibility) हेतु नियंत्रित के सभी प्रश्नों द्वारा जारी ज्ञानानुसार प्रस्तुत रूप से दिया गया है।-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Govt Primary School Village-Mohbhattha Ram Water Harvesting System	0.60
			Potable Drinking Water	0.60
			Running Water facility for toilet	0.20
			Total	1.30

नियंत्रित द्वारा उल्लंघन शर्वसम्मिति से नियन्त्रित किया गया है:-

1. लौह छोड़ की जारी और 7.5 मीटर की लालूगी वर्गित (उल्लंघन की जिम्मेदारियां देख) में किये गये अनियंत्रित उल्लंघन छोड़ की जानना (ट्रैक्टर एवं गाड़ियाँ बहित), कुत्थर्गित छोड़ की जाना हेतु प्रस्ताव का विकल्प एवं कार्य पूर्ण किये जाने का समय के समय सापेक्ष पर्याप्त प्रस्तुत किया जाए।

- लीज होम की सीमा में बाहरी और 7.5-मीटर की पट्टी में पुष्टारीपन किये जाने चाहती आवश्यकता प्रस्तुत किया गया है।
- संघर्ष विश्वासी के अधीन सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) का प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- परिवेशान: इकाईका की उपरोक्त समाज और आवश्यकी / दर्शावाएँ प्रस्तुत किये जाने उपरोक्त आवश्यकी प्राप्तिका की जाएंगी।

एनईएसी, अस्तीतिगत के लाभन पिनाम 03 / 07 / 2020 की दर्शावत में परिवेशान प्रत्यावर्त द्वारा जानाया गया / अस्तावेज दिनांक 19 / 10 / 2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(v) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी/दर्शावेज का कानूनीतान एवं परिवेशान का लिख नियम दाखिल करा गया—

- लीज होम की बाहरी और 7.5-मीटर होम की कहाँ भागों में पुष्टारीपन किया गया है। प्रस्तुत प्रस्तावित थीं की दिनांक 2020 की मीटर पुनर्वाप्त कर पुष्टारीपन का कार्य किया जाएगा। इस बाबत याज्ञ एवं प्रस्तुत किया गया है।
- लीज होम की सीमा में बाहरी और 7.5-मीटर की पट्टी में 1,000 एवं पुष्टारीपन किया जाएगा।
- संघर्ष विश्वासी के अधीन सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) का प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
- गानमनीय एमएसीटी, विशेषज्ञ बैच, नई दिल्ली द्वारा दायेंद्र प्रस्तुत विकास विभाग द्वारा पर्यावरण, वन और जातवायु परिवासीय संवाहनप, नई दिल्ली एवं अन्य (भौतिकलन एवं विकास न. 186 ओफ 2016 (एवं अन्य) में दिनांक 19 / 09 / 2018 की पारित आदेश में नुस्खा रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—
 - Providing for EA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25-ha, falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEAA, as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5-ha, EA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा कियाए गयाए उपरोक्त तर्जसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया—

- कार्योलय नालंडर (एनी राहा), जिला-कानूनिकाओं के आने दिनांक /4010/ डिसी 03 / 2019 दातानादाताय दिनांक 07 / 12 / 2019 की अनुसार आधिकारिक रूपाने से 600 मीटर की दूरी अपरिवेश आव खदानों की बाब्ता निरेक है। आधिकारिक रूपान (इम-सोहन्टला) का राखा 0.709 हेक्टेक्टर है। खदान दो छोटे से 600 मीटर की परिधि में बीबूल/बाबालिंग खदानों का भूज द्वितीय 8 हेक्टेक्टर का सतह का भूज के बारे द्वा खदान है—इसकी जानी गयी।

- नेतृत्व सीच के 7.5-मीटर बाहरी यादी में जिसे नवे उत्थानन द्वारा उत्पन्न पुनर्जनन सार कूरानीयता की घोषणा/विकल्प गाइडिंग लाइन में सामिल किया गया।
- समिति द्वारा विवाद दिलाई चर्चाओं संबंधिती ही अवैदेष - नेतृत्व की शीर्षेढ़ मुकाबले बाहर (भौतिक लाईम स्टोर गाइड) परी यात्रा-गाइडिंग, लहरील-जीवनांदन, जिला-दूरदूरांदन के रखारा छान्दो 209 में जिला गुना गलाव (गौरा गांगोत्री यात्रा), कुल लंबकल - 0.269 हेक्टेयर लालता - 4.946 टन प्रतिहरि हेक्टेयरिंग-01 से गर्भी जली की अवैदेष पर्यावरणीय रीढ़कृति दिये गए जी अनुसार जी गई।

इसके बाद पर्यावरण सम्बन्धी विवरण व्यापिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उन्नीतनांक की अनुसार निर्धारित किया गया।

- गोरार्ह दूरदूरपादा औलोगाइट क्षारी (पी- वी वायर के लिया), चांग-दूरदूरपादा, लहरील-जायरी, जिला-जीविती-जायर (समिक्षालय का नम्बर 1120) और नलाईन आवैदेष - उपोजल नम्बर - एसआईए/ शीजी/ एसआईए/ 136-134 / 2020, दिनांक 10/01/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत और नलाईन अवैदेष में विभिन्न रूपों से आपन दिनांक 16/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक तुला विभिन्न जालकारी दिनांक 19/05/2020 को और नलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित औलोगाइट (लौश स्टोर) द्वारा है। यहां चांग-दूरदूरपादा, लहरील-जायरी, जिला-जीविती-जायर जिला राजनीति नम्बर 2333/A, कुल लंबकल - 4.51 हेक्टेयर में है। यहां जी आवैदित उत्थानन जालता - 61,057.28 टन प्रतिहरि है।

वैठकों का विवरण -

- समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/09/2020;

समिति द्वारा प्रकल्प की नम्बरी एवं प्रस्तुत जानकारी का परिवार तथा उत्थानन संदर्भमें से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

- पूर्व में आवैदित रूपांतर वर्त उत्थान द्वारा पर्यावरण सम्बन्धी विवरण व्यापिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्थानांद अव्यावहारिक राजीव वायर संबंधित व्यापिकरण (टी.ई.आई.ए.ए.) उन्नीतनांक द्वारा पर्यावरणीय स्तीकृति दी गई है, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्तीकृति की प्रति एवं अविरोधित जली के जालम में जी गई कार्यवाही की जानकारी पोटीयायन तहित प्रस्तुत की जाए। याथ ही उत्थानांद वर्ती उत्थान वित्ती जानकारी की जानकारी की जाए।
- विनत दशों ने जिए गए उत्थानन की वायरिंग का प्रस्तुत की जाए।
- अपेक्षा सरकार, पर्यावरण, वन और जलपान्त्र परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली के जी एम डिपार्टमेंट 01/05/2018 को अनुसार जीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रकल्प प्रस्तुत किया गया।
- पर्यावरणां व्यापक जी उपरोक्त जानकारी / यस्तावेत (अद्यतन पोटीयायन) के साथ अग्रामी यह जी आवैदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

अनुसार वार्तालाई उत्तराधिक भौमि एवं इसकी अधिकारी के हाजर दिनांक 27/06/2020 हुआ प्रस्तुतिकारण होतु सुनिश्चित किया गया।

(५) रामिहि की 331वीं पैकड़ दिनांक 02/07/2020:

प्रस्तुतिकारण होतु भौमि अधिकारी के अधिकारी प्रस्तुतिकारण होतु सुनिश्चित हुए। अधिकारी नहीं प्रस्तुत जानकारी का अधिकारी एवं वार्तालाई करने पर जिम्मा दिल्ली वार्ता नहीं-

१. वाम पश्चायत का अनुमति प्रमाण पत्र — ग्राम्यगम की संख्या में वाम पश्चायत नूसरदार का दिनांक 13/09/2012 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
२. ग्राम्यगम योजना — नार्थमिंग पताम एलाय विल घोरीनिव महिन प्रतीक्षित जान प्रस्तुत किया गया है। जो भवतीप छान बूल, नामपुर के जापन अन्तर्गत खोटी/खोटीपुर/हस्तीएलएग-1106/एनजीपी। दिनांक 16/04/2013 हाजा अनुमतिदात है।
३. 500 गीटर की परिधि में विद्युत खदान — वार्तालाई कलेक्टर (खानी राजा) जिला-जात्यारी-चाप के जापन ग्रामीक / 3022/पौन वानिक / १-निविदा/भ. ३/ 2019-20 जात्यारीर दिनांक 11/02/2020 की अनुसार आवेदित खदान हो 500 गीटर की भौमि । छदान शोबकल 42.75 एक्टेसर होना चाहका स्थान है। जिसमें योग्यत विद्युत खदान के लीज तीव्र से 500 गीटर की परिधि में वार्तालाई खदानों का विवरण दिया गया है। इसके प्रमाण पत्र हो तो वह वहाँ नहीं हो सकता है कि उसके खदानों के 500 गीटर के भीतर अन्य खुमान हो अपेक्षा नहीं? इसके अधीन विद्युत खदान 2006 (यथा जानीका) के परिवर्तित जनस्टर अनुसार “फौर्टी एक्टेसर द्वारा जनस्टर जाएगा, जब एक लीज के परिवर्ती के बीच दूरी उनके खदानों वानिक क्षेत्र में अन्य गढ़हों के परिवर्ती की 500 गीटर से कम है।” अधीन विद्युत खदान जो योग्यत विवरण में विद्युत खदान के लीज तीव्र से 500 गीटर के भीतर आने वाले खदानों की आविष्का करती हुए उसका इस प्राप्त वानी खदानों को (जनस्टर में खदानों को वहाँ तक वानिक दिया जाएँ जानी तक 500 गीटर की दूरी में जोई खदान अवशिष्ट न हो) जानिक दिया जाना चाहिए।
४. 200 गीटर की परिधि में विद्युत सार्वजनिक होउ/सारंचनाप् — कार्यालय जालेक्टर (खानी राजा), जिला-जात्यारी-चाप के जापन ग्रामीक / 3021/पौन वानिक / १-निविदा/न.का./ 2019-20 जात्यारीर दिनांक 11/02/2020 प्रमाण जारी। इसीप यह अनुसार उक्त खदान से 200 गीटर की वर्तित में फौर्टी गीटरीजनिक होउ तोही नीदिय, नहिंद, सरचट, अरुपाल, लूल, यूल, बॉल, एक्टेसर एवं जल अनुसारी आदि प्रतिवर्तित होउ विवित नहीं है।
५. एलओआई, का विवरण — एलओआई की संख्या जानिया का बहु पत्र है, जो जातीनामाव जामन वानिक साथन दिभाग, गवाहाल चाप जनस्टर निवास देवपुर की जापन जमाना एक ३-11/2011/१२ रामनुर दिनांक 07/05/2011 द्वारा जारी हो रखा जिसकी विवरण जमाना हो सकती है।
६. डिस्ट्रीक्ट राई रिपोर्ट — वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट राई रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

- मन शिनाय का अन्यायित प्रमाण पत्र – कार्यालय इमामगुरुहासियाहि रामगंगड़ल पातालीक-चाम्पा विद्वत्-जैशीक-चाम्पा के जापन ज़ा/सदि / 2516 / 2020 दिनांक 04 / 12 / 2020 से जारी अन्यायित प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई।
 - महावधुणि शारदनाथों की दूरी – मिकटलम कलामी चाम-हृषीकेश 35 कि.मी. एवं रखुत बूरापाटा 36 कि.मी. की दूरी पर विद्वता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कि.मी. एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 26 कि.मी. दूर है।
 - परिसिध्दियोगीय / दी विधिविभाग शाखेदासील दीव – परिधीजना प्रशासन द्वारा 10 कि.मी. की दूरी पर अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्दाजारा, कान्टीय प्रस्तुत नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रोत्तित क्लिटिकली फॉल्यूटर दरिया परिसिध्दियोगीय शाखेदासील दीव पर योग्यता दीक्षितप्रिया दीव किया नहीं होना प्रतिबंधित किया गया है।
 - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति वांचती विवरण – इस खात्रि को पूर्व में पर्यावरणीय विवरणीय जारी नहीं की गई है।
 - प्रस्तुतीमाला के दीर्घन पाता चाहा कि ज्ञान की एलओआर्ट एवं माईक्रोसॉफ्ट की कैला चाहा हो सकती है दूरी।

समिति द्वारा ललाचक शब्दसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

 - एलओआर्ट विवाह इडिट सेक्युरिटी इकाईयोग प्रस्तुत किया जाए।
 - ऐसा माईक्रोसॉफ्ट प्रस्तुत किया जाए।
 - माईक्रोसॉफ्ट की उल्लंघन दीव में 500 बीटर के बीतर गार्डियन अन्य रुदानों की जागरूकता भूमि पर दिये हुये विवरण उन्नुसार प्रस्तुत किये जाने की सिर्फ विदेशियों किया जाए।
 - परिधीजना प्रस्तावक दीव उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / उल्लंघन प्रस्तुत किये जाने वायरात जलानी कार्यवाही की जाएगी।

एसडीएसी, ललाचक दीव के जापन दिनांक 30 / 09 / 2020 के परिवेष्य में परिधीजना प्रस्तावक द्वारा प्राप्तकारी / इकाईयोग दिनांक 16 / 10 / 2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(ii) समिति की अकारी बैठक दिनांक 07 / 11 / 2020

(ii) कार्यस्थि की अकाली दैनिक दिनांक 07 / 11 / 2020

समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेज तो अवलोकन एवं परीक्षण करने पर लिप्त विधि पाई गई—

- परियोजना प्रसारण के द्वारा उत्तरानना कर्तव्य प्राप्ति मही करने के लक्षण यूंहे में प्रस्तुत एसओएसी एवं नाईमिंग प्राप्ति तो साम्य किंवदं जाने का अनुरोध किया गया है।
 - नाईमिंग योग्यता के कलरेटर बोर्ड में 500 सीटों की भीड़ जारीखित साम्य लाभानी की जानकारी के साथ ने यूंहे में दिये गए इमारण घरों को ही यूंहे प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विषयी उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि चरितोंजना उल्लापक को जागानी नाह से जायोजित वैष्णव में पर्यंत ने सारी गंडे बहिरा

प्राचीनतमी वर्ग संस्कृत सुभाषणा भाषणकारी / देशवापेत्र अलिम अस्सुखियार्थ द्वितीय वार्षि
क विदेशित विद्यालय इस्टर्न

परिवारोंना दृश्यताके लिए राष्ट्रानुसार समिति लिया जाए।

३. मैत्री वर्गों की विवरण शार्थ माईन (प्री-क्ली परमेश्वर सम देशभूमि), पात्र-वर्गों, कुलशील व विला - दूर (साधिकालय का नस्ती छमांक ६३८)

कोनलाईन आवृद्धन - प्रधानमंत्री नम्बर - प्रसाराईप/ रीडी/ रमेश्वराईएन/ ३४८७०/२०१०: दिनांक १३/०४/२०१०। परियोगना प्रस्तावक द्वारा इस्तुत अनिलाईन आवृद्धन में वार्षिकी होने से ज्ञापन दिनांक ०९/०५/२०१० की द्वारा प्राप्तिकाली उत्तर कानून हेतु निर्दीशित किया गया। परियोगना प्रस्तावक द्वारा यातिरिक्त जासूसी की दिनांक ०३/०६/२०१० के अनिलाईन प्रस्ताव की गई।

प्रतिकार्य का विवरण — यह प्रतिकार्य मिट्टी बलूनम (गोप गुरुभिर) वद्यम है। नवदान दाम-बंदीची लक्षणीय है जिससे — तुर्ग मिथा दामन अलूक 1117 से 1118, 1122 से 1125 तक 1135 से 1141, 1148/1 एवं 1150 तक लाख्यक-२ गोपेय के प्रतिकार्य हैं। वद्यम की आधिका मिट्टी बलूनम (गोप गुरुभिर) अमृत-330 दामबीच गुरुभिर है।

प्रस्ताव की साथ भालमन मुख्य प्रभाव घड़ - परियोजना इतनाके द्वारा औ उनीने गिटटी उत्तेजन तदानि के एकलव्यीय स्वीकृति ऐसे आवेदन के साथ मुद्रा
कार्य के लिए प्रसाध घड़ तदाप्ति किये गए हैं-

1. साम पंचायत का आनापत्रित प्रभाग पत्र — उत्तराखण्ड की संघर्ष में साम पंचायत बोर्डी का दिनांक 20/05/2019 का अनापत्रित प्रभाग पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 2. उत्तराखण्ड गौलमा — काही पत्रम प्रस्तुत किया गया है, जो जनि अधिकारी किला-पालोद के शासन क्रमांक 722/खनि/खगि/2018, पालोद किला 20/07/2018 द्वाय अनुमोदित है।
 3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्बोलय कलेक्टर (जनि जारा) किला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 40/ए/खनि/खगि/2018 दुर्ग, दिनांक 05/04/2019 का अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भौतिक 1 घायान, लम्बाई 1.15 हेक्टेयर है।
 4. 200 मीटर की परिधि में स्थित रार्क्युलिक क्लैब/बाइबिलाए — कार्बोलय कलेक्टर (खनि जारा) के द्वारा जाही प्रभाग पत्र अनुसार यहात खदान की 200 मीटर की परिधि में 50 मीटर से अधिक यह साता एवं 100-मीटर के लियाना नहीं सिधाया है। इसके अधिकारी भट्टर, गर्गट, अरवलाल, रम्युल, दुर्ग, शो, एनीकट एवं जल अनुसि आदि प्रतिक्षित क्लैब नहीं हैं।
 5. एलओआई, शंखेड़ी चिनारण — एलओआई, गार्यालिय कलेक्टर (जनि जारा), किला-दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 193/खनि/खगि/2018-जीवान/2018 दुर्ग, दिनांक 20/04/2018 द्वाय जानी गई चिनारी चेता जानी दिनांक 20/04/2018 की जाही जाही गई है। जल परियोजना प्रस्तावना दुर्ग द्वाय एलओआई जीवा चिनारी जामांत हो गई है।

10

८. बन दिभाग का अनापवित्र प्रमाण पत्र - जायज्ञवल्लभपालिका की दुर्घटना विवरण संकलन, विलो-दूर्ती गो छाक्का/मापि./2019/3235 दूर्ती दिनांक 26./07./2019 की आगे अनापवित्र प्रमाण पत्र उन्नुसार आवंटित गृहि दम होते से उपर्युक्त 40 किमी गो दूरी है।

वेटकों का विवरण -

(अ) समिति की 201वीं बैठक दिनांक 22./08./2019:

समिति द्वारा प्रकाश की नवीनी पूर्व प्रस्तुत प्राप्तिकारी का वरिचार, तथा उत्तराधिकारीसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

१. फोर्म-२ की दिनु ज्ञानांक ८ में मार्टिनिंग और अटिंग्सी इंटीन बाह्यन कमता - ३०० प्रतिमीठा प्रतिकारी का उत्तरोत्तर किया गया है, जबकि उन्हें उत्तराधिकारी ने निर्दली उत्तराधिकारी का उत्तरोत्तर किया गया है। इस विषयी स्पष्ट की जाए।
२. एलओएसी गोपा युक्ति गोपी दसावें प्रस्तुत लिया गया।
३. वरिचारकर्ता उत्तराधिकारी को आगामी माह की उत्तराधिकारी बैठक में गोपी युक्ति गोपी दसावें प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट लिया गया।

उत्तरानुसार वरिचारकर्ता उत्तराधिकारी को एसईएसी, आर्टीसीएस के द्वारा दिनांक 11./09./2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु युक्ति लिया गया।

(ब) समिति की 204वीं बैठक दिनांक 18./09./2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वरिचारकर्ता द्वारा दिनांक 18./09./2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु युक्ति लिया गया।

१. वरिचारकर्ता प्रस्तावक द्वारा कामा गया थे प्रत्येकी आइ. गो विज्ञा युक्ति हेतु अधिकार लिया गया है। इस आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु गोपी दसावें लिया गया।

वरिचारकर्ता प्रस्तावक के अनुरूप को स्वीकार करते हुए समिति द्वारा उत्तराधिकारीसम्मति से निर्णय लिया गया था कि वरिचारकर्ता प्रस्तावक गो गोपी युक्ति नहीं होने के कारण जो समिति की दसावें बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु युक्ति लिया गया है। जो आगामी माह के वायोजित बैठक में गोपी दसावें हेतु उन्नुरोध लिया गया है।

उत्तरानुसार एसईएसी, आर्टीसीएस के द्वारा दिनांक 28./09./2019 द्वारा वरिचारकर्ता प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु युक्ति लिया गया।

(स) समिति की 207वीं बैठक दिनांक 11./10./2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु जोई नी प्रतिमिति-उपसिद्धि नहीं हुए। वरिचारकर्ता प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11./10./2019 द्वारा सूचित ही गये हैं कि अवैधिकी कारणी (एलओएसी विज्ञा युक्ति नहीं होने के कारण) जो समिति की दसावें बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु युक्ति लिया गया है। जो आगामी माह के वायोजित बैठक में गोपी दसावें हेतु उन्नुरोध लिया गया है।

समिति द्वारा उत्तराधिकारीसम्मति से निर्णय लिया गया था कि वरिचारकर्ता प्रस्तावक को आगामी माह के वायोजित बैठक में गोपी युक्ति गोपी दसावें प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित लिया गया।

३४

प्राप्तुसार परियोजना प्रस्तावक की एसईएसी अस्ट्रीलियन के द्वारा दिनांक 07/11/2019 हाला प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(c) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिमिति उपलिख्त नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक की एस दिनांक 20/11/2019 हाला सूचना की गयी है कि अपरिवारी कारण (एसआईएसी अस्ट्रीलियन की होने के कारण) से समिति की कामकाज में प्रस्तुतीकरण हेतु उपलिख्त होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के अधीक्षित बैठक में समय प्रदान करने हेतु कानूनीपत्र किया गया है।

समिति हाला तत्कालीन सर्वेसम्मति को निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक की आगामी माह के आधोजित बैठक में समलै सुनिश्चित आनंदामी / अस्ट्रीलियन कानूनी प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्राप्तुसार परियोजना प्रस्तावक ने एसईएसी अस्ट्रीलियन के द्वारा दिनांक 03/12/2019 हाला प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(d) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिमिति उपलिख्त नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक की एस दिनांक 09/12/2019 हाला सूचना की गयी है कि अपरिवारी कारण (एसआईएसी अस्ट्रीलियन की होने के कारण) से समिति की कामकाज में प्रस्तुतीकरण हेतु उपलिख्त होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आधोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु कानूनीपत्र किया गया है।

समिति हाला तत्कालीन सर्वेसम्मति को निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक की आगामी माह के आधोजित बैठक में समलै सुनिश्चित आनंदामी / अस्ट्रीलियन कानूनी प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

प्राप्तुसार परियोजना प्रस्तावक ने एसईएसी अस्ट्रीलियन के द्वारा दिनांक 13/01/2020 हाला प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(e) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिमिति उपलिख्त नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के एस दिनांक 16/01/2020 हाला सूचना की गयी है कि अपरिवारी कारण (एसआईएसी अस्ट्रीलियन की होने के कारण) से समिति की कामकाज में प्रस्तुतीकरण हेतु उपलिख्त होना संभव नहीं है। अतः अपरिवारी कामकाज प्रदान करने हेतु कानूनीपत्र किया गया है।

समिति हाला तत्कालीन सर्वेसम्मति को निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक का इनाम यानकाली एवं कानूनीपत्र पर द्वारा द्वारा आगामी कामेवारी की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक ने एसईएसी अस्ट्रीलियन के द्वारा दिनांक 09/01/2020 हाल आनंदामी / अस्ट्रीलियन प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। परियोजना प्रस्तावक प्राप्त दिनांक तक आधोजित आगामी एवं आनंदामी पर प्रस्तुत करनी किया गया है। परियोजना प्रस्तावक की एसईएसी अस्ट्रीलियन के द्वारा दिनांक 27/01/2020 हाल प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(f) समिति की 333वीं बैठक दिनांक 04/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कार्य में अधिकारी समिति लाभित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के बजे दिनांक 04/07/2020 द्वारा सुनवा दी गयी है कि अंतरिक्षमें कारबॉर्ड (एलओआई) विभाग तुम्ही भारी ओरे के काला) से समिति के नम्बर केटा में प्रस्तुतीकरण हेतु अधिकारी सम्मान सम्मान नहीं हुई है। अतः अंतिरिक्ष सम्म ध्वनि करने हेतु अनुरोध किया जाया है।

समिति द्वारा तात्पर्य समीक्षामें से विषय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वालिया जानकारी एवं अनुरोध पर इसमें पर आगामी अवधिकारी की जाएगी।

एसईएनी, उत्तीर्णगढ़ के इच्छन दिनांक 30/09/2020 के परिषेष्ट में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 23/10/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(अ) समिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज का अवधिकार एवं धरोहर तदने पर निम्न विषयों पर हुई गई—

1. एलओआई, का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एलओआई की कैफियत नामांत्र हो गई है। द्वारा योग्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपोल प्रकल्प क्रमांक एवं 4-27/2019/2012 विकल्प उत्तीर्णगढ़ इकाय सम्मुख द्वारा संभालक, जीमिली तथा जानियार्दी, उत्तीर्णगढ़ के इच्छन दिनांक 15/07/2020 को जारी घोषित आयोग की इसी प्रस्तुत की गई है। तब्दि में परियोजना के परिषेष्ट में अधिकारी की उनेहा नाम देशमुख अवधिकार स्व. श्री गुरुसाह लिला देशमुख नियासी प्राप्त-इमारी तात्परीय व विल-टुर्ने प्रतीक्षावध इस प्रस्तुत अधीक्ष आवेदन दिनांक 03/07/2019 को बाब्द जरते हुये इकाय कलेक्टर, जिला दुर्ग ने प्रस्तावनीति किया जान्दा निर्देशित किया जान्दा है कि उत्तीर्णगढ़ नीति दस्तिव नियम, 2015 व्यावहारिकोंत के नियम 42(5) के द्वायानीत गुण द्वारा की आवार पर नियमानुसार नियार एवं प्रकल्प का नियाकरण किया जाए।

समिति द्वारा विचार विभाजन प्रधान जावीकामिति से विषय लिया गया कि परियोजना उत्तावक की आगामी महीने आवेदन वेताव में यूर्जे में जाही गई जाविल जानकारी एवं यापका सुनायत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये गये हुए निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुनित किया जाए।

4. वैसाही जीवनी अर्थना यात्रा (मुमरहीड़कला लाईम कटीम काली), याम-दुर्गमीड़कला, गहरील व जिला-राजनांदगाम (समिकाली जा नस्ती कामांक 1247)

अंतर्जाल आवेदन — प्रधानमन्त्री — एकान्तर्याप/ जीकी/ एमआईएन/ 147920/ 2320. दिनांक 09/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अंतर्जाल आवेदन में जानियार्दी होने से इच्छन दिनांक 18/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा घोषित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को अंतर्जाल प्रस्तुत गई गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह यूर्जे की सम्बलित गुना गत्यर (गोप जनिय) खदान है। खदान याम-मुमरहीड़कला, गहरील व जिला-राजनांदगाम जिला याई जीफ जास्त

लाना—108, कुल रोपायन—2,023 हेक्टेयर ने है। खदान की अवधि चालन शायद—30,000 दफ्तर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण—

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रत्यक्ष की नस्ती एवं प्रभुत्व जानकारी का वर्णन तथा भवानीय कार्यालयों की विस्तारनुसार विवेच लिया गया था—

1. यहां पूर्व में आवेदित तथा वर क्षमता हेतु दात्य लहर पर्यावरण विभाग विभिन्न (एसईआईएप) घटीशब्द अथवा विभिन्न व्यापार व्यावसायिक विभिन्न व्यापार (डीईआईएप) घटीशब्द द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता की प्रति एवं अधिकारित गती के जाम गे गी गाँव जानकारी की जानकारी फौटोग्राफ़िक लिहित प्रत्युत की जाए। याम की विवरणोंमें की अद्यतन विवरि की जानकारी फौटोग्राफ़िक लिहित प्रत्युत की जाए।
2. यहां खदान पूर्व के राजनिया है, तो विशा गती में लिये गए उत्तराधिकारी वाचा की जानकारी लिहित विस्तार ही व्यापित गया। एवं प्रत्युत की जाए।
3. भारत जनतार पर्यावरण इन और जलवायु परिवर्तन विभाग, एवं डीएम इन दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सोइबार (Corporate Environmental Responsibility) हेतु उत्तराधिकारी विधि जाए।
4. परियोजना प्रवर्तन की संपर्क समर्थन गृह जानकारी / इसारोज़ (मिडल्स फौटोग्राफ़िक) के बाय आगामी गांव की आवेदित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने गतु निर्दीकित किया जाए।

जनतार परियोजना प्रवर्तन को एवाईएसी, घटीशब्द के जापन दिनांक 23/05/2020 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रवर्तीकरण हेतु भी सुधार दात्य, अधिकृत प्रतिविधि वालिका गए। समिति द्वारा जलता उत्तराधिकारी का उत्तराधिकार एवं फौटोग्राफ़िक करने का नियम लिहित गाँव एवं

1. याम पर्यावरण का अनापत्ति उत्तराधिकार यज्ञ — जलानन की जलता में याम विवरण लिहित उत्तराधिकार का दिनांक 27/11/2020 का अनापत्ति प्रवर्तन यज्ञ प्रत्युत किया गया है।
2. उत्तराधिकार योजना — क्षायी प्लान कलांग विभा जलती लोकों द्वारा याम तिथि उत्तराधिकार मेनेयागेन्ट प्लान प्रत्युत किया गया है, जो उप संवादक (योनिप्रवा) विलो-रायपुर के इकायन जामाक दा/सुरि/वीम-८/2018/348 द्वारा दिनांक 10/02/2018 हारा अनुमोदित है।
3. 300 मीटर की परियोजि से विषय खदान — जलान्तर लोकों (खुनि जाम) विलो-रायपुर द्वारा जलान्तर दी जान्तर फैसल २८०३/४५३ि ०३/२०१९ यामनायगांव दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित जलान्तर की 300 मीटर की जलता अनापत्ति के खदान के उत्तराधिकार ७२४६ हेक्टेयर है। यामीलय लोकों (खुनि जाम) विलो-रायपुर दी जलान्तर फैसल २८०३/४५३ि ०३/२०१९ यामनायगांव (दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित जलान्तर की 300 मीटर की जलता

खार्डिनेट के खदान में होडमाल 7,746 ब्रैक्टेट्स पर लीना चाहिए गया है। यिन्हाँने खदान परिवारातीन खदान तो लीड लीना से 500 मीटर के परिसर में आरेखिया खदानों का विकल्प दिया रखा है। उसके पुण्याधि पत्र से यह खदान नहीं ही रहा है कि युक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं जिनका भारी दूरी अपेक्षित नहीं है। 2008 (यामा इंजीनियरिंग) ने यदिनाजित फलाउटर अनुसार जोई वलस्टार द्वारा सभी बनाया जाएगा, ताकि एक लीड तो परिसरों की लीच दूरी उस सदूषण खनिज अंडे ने अन्य घटटे के परिसर से 500 मीटर से कम हो। अर्थात फलाउटर द्वारा लीड लीनोडिनियल निरूपण लोड में दिवारातीन खदान के लीड लीना ही 500 मीटर के भीतर आने वाले तभी खदानों की शानिल जलते हुए तभी इस प्रकार शानिल खदानों के लीड शैक्षण के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य लभी खदानों का फलस्टार में खदानों को दही तक शानिल यित्ता जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान खार्डिनेट न हो। शानिल यित्ता यहाँ तक रहती रहती है कि उसका अधिकांश भाग अन्य यत्के गंगावत जलता रहता रहता रहता है।

4. 200 बीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक लौज/सारंगभाष्ट - कागीलय कलेक्टर (जिनि जाता)। जिला-सारंगभाष्ट के छापन डम्पक /2803/ तिथि 03/01/2019 तात्पुत्रादाय, दिनांक 07/11/2019 प्राप्त जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त जाता जाता के 200 बीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक लौज नहीं महिर गलियां, गोधड, झारखाल, रुक्का, दुल, बाब, एवं गाट एवं जल आपूर्ति आदि प्राप्तिमित हीज निर्मित नहीं है।
 5. लीज तथा विवरण - यह जाताजीव गूमि है। जिली लीज लीसी आपूर्ति वाले के बास पर है जीज वीक 05 जारी अवधि दिनांक 05/01/2001 से 04/01/2006 तक की आधि है तथा प्रथम योग्यताकाल दिनांक 05/01/2006 से 04/01/2011 तक की आधि है तथा तीसरी योग्यताकाल दिनांक 05/01/2011 से 04/01/2031 तक की आधि है तथा तृतीय की तरी है।
 6. फ़िक्ट्रीजट तात्व रिपोर्ट - भारत सरकार, पश्चिमाञ्चल वन और जलपात्र भवित्वात् नज़र आया, भवी फ़िक्ट्रीजट की अधिकृतता दिनांक 25/07/2018 द्वारा विभिन्न प्रावन्त में फ़िक्ट्रीजट सर्वी रिपोर्ट (District Survey Report) की घटी प्रस्तुत की जाती है।
 7. बन जिलां का आपापत्ति प्रभाव वन - कागीलय अम्मनझलापुरीकाली, जमगढ़ल सारंगभाष्ट के जिला-सारंगभाष्ट के छापन डम्पक /गायि/ नं.क 10-1/2020/ 1836 सारंगभाष्ट काल दिनांक 13/02/2020 से जारी आपापत्ति प्रभाव वन अनुसार आपूर्ति द्वारा बन खुमि की जीवा हो जिली की खुमि पर है।
 8. गहुवयचूर्ण पारंगनामी की दूरी - निकलाय जायादी गाम-कुमरकीकाला 2.5 किमी, नम्बुल एवं अम्मनझल गाम-कुमरकीकाला 2.5 किमी, कम दूरी पर जिला है। राष्ट्रीय रापानामी तक जिला है।
 9. पारिस्थितिकीय/स्थानियिकाता गतिविहारील हीज - परियोजना इकातावाह इत्ता 10 किमी की परिधि में अंतर्विज्ञीय लीना, गोन्दीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राप्ति किटिकली परियोजना शूरिया, पारिस्थितिकीय गतिविहारील हीज का प्रतिक्रियादर्शिता हीज जिला भी होना प्रतिपेक्षित जिला है।
 10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिलालैजिकल जिला जाता 7,00,000 टन भाष्टेवल रिपोर्ट 2,88,870 टन एवं रिपोर्टरेवल रिपोर्ट 2,88,073 टन है। लीज की 7.5 गोल गोली लीना पहुंची (जाता जाता के रिए प्रतिपेक्षित जोग)



वह लैक्सल 0.370 होते हैं। औपन ग्राहक जीवी कोर्टेक्टिव लियो से उत्तमता लिया जाता है। उसके बीच प्रत्याक्षित अधिकारम् यहतु 15 मीटर है। उनकी घटियों की भावा 10,721 डॉलर एवं नीटर्प 1 मीटर है। केव जी ज्याह 1.5 मीटर एवं जीकाह 1.6 मीटर है। ग्राहक की समाजित जग्य 10 करों है। जोक हिंदू से श्रिलिंग एवं कम्प्लीक्स बार्लिंग लिया जाता है। अंतिम प्रस्तावित जालनन का लियमन निम्नानुसार है—

क्रम	होउल (जनरीटर)	ग्रहराई (मीटर)	आवश्यक (जनरीटर)	प्रस्तावित जालनन (टन)
प्रथम कर्म	3,193	3	0.679	23.641
द्वितीय कर्म	3,402	3	10.306	35.515
तृतीय कर्म ग्राहक द्वय	3,670	3	11.025	37.570
चतुर्थ कर्म	3,862	3	11.080	38.590
पाँचवां द्वय	4,064	3	12.012	39.636

आगामी वर्षी का चलननम् योजना

क्रम	होउल (जनरीटर)	ग्रहराई (मीटर)	आवश्यक (जनरीटर)	प्रस्तावित जालनन (टन)
छठवां द्वय ग्राहक द्वय	1,107	3	3.321	8.302
सप्तवां द्वय द्वितीय द्वय	2,897	3	8.091	21.727
सातवां द्वय	4,004	3	12.012	30.000
८०८वां द्वय ग्राहक द्वय	7,000	3	3.000	7.500
आठवां द्वय द्वितीय द्वय	3,001	3	9.003	22.507
नौवां द्वय ग्राहक द्वय	3,602	3	10.806	27.015
दसवां द्वय	590	2	1.196	2.990
एकां द्वय	4,791	3	0.582	22.963

नोट— तालिका में दालनन के बारे की जाते हो दृष्टान्तीक लिया जाया जाया है।

11. जल आपूर्ति— परियोजना हेतु आवश्यक जल की जात 10 घासीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति पौरकोल ने जालन से ही जाती है। ग्राहक में याम् उद्योग नियंत्रण हेतु जल का छिक्काव लिया जाता है। यही व्यवस्था प्रतिदिन जारीकलाप रखता है अपनाई जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु संस्कृत याम्य ग्रीटर अप्लियोलों से इनुमित लिया जाना प्रस्तावित है।

12. युआरीपाण कार्य— इन दोनों की सीमा में बारे जो 7.5 मीटर की घटियों में 210 नग् युआरीपाण लिया जाएगा।

13. प्रतिवर्षित होउल में चलननम्— प्रस्तुतिकरण के दोस्त परियोजना द्वारा याम् कलाया जाया कि दोनों होउल की जाती ओर 7.5 मीटर भीड़ी दोनों होउल (चलनन के लिए प्रतिवर्षित घंटों) के बारे भावों में चलननम् लिया जा सकता है।

14. पूर्व में यारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी दिक्षण—

पूर्व में युआरीपाण कलाया जाना पार्ट ऑफ यासो फ्रान्स 100 युआरीपाण— 2,023 टेक्टेम्पर जानता— 30,030 टन प्रतिवर्ष हेतु प्रदानकर्ता अप्लियोलो

विज्ञा कर्तवीय पर्यावरण उत्तमाधार मिशन ग्रामिकाएं, विज्ञा-संगठनोंद्वारा ३० दिनांक ०६/०७/२०१८ के बारी की थी। यह सौमुख्यी हिन्दी ३१/०३/२०२० तारीख की आवधि हेतु बारी की थी।

- iii. यूटी ने जारी गर्भवतीय स्टीम्पूटि के बारी के बालन में की गई कार्यकारी की उत्तमता प्रसूत की गई है।
- iv. नियांसिंह शास्त्रीनुसार दुष्कारीयम नहीं किया गया है।
- v. कार्यालय कलंकटर (खपि शास्त्रा), विज्ञा-संगठनोंद्वारा के आपन अन्तर्गत /३२८/ख.सि.०३/२०२० संगठनोंद्वारा, हिन्दी ०५/०२/२०२० कार लिंग पारी ने खिये रखे उत्तमता की जापकर्ता नियांसिंह द्वारा है।-

बारी	उत्तमाधार (टर्न)	बारी	उत्तमाधार (टर्न)
2001	नियां	2009	500
2002	200	2010	300
2003	100	2011	3,600
2004	100	2012-16	५१५
2005	150	2017	३६,५००
2006	240	2018	८,०००
2007	2,742	2019	१,०००
2008	८७६		

- vi. कार्यालय कलंकटर (खपि शास्त्रा), विज्ञा-संगठनोंद्वारा के आपन अन्तर्गत /३२८/ख.सि.०३/२०२० संगठनोंद्वारा, हिन्दी ०५/०२/२०२० कार लिंग पारी में किये गए उत्तमता की उत्तमता ने इसी २०१७ में ३६,५०० टर्न उत्तमता बाराता देया है। याकि गर्भवतीय स्टीम्पूटि अन्तर्गत ३०,०३० टर्न घरिलूं तो लिए जारी की गई ही। उत्तम उत्तमता ने यह उत्पाद नहीं ही बहा है कि हिन्दी २०१६-१७ एवं २०१७-१८ में उत्तमता में उत्तमता की भावा दिया है।
- vii. कौशिकी यज्ञोगरणीय दायित्व (C.E.R.) – भवता उत्तमता, यज्ञोगरण, यन और उत्तमता यज्ञोगरण विभाग, यह दिल्ली की ओर से खेत्र ०१/०३/२०१८ के अनुसार चीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु जागिति के सम्बन्ध विभाग से उत्तम उत्तमता नियांसिंह प्रतीक घोषित किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70	2%	1.40	Following activities of Govt Primary School Village-Dumardihkalan	
			Rain Water Harvesting System	2.0
			Potable Drinking Water	0.25

		Running Water Arrangement	0.10
		Plantation	0.10
		Total	2.45

ਚਮਿਤੇ ਹਾਰਾ ਲਖਾਅ ਕਾਂਸਮਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲਾਰ ਨਿਰੰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਥਾ—

1. नार्सिंग विभाग से ललतन थोड़े में 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित जन्म घरदली की जानकारी पूर्व में दिये दुये विवरण अनुसार प्रस्तुत विषय के से तिर निर्देशित किया जाए।
 2. वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में दिए गए उत्पादन की वार्ताओं में जानकारी नार्सिंग विभाग से प्रमाणित करने वाले प्रस्तुत को देखें।
 3. और दोड़ की जारी और 7.5 मीटर की बाहरी वरिति (उत्पादन के दिए जानियाँ हों) ने किये गए अधिकारित उत्पादन थोड़े की समझ (बोर्डफल एवं रहित वाली) उत्पादित थोड़े की भवित्व हेतु प्रस्ताव का विवरण तथा कार्य पूर्ण किये जाने का समय की साथ देखा एवं प्रस्तुत किया जाए।
 4. लौज द्वेष जी जौना में जारी और 7.5 मीटर की पट्टी में गुरुत्वादार तित्व जाने सकती जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
 5. जल की आपूर्ति बोर्डफल के किया जाना चाहिए जाए है। सेन्ट्रल प्राप्ति केंद्र अधिकारियों द्वारा जारी नार्सिंगवार्क्स अनुसार परिवेशभाव नियम सेवी विहितकल अधिका जिल्लाकल अधिकारी जैसे जैसे के असरात आसे जालन जानकारी प्रस्तुत की जाए। प्रस्तुत वाटर चप्पांग काने हेतु नीट्रल डायनांड वाटर अधीक्षियों द्वारा प्रस्तुती की जैसी प्रस्तुत की जाए।
 6. उत्तम नियोजन की समर्पण सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) का प्रस्तुत उत्पादन प्रस्तुत किया जाए।
 7. पर्सोनल उत्पादन को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / वास्तविक प्रस्तुत की जैसी उपरोक्त जानकारी चार्टियाही की जाएगी।

एस है एसी, प्रतीकाम ते इन्हन दिनांक 03/07/2020 के परिणाम से परिवर्तन
प्रसारण द्वारा जानकारी / दस्तावेज दिनांक 02/11/2020 की प्रस्तुत की गयी।

(v) ग्रामिण की अपनी वैदिक दिनांक 07 / 11 / 2020:

समिति द्वारा भल्ली, प्रश्नाता जामकारी/दल्लावेज तो कलतोडन एवं बीजप करने पर यह सिंग विधि मात्र है—

- आपीलय कलेक्टर (जनि शास्त्र), निम्न-बांगालीका के पाल
उमा/4090/संवि.03/2020 रायगढ़दगाड़ दिनांक 20/10/2020 के
अनुसार आवृत्त खटाम में 600 रुपये की चौथर अधिकांश औ खटाम कीमत 3175 रुपट्टयाँ हैं।
 - आपीलय कलेक्टर (जनि शास्त्र), निम्न-बांगालीका के पाल
उमा/4138/संवि.03/2020 रायगढ़दगाड़ दिनांक 20/10/2020 के
अनुसार वर्ष 2016-17 में 26,600 टन-एवं वर्ष 2017-18 में 15,874 टन-एवं-सभी
किसानों से हैं।

1

- i. लीन क्रॉप की जाती और 7.5 ग्रैव क्रॉप के मुख्य वाणी में उत्पादन किया गया है। पुष्टराजन-उत्पादनित बोर्ड का दिनांक 2020 के भीतर युग्मभाव सर युग्माधिकार का आदेश किया गया है। इस बाबत उत्पादन पर प्रस्तुत किया गया है।
- ii. लीन क्रॉप की जीवा में जाती और 7.5 ग्रैव की पट्टी में 1,800 नग युग्माधिकार किया जाएगा।
- iii. उत्पादन वाटर उत्पादन करने वाले इन्हें रोटुल उत्पादन वाटर अधिकारी की अनुमति द्वारा करने से लिए जायेंगे किया गया है।
- iv. उत्पादनितीकारण की उपरान्त नीतीहार (Corporate Environmental Responsibility) का विस्तृत प्रसारण प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विवार किये उपरान्त वार्षिकालीन सीरीज़ किया गया कि परियोजना प्रस्तावका को आगामी वाह के आधीनित पैदल में पूर्ण ने जाती गई वाहिनी यांत्रिकी एवं समर्थन सुविधाओं तथा यात्री / दूरदृश्य वाहिनी प्रस्तुतीकरण किए जाने वाले इन नियोजित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावका को लंदानसार शुल्कित किया जाए।

5. नेशनल बी विकेक गुप्ता (बी-1 छठगांवकाला सीएड गाईन, चाम-लालगांवकाला, तहसील-प्रतापगढ़, जिला-सूरजपुर), एक और वायपुर, जिला-सूरजपुर (समितिकालीन नमी क्रमांक 1246)

बी-लाईन आवेदन - छठगांवकाला - एकाम्बा / नमी / एनजाईसन / 148046 / 3230 दिनांक 09/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित ऐत खदान (भीज शक्ति) है। यह खदान चाम-छठगांवकाला, तहसील-प्रतापगढ़, जिला-सूरजपुर लिखा खदान क्रमांक 306 नमी लीज लैन 4.90 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्पादन महान भवी जो किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित प्रत्यक्षीय क्षमता-96.880 घमलैटर प्रतिलाप्त है।

वैदेयकी का विवरण -

(a) समिति की 323वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा उक्त वायपुर की नमी एवं प्रस्तुत आवेदनी का विवरण एवं उपरान्त वार्षिकालीन सीरीज़ की नियन्त्रणाधार निर्णय किया गया था-

- प्रस्तावित उक्त वायपुर की जांच एवं वीडाई तथा नदी को पाट और जीवांकी जानकारी प्रस्तुत नहीं जाए।
- ऐत उत्पादन हेतु प्रस्तावित खेत एवं प्रस्तावित खेत की अपर्याप्त तथा जातनकर्तीय ने 100 बीटर की दूरी तक 25 ग्रैव गुण 25 ग्रैव का ग्रिड बनायाद यहांमान ने ऐत उत्पादन के लेवल्स (Levels) लेवल ठिक गैप से उत्पादित कर प्रस्तुत किये जाए। इसके उत्तिरिक्त उत्पादन लीज के पालर / नदी तट (रोमा और) से 100 ग्रैव तक के लीज में नदी जातह के जाती (Levels) का भी जारी किया जाए। उत्पादन लेवल्स (Levels) हेतु जात नी कम 2 टैम्परेशन वेच जाए (Concealed TBM structure) नियोजित किये जाए। टैम्परेशन वेच क्रम (TBM) से भार दूर को-ऑर्डिनेट (Co-ordinates) अंकित किये जाए। ग्रिड नीज में टैम्परेशन वेच क्रम (TBM) को भी दृष्टिकोण उन्हें युग्मित किया जाए एवं प्रभावीतर उपरान्त कोटीयांतरा अंकित जानकारी/दृष्टिकोण प्रस्तुत किये जाए।

३. बटीगांड से खदान की जाली की दूरी न्यूनतम १० मीटर या जली की ऊंचाई की १० प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसकी अनुसार खदान की सुरक्षा लेवल में उत्तमतम किया जाना चाहिए तो वह जली की ऊंचाई पर वर्णित, इसका उत्तमतम साफ्टविंग घटाव में अनिवार्य अप हो जाएगा। खदान की जाली की ऊंचाई एवं प्रतिशत जोड़ जो भी हो पर उनिज विभाग की जीमालन करकर उपाय एवं घटाव किया जाए।
४. प्रकल्पित काल से निकलतम युल वायर एवं एरीकांड एवं यहां आपूर्ति जोड़ी भी दूरी बायर जानकारी प्रस्तुत की जाए। युल /एरीकांड की दूरी खदान की अवधीनतीमें न्यूनतम ५०० मीटर तथा जालनक्ट्रॉफ में न्यूनतम २५० मीटर रखा जाना अनिवार्य है। यदि लैंग हो उपरियांगमुख्य दूरी के अंदर रिहाई हो, तो उपरियांग अवधीनत रखना दृष्टि प्रकल्पित को जो आवश्यकतानुसार जली वर्त लिनेवाला कर उपरियांग मीडो पर जीमालन तथा साफ्टविंग घटाव में इस बायर उपरियांग किया जाए।
५. निम्न उत्तराभ्यास होते प्रकल्पित काल एवं यात्रिमन में उपलब्ध जेत की स्टोराई जानवरों की जिरा, प्रतीक्षित और वायर में कम हो कम एक ग्रैव्या (Pm) खोदकर जानवरी वासाधिक गहराई का साधन कर उपरियांग में उपरियांग विभाग से उपरियांग उपयोगी प्रस्तुत की जाए। ऐसी वासाधिक गहराई होते प्रबलमा सी प्रस्तुत किया जाए।
६. यदि युल से ज्ञानेंद्रिय उपरियांग पर खुलन होते हुए तब उपरियांग जानकारी जिसी रूप वायिकरण (एसडीआर्टीए.ए.), उत्तरीसाथ अथवा रिला जानीय वर्गीकरण समाजात नियन्त्रित प्रक्रिया (जीईआर्टीए.ए.), उत्तरीसाथ द्वारा पर्याप्ततम जीकरी हो जाए हो, तो युल से जानी वायिकरणीय संकेतिकी की जीते एवं अविरोधित जारी के बायर में की गहरी कार्यकारी की ज्ञानकारी फोटोशाप्ट जलित प्रस्तुत हो जाए। जान दी जुझारोंका की अद्वान रिहाई की जानकारी फोटोशाप्ट जलित प्रस्तुत हो जाए।
७. यदि खदान युल की जीकरी है, तो रिहाई जारी ये किए गए उत्तराभ्यास की वासाधिक जाजा की जानकारी वानिज विभाग से उपरियांग करते जल प्रस्तुत की जाए।
८. भारत सरकार प्रकाशन एवं और वालवाडु परिवर्तन संबोधय, नई विलोकी की जीएम दिनांक ०१/०५/२०१८ की जानुसार नीईउआर (Corporate Environmental Responsibility) होते प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
९. जान निरीकाक एवं परिवर्तनाना प्रस्तावक की खदान से योगी की लेवल्स (Levels) जीने पास जारीयर (Surveyor) की साथ जानकारी भाव की जीकरीत रिहाई एवं उत्तरीसाथ समाज सुरक्षा अनुसारी / उत्तरीसाथ (उपरियांग वीटोशाप्ट) जलित प्रस्तुतीकरण दिये जाने होते नियंत्रित विकल जाए।
 उपरियांग जान विलोकक एवं वर्णियोंका उपरियांग की एसईए सी जानकारी की जापन दिनांक २३/०५/२०२० द्वारा प्रस्तुतीकरण होते भूमित किया जाए।
- (ब) समिति की ३२६वीं बैठक दिनांक २८/०५/२०२०
- प्रस्तुतीकरण होते जी जोख आलीमुद्दीप, अधिकारी प्रतिश्वेति उपरियांग होते। परिवर्तनाना प्रस्तावक द्वारा समिति की जान अनुसार रिहाई जाना की अवधिकारी जारी (वासाधिक गहराई प्राप्त जान भी होने को जारी) जी समिति को जान विलोकक में उपरियांगवाल रिहाई जान दी जाए होती है। जान-द्वारा उत्तराभ्यास समिति की दिनांक ०१/०५/२०२० उपरियांग विलोकक में विभाग रिहाई जाए।

समिति द्वारा तंत्रजागरण संस्थामहिं से निर्भीत लिया गया था कि उन्होंने निरीक्षक एवं परियोग्यता प्रतापाकार की भास्तव्य पूर्ण जानकारी / दस्तावेज़ (आवाहन जीवोडायर) की बाये प्राप्तिक्रिया विनाक 04/06/2020 में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्दिष्ट लिया गया एवं इस याचना दृश्याकार मास्टर्स में सूचना की जाए।
परियोग्यता प्रतापाकार को दृश्याकार की आवधि से सुधृष्टि किया गया।

(म) नियमिती की 32वीं बैठक दिनांक 04/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी संखा अलीगढ़दीन अधिकार व्यक्तिमिति सुनिश्चित रहे। नियमिति द्वारा नियमित उपलब्धताकारी का आवाहन एवं विवरण जारी कर लिया गया गई—

१. युवान पंचायत का अनापरिच्छ चुनाव यज्ञ — ये तत्त्वजनन के जीवद में यात्रा यात्रा अवधारणाकालीन वा दिनांक 20/02/2019 का अनापरिच्छ चुनाव यज्ञ प्रस्तुत किया गया है।
२. नियावित/सीधावित — कामीत्य कालेक्टर, यानिक शास्त्री से आपा द्वारा एवं अनुसार यह यात्राने विनावित/सीधावित कर दीर्घि है।
३. वात्सल्यम् योजना — मानविक व्यापक प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कारिया के द्वारा दिनांक 2359/संग्रिय/2020 कोनिया, बिहुणपुर, दिनांक 06/03/2020 द्वारा अनुमतित है। वात्सल्यम् योजनित मानविक व्यापक प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कारिया के द्वारा दिनांक 2380/संग्रिय/2020 कोनिया, बिहुणपुर, दिनांक 29/06/2020 द्वारा अनुमतित है।
४. 500 बीटर की वरिष्ठि में विभिन्न खादान — लापत्ति कालेक्टर (यानिक शास्त्री), जिला-सरकार के द्वारा दिनांक 06/03/2020 सुरजपुर 3643 दिनांक 06/03/2020 को अनुसार आदेशित खादान के 500 बीटर के भीतर अवधित अन्य ये तत्त्वजनन की सूच्या निरक है।
५. 200 बीटर की वरिष्ठि में विभिन्न शार्वजनिक लौक/शरवनाएँ — वार्षिक व्यापक व्यापक व्यापक (यानिक शास्त्री), जिला-सुरजपुर के द्वारा दिनांक 2020 सुरजपुर 3643, दिनांक 06/03/2020 द्वारा यादी प्रभाव यज्ञ अनुसार याक शाकान से 200 बीटर की वरिष्ठि में भौदिर, नराचट, अल्पाचट, लक्ष्म, पुत्र, वाय, दुर्वीकट, दुर्दीय शाकानी एवं यात्रा आपृति आदि प्रतिविधित तौत निर्दिष्ट नहीं है।
६. एस.ओ.आई. का विवरण — एस.ओ.आई. कामीत्य कालेक्टर (यानिक शास्त्री), जिला-सरकार के द्वारा दिनांक 3456/पी.एस./रिपो/१५.०३.२०१९ सुरजपुर दिनांक 18/02/2020 द्वारा यादी की गई, जिलाकी अपवि २ वर्ष देशी है।
७. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — मात्र सरकार, व्यापार, दून और यालवाहु व्यवस्थाएँ विज्ञात, नई दिनांकी की अविस्तरणा दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्राकान में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की अपि अनुसृत नहीं है।
८. महत्वपूर्ण शरवनाकारी की दूरी — निकलताम आवादी द्वाम-शरवनाकाली 4 किमी, एवं अपवाल शरवनाकाली 4 किमी की दूरी पर स्थित है। कठिनकृत रोड शरवन के 1 किमी की दूरी तक पुल/एनीकट नियान नहीं है।
९. परिवर्षिक्षिकीय/दीवायिकिया भवेदनशील लौक — परियोजना प्रस्तावका द्वारा 10 जोगी की परिषि व आवायिकीय सीधा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्यायालय, कोन्ट्रीय

प्रदूषण विवरण मेंही द्वारा प्रोत्तिप्रसिद्धि की स्थिति अधिकारीय विवरणमें छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका नहीं होना आवश्यक नहीं है।

10. स्वास्थ्य पर मरी की पाट की भीड़ाई एवं खदान की नदी एवं दूसी — आगेदन अनुसार स्वास्थ्य पर मरी की पाट की भीड़ाई — अधिकाराम 190 मीटर, घूमाम 170 मीटर तथा अन्य स्वास्थ्य पर की अवस्था स्वास्थ्य — 128 मीटर, भीड़ाई — 70 मीटर वे 66 मीटर दूसी हैं। खदान की नदी तथा के पाली किलोमीटर की दूसी अधिकाराम 114 मीटर, घूमाम 84 मीटर एवं दूसी किलोमीटर से दूसी अधिकाराम 10 मीटर है, जबकि इसकी नदी तथा की दूसी मरी की पाट की भीड़ाई का 10 प्रतिशत हिंदू बाहिर है।
11. खदान स्वास्थ्य पर रेत की भीटाई — आगेदन अनुसार स्वास्थ्य पर रेत की गहराई — 2 मीटर तथा ऐसे स्वास्थ्य की प्रस्तावित गहराई — 2 मीटर बारिंग एवं अनुभावित साईनिक स्थान अनुसार स्वास्थ्य में भार्डनेश्ट रेत की गता — 88.736 एक्स्ट्रॉटर है। रेत उत्तरानन्द हैंगु प्रस्तावित स्थान पर उत्तरानन्द में उपलब्ध रेत स्थान की मिट्टाई जानने के लिए प्रस्तावित स्वास्थ्य पर का गहराई अंतर आगेदन उसकी प्रस्तावित गहराई का बाहर कर खनिय दिनांक से प्रभावित उपलब्ध प्रवृत्ति की गई है। इसकी अनुसार रेत की उपलब्ध भीता गहराई 2.5 मीटर है। या यह प्रस्तावित गहराई हैंगु उत्तरानन्द भी प्रवृत्ति दिया गया है।
12. पूर्व में जारी प्रदूषणरणनीय स्वीकृति संबंधी विवरण — इस वायाम की पूर्व में प्रदूषणरणनीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. खदान होते हैं तथा के संबंध — रेत उत्तरानन्द हैंगु प्रस्तावित स्थान पर प्रस्तावित स्थान की अपनीमात्रा जारीनहीं है 100 मीटर की दूरी तक 25 मीटर तुम्हा 25 मीटर का विकल उत्तरानन्द स्थान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) जारी दिनांक 02/03/2020 की रेत गता के संबंधी लेवल नियम एवं उनके उनके दिनांक से प्रभावीकरण उपलब्ध कीटीजापन उत्तरानन्द की जानकारी / उत्तरानन्द प्रस्ताव दिये गये हैं।
14. कौर्परिट प्रदूषणरणनीय कार्यित्व (C.E.R.) — नानां उत्तरानन्द पर्यावरण वन और नालानान्द वर्षियों भैज्ञानिक नहीं दिल्ली से ओएस दिनांक 01/09/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) द्वारा जारीकी उत्तरानन्द विवरण से वार्षिक प्रमाणन प्रस्ताव प्रदूषण दिया गया है -

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)
			CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Firangi Paru
			Rain Water Harvesting System 0.40
			Potable Drinking water Facility 0.21

		Running water facility for Toilets	0.15
		Total	0.81

सामिति द्वारा परियोजना प्रवर्तनक को मिट्टीमित किया गया कि स्थल निरीक्षण के संबंधीत बीईआर (Corporate Environment Responsibility) को नियन्त्रण प्रवर्तन एक गति में प्रस्तुत किया जाए।

15. ऐर बाईमिस बॉर्ड – नदी की धीराई अधिकातम 150 मीटर एवं अधिकातम – 170 मीटर है, जबकि खड़ान की नदी तट से पूरी अंतरात्मा 10 मीटर है। व्यापार की नदी तट से दूरी, नदी की धाट की धीराई का अंतरात्मा 10 अंतरात्मा होना चाहिए। इस बाईमिस पहलम में नदी तट से अंतरात्मा 17 मीटर से 18 मीटर अंतरात्मा उत्तमतम किया जाना प्रवर्तनात्मक है, जिसमें 5.437 वर्गमीटर भी बाईमिस क्षेत्र आवास द्वारा गए हैं। इस प्रवार ने उत्तमतम का कार्य आवर्ण 4.436 वर्गमीटर क्षेत्र में किया जाना प्रवर्तनात्मक है।
16. जमिति के संभाल में यह तथा आवा कि आवेदित रेत खड़ान की जानीय ने रेत खड़ान की ~२ छहमग्याकला धीरा नाईन, याम-खड़गांवकला, तहसील-झारखण्ड, जिला-सूरजपुर के लिए एतत्कालीन याची की गई है। यहां खड़ान के व्यावर्तनीय स्थितिकी व्यापक प्रकरण मी विचारात्मक है। आवेदित रेत खड़ान की जीव एवं उक्त खड़ान की नवाचीकी सीमा की दूरी पूरी 500 मीटर से ज्याकिया है, आवा नहीं यह ताट नहीं हो रहा है।

सामिति द्वारा प्रवर्तन वार्तामन्त्रि से विषेश किया गया था कि आवेदित रेत खड़ान “की ~२ छहमग्याकला धीरा नाईन, याम-खड़गांवकला, तहसील-झारखण्ड, जिला-सूरजपुर” के लिए एतत्कालीन धीरा नाईन, याम-खड़गांवकला, तहसील-झारखण्ड, जिला-सूरजपुर की धीरा की अंतरात्मा दूरी का व्यावर्तनीय स्थितिक रेत द्वारा व्यापक औषधीय पौधे का प्रबल्लन एवं कालेक्टर (खेमिज राष्ट्रा), जिला-सूरजपुर की धारा एवं उत्तमता वर्तने हेतु मिट्टीमित किया जाए।

एसईएसी, जातीयांगक के इच्छन दिनांक ०६ / ०७ / २०२० के परियोजने में परियोजना प्रवर्तनक द्वारा आगवानी / दस्तावेज दिनांक ०२ / ११ / २०२० को प्रस्तुत किया गया है।

(d) सामिति की अवली बैठक दिनांक ०७ / ११ / २०२०

सामिति द्वारा नवीनी, प्रस्तुत वानकारी / दस्तावेज का अध्यालीकरण एवं परीक्षण करने पर जिम्मे दियाते थाएं गए—

1. कालांतर कलीकटर (खेमिज राष्ट्रा), जिला-सूरजपुर के ज्ञान झग्गुक ४०१ / व्यानिया / २०२० सूरजपुर दिनांक २९ / १० / २०२० को नवाचान से आवा की कि नवीनी जलवायाम के अनुसार आवेदित रेत खड़ान “की ~२ छहमग्याकला धीरा नाईन, याम-खड़गांवकला, तहसील-झारखण्ड, जिला-सूरजपुर” एवं ऐत खड़ान “की ~२ छहमग्याकला धीरा नाईन, याम-खड़गांवकला, तहसील-झारखण्ड, जिला-सूरजपुर” की धीरा की अंतरात्मा दूरी ५०५ मीटर है।
2. व्यावर्तनीय नवीनी बीईआर (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्तुत द्वारा व्यावर्तन प्रस्तुत किया गया है।

- iii. ऐसा उत्तरानन संयुक्त विभि से एवं सर्वांगी या बायो लैंडर द्वारा क्रायो ब्राइफिंग होता है।
- iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दो गोटर की यहरी एवं सल्टडनम की क्रान्तिकारी होती है। अनुभीवित उत्तरानन फ़ैजना में उत्तरानन विभि जैसे योजना द्वारा प्रस्तावित संबंधी अध्ययन कार्य एवं उत्तराननी लांकड़ों का समावेश नहीं रखता है। यातन नहीं यादी नहीं है तथा इसमें विभिन्नता में जागरूकता + गोटर गहराई ही अधिक ऐसा का मुनाफ़ा होने वाली बाबाकरना है।

प्रायोगिक द्वारा विचार विभाँ उपराज राजीवामति से निम्नानुसार विभाव लिया गया—

- i. अधिकित राजाम (आम-उत्तराननिकाल) का राजा 2.5 लैंडर है। राजान की दीना से 300 गोटर जी वीटिके से स्थानीय/स्थानीय राजामों वा गुल लैंडर के विकेयत जा उत्तरांश का होने के काल यह राजान ही—2 वीटी तो नहीं नहीं।
- ii. युद्धासीपण कार्य — प्रायोगिकता की अकाल यह यही 100 या कुल 1300 गोटी होते — 750 जी आर्द्धन के लिए राजा होता 750 जी (जामुन, करज, बांस आदि) गोटी लगाए जायेंगे। द्वारा नियोजित वर्षांय भाग एवं 500 जी गोटी उत्तरांश प्राप्त होती है।
- iii. परियोजना प्रस्तावक ऐसा उत्तरानन दोइ से आठांशी + 5 वर्ष में विस्तृत राज उत्तरानन (Extensive Study) करायेगा, जोकि ऐसे के पुनर्मत्य (Replanning) काम करी अंदरहै, ऐसा उत्तरानन जो नहीं बढ़ीतक, कमलीय इन्वेस्टी, अधिक एवं रुद्ध गोटी यह प्रभाव तथा नहीं के पानी की गुणवत्ता वा ऐसा उत्तरानन की विभाव जी नहीं जाभकरी प्राप्त हो सकते।
- iv. खीज लौंच की उत्तरानन वैकल्पाक्षुण ढारा—

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नामन लौंज की बाहर / नहीं जट (दोनों ओर) ही 100 गोटर तक ही लौंज में नहीं जाता के लाली (Levels) का भी वही फ़िरा जायेगा। उपरोक्त जानी नहीं जाता के लाल (Levels) का जट 25 गोटा 25 गोटर के झोलाल (Grid) में लिया जायेगा।
- ii. नामसून के बाद जामुन/मध्यमद भाग व ऐसा उत्तरानन प्रारम्भ करने के पाँच दूसरी विभि विन्दुओं ने अधिकित लौंज की जट लौंज लौंज के आवश्यक एवं आउनलौंगम में 100 गोटर तक राज उत्तरानन लौंज के पाइए / नहीं 10 (दोनी ओर) ही 100 गोटर तक के लौंज में नहीं जाता के लाल (Levels) का कांही पूर्व नियोजित विभि विन्दुओं पर लिया जायेगा।
- iii. इसी प्रवार ऐसा उत्तरानन उपराज भागसून के पूर्व (यही भाग की अधिक करायाह/जूह की दृष्टि जपाह) दूसरी विभि विन्दुओं पर ऐसा जाता के लेवल्स (Levels) का भाग लिया जायेगा।
- iv. ऐसा जाता के पूर्व नियोजित विभि विन्दुओं पर ऐसा जाता के लेवल्स (Levels) की भाग का कार्य आगामी 3 वर्ष तक विस्तृत लिया जायेगा। योस्ट-नामसून की आवाहन दिनांक 2021, 2022, 2023 एवं गी-नामसून की आवाहन दिनांक 2021, 2022, 2023 तक अनियोजित कार्य की एवरीआईएए अवैतानिक तो प्रस्तुत विष्य रहती है।
- v. नामिति द्वारा लियार विभाँ उपराज राजीवामति से भी लियो गुणा जी-नामसूनका लौंज गाईम जाता है 550, आम-उत्तराननिकाल, राहसीन-जायापुर, जिला-कुल जीत लौंजकर 4.99 लैंडर में ही जैसे

Guj

नाईनी लेवल 6-437 तक नीटर की तरफ बढ़ने वाले 4-438 हॉकटेपर द्वारा मैं ऐसा उत्तराखण्ड अधिकारीमाने। नीटर की चुदाई तक भीमित रखते हुए कुल 44,000 एकड़ीटर प्रतिमात्रे तो उत्तराखण्ड हैनू परिशिष्ट-02 में अधिकृत जाति के आदीन भवीतपौय इकाइयि जाति दिनांक से 12 वर्ष तक वी जाति के द्वारा दिये जाने की अनुमति नहीं गई। ऐसी चुदाई अग्रिकॉल्चर (Agricultral) की जातियी। गिर बेड (Cover Bed) में भारी वाहनी तो प्रदेश प्रतिक्रिया होता। ऐसे हैं जैसे मैं अन्य ग्रामीण घटक (Excavation pits) से लैंडिंग आईट ताक तो वा परिवहन ट्रॉक ट्रॉकी द्वारा लिया जाएगा।

६. ऐसे नाईनी लेवल १२ अपरीक नाईनी लेवल का भीकौ पर व्यानित विभाग से उपर जीमालन कराने के उपरान्त वी लैंडिंग द्वारा उत्तराखण्ड की अनुमति की जाएगी।
७. ऐसे उत्तराखण्ड घटक वाहनी के पूर्व उपरोक्तानुसार अधिकृत दिये दिनुयाँ वा नदी जाति की जाति (Levels) का जीव कम (भीट-जागरूक), जाति की जाकृष्ण जाति एवं जाई-ए.ए. जातियांगड़ को प्रस्तुत लिये जाये।

उपर उत्तराखण्ड जमानात निवासण प्रतिक्रिया (एसईआईएन), जातियांगड़ की जागरूकाद अधिकृत लिया जाए।

८. नेतारी वी विवेक गुप्ता (दी-२ छात्रवाकला) सौन्द नाईनी, याथ-छात्रवाकला, रामरीत-प्रतापपुर, गिला-सूरजपुर), पुलारीक रामपुर, गिला-रामपुर (जायिकालय का नवीनी जनाक 1240)

अंग्रेजी आवेदन — प्रयोगी नम्बर — एसईआईएन / सीकी / एसईआईएन / 148102 / 2020 दिनांक 29/03/2020।

प्रत्यावरण का विवरण — एसईआईएन (भीय अग्रिकॉल्चर) है। यह उत्तराखण्ड-जागरूकाद, रामरीत-प्रतापपुर, गिला-सूरजपुर विभाग पर्वत और उत्तराखण्ड जनाक 358 कुल लीला की 4.96 हॉकटेपर में प्रस्तुतिया है। उत्तराखण्ड जाति नदी से लिया जाना प्रस्तुतिया है। जाति की आवेदिय उत्तराखण्ड जनाक-०५-३३२ भैनीटर इकाइयों हैं।

वैदिकी का विवरण —

(अ) भाविति की ३३२वीं ईठक दिनांक 18/05/2020:

भाविति द्वारा प्रकरण की भौती एवं प्रस्तुत जागरूकी का वर्णन तथा क्रमाग्रामीय जातियांगड़ से विभागानुसार विविच्छिन्न लिया गया एवं—

१. प्रस्तुत जाति द्वारा वी जाति एवं जीवाई जाति नदी की जाति की जागरूकी प्रस्तुत ही नहै।
२. ऐसे उत्तराखण्ड एनू प्रस्तुतिया जाति एवं प्रस्तुतिया जाति की अपनीय तथा जातियांगड़ में 100 मीटर की पूरी तरफ 25 मीटर गुणा 25 मीटर का दिये जानाकर यातीयांग में ऐसे जाति के लैंडिंग (Levels) लैंकर दिये देव में प्रदर्शित कर प्रस्तुत दिये जाएं। इसके अधिकृत खनन लीज के बाहर / नदी तट (ठानी और) में 100 मीटर तक के हीले में नदी जलड के जाति (Levels) का जीव जिया जाए; याति जैलता (Levels) हेतु जाति से कम 2 टेक्टरी देव जाति (Concreted TBM structure) प्रस्तुतिया दिये जाएं। टेक्टरी बैंध जाति (TBM) में जार एवं जी-जीडिएटर (Co-ordinates) अधिकृत दिये जाएं। दिये देव में

टेक्स्टरी बिल नामी (TBM) की भी दस्तावेज़ कम्फ़ अभियान दिवार से प्रभावीतरा। यहाँ उत्तर पोर्टोगलियन सहित जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत किये जाएं।

३. नदीउट से खदान की दूरी न्यूमाइ १० मीटर या नहीं जैसे पर भी भीड़ को १० प्रतिशत (जो भी अधिक हो) तकी छोटी है। यदि इसके अनुसार जलदान के बुध भीष में रात्रियान दिवान जाना चाहिए तो तो इसकी जगह जल भवित्व पर दस्तावेज़ इसका उत्तराधिकारी गार्डनिंग द्वारा जैसे जनिकाएं जाएं जाएं। खदान के कानन हेतु एवं अधिकारी जाने वाले भी अब खमिय दिवान से भीड़कान कराएं, प्रथम पर ध्वनि किया जाए।
४. जलसाधित स्थान से निकलताम युल, बांध एनीकट एवं जल आवृत्ति करोता वी दूरी पावत आभकारी प्रस्तुत तो जाए। युल / एनीकट की दूरी खदान के अपर्याप्त न मात्रताम ५०० मीटर ताकि बाठनस्ट्रीम से न्यूमाइ २५० मीटर तक जाना आवश्यक है। यदि लौज शीज उपरोक्तागुरुसार दूरी के अंदर रिया तो, तो उपरोक्त शीज पर जलन हेतु अधिकारी द्वारा को आवश्यकतागुरुसार नक्ती पर दिविया जाए। इसका गोक्ते पर उत्तराधिकारी जाना गार्डनिंग द्वारा जूस बालू एलेवेशन दिवान जाए।
५. तत जलदान हेतु अस्ताधित स्थान एवं जलकान में जलस्त के लिए नीटाई जाने से हिंदू ग्रामीण द्वारा जलदान (मूर्ति) वीड़कान जलस्ती गार्डनिंग नहराई जल गार्डन कर, खमिय दिवान से प्रभावित जाभकारी प्रस्तुत वी जाए। तत वी गार्डनिंग नहराई हेतु फलाना भी प्रस्तुत किया जाए।
६. यदि गुर्दे में आदेशित अवल पर जलम हेतु राज्य एवं गणराज्य समाधान दिविया प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.र.), ग्रामीणगढ़ जलना दिवित जारीय अवलम्बन समाजत दिविया प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.र.), ग्रामीणगढ़ द्वारा यांवर्षीय जीवीकाली वी गही हो, तो गुर्दे में जाने वायोर्स्ट्रीय जीवीकृति की ग्रामीण एवं अधिकारीद्वारा जली के जलन में वी गही कार्यकारी तो जानकारी गोटीगताम सहित जलस्त की जाए। जली की गुर्दीयां यी आठान दिवित वी जलनकारी गोटीगताम वीड़कान प्रस्तुत वी जाए।
७. यदि खदान दूरी की संधारित है, तो दिवान वाली में हिंदू नए जलदान और जास्तिका स्थान वी जानकारी खमिय दिवान से प्रभावित जाना एवं प्रस्तुत वी जाए।
८. नारत जलकान प्रार्थना एवं और जलकान परिवर्ती नियालय, जहां दिवित के गी.एम. दिनाक ०१ / ०५ / २०१८ के अनुसार शी.ई.ए.र. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
९. जानि निरीक्षक एवं वार्टोरेजना प्रस्तावक की जादान में रेत के स्तरताम (Levels) हीने जाने शीवर (Surveyor) के जाय आगामी गही की आदेशित दिवान में उपरोक्त जलस्त सुरक्षात जानकारी / दस्तावेज़ (अचलन गोटीगताम) जीवी प्रस्तुतीकाल दिवित जाने हेतु निरीक्षित किया जाए।

खदानगुरुसार जाने दिविया एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.र., ग्रामीणगढ़ के जापन दिनाक २३ / ०५ / २०२० द्वारा प्रस्तुतीपारण हेतु सुनिय दिवान जाए।

(४) जानिती की ३२४वीं वीठक दिनाक २४ / ०५ / २०२०:

प्रस्तुतीकाल दिनु वी लौख अलीमुद्दीन, अडिकारी एतिनिधि जानिती कुएः जस्तिकाना इस्तावक द्वारा जानिती के जाना अनुरीय किया गया कि जानिताई करानी (जानिती गार्डनिंग जलन वाली गोक्ते के कारण) वी जानिती के जाना वीठक में जानुरीकाल दिवान

जानकारी देती है। अब यहां आवेदन समिति की दिनांक 03/06/2020 की आधारित बैठक में विवार किया जाए।

समिति द्वारा उल्लंगव शर्वसम्मिति से विचार किया गया था कि यहां निम्नका एवं परिवारिका द्रव्यों को जमता पूरी जगतारी / दस्तावेज़ (अद्यान परीक्षारात) में जाप द्वारा दिनांक 04/06/2020 में प्रस्तुतिकारण हेतु फिर्दित किया जाए एवं इस बाबत दृश्यम से सुनना दी जाए।

परिवारिका द्रव्यों को दृश्यम के बाबत सुनित किया गया।

(iv) निम्नलिखी वर्ती बैठक दिनांक 04/06/2020:

प्रस्तुतिकारण हेतु भी दृश्य अधिकारी प्रतिनिधि संवादित हुए। समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जामियां का जापलीकरण एवं परीक्षण करने पर विचार सिवित गई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापरित प्रभाग यज्ञ — ऐत राज्यकाने के जाप में शाम प्राप्ति शाहगामाकला का दिनांक 20/05/2019 का अनापरित प्रभाग यज्ञ प्रस्तुत किया गया है।
2. जिल्हाकिला/सीमांकिला — जायीलय कलेक्टर जिल्हे काला से जाप दृश्यम १५/०५/२०२० यह ग्रामान विनाकिला/सीमांकिला कर दीर्घित है।
3. उल्लंगन सीजाना — माझेंगे प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो यहां परिवारिया को जापन क्रमांक 2381/संवित/2020 कोरिया, फैक्ट्रूपटपुर दिनांक 06/05/2020 द्वारा अनुमोदित है। उल्लंगन सीजाना विनाकिला विनाकिला प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो यहां परिवारिया को जापन क्रमांक 2371/संवित/2020 कोरिया, फैक्ट्रूपटपुर दिनांक 29/05/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. ३०० मीटर की परियों गे रिक्त ग्रामान — कामलिय कलेक्टर (जिल्हा ग्राम), जिल्हा-सूरजपुर के जापन क्रमांक २८४२, दिनांक ०५/०५/२०२० को अनुसार ग्रामान ग्रामान ३०० मीटर की परियों में बोडी भी सर्वेक्षणिक कीम जीर्ण असाधारण, अकृत, धूत, धातु, एवं जट द्वारा आपूर्त अविशित कीम नहीं है।
5. २०० मीटर की परियों में सिवत सार्वजनिक कीम/संरचनाएँ — कामलिय कलेक्टर (जिल्हा ग्राम), जिल्हा-सूरजपुर के जापन क्रमांक २८४२, दिनांक ०५/०५/२०२० द्वारा जारी इमारत यज्ञ अनुसार ग्रामान २०० मीटर की परियों में बोडी भी सर्वेक्षणिक कीम जीर्ण असाधारण, अकृत, धूत, धातु, एवं जट द्वारा आपूर्त अविशित कीम नहीं है।
6. एलओआई का विवरण — एलओआई कामलिय कलेक्टर (जिल्हा ग्राम), जिल्हा-सूरजपुर के जापन क्रमांक ३४६४/गी.कार./दि.बी./स.क.०२/२०१८ सूरजपुर दिनांक 18/02/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि ३ वर्ष हेतु दीया गया है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — भारत वाकलपाल परीक्षण बन और जलवायु परिवर्तन अधिकारी, नई दिल्ली की अधिकृतना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विवित ज्ञान में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गयी है।
8. गहत्वपूर्ण संरचनाओं की दृष्टि — विकास अभ्यासी पास-शाहगामाकला ५ जिल्हा, एवं अस्पताल शाहगामाकला ५ जिल्हा की दृष्टि पर लिया है। युत ग्रामान ८ ३०० मीटर की दृष्टि पर शाहगामाकला में लिया है।

9. पारिस्थितिकीय/जैविकियता संवेदनशील क्षेत्र – असियोजन व्यवस्था द्वारा 10 किमी की दूरी में अंतर्राष्ट्रीय लोक, राष्ट्रीय चाहान, कम्पाइण्ड, कानूनी व्यवस्था नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकाली फैलुटेर एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैविकियता क्षेत्र जिनमें नहीं होना प्रतिशंकित किया गया है।
10. खनन व्यवस्था पर नदी की पाट तो बीडाई एवं खदान की नदी तट तो दूसी – जायेदान अनुसार खनन व्यवस्था पर नदी की पाट तो बीडाई – अधिकालम 100 मीटर, अनुसार 130 मीटर तथा खनन व्यवस्था की औसत लंबाई – 742 मीटर, बीडाई – 80 मीटर से 82 मीटर दराई गई है। खादान की नदी तट तो उत्तरी दिशारे से दूसी अधिकालम 62 मीटर, एवं दक्षिणी दिशारे से दूसी अधिकालम 12 मीटर, अनुसार 10 मीटर है। जायेदान इसकी नदी तट से दूसी नदी तो पाट की बीडाई का 10 प्रतिशत होना प्राप्ति है।
11. खदान व्यवस्था पर रेत की बीटाई – जायेदान अनुसार व्यवस्था पर रेत की लम्बाई – 2.5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 25 मीटर दराई भई है। अनुसूचित गहराईये व्यवस्था अनुसार खदान से आईवेयर रेत की सत्रा – 65.330 लाखमीटर है। रेत उत्तरानन द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था पर वर्षायाम में उपलब्ध रेत जल्दी बीटाई जानवे की लिए प्रस्तावित व्यवस्था पर 2.5 मीटर (Pm) बीटाई जानवे प्रस्तावित गहराई का लापन कर, जानिये किसी से प्रस्तावित यानांकनी इसकी गई है। इसकी अनुसार रेत की उपलब्ध औरत बीटाई 2.5 मीटर है। 60 लीटर वालीया गहराई द्वारा प्रस्तावित गहराई भी प्रस्तुत किया गया है।
12. घृद में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति वांची विवरण – इस खदान की घृद में प्राकृतिक स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. खदान क्षेत्र में रेत जल्दी की स्तरवर्ता – रेत जल्दाना हैतु प्रकाशित करना एवं प्रस्तावित व्यवस्था को अपलूटीन तथा आउनस्टून में 100 मीटर तो दूसी तथा 25 मीटर तुमा 25 मीटर का रिक बमाकर इलेवन में पोस्ट-मॉन्सून (Post-Monsoon) यादा दिनांक 02/03/2020 को रेत जल्दी की लियाजन (Levels) लेवल तर्फ़े जानिया जिसमें से प्रगतीयाकारी घटना बीटाराना यांत्रिक जानकारी/दस्तावेज़ प्रस्तुत किये गये हैं।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार पर्यावरण के लिए अत्याधिक परिवर्तन बताता है, जहाँ दिल्ली के लोअर दिनांक 01/05/2010 को अनुसार नीहुआर (Corporate Environmental Responsibility) यांत्रिकी योग्यता दियो जिसमें से यांत्रिक जुर्माने नियनामुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Neary Government School Village-Khadgawankala Rain Water Harvesting System	0.45

		Potable Drinking water Facility	0.21
		Plantation	0.15
		Total	0.36

समिति द्वारा परियोजना प्रवर्तापक को निर्देशित किया गया कि सदस्य निरीक्षण की समर्थन कीई अंतर (Corporate Environmental Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक बात में प्रस्तुत किया जाए।

15. ऐह माईनिंग होम - नदी के पाट की ओराइ लकड़ीलाम 170 मीटर एवं न्यूलाम - 130 मीटर हैं जबकि खदान की नदी तट से दूरी न्यूलाम 10 मीटर है। खदान की नदी तट से दूरी नदी के पाट की ओराइ का न्यूलाम 10 प्रशिक्षण होना चाहीए। जल माईनिंग प्लान में नदी तट से न्यूलाम 17 मीटर से 18 मीटर तक उत्तराधिक फिरा जाना प्रवर्तापित है, जिसमें 2,550 वर्गमीटर में माईनिंग विभ रखा जाए। इस प्रवार द्वा लकड़ीलाम का जारी आपो 4,725 वर्गमीटर होते हैं जिसका जाना प्रवर्तापित है।
16. समिति द्वारा संझान ने यह गल्म लिया कि आवेदित रेत खदान "की-1 लकड़ीलाम सीएल माईन, राम-लकड़ीलाम, तहसील-प्रतापगढ़, जिला-सूरजपुर" के लिए एलओआई जारी ही नहीं है। उक्त खदान के पार्श्वस्तरीय स्थिरान्वयि खदान प्रवार के विशालाकाम हैं। आवेदित रेत खदान की जीवा एवं उक्त खदान की नक्काशी जीवा की दूरी 500 मीटर तक अधिक है, अतः नहीं हो रहा है।

समिति द्वारा तत्त्वावधि सर्वसम्मति से विर्णव लिया गया था कि आवेदित रेत खदान "की-2 लकड़ीलाम सीएल माईन, राम-लकड़ीलाम, तहसील-प्रतापगढ़, जिला-सूरजपुर" के लिए नहीं हो रहा है। उक्त खदान "की-1 लकड़ीलाम सीएल माईन, राम-लकड़ीलाम, तहसील-प्रतापगढ़, जिला-सूरजपुर" के दौध की न्यूलाम दूरी का अधिक जार्यामन कर, इस प्रकार कीप की दूरी का अमान यह कलेक्टर (चानिया खाली), जिला-सूरजपुर की प्राप्त कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

एस.प्र.ए.सी., उत्तरीसागढ़ के जावन दिनांक 08/03/2020 के परियोज्य में परियोजना प्रवर्तावक द्वाता जानकारी / दस्तावेज़ दिनांक 02/11/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

(d) समिति द्वारा 346वीं बैठाक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नवती, प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज़ जा अवलोकन एवं परीक्षण जारी कर दिया जिवहि फाई नहीं—

1. कायांलव कलेक्टर (चानिया खाली), जिला-सूरजपुर के जावन अन्तिम 371/खनिया/2020 सूरजपुर दिनांक 29/10/2020 के वायाम को बताया जाता है कि अधिक रात्यावन के अनुसार आवेदित रेत खदान "की-2 लकड़ीलाम सीएल माईन, राम-लकड़ीलाम, तहसील-प्रतापगढ़, जिला-सूरजपुर" के समीय में रेत खदान "की-1 लकड़ीलाम सीएल माईन, राम-लकड़ीलाम, तहसील-प्रतापगढ़, जिला-सूरजपुर" के दौध की न्यूलाम दूरी 500 मीटर है।
2. आवल निरीक्षण की समर्थन कीई अंतर (Corporate Environmental Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

३. ये उत्तराधिकार विभाग की एवं भारत का कार्य संचार द्वारा आधार जाना प्रभावित है।
४. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ३५ मीटर की ऊंचाई या उत्तराधिकार की अनुसन्धि नहीं है। अनुदित उत्तराधिकार में उत्तराधिकार किए जाने वाले दोष जो वापिक रूप सुनिश्चय करते हैं एवं उत्तराधिकार का समर्थन नहीं किया गया है। यहां नहीं पाठी नहीं है कि उत्तराधिकार का विवरण नहीं किया गया है। मीटर गढ़वाली ने अधिक रेत का पुनर्बन्धन हीने की समाजना है।

निमित्ति द्वारा विवार विभाग उपरोक्त सर्वेतामनि वी निम्नानुसार विवर दिया गया—

१. वार्षिक रुदान (पास-वाहनवाहन) का अनुमा ५.०० लक्ष्यर है। रुदान की दीना वी ३०० मीटर की ऊंचाई में कीकूत/सालाहित रुदानी का कुल क्षेत्रफल ५ लक्ष्यर का उत्तरोत्तर के कारन यह रुदान वी-३ वीथी ली नामी नहीं।
२. उत्तराधिकार कार्य— प्राप्तिकाल के अधार पर वी-३ पर कुल १,००० मी. वीथी— १६० नम अनुमा वी वीथी तथा वीथ २५० मी. (पासुन, बहात, खास, आम जाहि) की लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त अनुम नम पर ५०० मी. वीथे लगाए जायेंगे।
३. परियोजना प्रस्तावक रेत रुदान द्वीज में आगामी १५ दिन में विस्तृत गांव अध्ययन (Sitation Study) करायेगा, ताकि रेत का पुनर्बन्धन (Replenishment) कार्य वीथी अनुमनी रेत उत्तराधिकार का नहीं, नदीएल्ल ज्यानीय अनुमनि, जीव एवं जूल वीथी पर अभिय तथा नहीं को पनी की गुणवत्ता पर रेत उत्तराधिकार का प्रभाव की जांच जानकारी प्राप्त ही जाए।
४. लीज दोष की जातह का वे राजाहून जाटा—
 - i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानने लीज के बाहर / भद्री लट (दीनी और) वी १०० मीटर सका तो द्वीज में नहीं जातह के लाली (Levels) का वी लट किया जायेगा। उपरोक्त सभी भद्री जातह के लाल (Levels) का जाई २५ मुणा २५ मीटर के अंतराल (Gap) में किया जाएगा।
 - ii. जानसून के बाए अवरुद्ध/नदीबाट वाह के रेत उत्तराधिकार प्रारंभ करने की वी इसी दिन विन्दुओं में जाईनें लीज दें तो लीज दें को अपसूनीम एवं जातुनरुद्धीम में १०० मीटर तक तथा जानने लीज के बाहर / भद्री लट (दीनी और) वी १०० मीटर तक छोड़ में भद्री जातह के लाली (Levels) का सभी पूर्ण नियोजित दिन विन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रगाह रेत रुदान उपरोक्त जानसून के वी (भद्री जात के अधिक सपाहु / जूल के प्रधन जाताह) इसी दिन विन्दुओं पर रेत जातह के लेवल (Levels) का जापन दिया जाएगा।
 - iv. ऐस जातह के वी नियोजित दिन विन्दुओं पर रेत जातह के लेवल (Levels) के स्थान पर कार्य आगामी ३ दिन तक नियोजित दिन जारी रहेगा। दोस्त-जानसून के अंकड़े दिसम्बर २०२१, २०२२, २०२३ एवं ग्री-जानसून के अंकड़े अगस्त २०२१, २०२२, २०२३ तथा अगिलार्ड जाप हे एलहै-जाई-दूरु, अलीशाहर की प्रस्तुत किए जायेंगे।
५. निमित्ति द्वारा विवार दिनहै उपरोक्त सर्वेतामनि वी लीजेक गुण, वी-२ नदीगवाह-तह साप्त वाहुन, वाट और जासरा इन्हां ३५८, पास-जुलनवाहन, ताहरील-इतापापुर, जिला-सुरजनुर जूल लीज दीवजाम ४.९८ लक्ष्यर में वी वीथे

माईनिंग शेव 2,550 पर्सोनेटर और कम करने पर 4,725 हिक्केपर शेव के रेत-
खत्तानन अधिकारीग । सीटर की गहराई तक सीमित रखते युए पूल 47,000
प्रमीटर छलिए इस नामन ईंट बरिशिष्ट-03 में दर्जित गारी के ज्योति
वालीजालीय सीलानी, जारी टिकाव से 02 वर्ष तक भी उचित हिंग ताने भी
अनुरोध की गई । ऐसे यी खुदाई शर्मियो द्वारा (Manually) की जाएगी । लिवर
बेड (Liver Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश इतिहासित होगा । सील शेव में लिवर
तो खुदाई गड़ो (Excavation pits) से लोडिंग प्लाईट लगा रेत का बरिशिष्ट
हिक्कर द्वितीय द्वारा लिया जाएगा ।

६. यह गार्डनिंग ही एक सामाजिक सार्वजनिक हीड़ जो जीवों पर सख्तिया किया गया है जबकि जीवों को बचाने के उपरांत ही सामिज़ दिवार बांधा हुआ रहता है जिसमें से जाएगी।
 ७. ऐसा उत्तराधिकार प्राप्ति करने के बाद उपर्युक्ताधिकार नियमित रिह विश्वले एवं नवी जाति जाति (Levels) एवं जल्दी जाति (प्रोस्ट-जातियां), उसके अंतर्गत जल्दी जाति एवं इन्हाँ पर प्रत्यक्षित गिरावंती जायें।

परन्तु यारे पर्याप्तता संभवतया नियोगिता प्रक्रियाएँ (इन ईलाई दृष्टि) उत्तीर्णाव की तदानुसार बढ़ावित गिरा जाएँ।

७. नेपाली गुरुलक्ष्मी निवासना प्राइवेट लिमिटेड (प्रो.- श्री गणेशीलन शर्मा, फिलाप्परिया लोलीगाउट नाइन), शाम-फिलाप्परिया, ताहसील-जीजौपुर, जिला-खाल्लीर-नार्था (राजिकालम का नम्बरी क्रमांक 1352)

प्रसरण का विवरण — यह प्रसरण खदान की दक्षतानन अमाता के गोक्तारीकरण से है। यह पूर्वी शालिमाल छोलोभाईट (शैया खुमिया) खदान है। खदान यास-गिरापुरिया, लहोसील-पेटोपुर, जिला-जालगांव-दोपा लिया दक्षता ग्रामांक 5/2, गुल बाजापुर-498 (गोटेप) में है। खदान की इकाई दक्षतान अमाता = 67,500.00 टन इकायां एवं आवेदित कुल दक्षतान अमाता = 2,50,000 टन प्रतिवर्ष है।

संगीत विषय -

(iii) ग्रामीण वर्ष २०१९ के तक दिनांक ०२ / ०९ / २०२०

ਜਾਮਿਤੀ ਪ੍ਰਾਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਲਤੀ ਏਥੇ ਪ੍ਰਕਟੂਰ ਜਾਨਪਾਸੀ ਕਾਨ ਪੰਡੀਤਾਂ ਰਾਹਿਂ ਜਾਨਪਾਸੀ
ਜਾਂ ਸਾਮਨੀ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੁਆਂ ਮਿਲਾਂਗ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਥਾ।—

- प्रत्युत 500 मीटर के दूराण पड़ से वह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसका लादानी के 500 मीटर के भीतर जान्या सकारात्मक है। अधिक नहीं। हिंदूराष्ट्र मीटिंग्सेक्सेसन, 2006 (यस्ता समीक्षित) में बहिर्भागित बलस्टर अनुसार “कई बलस्टर उस जान्या क्षणों का लाभार्थी, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी तक जान्या आविष्कार होता है तभी इसका पर्याप्त दूरी के परिसर से 500 मीटर से कम है।” अधीक्षित बलस्टर हिंदूराष्ट्र मीटिंग्स गिनरल्स द्वारा ये दिचाराहीन लादान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर उन्हें जाने जानी लादानी की जानित जाहोरी दूरी सभी इस धरात जानित लादानों की लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले जान्या जानी लादानी की

इंस्ट्रुमेंट ने यादानी करे यहाँ तक रामिल लिया जाए। जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में बोर्ड यादान अवलोकित न हो, रामिल लिया जाना चाहिए। अब उपरोक्तानुसार इनाम यह इस्तुत लिया जाए।

3. नवगांधीय कलेक्टर (खानिक शाखा) द्वारा उपर यादान के 200 मीटर की परिधि में भवित्व, गवाह, असंपत्ति, लकड़ी आदि प्रतिक्रिया होने जाना न जाने वाला जानकारी की साथ/प्रतीक्षा द्वारा प्रस्तुत भी जाए।
4. यूपी में जली पर्यावरणीय कंट्रोलरी में अधिकारियों की जालन में जो गई कामोंकारी की जानकारी पोर्टफोलियो संक्षिप्त प्रस्तुत नहीं जाए। साथ ही जलालीय की जानकारी पोर्टफोलियो संक्षिप्त प्रस्तुत भी जाए।
5. गिरज वाथी में अवधार किए गए उत्तराधि की पासवारिया (वैकल्पिक वर्ष) खानिक लियान से प्रभावित करने का प्रस्तुत भी जाए।
6. भारत जलसंकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन अनुसार, नई दिल्ली के लिे एक दिनांक 01/05/2018 के अनुसार संकेतिकार (Corporate Environmental Responsibility) की विस्तृत प्रस्ताव यूपी लियान के राह प्रस्तुत लिया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावका तो संपर्कात रमजल यूपी जानकारी / दस्तावेज (अंकोन पोर्टफोलियो) के जास आगामी माह की अवधिका बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट लिया जाए।

जलानुसार परियोजना प्रस्तावका को एकई दृष्टि रामीलगढ़ के जापन दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया जाए।

(ब) रामिल की 340वीं बैठक दिनांक 06/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु यूपी की यन्मीहुन जारी ड्राइवइंटर उपलिख्त हुए। रामिल द्वारा पसीना प्रस्तुत जानकारी यह अनुसारका एक परीक्षण करने यह लिया लियते गई थह—

1. याम वंचायत का अनायास प्रमाण यह — उत्तराधि के साथ में याम वंचायत कियाप्रतिवाद का दिनांक 09/01/2007 का अनायास प्रमाण यह प्रस्तुत लिया जाया है।
2. उत्तराधि योजना — संकेतिकारक जारी जान लिया जानीम जीया अनुसार योजना युक्त उत्तराधि लिया गया है, जो रामिल जानकारी प्रतिक्रिया, योगियी तथा खानिक जला रायपुर अटल भवन के जापन अनुसार 3239-42/जानुविंग-३/क्षु.पी./एफ.न.५५/2015 जास रायपुर अटल भवन पायपुर, दिनांक 10/07/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में लियत यावेजिक होता/जारीकरण — नवगांधीय कलेक्टर (खानिक शाखा) लियत-जोनगीर-यांगा के जापन अनुसार 1234/खानि/न.पा./2020-21 जोनगीर दिनांक 10/07/2020 का अनुसार अवलोकित यादान से 500 मीटर की धीतर अवलोकित जान्य जानी की सलाह लियक है।
4. 200 मीटर की परिधि में लियत यावेजिक होता/जारीकरण — कालीनपुर जालीकरण (खानिक शाखा) लियत-जोनगीर-यांगा के जापन अनुसार 1233/खानि/न.पा./2020-21 जोनगीर दिनांक 10/07/2020 द्वारा जावे प्रमाण यह अनुसार याता यादान से 200 मीटर की परिधि में जोड़ी गी यावेजिक होता जैसे अदित, नसिहाद, जनपट, अवपाल, लकड़ी, युल, जाव, दुनीजाल एवं जल जापुरी आदि प्रतिक्रिया होने लियक नहीं हैं।

- iii. लीव का विवरण – लीव मेंसारी गुरुकी मिशनल बाईट लिमिटेड की नाम पर है। जिसकी अपनी 30 सार्व ऐत्र अधिकारी दिनांक 08/11/2011 से 07/11/2041 तक है।
- b. गृह-स्थानिक्य – चूनि की राष्ट्रीय सिंह जिलोंपिंड के नाम पर है। उत्तराखण्ड ऐत्र सम्पति पर उपलब्ध नहीं किया गया है।
- c. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2016 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की इसी घटना की वर्णी है।
- d. अल्पसंख्यी सारकारीओं की दूरी – निकटान्नम् अगाही छाम-जिलापुरानी 0.5 किमी, लक्ष्मण चान-चानाम 6 किमी एवं अल्पताल छाम-जिलापुरानी । किमी ती 7.5 की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय सारकारी 6 किमी, गृह-सारकारी 2 किमी, दूर है। तीन जल्दी 6 किमी दूर है।
- e. पारिसिविकीय/ लोकविकासीय बायोइन्ड्रील क्षेत्र – परियोजना प्रशासनका द्वारा 10 किमी की परियोजने की अंतर्विज्ञीय रिपोर्ट राष्ट्रीय सारकार, अभ्यासपथ, कोटीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रीवियु एवं एरिया पारिसिविकीय बायोइन्ड्रील को या भौमिक जीवविकासी द्वारा किया गया नहीं होना परिचालित किया गया है।
10. खनन साधना एवं खनन का विवरण – रिपोर्टहितकल रिपोर्ट 40,42,515 टन, नाईनेवल रिपोर्ट 24,47,822 टन एवं रिपोर्टहितकल रिपोर्ट 18,63,044 टन है। लीव की 7.5 मीटर ऊँची लौसा पट्टी (उत्तराखण्ड की लिए प्रगतिशील होती) पर लौसफल 0.66 हेक्टेएर है। औपन कलाट नीकोनाईज़ लिफ्ट से उत्तराखण्ड किया जाता है। उत्तराखण्ड की प्रजाताप्रिय अधिकारी गहराई 28.45 गीटर है। बर्तमान से कुछ भागों में 19 गीटर गहराई तक उत्तराखण्ड किया जाता है। दोष अपनी निट्टी की मात्रा 8.411 घनमीटर एवं मोटाई 2 मीटर है। इस की कमाई 3 मीटर एवं जीकाई 3 मीटर है। लौसन की लम्बावित आयु 6 लाई है। जैक हैकर से डिस्ट्रीक्ट एवं क्लाइरिट लिया जाता है। लौसन में यायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का प्रियोक्ता लिया जाता है। यही उत्तराखण्ड काला मिशनल लौसन का आपनायी जाएगी। यहांपर प्रत्यावर्ती लौसफल का उत्तराखण्ड कियागुन्नाम है।

संख्या	लीवकल (वर्गीकृत)	गहराई (गीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रत्यावर्ती उत्तराखण्ड (टन)
2016-17 से 2019-20	During this period, the excavation work has been done as per proposal.			
2020-21	29,343	3	87,719	2,21,000

नोट: लौसना में उत्तराखण्ड की जात के लौकों को राहगारीक लिया जाता है।

11. जल-आपूर्ति – लौसीजना हेतु आवश्यक जल की साझा 6 घनमीटर प्रतिदिन है। लौसन में जल की आपूर्ति अंतर्विज्ञीय संसंगति से जल जल की जाती है।
12. गृहारोपण कार्य – लीव द्वारा की जाया में जाती और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,500 नये गृहारोपण लिया जाएगा।
13. पूर्व में जारी यार्गायरणीय स्वीकृति संबंधी जिगरण-



- i. यूपी में बोर्डोफाइद राजदान वित्तसंगठन क्रमांक 5/2, कुल लेवल - 400 हिक्टेएक्टर, दामोदर - 67.968.65 एक्ट प्रतिलिपि द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता विभाग सरकारी पर्यावरण विभाग नियंत्रित करना। चिन्हांक 22/03/2017 को जारी की गई।
- ii. परिवासिता विभाग द्वारा यूपी में जारी पर्यावरणीय स्थीरता के तहत की आवश्यकता में की गई कार्यकारी की जानकारी प्राप्त की गई है।
- iii. नियंत्रित राशीनुसार 500 नए प्रशासनिक क्रिया करा गया है।
- iv. विभाल यहीं में पर्यावरण किए गए उत्तराधिकार की साक्षात्क्रिया यथा भी जानकारी (विवरीय रूप) नियंत्रित किया जाना जब प्राप्त की गई है।
14. परिवासिता प्रत्यावरक द्वारा कराया गया कि विभाल यहीं में वर्ष 2018-19 में 87,970 टक्के, वर्ष 2017-18 में 77,060 टक्के, वर्ष 2016-17 में 1,04,615 टक्के वर्ष 2018-20 में 1,02,030 टक्के है, जो कि जारी पर्यावरणीय स्थीरता से अधिक है। इसे संबंध में सतिरि की समस्या परिवासिता प्रत्यावरक द्वारा कराया गया कि पर्यावरणीय स्थीरता के राशी अनुमोदित गांवस्थिति व्यापार के अनुसार उत्तराधिकार द्वारा कार्रवाई की गई है।
15. अनुमोदित गांवस्थिति व्यापार में स्वीमप, सार्वजनिक विज्ञवा की उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई है। अतः उपयुक्त व्यवस्था करने सहीसिता गांवस्थिति व्यापार प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
16. कौथोरिट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परिवासिता प्रत्यावरक द्वारा प्रसिद्ध की समस्या विभाग ने यहाँ उपरोक्त विभागनुसार प्रशासन प्राप्त किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.0	Following activities at Govt Primary School Village - Chhitapadariya Rain Water Harvesting System Potable Drinking Water Running water facility for Toilets Plantation with fencing Total	0.00 0.00 0.30 0.20 0.00 1.00

सामिति द्वारा उत्तराधिकार सर्वेतान्तरि से विभागनुसार नियंत्रित किया गया है—

- पूर्व में जारी बद्धिमतीय स्टीम्सुल की जाति के पालन में की गई कार्यकारी की उम्मीदोंकी भवित राष्ट्रभाषा पर्याप्त थन एवं जलगाम् परिवर्तन संबोधन की दीर्घीकारीजन से प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
- परियोजना प्रसारक का द्वारा बताया गया कि पर्याप्तरणीय स्टीम्सुल से संबद्ध अनुमोदित पर्याप्त जलम के अनुसार जलधनम हेतु आवेदन फिल गया था एवं पर्याप्तरणीय स्टीम्सुल अनुमोदित मार्गनिंग पराम के अनुसार जलधनम है। जारी की गई है। परं फिल स्टीम्युल पर्याप्त जलधनम निर्धारण प्राप्तिकरण, फिल-जारीर-जापा में पर्याप्तरणीय स्टीम्सुल हेतु फिले गये आवेदन की उत्त्यापित दृष्टि (जिसमें अनुमोदित जलम का उल्लेख है) प्रस्तुत की जाए।
- प्रसार अनुमोदित मार्गनिंग ज्ञान में स्वीकृत भवनेष्वत फिलों की उपयुक्त व्यवहा नहीं तो गई है। अतः फिलों की विस्तृत व्यवहा कर अनुमोदित मार्गनिंग भवन प्रस्तुत फिल जाए।
- मूल भी द्वारा फिल फिलोंप्रिया की जान पर है। जलधनम हेतु सहभागी वर प्रस्तुत फिल जाए।
- स्वत प्रिलीक्षण के उचितात् सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रकाश प्रस्तुत हिला जाए।
- परियोजना प्रसारक को उपलोक्त समर्त धूम जानकारी / इकानोम फार्म फिल ज्ञान उपयुक्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.इ.ए.ली. छलीकामड की 340वीं बैठक दिनाक 06 / 10 / 2020 का परिषेय में परियोजना प्रसारक द्वारा जानकारी / इकानोम ता उपलोक्त एवं परीक्षण करने पर फिल लिलहि पाई गई—

(ii) वार्तित वी 346वीं बैठक दिनाक 07 / 11 / 2020

लिलहि द्वारा गरी, प्रस्तुत जानकारी / इकानोम ता उपलोक्त एवं परीक्षण करने पर फिल लिलहि पाई गई—

- भारत सरकार ग्रामीण इम एवं जलगाम् परिवर्तन संबोधन के एकीकृत जारीय कार्यालय, नवा राष्ट्रपर अटल नगर के जलधन दिनाक 28 / 10 / 2020 हुआ पूर्व में जारी पर्याप्तरणीय स्टीम्सुल की जाति के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- फिल स्टीम्युल पर्याप्त जलधनम निर्धारण प्राप्तिकरण फिल-जारीर-जापा में पर्याप्तरणीय स्टीम्सुल हेतु फिले गये आवेदन की उत्त्यापित दृष्टि प्रस्तुत की गई है।
- कार्यवाही कर्त्तव्य (वार्तित जानकारी), फिल-जारीर-जापा के जलधन ज्ञान / 2021 / अनि / स ता / 2020-21 जारीर, दिनाक 09 / 10 / 2020 के अनुसार की 2015-16 में 80,000 टन, की 2016-17 से 67,070 टन, की 2017-18 से 77,060 टन एवं 2018-19 में 1,04,815 टन एवं 2019-20 में 1,02,030 टन उत्त्यापित फिला गया है।
- भार्गनिंग ज्ञान में बनीराद भवित फिलों की उपयुक्त व्यवहा कर फिलों की विस्तृत व्यवहा वर अनुमोदित मार्गनिंग पराम प्रस्तुत नहीं फिला गया है।

- पूर्ण वी उत्पाद सिंह नियोगियों को नाम पर छोड़ा बनाया गया है। अबकी सहमति एवं दीमती कौशल सिंह को नाम की प्रस्तुत भी नहीं है। इस संकेत से नियोगियों स्वाक्षरता घाना आवश्यक है।
 - स्वास्थ नियोगियों की समर्पण टीड़जार (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

नामिति द्वारा विचार किया जाएगा ताकि वार्तालाई भी निष्पक्ष घोषणा हो। अतिरिक्त जलना प्रवर्तनाका लिए आवश्यकी मत्तू के बाबीजित देखा में उपरोक्त वार्तालाई एवं उसकी सुविधा यानकरी / इसावेज लाइफ प्रमुखीतरन द्वारे जारी हित निर्देशित जितना जाए।

परियाजना पुस्तकालय एवं सदानन्दालय कीटोंत मिला होए।

८. मेहराजी भी चांडीगढ़ कृष्णानी अंतिमरी बटोन कपारी, यान-मनकीसारी, लहानीज विला-कावीर (शाखिमालय का नस्ती ग्रामांक १३८)

अंगताईन आवेदन - प्रयोग्य सम्बन्ध - इमाराती / शीर्खी / पुस्तकालय /
२०२०/२०२० दिनांक २५/०८/२०२०।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित सम्बालन पालम (एवं मुक्तम) (प्रीत खानी) द्वारा है। यहाँने धाम-समक्षस्थी ताहातिल प जिला-पाल सम्बल निधि अधिकारी द्वारा 24 अक्टूबर-189 ईकट्ठेयम द्वारा प्रस्तावित है। यहाँने जी आदिति सम्बालन पालम दरखानन दामन—64,725 टर प्रतिवार्ष एवं गुरुगंग दरखानन दामन—21,022.5 टर प्रतिवार्ष दर्शाया है।

दीर्घकालीन विस्तृत विवरण —

- (iii) समिति की ३३६ वीं बैठक दिनांक ०२ / ०३ / २०२०

जागिरे हाथ प्रकरण की नहीं एवं प्रत्युत जानकारी का परीक्षण तथा उत्तमता दर्शान्महि के निष्पान्सार निर्णय लिया गया था।

1. यूपी स्टेटिकल संस्कृती दरबारीज की समष्टि/पहलीय प्रति प्रत्युत मिला जाए।
 2. यदि यूपी ने आईएल स्थल पर खानग हैंड राज्य इकाई पर्यावरण संगठन नियोग प्राप्तिकरण (एसईआईएल), उत्तीर्णगढ़ अधिकारी विभाग सारीय प्रदानकरण करनाली नियोग प्राप्तिकरण (डीईआईएए), उत्तीर्णगढ़ द्वारा प्रदानकरणीय रूपोंका दो बड़ों, तो यूपी ने जारी प्रदानकरणीय रूपोंका दो बड़ी एवं अदिसीमित राती के भालते ने दो बड़ी कार्यपाली की प्रानकरणीय गोटीप्राप्ति सहित प्रत्युत की जाए। राज्य की प्रकाशनपत्र की आधारने कियाहो एवंकारी पीटोप्राप्ति सहित प्रत्युत की जाए।
 3. यदि खानग यूपी की संचालित है, तो विभाग यारी में प्रभावत लिए जाए। विभागन की वास्तविक भाजा की जानकारी (वित्तीय एवं) विभाग की उपायित कर कर प्रत्युत की जाए।
 4. भाजा वार्षिक, प्रतिवर्ष, इन और जलवायु परिवर्तन भवान्य, एवं विलीन के ओपर दिनांक 01/05/2018 की अनुसारी डीईआय (Corporate Environmental Assessment) द्वारा विभाग पूर्व विभाग के जारी प्रस्तुत मिला जाए।

2

८. परियोजना प्रकाशक की वपरीता समर्त हुई रहनकारी / दस्तावेज़ (प्रदान करने की विधि) की सभी आवश्यक माहू की आवश्यित फैलक में प्रस्तुतीकरण दिये गये गाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

परियोजना प्रकाशक की एस.ट्री.ए.सी. प्रत्योक्ताप के आधार दिनांक ०३/१०/२०२० द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(७) समिति की ३४१वीं बैठक दिनांक ०७ / १० / २०२०:

प्रस्तुतीकरण हेतु ली गएब वृत्तानी, ग्रेचराईटर उपलिखत हुए। उसके द्वारा समिति को समता समर्पित होनार पहाड़ गया कि परियोजना प्रकाशक की साथीय प्रकार सदाचार दिनांक २४, जुलाई २०१८ - १९ बैक्टीयर क्षमता - ६८,७३४ टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय सीमाओं के लिए सारीय प्रदानवर्ण जागरूकता लिखित प्रस्तुतीकरण, जिसका दृष्टि दिनांक २५/१२/२०१६ की जारी किया गया है। कर्तव्य में परियोजना प्रकाशक द्वारा आवेदित साथीय प्रकार नुस्खानन छागड़ा-६४,७२८ टन प्रतिवर्ष एवं मुख्य उत्कृष्णन जागरूक-२१,५३२.६ घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है।

समिति के ज्ञान में वह रुख आया कि नाईनिंग विभाग द्वारा मुख्य उत्कृष्णन हेतु अत्याधिक आवी नहीं किया गया है, जो कि आवश्यक है।

समिति द्वारा समस्त सर्वसम्मति की निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रकाशक ने नाईनिंग विभाग से मुख्य उत्कृष्णन हेतु अत्याधिक एवं की प्रदानवर्ण इति द्वारा नए प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए। परियोजना प्रकाशक द्वारा जागरूकी / दस्तावेज़ प्रस्तुत विषय क्षमता जपता आवश्यकता का दर्शाया ही जाएगी।

एस.ट्री.ए.सी. प्रत्योक्ताप की ३४१वीं बैठक दिनांक ०७/१०/२०२० के परिवेष्य में परियोजना प्रकाशक द्वारा जागरूकी / दस्तावेज़ का अवलोकन एवं वर्णन करने पर विवर कियी जाई गई-

८. एम.जी.आरौ. की सज्जय वृत्तानी के नाम पर है, जो कायलिय कलेक्टर (जिलेज राजा), जिला-लख, कोलीव के ज्ञानव अम्बेक/७२०/समिति/प्रग/सीई री/२०२०-२१ कालोंर दिनांक २३/१०/२०२० द्वारा मुख्य उत्कृष्णन हेतु जारी की गई है।

समिति द्वारा विभाग विभाग समर्त सर्वसम्मति हो निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रकाशक जो आवश्यक माहू के आवश्यित इति ने पूर्व में जारी रखी जानिंग जागरूकी एवं समस्त सुलगानी जानकारी / दस्तावेज़ समिति प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रकाशक जो हादानुसार सुचित किया जाए।

९. बैशाही एस.आरौ. सुरकार गुरुकुदी और्दिनरी बटोर बवारी, जाम-गुरुकुदी, राहसील-पठांचुर, जिला-लखकोर (संविवालय का नवरी ज्ञानांक १३४)
- ओनलाईन आवेदन - ज्ञानव अम्बर - एसडाकौर/ जोगी/ एनडाईल/ १६२९०४/ २०२० दिनांक ११/०७/२०२०। परियोजना प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत

जीनलाईन आवेदन में कियी होने वाली इत्यनि दिनांक 13/05/2020 तथा प्राप्तकर्ता प्रस्तुत जलों हेतु निरीक्षित किया गया। परियोजना प्रस्तावका प्राप्त वासिता जानकारी दिनांक 27/06/2020 की जीनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव (वीप्र समिति) बदला है। बदला द्वारा नुस्खाई, लहरीज-पानाचुर ज़िला-कर्तीक विधान सभावाला क्रमांक 174 वर्ष द्वारा क्रमांक-1 होतीयह में प्रस्तुत किया गया है। बदला जी आवेदित प्रस्तावका अमांक-57,430 टका प्रतियां है।

वैधकों का विवरण —

(अ) समिति की 338वीं बैठक दिनांक 02/09/2020:

समिति द्वारा प्रकाश की तरीकी एवं प्रस्तुत जानकारी तथा विवरण तथा उल्लंगण समीक्षामूलकी ही निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. जाम बंधागत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (जारीकी वित्तीकरण) की अपार्ट/ यातीय दरि प्रस्तुत किया जाए।
2. गृहि वस्तीमें जलको उत्तरांगीकी स्वरूप/ यातीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
3. यदि पूर्व में जारीकी अपार्ट पर लानन हेतु लाजपत राजपत्र राजांशाह निर्णय प्राप्तिकरण (एकई-आई-ए-ए) जारीमानद अपार्ट विधा जारीकी प्रधानमंत्री समाप्त भौतिकरण प्राप्तिकरण (टीई-आई-ए-ए), जारीकी अपार्ट पर्यावरणीय दरीकर्ती ही पहुंची, तो पूर्व में जारी प्रधानमंत्री स्वीकृति और प्रति एवं निर्णयिति जारी के बालम ने जी गहरी जारीकी जी जानकारी अद्वितीयता अपार्ट प्रस्तुत की जाए। जाम की वृक्षारेष्वरी की अद्वितीयी प्रोटोकॉलस जारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि बदला पूर्व से जारीकी है, तो विधान वारी में विवरण किए गए उल्लंगण की जानकारी की जानकारी (उपरिकीय वर्ती) जारीकी विधान से जारीकी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारती सरकार, पर्यावरण, एवं और जलवायु परिवर्तन सम्बन्ध, नाहु दिल्ली के भा भास. दिनांक 01/05/2018 की अनुसार जी ई-आर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावका जी उपरोक्त रामरत्न पूर्ण जानकारी / प्रस्तावपा (प्रस्ताव कोटोडोषायस्ती) के साथ जारी जाह की आवेदिता वित्तीकरण में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निरीक्षित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावका जी एसई-एसी, घासीदारु के जामन दिनांक 05/10/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

(ब) समिति की 341वीं बैठक दिनांक 07/10/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु जी नुस्खे लिंग सरकार अधिकार द्वारा नियमित अनियमित हुए। समिति द्वारा जली, प्रस्तुत जानकारी का अवशोषण एवं वर्तीकरण करने वा नियन्त्रित कर्ता गई—

1. जाम प्रबाधक जी जानापत्ति प्रमाण पत्र — उल्लंगण के ताकि जी जानकारीकरण का दिनांक 19/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

2. उत्तराखण्ड योजना — जारी घोषणा विषय प्रौद्योगिक कारोबार विकास एवं बहुउद्देशीय सेवाओंमें व्यापक प्रभावित किया गया है, जो यानि आधिकारी, जिला—तह, कालेंटर के घोषण अन्मानक 283/समिति/सरकारीअनु/अस्थायीअनु/2020-21 काले, दिनांक 30/06/2020 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खाद्यान — कार्यालय कालेंटर (जनि. राज्य) जिला—तह, कालेंटर के घोषण अन्मानक 204(सी)/समिति/प्रशासन/2020-21 काले, दिनांक 30/06/2020 के अनुसार आधिकारित खदान से 500 मीटर की भीतर प्रयोगित अथवा उदानी की शर्या निरुक्त है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित वास्तविक शोब्द/संरचनाएं — कार्यालय कालेंटर (जनि. राज्य), जिला—तह, कालेंटर के घोषण अन्मानक 264(सी)/समिति/प्रशासन/2020-21 काले, दिनांक 30/06/2020 द्वारा जारी घोषणा पाल अनुसार उपल छवान से 200 मीटर की परिधि में योद्धा की सांख्यिक शोब्द योद्धा अस्थायी, रक्षण, पुल, बाल, एनीमाट एवं प्रात अपुर्णी आदि प्रतिक्रिया शोब्द मिलें गए हैं।
5. एलओआई, का विचरण — भूमि गतिशील सूमि है, जिसमें एलओआई कार्यालय कालेंटर (जनि. राज्य), जिला—कालेंटर के घोषण अन्मानक 109/कले/समिति/अस्थायीअनु/2020-21 काले, दिनांक 24/06/2020 द्वारा जारी गई प्रियक्षी अवधि 2 वर्ष हेतु किया है।
6. बन विभाग का अनापत्ति प्रगति घोष — कार्यालय अमन्दिलप्रियारी, परिषदम भानुप्रसाधपुर बनमकल, जिला—तह, कालेंटर के घोषण अन्मानक / प्राप्ति / 2020 / 4646 भानुप्रसाधपुर, दिनांक 10/06/2020 को जारी अनापत्ति प्रसाद एवं अनुसार उत्तरोक्त शोब्द बन सौम्य से 10 कि.मी. की दूरी पर है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — को 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति इन्सुल की गई है।
8. गहरकृष्ण शर्वनाथी की दूरी — निकटतम आवादी यात्रा—गृहांशी + किसी दूर रखनेर यात्रा—गृहांशी + किसी दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.1 + किसी दूर यात्राएँ 0.4 किमी. दूर हैं।
9. पारिस्थितिकीय/वैज्ञानिक संवेदनशील शोब्द — विद्योतका वर्तावके द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में गतिशील सूमि, राष्ट्रीय रुद्धान, अभ्यारण, कन्दीय गृहप्रसाद विषयका बोह द्वारा प्रतिक्रिया दील्ड्रेक एवं यारिस्थितिकीय गतिशील शोब्द या भौगोलिक जैवविविधता शोब्द स्थित नहीं होना प्रतिक्रिया किया है।
10. रानन संपर्दा एवं खनन का विचरण — गियोलामिकल रिपोर्ट 1.89.000 टम पार्टिक्यूलर रिपोर्ट 1.05.000 टम पर्स विकल्पविकल रिपोर्ट 1.01.332 टम है। लीज की 7.5 मीटर लंबी सीमा पट्टी उत्तरानन के लिए प्रतिक्रिया दीक्षा का दोक्कल 0.278 हेक्टेयर है। बोगम काले सीमी मेलोनाटुक्कु गियो से उत्तरानन किया जाएगा। उत्तरानन की प्रस्तावित अधिकतम गड़दर्ह 8 मीटर है। देव भी गड़दर्ह 3 मीटर एवं सीमांत्र 3 मीटर है। खदान की समाप्ति आयु 2 वर्ष है। उपरी जिट्टी की यात्रा 21.572 घनमीटर एवं नोटाहु 3 मीटर है। जोक हीमर हो विलिंग एवं कंट्रोल लेटरिंग किया जाएगा। खदान से पानु ग्रेड्यूल विचारण केवु जस का गियोलामिक विषय जाएगा। जारीत इसकीप्रति उत्तरानन का विचरण गियानामुखार है।

कार्य	शेषांक (पर्याप्तता)	गहनाई (पीटर)	आवधन (घनपीटर)	प्रतिक्रिया (दंग)
प्रथम यांत्र द्रव्यमाण क्रम	7.224	3	21.672	57.431
द्वितीय यांत्र द्रव्यमाण क्रम	6.163	3	18.576	49.228.4

नोट: लाइसेन्स में इकायनामे की सहायता के लिए वार्ता को सारान्धरूपीय लिखा गया है।

11. जल आर्थिकी - परिवारों का इनु आवश्यक जल की साक्ष उपलब्धता और प्रयोग की समस्या। जल की आर्थिकी दैवत के मध्यम से ही प्राप्ती।
 12. पुष्टारोपण कार्य - इन्हें शेष की सीमा में खाली जौह एवं P.P. ग्रीष्म की गट्टी में दृष्टि नहीं पुष्टारोपण किया जाएगा।
 13. भूमि में जलसी धर्माधारीय स्वीकृति संबंधी नियन्त्रण - इस अधिनायकी में भूमि में धर्माधारीय स्वीकृति जलसी नहीं की गई है।
 14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परिवारों का प्रश्नोत्तरा इसका दायित्व (Corporate Environmental Responsibility) हो सकता है। सम्बन्धित रूप से वर्षदाता नियन्त्रणार्थ प्रश्नोत्तरा प्रश्नोत्तरा किया जाना है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
240	2%	0.48	Following activities at Govt. School Village - Phurphundi Rain Water Harvesting System Potable Drinking Water	0.40 0.15 0.55

15. प्रस्तुत अनुमोदित मार्फतिंग व्यवस्था में उपर्युक्ती (Top 50%), दिलच्छे एवं व्यापारीय गणना में शुल्क है; जबकि डी-21-672 अनुमोदित मुद्रण होना व्यापक व्याप्ति है, जिसके अनुसार व्यापक संस्थायी विवरण एवं व्यावसायी का मार्फतिंग व्यवस्था में उपर्युक्त नहीं किया जाया है। उपर्युक्त व्यापक गणना करने संस्थायीता मार्फतिंग व्यवस्था प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

ਪਾਪਿਗੇ ਹਾਥ ਸੁਲਾਏ ਰੂਪੀਰਾਮੀ ਦੀ ਮਿਥਾਨਰਾਵ ਮਿਥੀ ਲਿਆ ਗਥਾ ॥੩॥

1. ऊपरी निटटी (Top Soil) के नटोरेज की प्रगतिकृत व्यापकता की सम्भावने एवं फिर भी विशुद्ध व्यापक तर व्यापक अनुसारित व्यापकीय प्रधान में उपरोक्त व्यापक व्यापक व्यापक किया जाए।
 2. व्यापक व्यापक के उपरोक्त सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) का विशुद्ध व्यापक (including long cost) प्रधान किया जाए।

Q4

३. परियोजना प्रस्तावक की उपरीका समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जाने वायस्त आगामी कार्यपाली की जाएगी।

एसटीए-नी, घट्टीभगड़ की ३४१वीं बैठक दिनांक ०७/१०/२०२० के परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी / दस्तावेज़ दिनांक ०५/११/२०२० को प्रस्तुत किया गया है।

(८) समिति की ३४६वीं बैठक दिनांक ०७/११/२०२०

समिति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज़ का अकालीकान एवं पश्चिमांश जाने पर लिख दिया जाएगा।

१. भौतिकाई कारी एवं जिवा औषधिक गत्ती कलीजर प्रान एवं बुनायीसेट मनोतंगट यात्रा प्रस्तुत किया गया है।

२. सहर विशेषण के सम्बन्ध सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रश्नावली प्रस्तुत की जिया गया है।

समिति द्वारा विभार विभारी सम्बन्ध सर्वतंभमिं से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक की आगामी यात्रा को अधिकृत बैठक में पूर्व में जानी वहु परियोजना एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज़ सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सुचित किया जाए।

१०. मेहरां आर. डी. निगरल्स वनहरदी लाइन स्टोर बाबी (फार्टनर - श्री वाहूल गोपाल), याम-वनहरदी, वाहरील-झोगरनाथ, जिला-राजनांदगांव (परियोजना का नक्शी क्रमांक ८८०)

जीवजाई आवेदन - प्रयोगज सम्बन्ध - एसटाईप / सौमी / एसटाईप / २०७३९/२०१०, दिनांक २८/०८/२०१०। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जीवजाई आवेदन में लिखित होने से आपन दिनांक ०६/०६/२०१९ द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। जीवजाई प्रस्तावक द्वारा सहित जानकारी दिनांक १६/०१/२०२० की जीवजाई प्रस्तुत भी गई।

प्रबलाव या विवरण - यह पूर्व से संवाहित चूना यथाव (भीत्र रखिया) छादान है। छादान याम-वनहरदी, वाहरील-झोगरनाथ, जिला-राजनांदगांव लिया जाना क्रमांक ३२०/२ एवं ३२७, कुल क्षेत्रफल - ०.७०८ हेक्टेयर में है। छादान की आवृत्ति वायावर जम्मा - ११,००० टन प्रतिक्रीं है।

वैदिकों का विवरण -

(अ) समिति की ३०८वीं बैठक दिनांक ०४/०२/२०२०

समिति द्वारा प्रकाश नी नक्शी एवं प्रस्तुत जानकारी का परिवर्तन तथा तात्पर्य सर्वतंभमिं से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

१. पूर्व में जारी विवरणीय स्थीकृति की प्रति एवं अधिकृत जारी के अनुसार की गई जानकारी की जानकारी कोटीशाला सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही गुलारीपाल सी आदतेव लिखित की जानकारी कोटीशाला काउंसिल प्रस्तुत की जाए।

२. विवरण एवं लिए सह जायनम की जातविक भाजा की जानकारी दर्शिय कियाग से प्रस्तुति जरा कर प्रस्तुत की जाए।

३. डिस्ट्रीक्ट सर्वी रिपोर्ट District Survey Report, की तरी प्रस्तुत की गयी।
४. भारत सरकार, पर्यावरण, का और जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, नई विनियोगी की तोटेम दिनांक ०१ / ०६ / २०१८ के अनुसार सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
५. परियोजना प्रवाहक की उपरोक्त शमशत गूर्ही जामुकारी / दस्तावेज (अद्यतन प्रोटोकॉल) की सभी जागाएँ नांद की टिका में प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

तदानुसार यहां निरीक्षक एवं परियोजना प्रवाहक की एकड़ी एकली उपरोक्त ज्ञान दिनांक २२ / ०२ / २०२० हेतु प्रस्तुतीकरण हेतु सुनिश्चित किया गया।

(६) नियमिती की ३१८वीं बैठक दिनांक २८ / ०३ / २०२०:

प्रस्तुतीकरण हेतु यी विभाग गोलार्द्ध, अधिकारी प्रतिनिधि उपस्थित हुए। नियमिती प्राप्त नवीनी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर नियमिती पार्ही नई—

१. ज्ञान प्रबाहार का अनापत्रित प्रमाण पत्र — उत्तराखण्ड का राज्य में ज्ञान प्रबाहार बनावटी का दिनांक ११ / ०७ / २००२ का अनापत्रित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
२. उत्तराखण्ड बोर्ड — उत्तराखण्ड एकाधिकारी इम्प्रेयरेंट बोर्ड की ज्ञानी गोलार्द्ध उत्तराखण्ड का अनापत्रित किया गया है, जो उप जामुकारा (ज्ञानी प्राप्त), जिला—साक्षात् वा ज्ञान का अन्वय १५८७ / व्यक्ति / तीव्र-६ / २०१८, दिनांक ०२ / ११ / २०१८ हाता अनुचालित की गई है।
३. ५०० बीटर की परियोजना में विष्वत खदान — कार्यालय कलोकटर (ज्ञानी राज्य), जिला—साक्षात् दिग्गज की ज्ञान दिनांक / २०९० / व्यक्ति ०२ / २०१९ उत्तराखण्ड राज्य अनुसार उपल ज्ञान की ५०० बीटर की परियोजना में कोई भी जारीजनिक दोष ज्ञानी नियंत्रण अधिकारी कलोकटर अस्तित्व, रक्षण, बुल, बोर, एनीकट एवं जल आपूर्ति अधिक प्रतिक्रिया दोष निर्णीत नहीं है।
४. २०० बीटर की परियोजना में विष्वत सार्वजनिक दोष / रारम्भार — कार्यालय कलोकटर (ज्ञानी राज्य), जिला—साक्षात् दिग्गज की ज्ञान दिनांक / २०९० / व्यक्ति ०३ / २०१९ उत्तराखण्ड राज्य अनुसार उपल ज्ञान की २०० बीटर की परियोजना में कोई भी जारीजनिक दोष ज्ञानी नियंत्रण अधिकारी कलोकटर अस्तित्व, रक्षण, बुल, बोर, एनीकट एवं जल आपूर्ति अधिक प्रतिक्रिया दोष निर्णीत नहीं है।
५. जीज का विवरण — यहां में जीज की नक्काश सुनार जीन को भास पर है जिसकी अवधि १० वर्ष हेतु अधोत दिनांक ०५ / ०४ / २००३ से ०४ / ०४ / २०१३ तक ही। उक्त जीज का इस्तेवालय दिनांक १० / ०४ / २००७ को वी भर्ती अवधि अवधिकारी की ज्ञान पर किया गया। उत्तराखण्ड जीज ही जी जीनीजारण ०५ वर्ष हेतु अधोत दिनांक ०५ / ०४ / २०१३ से ०४ / ०४ / २०१९ तक एवं विष्वता एवं १० वर्ष हेतु अधोत दिनांक ०५ / ०४ / २०१९ से ०४ / ०४ / २०३३ तक की अवधि हेतु एवं ११ वर्ष हेतु अधोत दिनांक ०५ / ०४ / २०३३ से ०४ / ०४ / २०५५ तक की अवधि हेतु एवं जीज की जीनीजारण (भारतीय — वी राज्य गोलार्द्ध) को भास पर किया गया है।
६. उत्तराखण्ड एवं ज्ञान का विवरण — कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्याधिकारी वनमण्डल, जिला—साक्षात् दिग्गज वी राज्य ३३ / व्यक्ति / ८८ का

7. ज़िलेट्रॉनिक्स नारी रिपोर्ट – वर्ष 2016 की ज़िलेट्रॉनिक्स नारी रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुता की चूंच है।
 8. बहुतसमृद्धी सारथनामाली की दूसी – जिकटलग आवादी राम-बनहरटी + किमी एवं ज़रपालल राम-बनहरटी + किमी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 किमी से राजमार्ग 07 किमी तक है। तालिका 0.8 किमी, दूर है।
 9. पारिसंरचनिकीय / वैद्यकियता संवेदनशील क्षेत्र – पारिवारिक प्रकाशक द्वारा 10 फीट ऊंची की पर्याप्ति वे अंतर्वालीय सीमा राष्ट्रीय राष्ट्रम् अभयालय और अन्दीय ग्राम्य निवास और इस पर्याप्ति किटिकली वैश्वलंड एवं या पारिसंरचनिकीय संवेदनशील क्षेत्र पर ध्यायित वैद्यकियता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
 10. स्थानन संपर्क संपर्क स्थानम का विवरण – जिगोलापिकल जिला लगभग 1,00,020 एकड़ माईक्रोला रियाई 36,470 एकड़ रियाई 16,024 एकड़ है। जीज क्षेत्र के बासी और 7.5 घीटर (0.252 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा यादा है। अपने जानक नामी नामोनामुक लिंग से उत्तमम लिंग जाता है। स्थानम की प्रत्यावर्त अधिकातम राहस्य 12 घीटर है। स्थानीय लिट्टी की भाग 1,000 घनमीटर एवं गोठाई 1 घीटर है। वैद्य की काढाई 1.5 घीटर एवं घीडाई 1.5 घीटर है। जीक उमर से डिलिंग एवं चालिंग यिद्या जाता है। स्थान की समाजित भाषा 6 बोली है। पर्वतीय प्रात्यक्षित सालानम का विवरण निम्नमान्वत है—

क्रम	होतफल (पर्सीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रत्यापिता सत्त्वानन ROM (₹)
प्रथम	1.933	3	5,800	11,600
द्वितीय	1.800	3	5,400	10,800
तृतीय	1.667	3	5,000	10,000
चतुर्थ	1.533	3	4,600	9,200
पांच	1.400	3	4,200	8,400

- परियोजना हेतु आवाहक जल की साझा के अभीष्ट वर्तिनियन है। जल की आपूर्ति निकटतम बोरोडल से ही आती है। इधर ने कानून प्रत्यक्षण लिया है ताकि जल का वितरण किया जाए।
 - कृषाणोपयन कार्य — ऐसे सेवे के लागती ओर 1.5 मीटर ऊंचे दोष में 500 नगर कृषाणोपयन किया जाएगा।
 - प्रशान्तीकरण की दीर्घम दौरीयोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि एकांक दिशा में 1.5 मीटर की ऊंची दीव में कई अभीष्टी वा 4 मीटर तक उत्थानन घूंसे से ही किया जाया है। इसका वर्त्तनिया भैंज में औद्योगिक बड़ी वा भूमिका पर कृषाणोपयन किया जाएगा।
 - घूंसे में जारी परिविधियाँ रखी जाएंगी जूबांडी विवरण—

- पुर्दे में चूना पाल्पत्र वादाम असल ग्रामीण 326/2 एवं 327, शिलालय 0.706 हेक्टेयर, अम्बा-4,000 रुप अतिविवर्त सेवु निला जलसिंच पानीबद्धन अभ्यास निपटाण जाधिकारण निला-जलसाइब्युल लाला चानीबद्धनीय स्थीकृति निला-

- 09/03/2017 के द्वारा जारी दिनांक से दिनांक 21/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी नहीं रही है।
- पूरी से जारी पर्यावरणीय स्टीमलैट के लाली को पर्यावरण में भी एक आमंत्रितीय प्रत्यक्षता की रही है।
 - 200 वर्ग किमीरेप्पा जिला जगह है।
 - जातीय संसद (संसदीय जारी), जिला-जापनायामार्ड के ज्ञानपुरा नं. 507 / दाति. 03 / 2020 याज्ञनायामार्ड, दिनांक 24 / 02 / 2020 के अनुसार जिला जगह वाला पर्यावरण दिवस निर्माणासार है—

प्रियतीय वर्ष	वास्तविक उत्पादन (घनमीटर)
2003-04	200
2004-05	120
2005-06	180
2006-07	210
2007-08	360
2008-09	75
2009-10	155
2010-11	735
2011-12	297
2012-13	360
2013-14	235
2014-15	265
2015-16 (15 जून तक)	85
④ 1.07 टन / घनमीटर	मीट्रिक टन में
2015-16 (15 जून तक से 15 दिसंबर तक)	3,440
16 दिसंबर से 17 वार्ष	—
2017-18	2,710
2018-19	2,800
2019-20	2,850

15. जानवीर एन जीटी, प्रोफेशनल बैच, नई दिल्ली द्वारा जातीय पर्यावरण दम और जलवाया परिवहन संसाधन नई दिल्ली एवं अन्य अधिकारियों द्वारा जारी (186 जीक 2016 एवं ऊपर) में दिनांक 13 / 09 / 2018 की पारित आदेश में गुण्य हथ तो निर्माणासार निर्दीशित जिला जगह है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

10. कॉर्पोरेट एंवरायरल रिपोर्ट (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, यह और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने १५ दिसंबर ०१/०६/२०१८ के अनुसार शीर्षक (Corporate Environment Responsibility) द्वारा समिति के सभी विस्तार के बारे सुनिश्चित निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)		
			CER Fund Particulars	Allocation (in Lakh)	
Rs. 20		Following activities at Nearby Government Primary School Village-Banhardt			
2%		Solar Lighting System		Rs. 0.30	
		Plantation with Fencing		Rs. 0.10	
		Total		Rs. 0.40	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक की विस्तार किया गया (१) शीर्षक (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। समिति (२) सत्त्वागम सर्वसम्मति को निम्नानुसार निश्चय लिया गया है।

- पूर्व में आई पर्यावरणीय स्कॉलरशि की शाली के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, यह एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत नामांकन सीधा कार प्रस्तुत की गयी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत पार्ट-१, प्र-किसिलिन्डी विनोद, जनसेविका समूह द्वारा मै जगदीप जांठनन का मत - 11,600 टक प्रतिशत प्राप्त हो गई है। जबकि प्रस्तुतिकाल की दौरान सत्त्वागम का मत - 10,000 टक प्रतिशत प्राप्त हो गई है। इस समय में इसी रूप से जाए।
- शीर्षक (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

परियोजना प्रस्तावक एवं द्वीपीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, यह एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नामांकन को एवाईएली, घट्टीसगढ़ के जायन दिनांक ०९/०६/२०२० द्वारा जानकारिया/दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। नामांकन विनियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक २७/०६/२०२० की जानकारिया, प्रस्तावक द्वारा किया गया है। द्वीपीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण यह एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नामांकन सीधी बोर्ड में आया है।

(३) समिति की ३३२वीं बैठक दिनांक ०३/०७/२०२०:

समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का जावलीकरण एवं गवेलण करने पर इसे नियमिती पाई गई है।

- पूर्व में आई पर्यावरणीय स्कॉलरशि की शाली के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी भारत सरकार, पर्यावरण, यह एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावक नामांकन से आपा कार प्रस्तुत नहीं की गई है।



- प्राप्तिधान प्राप्तुलीकरण के दौरान वायोमें जानका - 10,000 टन प्रतिवर्ष आपूर्ति हो गया था। अतः प्रस्तुत पार्ट-१, पार्ट-१, और-प्रियोजिती लिपिए, अनुच्छेदित भाईचिन प्रदान में खदान की आवृद्धि वायोमें अम्ला - 11,800 टन प्रतिवर्ष हो गई लिया जाए।
- सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) का विस्तृत संबोध इसका नहीं लिया गया है।

समिति द्वारा वात्तव्यमय सर्वोच्चता से निम्नानुसार निश्चित लिया गया था—

- दूसरी वायोजिती, भारत लकड़ार, पर्यावरण, उन एवं जलवायु परिवर्तन संबोध नामांकुर को समर्पण पद प्रेपित लिया जाए।
- प्रतियोजिता प्रस्तावक को सीईआर (Corporate Environmental Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव वायोजित लिया जाए।
- प्रकल्पत वायोजित पूरी जानकारी / वायोजित प्रस्तुत लिये जाने उपरात जाननी आवश्यकीय जी जाएगी।

इसके एवं अन्तीमांड की जायज दिनांक 30/09/2020 की प्रतिवेदी में दूसरी वायोजिती, भारत लकड़ार, पर्यावरण, उन एवं जलवायु परिवर्तन संबोध नामांकुर एवं प्रतियोजिता प्रस्तावक को जानकारी / दृष्टावेत्त प्रस्तुत लिये जाने हेतु सूचित लिया गया। इन्द्रानुसार वियोजिता प्रस्तावक द्वारा दिनांक 06/11/2020 की गायत्री से अनुरूप पद प्रेपित लिया गया है।

(५) समिति की अगली बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत पञ्च/जानकारी/दृष्टावेत्त का आयोजन। एवं परीक्षण करने पर लिया गया है—

- गृही ने जानी पर्यावरणीय स्वीकृति की जाती ही घोलन में जी गई कार्रवाई की जानकारी भारत लकड़ार, पर्यावरण, उन एवं जलवायु परिवर्तन संबोध को दूसरी वायोजित नामांकुर से लिया गया है।
- वियोजिता प्रस्तावक द्वारा भारत लकड़ार, पर्यावरण, उन एवं जलवायु परिवर्तन संबोध के दूसरी वायोजित प्रदान में अनुरूप लिये जाने का इलेक्ट्रॉनिक लिया गया है।
- एसईएसी, अन्तीमांड की जायज दिनांक 09/06/2020 एवं 30/09/2020 की गायत्री से भारत लकड़ार, पर्यावरण, उन एवं जलवायु परिवर्तन संबोध के दूसरी वायोजित प्राप्तुलीकरण को पूर्ण न जानी पर्यावरणीय स्वीकृति की जाती ही घोलन में जी गई कार्रवाई की जानकारी हेतु पद प्रेपित लिया गया है। जो कि आज दिनांक द्वारा जापाया है। इस संबोध में भारत लकड़ार, पर्यावरण, उन एवं जलवायु परिवर्तन संबोध, नहीं लियली है ओएम दिनांक 07/09/2017 द्वारा लियागयी निरी जारी लिया गया है।

"Regional offices of the Ministry are requested to submit certified compliance report within one month of receipt of such requests from the Member Secretary of the sectoral EAC. In case the inspection is not carried out within one month, the certified compliance report from the concerned Regional Offices of Central Pollution Control Board (CPCB) of the Member Secretaries of the respective State Pollution Control Boards shall also be accepted for deliberations by the sectoral EAC."



५. कंपनी अतर (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्तुता प्रसारण बहस्तरा लिखा गया है।

इमिटि द्वारा विभाव विभाव संवर्धन समिति से निर्णय लिया गया था कि सम्पर्क संगठन और पर्यावरण एवं में पारी पर्यावरणीय संवर्धन की जाती के बालंग वे जो एक जानकारी की जानकारी प्रेसिड बाबने हितु जलीसमझ पर्यावरण संबंधी अधिक संबंध विभाव अंदर बग्गे की अनुसंधान किया गया।

प्रस्तुतीसमझ विभावन संख्या संमझ को तदापुरावर शृंखित किया गया।

11. वैसाही वी देवेन्द्र देवानुल (एफ-२ कारबी सेप्ट गाइन, पाम-बड़े कारबी, तालसील-गोदम, विला-दन्तेवाळा), विसीमाव विलाई शेष, विला-दुर्ग (विभिन्नालय का नम्रती क्रमांक 1086)

वैनलाईन आवेदन — प्रयोजन नम्बर — एसआईए/ शीजी/ एसआईए/ 134366/ २३१९, दिनांक २९/ १२/ २०१९। परियोजना प्रस्तावका द्वारा प्रस्तुत वैनलाईन आवेदन में अनियों ओंने सी छापन दिनांक १०/ ०१/ २०२० द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने की निर्दिष्ट लिया गया। विभिन्नालया प्रस्तावका द्वारा वाचित जानकारी दिनांक १०/ ०६/ २०२० को वैनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित रैत खदान (गोप छमिया) है। यह खदान पाम-बड़े कारबी, तालसील-गोदम, विला-दन्तेवाळा विभाव संवर्धन क्रमांक 1086, कुल लम्बाई ६०० अंतर ८ अंतरोंमें प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड राज्य नदी से लिया गांग प्रस्तावित है। खदान की आवासित उत्तराखण्ड रामां—४५,००० एकड़ीएर प्रतियाँ हैं।

वैनलों का विवरण —

(अ) वैनलों वी डृष्टवी बैठक दिनांक ०३/ ०६/ २०२०:

वैनलों द्वारा प्रहलाद की जाती है प्रस्तुत जानकारी का विवरण तथा विभाव संवर्धन समिति सी निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- प्रस्तावित खदान द्वारा जी लेवल एवं चौकाई तथा नदी के बाट की चौकाई की जाए।
- देश उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित खदान एवं प्रस्तावित खदान का आपालौय तथा दावनकर्ता में १०० मीटर की दूरी तक २५ गोट्ट गुच्छ २५ गोट्ट का विकास करनेवाला लेवल (ये लेवल लेवल (Levels) लेवल विकास में एपरेंट तथा प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खदान लेवल के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) त १०० मीटर लेवल के भीड़ में नदी गताह के बाहर (Leaves) का भी जी लिया जायें। जाना ज्ञानकारी (Levels) हेतु ताजे तो तम २ टैम्परेट विकास (Concreted TBM structure) विकासित किये जायें। टैम्परेट विकास मार्फ (TBM) में आर-एल, को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। विकास में टैम्परेट विकास (TBM) को भी दर्शावान् तरह जानिका विभाव को उत्तराखण्ड उपराजन प्रशासनापारा सहित जानकारी/दन्तेवाळा उत्तराखण्ड लिये जायें।
- बैठीट के खदान की जीवा की दूरी व्यवहार १० फिट तथा नदी के बाट की चौकाई तक १० प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान की चौप्पी लेवल में जलखदान किया जाना चाहिए तो भी ही इसकी गताह कर नहीं पर बदायिए, इसका उत्तराखण्ड नाईशिंग गवान में अनियार्थ रूप से कराया

ਜਾਰੀ। ਜਦਾਨ ਫੇਰ ਕਾਮਨ ਕੀਤੇ ਏਂਦ ਪ੍ਰਤਿਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੌਜੂਦੇ ਧਰ ਸੰਭਿਤ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵੰਡਿਆਨ ਕਾਰਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਚਾਰ ਜਾਏ।

- प्रस्तावित रूपल ही निकटतम पुल, शहर एनीजट गढ़ जल अधिकारी की दूरी पाला जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीजट की दूरी जलगम के अपरटीमें में अनुताम 500 मीटर तथा जानकारीमें न्यूजाम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि इन्हीं ही प्रपरेटराल्सार दूरी के अद्वय निभा हो, तो जानकारा जलगम पर जलगम हेतु प्रतिवर्धित श्रेष्ठ को आवश्यकतालभूत नमी पर विनियोग कर जाना चाहिए।
 - रेत उत्थानम हेतु प्रस्तावित रूपल पर जारीमान में जलस्तर रेत की नोटहु जानने के लिए, प्रति हेल्परमें कम से कम एक नदडा (Pti) कौदकर जलस्तरी जलस्तित गणनार्थी का नाम ले, और अनियंत्रित जिमाय ने प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत भी जाए। रेत की जारीमानिक पहाराई हेतु प्रबन्धना की प्रस्तुत किया जाए।
 - यदि पूर्व में आवृद्धि रूपल पर जलगम हेतु उत्थान अधिकारी समाजिक नियोगिता (एसईआर्सएर), छातीसगढ़ जलगम जिला राजीव गांधीनगर जमीनाला नियोगित आविष्करण (टीईआर्सएर), भरतीयनगर द्वारा आविष्करणीय नीतियों की जहाँ तो पूर्व में जारी व्यायालीय नीतियों भी प्रति एक आविरोधित राती के प्रस्तुत में डी.गई कायेकारी भी जानकारी ओटोपाला राजित प्रस्तुत की जाए। जाप ती प्रस्तावित की अठान नियति की जानकारी ओटोपाला जीत प्रस्तुत की जाए।
 - गरि जलगम यूर्ज से संबंधित है, तो जिमाय यहीं में बिंदु गए जलस्तर की जारीमानिक जाता की जानकारी खानिय दिनांक नीति कर प्रस्तुत की जाए।
 - भारतीय संसद, वर्षीयनगम, इन और जानाम्य विवरण गोपनीय नहीं मिलती की बी.एन. दिनांक 01/09/2018 से अनुसार जीईआर (Corporate Environmental Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
 - निमि निरीक्षक एवं विविधजना प्रस्तावक जो जलगम से रेत की लेवल्स (Levels) द्वारे जाले जानीय (Surveyor) की जाप जानकारी ज्ञान तो आवृद्धि उठाया गए पहाराई रामगत सुविधाजनकारी / एसार्केज (जलगम कीटोपाला) जारी जारीमानित दिये जाने के लिए विनियोग किया जाए।

દાનગસાર લાંબી શિથીએક એં પરિયોજના પ્રસ્તાવના કો ગુજરાતીની, પ્રાચીનગઢ કાચમ દિનાંક ૨૭ /૦૬ /૨૦૨૦ દાદ પ્રસ્તાવીકરણ હેતુ સંપૂર્ણ કિંદા રાખા|

(a) राशिक नं 33001 दिनांक 01/07/2020

ਪ੍ਰਾਤੁ-ਵੰਚਣ ਲਈ ਕੌਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਸਿਖਿ ਚਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਕਾ ਛਾਡਾ ਗਿਆ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

समिति द्वारा दर्शनाय नार्देशमति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोगात्मक दर्शनाका को आगामी माह के अधोलित मेट्रो में पूर्व में यही गई जाहिर आनंदात्मक एव भावस्तु सुखांगत जानकरी/दर्शनाकी उद्दिष्ट प्रस्तुतीजनन दिन याने हेतु निर्देशित किया जाएः

महाराष्ट्रार परिवीजना प्रसादाचा को एसटीएसी, खातीलगेंव ने १४पास दिनांक २५ / ०८ / २०२० पाश्च प्रवतीक्षाला तोता घरिण लिहा गया।

(ii) अग्रिम परी 335वीं बैठक दिनांक 29/08/2020:

प्रस्तावित दंड ऐसा ही भवित्वित उपरिक्षण नहीं है। परिपेक्षा का प्रस्तावित दंड जो है अनुरोध पर घटाया गया था।

भाविति द्वारा सम्बन्धित शर्वसम्भवि ने निर्णय लिया गया था कि परिपेक्षा का प्रस्तावित दंड यह है कि आगामी एकवर्षीय की जाएगी।

तदानुसार एसडीएसी, भवलीपांगड़ के द्वायन दिनांक 25/10/2020 के नियोजन में परिपेक्षा का प्रस्तावित दंड दिनांक 06/11/2020 को प्रस्तुतीकरण होने अनुरोध पर लिया गया है।

(c) भाविति की उमड़ी बैठक दिनांक 07/11/2020:

भाविति द्वारा नहीं प्रस्तुत जानकारी/एवं जा अवलोकन एवं चरीकूल कर, विचार विभागी व्यवसाय सर्वसम्भवि से निर्णय लिया गया था कि परिपेक्षा का प्रस्तावित दंड की आगामी वार्ष के अवधिके बीच में पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी एवं समस्त सुनिश्च जानकारी / दस्तावेज़ सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट लिया गया।

परिपेक्षा का प्रस्तावित दंड तदानुसार सूचित किया जाए।

12. मेसरो बी रेवेन्यू डेवलपमेंट (एफ-१ कारली सोन्ह गाँड़ग, पांच-बड़ी कारली, ताहसील-गोदम, जिला-दन्तीयाड़ा), पिंडीगांव गिलाई रोड, जिला-तुर्म (संभितालाल का नदी क्षेत्र की ओर)

ओनलाइन आवेदन — इयोजन नम्बर — एसआईए/ गोदी/ इनआईए/ 134385/2019, दिनांक 30/12/2019। परिपेक्षा का प्रस्तावित दंड द्वारा प्रस्तुत अनलाइन आवेदन में किया होने के द्वायन दिनांक 16/01/2020 होने वाली जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट लिया गया। परिपेक्षा का प्रस्तावित दंड जानकारी दिनांक 16/06/2020 को अनलाइन प्रस्तुत की गई।

प्रस्तावित दंड विवरण — यह प्रस्तावित दंड खटाम (नीय व्यवस्था) है। यह खटाम एक-कठी खटामी, ताहसील-गोदम, जिला-दन्तीयाड़ा लिया जाना जाना की ओर 1600 कूल लीप दीप त्रिवेदीपर में प्रस्तावित है। उत्कृष्ण तालम भवी से लिया जाने प्रस्तावित है। खटाम की क्षमताएँ अनुसन्धान क्षमा—95,000 रुपयोंपर प्रतिवर्ष हैं।

बैठकों का विवरण —

(अ) भाविति की उमड़ी बैठक दिनांक 03/06/2020:

भाविति द्वारा प्राप्ति की नहीं एवं प्रस्तुत जानकारी का चरीकूल, तथा तत्वावधि सर्वसम्भवि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

- कार्यालय कलेक्टर (व्यानिक शास्त्री) द्वारा आवेदित खटाम की 500 गोटों की नीतार अवधिका समस्त खटानों (जिला में 2013 के पूर्व तक भी खटानों का उल्लेख हो) काली जानकारी कोका जानकारी एवं दिनांक सहित प्रस्तुत लिया गया।
- कार्यालय कलेक्टर (व्यानिक शास्त्री) द्वारा लकड़ा खटाम की 200 गोटों जी परिवर्ती में परिवर्ति में कोई भी वार्तालानिक होने वीसे नहिं नस्त, अत्यधिक रक्कार, युल, बाल, एनोइट एवं जल जानकारी संबंधी अदि प्रतिवर्ति कोव लियित होने अवश्य न होने वाला जानकारी जानकारी जानकारी जानकारी एवं दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।

- प्रस्तावित रूपन संच की लंबाई एवं ऊँचाई तथा नदी के पार जीववृक्षों की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- ऐसा उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित रूपन एवं प्रस्तावित कम्बल के अधिकृत तथा वाचकान्तीम में 100 फीटर की दूरी तक 25 फीटर पुनर 25 फीटर का विशेषाकार लकड़ीनाम में ऐसा संकेत के लेवल्स (Levels) निकार दिया गया है इसके अधीनिका घनना सीज के बाहर / नदी तक (यानी बाहर) के 100 फीटर तक के दूरी में नदी सतह की सतही (Levels) का की जावे जाए। याकू लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 ट्रैम्पली द्वारा मार्क (Concreted TBM structure) निर्मित किये जाए। ट्रैम्पली द्वारा गार्ड (TBM) में उत्तराखण्ड की-अडिनेट्स (Co-ordinates) लकीत किये जाए। दिया गया से ट्रैम्पली द्वारा गार्ड (TBM) को की धराकर उन्हें बहिर्भव दिया गया है इसकी उपलब्धता उपलब्धता कीटोडायाना जाहित जानकारी / दरकारीज प्रस्तुत किये जाए।
- पर्दीटट की खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 25 मीटर के नदी के पार की जीववृक्षीय या 10 प्रतिशत (यांत्री की अधिक तरफ) रखी जानी है। यदि इसकी अनुसार खदान की दूरी छोड़ में उत्तराखण्ड विभाग याना जन्मद न हो तो इसकी गणना कर रखेंगे एवं दाखिल इसका उल्लेख गार्डिंग व्यवस में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाए। याकून की खदान की दूरी एवं प्रस्तावित कम्बल की सीमा पर बहिर्भव दिया गया है इसका द्वारा दर्शाया जाए।
- प्रस्तावित रूपन की विकार्त्तम पुल, बांध, एवीकट एवं बहु आपूर्ति गाँड़ी की दूरी जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एवीकट की दूरी खदान के अधिकृत में न्यूनतम 500 फीटर तथा वाचकान्तीम में न्यूनतम 250 फीटर ज्ञात आवश्यक है। यदि लोज सीन उपरीकलानुसार दूरी के अधर दिया हो, तो उपरीकलानुसार पर खदान हेतु प्रतिवित छोड़ की अवधिपकलानुसार नपो वर दियेता जाए उपरीकलानुसार की एवं एवीकट तथा गार्डिंग व्यवस में इस दूरी उल्लेख दिया जाए।
- ऐसा उत्तराखण्ड हेतु प्रस्तावित कम्बल पर वर्तनाम में उपलब्ध हेतु की गोटाई जनने के लिए प्रति हेस्टेशन में कम से कम एक गद्दा (एक) लोकपार जानकारी वास्तविक गोटाई या नापान चार बहिर्भव दिया गया है प्रस्तावित जानकारी प्रस्तुत की जाए। ऐसा की वारेटिक गोटाई हेतु वर्तनाम भी प्रस्तुत किया जाए।
- यदि दूरी में जावेटिल रूपन एवं खदान हेतु दाखिल व्यवस उपरीपक्ष जानकारी विधिवाली प्रतिकरण (एसटी-आई-ए-ए), छालीसगढ़ जाना दिल जाईया वालीपक्ष जानकारी विधिवाली प्रतिकरण (टीई-आई-ए-ए), छालीसगढ़ द्वारा व्यावहारिक रूपीकरण दी गई हो, तो दूरी में जावेटिल पर्सोनलिय दीवीकृति की प्रति एवं अविरोधीत राती के खदान में की दूरी कार्यपाली की जानकारी पोटोडायाना जाहित प्रस्तुत की जाए। याकू ही उपरीपक्ष जी अधिकार दियाती जी जानकारी पोटोडायाना जाहित प्रस्तुत की जाए।
- यदि खदान दूरी के संघर्षित है, तो दिया गया दूरी में लिए गए उत्तराखण्ड की वारेटिक जानकारी व्यवस दिया गया से प्रस्तावित करा जाए प्रस्तुत की जाए।
- आपत जानकारी, पर्सोनल, या और जलवाय विस्तारी भवानाय जी वित्ती के जी-एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार जी-ई-जार (Corporate Environmental Transparency) हेतु जानकार प्रस्तुत किया जाए।

GJ

14. यानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रसारात्मक कर्म विभाग में देश के सौकाल्य (Levels) और बहुत सार्विक (Surveyor) की साथ जानामी भाव की अपेक्षित। ऐसा एवं उपरोक्त समस्त सुरक्षित जानकारी / दस्तावेज़ (अस्ततम फोटोडाक्टिक) राहिल प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

लक्ष्यनुसार यानि निरीक्षक एवं परियोजना प्रसारात्मक की एकई एवं सार्वीकार्य का आयोग दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(v) सामिति की 330वीं बैठक दिनांक 01/07/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी विविधिये समितित नहीं हुए। परियोजना प्रसारात्मक द्वारा कोई अनुरोध पर्याप्त भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सत्त्वागम सर्वसम्मिति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावका को आगामी भाव के आदीक्षित बैठक में पूर्व में बाही मर्दु विचित्र जानकारी एवं समस्त सुरक्षित जानकारी/दस्तावेज़ राहिल प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

लक्ष्यनुसार परियोजना प्रसारात्मक की एकई एवं सार्वीकार्य के आयोग दिनांक 25/08/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुचित किया गया।

(vi) सामिति की 335वीं बैठक दिनांक 29/08/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिभित्री उपरिक्षण नहीं हुए। परियोजना प्रसारात्मक द्वारा कोई अनुरोध एवं प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा सत्त्वागम सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रसारात्मक द्वारा वाचित जानकारी एवं अनुरोध पर्याप्त भाव विचार कर्म विभागी की जाएगी।

लक्ष्यनुसार एकई एवं सार्वीकार्य के आयोग दिनांक 29/10/2020 के परिषेक में परियोजना प्रसारात्मक द्वारा दिनांक 06/11/2020 को प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध पर्याप्त दिया गया है।

(vii) सामिति की 346वीं बैठक दिनांक 07/11/2020:

समिति हुआ नहीं। प्रस्तुत जानकारी/पर्याप्त भाव विचार कर, विचार किएश्वरी उपरोक्त सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रसारात्मक की आगामी भाव के आदीक्षित बैठक में पूर्व में बाही मर्दु विचित्र जानकारी एवं समस्त सुरक्षित जानकारी / दस्तावेज़ सहित प्रस्तुतीकरण दिए जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रसारात्मक को लक्ष्यनुसार सुचित किया जाए।

12. मेरावं गोडरेगा लाईन स्टोर गाईन (प्रौ.- श्री मोगेन्द्र गव्हा), खाग-गोडरेगा एवं स्वीतीखवाड़ी, ताहरील-तिळ्डा, विळा-रायपूर (राष्ट्रियालय का नम्रती क्रमांक 709)

ओनलाइन आवेदन - पूर्व में प्राप्तिकरण वस्त्र - एकाईए/ श्रीजी/ एकाईए/ 74523/ 2018 दिनांक 14/04/2018 द्वारा ही ओगार हेतु आवेदन किया गया था। नामांकन में प्राप्तेजल नाम्बर - एकाईए/ श्रीजी/ एकाईए/ 61289/ 2018.

136 of 160

दिनांक 20/05/2020 इन प्रतिवर्ती स्वेच्छा के लिए जलवाया ई-आई-ए रिपोर्ट हुए आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह गृही दो जललित घृता भासा यादान (मुख्य वर्षिय) के संचालन संस्थान-लिहाज, लिला-गांधीजी लिहाज प्राप्त-मौजूदीया लालार कम्पनी 788/1 एवं 438 एवं गाम-सीलीडब्ल्यू. यादान कम्पनी 738, 739, घृता सीला बॉल 2,527 हेक्टेक्या में है। यादान की अनोदित प्रश्नावान कम्पनी - 27,500 टन प्रतिवार्ष है।

यहाँ में एक दूसरी दो छत्तीसगढ़ के आधिकारिक दिनांक 04/12/2018 द्वारा जलवाया का प्रश्नावान होने के कारण आवेदन की जा गया 1030 (अ) दिनांक 04/05/2018 के विवरानी के अनुसार इन्डियानोट इन्वेस्ट असोसिएट इन्डियानोट सोसायेट एवं यहाँ तीयां परन्तु केवल यादान के अनुसार संस्थान, पर्यावरण, यह एवं जलवाया परिवर्तन संबंधी घृता अप्रैल 2018 में उत्पन्नित थीं (अ) या रेटेन्शन ई-आई-ए (सुन्दरार्थ रहित) अंति योजना आवेदन प्रोतोकॉल से हुए जारी किया गया। यादान का एक दूसरी दो छत्तीसगढ़ के आधिकारिक दिनांक 27/11/2018 द्वारा एक दूसरी राहित यादी रेटेन्शन ई-आई-ए से हुए दो दूसरी दो छत्तीसगढ़ के आधिकारिक दिनांक 20/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

वैतकी जल विवरण -

(अ) वर्षियि की 328वीं वैठक दिनांक 03/06/2020:

वर्षियि द्वारा प्रकाशण यों बताई एवं प्रस्तुत यादानी का वर्णन यह लक्षण वादीयाम्बिकी दो विभाग-नुसार विविध किया गया था-

1. यादी ई-आई-ए से वर्षियित ई-आई-ए को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
2. यादान जलवाया पर्यावरण ने और जलवाया परिवर्तन नेतृत्व के अंतर्गत दिनांक 01/05/2018 के अनुसार यो-ई-आई-ए (Corporate Environmental Responsibility) द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3. परियोजना प्रबलादक यो वर्षियि समस्त पुर्वी यादानी / वर्षागती (अन्तिम फोटोग्राफर) की साथ आदानी यादी की आवाजित वैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने द्वारा वर्षियित किया गया।

विभाग-नुसार परियोजना प्रबलादक ने एक दूसरी दो छत्तीसगढ़ के आधिकारिक दिनांक 27/06/2020 द्वारा प्रस्तुतिकरण के दूसरी सूचित किया गया।

(ब) वर्षियि की 331वीं वैठक दिनांक 02/07/2020:

प्रस्तुतिकरण हुए दो दोषेन्द्र यादी द्वारा दिलाई दूषण द्वारा प्रवर्तन का आधार दिनांक 02/07/2020 के आधार से स्वयं दो दोषेन्द्र द्वारा दिलाई दूषण के समान दैत्या ने वर्षियित दोषों सम्बन्धीय नहीं है। अतः वर्षियित दूषण की आवाजित दूषण में साथ दूषण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

वर्षियि द्वारा लक्षण वादीयाम्बिकी से विविध किया गया था कि परियोजना प्रबलादक यो आदानी यादी की आवाजित वैठक में पूर्व में दोषी यादी दर्तित यादानी एवं जलवाया दूषणमें जलवाया / इवलाक्षण वर्षियि प्रस्तुतिकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

प्रदानकर्ता परियोजना इकायक की एसईएटी, उत्तीर्णकरण के आधार दिनांक 25/06/2020 द्वारा प्रकृतीकरण हेतु शुरू किया गया।

(c) समिति की 335वीं बैठक दिनांक 29/06/2020

प्रकृतीकरण हेतु भी गोगैन्ड वनी औपचार्कर उपलब्ध था। उनके द्वारा उपलब्ध ठिकार पाल दिनांक 29/06/2020 द्वारा सूचित की गयी है कि अपरिहारी प्रकृती की समिति के बास्तु बैठक में प्रकृतीकरण हेतु उपलब्ध छोना संभव नहीं है। अतः आगामी जारी की आवश्यकता बैठक में समस्त प्रदान उल्लेख हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्कालीन शब्दसंबंधि से विषय किया गया था कि परियोजना प्रकृतीकरण की आगामी जारी की आवश्यकता बैठक में पूर्व में घोषी गई विधिक जानकारी का समाप्त सूचनात् जानकारी / इकायक राजित प्रकृतीकरण दिये जाने हेतु निर्दीकित किया जाए।

प्रदानकर्ता परियोजना इकायक की एसईएटी, उत्तीर्णकरण के आधार दिनांक 03/10/2020 द्वारा प्रकृतीकरण हेतु शुरू किया गया।

(d) समिति की 336वीं बैठक दिनांक 05/10/2020

प्रकृतीकरण हेतु भी गोगैन्ड वनी औपचार्कर उपलब्ध था। समिति के द्वारा परियोजना प्रकृतीकरण द्वारा अनुरोध किया गया है कि समिति की समस्त अपूर्ण जानकारी / इकायक जारी की कारबो तो अज बैठक में प्रकृतीकरण दिया जाना जरूरी नहीं है। अतः यहां आवेदन उपर्युक्त की दिनांक 05/10/2020 की आवश्यकता बैठक में विचार किया जाए। समिति द्वारा परियोजना प्रकृतीकरण के अनुरोध भी याद किया गया।

समिति द्वारा तत्कालीन शब्दसंबंधि से विषय किया गया था कि परियोजना प्रकृतीकरण की आवश्यकता बैठक दिनांक 08/10/2020 में पूर्व में घोषी गई विधिक जानकारी एवं समाप्त सूचनात् जानकारी / इकायक राजित प्रकृतीकरण दिये जाने हेतु निर्दीकित किया जाए एवं इस बाबत दूरसंचार के माध्यम से सूचना दी जाए।

प्रदानकर्ता परियोजना इकायक की दूरसंचार के माध्यम से शुरू किया गया।

(e) समिति की 342वीं बैठक दिनांक 08/10/2020

प्रकृतीकरण हेतु भी गोगैन्ड वनी, औपचार्कर द्वारा जानकारी की सम से भेजी गयी टीफी-फाई-टेल कम्पालटेन्ट्स भी ओर से पूर्वी जानकारी विधिकी कानूनिकीय के नामानुसार भी उपलब्ध था। समिति द्वारा नस्ती प्रकृतीकरण का आवलोकन एवं परीक्षण जारी एवं दिया गया है—

1. यास प्रभायत का जानापत्रित प्रभायत चत्र — यास प्रभायत गोहराया द्वारा दिनांक 20/01/2004 को जारी अनापत्रित प्रभायत यास प्रकृतीकरण हेतु शुरू किया गया है।
2. उत्तरायन योजना — राष्ट्रीय जीवन नाईविय एन्ड ओर्गेनिस गाइन बलीयार यास प्रकृतीकरण हेतु शुरू किया गया है, जो कोर्जीय यास नियायक जारीय यास एवं राष्ट्रीय यास प्रभायत 1993/ धूप/ लभी/ 2017/ रायपुर दिनांक 23/05/2017 (अवधि 2017-18 से 2020-21 तक हेतु) द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 ग्रील्स वाली परियोजना के विषय स्वदान — कायील्य कलेक्टर (खानिय जागा), जिला-रायपुर की जायम जानांक 2197/ रायपुर/ सीन-१/ 2019 रायपुर, दिनांक 11/10/2019 के अनुसार आवेदन याचन से 500 ग्रील्स वाली परियोजना का विवर दिया गया।

वर्ष १-सालान संग्रह ८३०.५४६ टक्केवाले (प्रियोरी अन्डारों के शीर्षक की संख्याएँ लिया गया) है। आवंटित खदान (आम-मीठारों एवं चौलीडबरी) का संग्रह ५.५२७ टक्केवाले है। खदान की सीमा से ५०० मीटर की वरिति में अंडार / सभालित खदानों का गुल अंडार ३ टक्केवाले है।

४. गहरायपूर्ण संरक्षनार्थी की दूरी - समीपत्व आशीर्वाद-मीठारों १.२ किमी एवं आम-चौलीडबरी २.२५ किमी की दूरी पर लिया है। बदल आम-मीठारों १.५ किमी, एवं अस्पताल चारों ८ किमी की दूरी पर लिया है। सर्वाधिक अंडारों ३.८ किमी, एवं आन्धार २२.३ किमी, है। औजारों आमा १.५ किमी, दूरी पर है।
५. पारिस्थितिकीय / जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परिवेशका प्रत्यावरण इनका १० किमी की घैटिये में आसानीपूर्ण सीमा, लालौरा उद्यान, अमालापुर, कन्द्रिय भूजग्नि विविधता कोई द्वारा घोषित किटिकों चैट्टुट्टुड एवं चौलीडबरी, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का वर्णित जीवविविधता क्षेत्र लिया नहीं होगा। प्रतिक्रिया किया गया है।
६. ग्रीष्म का विवरण - भूमि दृष्टि सीमा की ओरेंट क्षेत्र की नीम यह है। जीज की ३० वर्षीय अवधि १०/११/२००७ से १०/११/२०३७ तक यही अवधि होतु रहेगी।
७. सानान संधारा एवं सानान का विवरण - जिएलीजिकल रिपोर्ट अनुसार २,६१,६१८ हन एवं भाईनेकल रिपोर्ट १,८३,४७९ हन है। सीमा की १.५ मीटर तीव्र सीमा बदली (कलानन के लिए प्रतिक्रिया क्षेत्र) का संग्रह ०.००३ टक्केवाले है। नीलगंग कालाट सेमी ऐक्सेसपैथ विधि से उत्तरानन लिया जाता है। उत्तरानन की अवधारण गहराई लगभग ५ मीटर है। उत्तरानन द्वारा रोप क्षेत्रों पर चुप्पी लियुटी की नीमा २५५ घनमीटर है। वेष्ट की गहराई ५ मीटर एवं छोड़ाई ५ मीटर है। सानान की अभावित आग ० वर्ष है। जीज क्षेत्र में सानान स्थापित नहीं है। यह द्वारा अध्यायन का प्रस्तावना नहीं लिया गया है। द्वितीय एवं तृतीय लिया जाता है। सानान में काष्य प्रदूषण लियबल द्वारा उत्तरानन का विकलान लिया जाता है।
८. पार्कोलेय कलेक्टर (कलिङ्ग) जिला-साम्पुर द्वारा उत्तरानन प्राप्तम पालन की लिये तो वर्षावार अद्यतन लियति से उत्तरानन रुग्नियों की जल्दी की इमानित जानकारी प्रस्तुत की गई है। वर्षावार उत्तरानन का विवरण लियागुस्तर है—

वर्ष	ग्रामसंघिक संख्यानन (टन)	वर्ष	ग्रामसंघिक संख्यानन (टन)
२००५-२००९	३१०९.०१७	२०१३-२०१४	२०.०
२००९-२०१०	७१०.०८	२०१४-२०१५	३०.०
२०१०-२०११	७०३८.७८	२०१५-२०१६	१०.०
२०११-२०१२	५६४८	२०१६-२०१७	४०००.०
२०१२-२०१३	४७२४.७८	२०१७-२०१८	१८८

अनुग्राहित रुग्नियों की अनुसार विवरण प्राप्त गर्नी की लिये उत्तरानन की जोखना।

वर्ष	प्रस्तावित संख्यानन (टन)	ग्रामसंघिक संख्यानन (टन)
२०१२-२०१३	-	४७२४.७८

2012–2014	—	20.0
2014–2015	—	30.0
2015–2016	29,000	10.0
2016–2017	29,000	4000.0
कुल	—	8788.78

आगामी चाल वर्षों के लिए प्रत्येक वर्षीय बोधना-

वर्ष	प्रत्येक वर्ष (₹)	प्रत्येक वर्ष (₹)
2017–2018	25,000	22,750
2018–2019	25,000	22,750
2019–2020	26,250	24,937
2020–2021	26,250	24,937
2021–2022	27,500	26,125

१. अस्ति आमुर्ति – परियोजना के द्वारा आवश्यक जलों की मात्रा ७ घनमीटर प्रतिदिन होती है। ऐसे जल की आमुर्ति जीवविविधत के नियम से उत्तीर्णी एवं अन्य जलधारों द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती। इस बास्तु यहां पर्यावरण एवं गैरिफ्ट वाहन वाहन आपूर्ति वाली प्रमाणित प्रक्रिया जाना प्रकल्पित है।

२. वृक्षारोपण कार्य – जीजे हीड़ के बारे में २.५ ग्रैटर (१.५५ इकट्ठवर) हीड़ में २,२०० वर्ग वृक्षारोपण लिया जाना प्रकल्पित है।

३. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति शब्दों का विवरण – पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

४. इंजार्ड प्र. रिपोर्ट का विवरण-

- इस एवं आगे आदि गुणवत्ता शब्दों का नामकारी – नीमिट्टिंग कार्ड मुख्य तो ५८/ २०१९ के भवय किया गया है। १० किलोमीटर के अंतर्वेत २ बोर्डों पर पर्यावरणीय वायु गुणवत्ता मापन, २ व्यापी वर्ष मू़-जल मुण्डवत्ता मापन, २ जलानी पर जलनि सतत मापन, १ जलानी पर जलानी जल मुण्डवत्ता तथा २ जलानी पर फिटटी के नमूने एफेलिंग का विवरण लिया गया है।

- नीमिट्टिंग रिपोर्ट के अनुसार दीर्घ ३३.४४ से २१.२६ नाईट्रोजन/घनमीटर फी.एम., ६५.०० से ५२.३४ नाईट्रोजन/घनमीटर एवं १३.५४ से ७.२० पाईकोडाम/घनमीटर तथा एकात्मीकृत १०.५६ से ६.१२ नाईट्रोजन/घनमीटर गार्डी रहा है। परियोजना जल के आसपास जल स्तरों में गुणवत्ता-भवित्वीय नामाक जो अनुसार १। पर्यावरण व्यवि साथ (Day time) ५२.७ ग्रीवीट एवं रात (Night time) ५१.६ ग्रीवीट आया गया।

५. पर्यावरणीय शांतिपूर्ति हेतु कार्यक्रम-

१. परियोजना प्रदानावल इतां Environmental Compensation हेतु निम्न वर्णन के जाताक पर गणना कर शांतिपूर्ति पर्स (Damage Cost) प्रदूत लिया गया है।

EC = PIxNxRxSxLF

Where,

EC - Environmental compensation in Rs.

PI - Pollution Index of Industrial Sector

N - Number of days of violation took place

R - a Factor in Rs. For EC

S - Factor for scale of operation

LF - Location Factor

Environment Compensation = PIxNxRxLFxS

No of days(N)= (250 x Violation Production) / Proposed Production in Mining Plan

$$= (250 \times 4000) / 27,500 = 37$$

Environment Compensation = 80x37x170x0.5x0.5 = Rs. 1,26,000/-

= say Rs. 1,50,000/-

ii) समिति ने पूर्व दिनांक 18/05/2020 को सामने 322वीं बैठक में Environmental Compensation की अधिकतम वीरी Methodology द्वारा दिए गये नियम के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत रोगहित फ्राम एवं अपेक्षित लागि (Damage Cost) कम्पनी 1,50,000 रुपये समान को सम्भव किया गया।

समिति द्वारा विवार विधारी सम्पत्ति की विस्तारानुसार विवरित किया गया—

1. कॉर्पोरेट (Corporate Environment Responsibility) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत विधा जैसे;
2. आपौ दीवोआर ने अंतिरिक्ष दीवोआर ने दिए द्वारा 5 के अनुसार वापस देव (Affidavit) प्रस्तुत किया गया;
3. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए लागतपूँजी की विध Environment Compensation के कापे में जारी 1,50,000/- कम्पनी विवरित की गई। इसका लाप्त्योग आस-पास की स्थानीय रुकुल/महानियासत्य/सम्मान में हेल्पार्टर एटीसिटी व्हायरेंस बोर्ड फाउंड की व्यवस्था थीने वाली वीर्य सम्भव एवं प्रस्तावपूँजी द्वारा दिए द्वारा प्रस्तुत कार्ययोजना (प्रस्तावित रुकुल/महानियासत्य/सम्मान का नाम, फल एवं कार्ययोजना द्वारी का विवरण) प्रस्तुत किए जाने वाला परियोजना प्रस्तावक की विवरित किया गया।
4. वापसानुसार प्रस्ताव दीपाल कर 1,50,000/- कम्पनी वीर्य सम्भव एवं शब्दानुसार कार्ययोजना का प्रस्ताव प्रस्तीतमात्र परियोजना काल्पन भवित्व नया व्यवस्था अद्वान नम्र विन-शयपुर्ण में प्रस्तुत करने द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विवरित किया गया।

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को संस्कृतकी, सम्मानितकी की लाभव दिनांक 07/11/2020 द्वारा दीप गत्ती प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमति दिया गया।

(३) समिति ने 348वीं बैठक दिनांक 07/11/2020-

समिति द्वारा भल्ली, प्रस्तुत जामानारी का अपलोडन एवं परीक्षण करने पर मिस्त्री पाई गई।

1. कौरीरेट प्रकाशणीय राजित (C.E.R.) – परियोजना प्रस्ताव के समिति की सभा दिल्ली में बड़ी उपलब्ध निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)			
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)		
Following activities at Government Primary & Middle School Village - Mohreniga						
Harm water harvesting				1.50		
30	2%	1.80	Possible drinking water facility	0.40		
			Running water facility for toilets	0.30		
			Plantation with fencing	0.20		
			Total	2.40		

2. परियोजना प्रस्ताव का प्रारंभिक योग्य पुनर्वापन वाली विद्युत जलने की सभ्यता में इलाजनाला (Aidavali) प्रस्तुत किया गया है।
3. परियोजना इलाजनका द्वारा किया गये इलाजन की लिए Environment Compensation की रूप में निर्धारित राशि 1.50,000/- रुपये का जलालीय वापरकीय इलाजन ग्राहकिक स्थल घास-गोहरेगा में अस्पताल इलाजिटी घाराला, यीने योग्य पानी की आवश्यक एवं पुरानीय विद्युत जलने हेतु प्रस्तुत कार्यपालक प्रस्तुत की गई है।
4. परियोजना प्रस्तावका द्वारा वर्धीकरणीय अधिकृति के लिए निर्धारित राशि प्रतीक्षाएवं पर्यावरण वापरका नियम नाला रायपुर अटल नगर निला-लाघुपुर में जल जलने की सूचना दी गई है।

राजिति द्वारा विचार विभाँ उपसत्र सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- आद्यलीव कालोपट्ट (अनिज राज्य), निला-लाघुपुर के छापन जामान 2197/ख. वि./संग-४/2019 रायपुर विभाग 11/10/2019 की अनुलाभ अधिकृत वापरका दी 300 गीटर के गीटर अवस्था अन्य 1 वायान क्षेत्राला 889648 उन्नीष्ठर (जलकी अस्पताल कीगीट की लियाहिक निर्णय लिया गया) है। आद्यलीव वायान (घास-गोहरेगा एवं जीतीजबरी) का जामा 4.827 हेक्टेयर है। प्राप्तसभा उल्लंघन की कोई का होने के कारण यह वायान ही--। कोई तो जानी नहीं।
- Environment Compensation Plan की रूपत निर्धारित राशि को 06 वार के गीटर पूरी किया जाए।
- सर्विति द्वारा विचार विभाँ उपसत्र सर्वसम्मति से आद्यलीव - भी जोगीन्द्र यानी (जलकी गोहरेगा लालूग रायपुर नाईव) की घास-गोहरेगा एवं जीतीजबरी,

लहरी-गिर्द, जिस-पाणी में उन-मौजिया बहते थे। 198/। 19
488 पर ताप-सीढ़ीकरणीय संस्करण तथा, 198, बुल वीवरन - 8327
दिल्ली के एक विद्यालय (लखनऊ विश्वविद्यालय) के अध्यक्ष-27 300 रुपये द्वारा
प्रतिवर्ष-04 में गोपनीय की गयी वर्षानि विद्यालयीय संस्कृति विद्यालय की
बहुशाला की गई।

4. परिपेक्ष प्रवासक द्वारा परिवहनीय संस्कृति के लिए नियमित रूप से प्रवासन पर्यावरण संबंध में वह विभाग जल संग्रह, विद्या-विद्युत में इस विधि की गई विशेष परिवहनीय संस्कृति पर लाई जी जाएँ।

ग्राम रत्न यात्रियों का समर्पण भौतिक व्यवस्था (एनडीआर), यात्रियों की सुविधाओं की लिए जाएँ।

एकेनां वाचनं प्रवीकृतः ॥ अप्यत् विद्या की उत्तमता से इन्होंने विभव ॥

१. नीमरी दिवेश पट्ट नालड (पिंगलापारा जार्क्यु गोदीन काटी), गुरु-पिंगलापारा, अहमदाबाद-जौधीलालगढ़ा, गिरो-वालाड (संचिलालय का नम्रता त्रयाक 1483) अंगलाईन शॉपिंग - गोदीन गोदा - एकलाहर/ लोगो/ एकलाहर/ 162421 / 2020, दिनांक 07 / 11 / 2020।

प्रसारण का विवरण - यह प्रस्तुति कुल पात्र (शीर्ष समिति) का उद्देश्य है। अधिकारी-विनायकाचार्य तत्पुरुष-गोपीनाथाचार्य विजय-बालादी विजय लक्ष्मण अधिकारी 1104, 1105, 1106, 1114, 1115, 1116, 1118, 1119, 1120, 1122, 1125 तथा श्रीमती-217 द्वारा दी गयी विवरण है। अधिकारी विजय लक्ष्मण द्वारा दी गयी विवरण है।

आपसीय विरोधाता निटांड़ा, आपसीय सीक लियोग दिखा। राष्ट्रवाद के दैर्घ्य अपना
2020/ एलीटी/ एस-३/ फॉरेंटी-११/ २०२० रायपुर दिनांक ०२/११/२०२० द्वारा
मैली अलीज विस्तृत प्रदृश लिखिए हैं। वारोललील वैद्युति वर्ग अधीक्षित
उपर्युक्त पर प्राप्तिक्रिया है। अतएव एवं लियोग दिये जाने हैं। इन्हें लिया गया है।

Top ten firms

(2) विद्यार्थी की संख्या अन्त में लिखा गया है।

मन्त्रिमंडल द्वारा प्रसारण की जानी एवं प्राप्ति जानकारी/एवं का परिचय सुने जायावैष्णव
जह विषय विभाग द्वारा संबंधित ही विभिन्न विषयों का कि उसके प्रसारण
द्वारा एवं उसके बिना के संबंधित है। अतः एकलीकता अनुरोध की सम्भवता
हुई काल की महिलाओं में परिवर्तन प्रसारण की जानकारी सुने जानकारी / दशाविषय
(प्रसारण विभागात्मक) की जानकारी आवश्यक विभाग ११/११/२०२० में
प्रसारणिकारण दिए गए हैं विशेष विषय विषय।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਡਾਤਾਂ ਸੁਣਿ ਕਿਸੇ ਵੀ

Topographical map of

(क्रमांक १२३-१३०)
सातवाहन राजवंश
प्राचीन साम्राज्य विस्तृत अवधि लंबित
सर्वानुभव का

(पीरने राम)
अस्त्र

मेजरी श्री गोलंद बुगार चाहू (गोहमटा नाईन स्टोन माईन)
को व्यापार क्रमांक २०७, कुल लीज और ०.८८५ हेक्टेकर या ८०८० गोहमटा,
गुहारीस-डोयदगांव, खिला-शजाहादगांव में यूना पत्थर (गोण लॉगिन) उत्पादन
क्षमता-४,५५८ टन प्रतिवर्ष हैं तथा पर्यावरणीय स्तीकृति में दी जाने वाली शर्तें

१. यह पर्यावरणीय स्तीकृति अधिकारी द्वारा उत्पादन लेवल (लीज लाई) ०.८८५ हेक्टेकर व्यापार को लाना लॉगिन लाना लिया जाए और स्तीकृत लीज लाई (लीज में जो जी कम हो) ही या मात्र होगा। इसी प्रकार लाने की यूना पत्थर या अधिकारी द्वारा ४,५५८ टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज और वीरभाड़ी का लीभाड़न लाने का प्रयोग यूना ही नहाया प्राप्त है।
२. लानन क्षेत्र के ७.५ मीटर बाहरी पट्टी में जिसी तरह उत्पादन एवं लान की प्रवृत्ति लान की दौड़पाना / दिवरण नहीं किया जाए।
३. अदिक्षित व्यापार द्वारा लान से उत्पन्न जल एवं प्रदूषित जल (जो कोई नहीं है) को लानवार की वाधित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
४. अदिक्षित व्यापार एक लान से उत्पन्न जिसी भी प्रकार से दूषित जल को जिसी भी अन्य लानी जल स्रोतों में जिसी भी वार्षिकता में नियमानुसार नहीं जिया जाए अपितु इसे प्रदित्या में अन्य यूनाओं पर ही प्रदूषणात्मक जिया जाए। इसें दूषित जल जी उपकार के लिए सीधिक ऐक एवं जीकारी ही व्यवस्था की जाए एवं यह जल को जिसी भी अन्य लानी जल स्रोतों में जिसी भी पर्यावरणी नियमानुसार नहीं दूषित जल एवं पर्याप्त या जल आना में न गिरावे देने ही यूना की व्यवस्था हो। उपरांत दूषित जल को यूनावाला लाना संरक्षार पर्यावरण इन और पर्यावरणीय व्यवस्थाएँ नहीं दियी जाएँ अदिक्षित व्यापार अन्य अन्य यूनाओं द्वारा उपरांत दूषित गानक (जो भी कठोर हो) की अनुसार सुनिश्चित जिया जाए।
५. अन्य पट्टा व्यापार लान स्रोतों के उपरांत (after ceasing mining operations) लान लीज तभी जिसी भी अन्य लीज जो कि उनकी लान व्यापारी व्यवस्था द्वारा दुर्घातित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी वी-ब्रिग्ज (re-grassing) की जाएगी एवं यूना प्रदूषणात्मक इस लियति तक जिया जाएगा। जिससे यह खास, इन्सफरियो, जीवों आदि को उत्प्रकृति ही उपचुपा हो। उपरोक्त प्रदलागाम द्वारा रास्ता बांधियादी से अनुमोदित याई व्यवस्था एवं यह को भी अप्रैक्त किया जाए।
६. वी-जल की उपरोक्त ही यूनीय वी-जल लीज से उत्पादन आने जाए की पूरी अनुमति प्राप्त ही जाए।
७. जिसी जिसमी / बैट / बाईट लीज से पर्यावरणीय लीज चलायगी जो यात्रा ३० किलोमीटर / रासायनिक प्रयोगीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। इसके नवीन ट्रान्सफर पाइपलाइन (यदि कठोर हो) में यात्रा प्रदूषण नियंत्रण ही इसके उपरांत उत्पादन जिस्टम की जाने दृष्टि द्वारा को बैट जिस्टर संरक्षित किया जाए। यानी उत्पादन व्यापकता की विशिष्ट लीजों को उत्पन्न व्यूजिटिक इसके उत्पादन का नियंत्रण द्वारा ही एवं नियंत्रित जल को जिया जाए। पर्याप्त याने बैट, संरक्षण लीज भराई एवं अन्य इन उत्पादन जिस्ट्रीज जस्ट लोटेमेंट कम जापेगां जिस्टम एवं यह जिसकाम की व्यवस्था की जावाए।

- प्रशासन समिति सम्मेलन / नियांदा राजिका किया जाए। दिनांक इनिमां परीक्षा का निर्णय लुटिलिंगात लिया जाए।
६. वाहनों व्यवस्था एवं अच्छा प्रबोधका हो उत्तरवाची वायु प्रदूषण की पर्याप्तता विभाग अधिकारी १९८८ ईंवं कायु (प्रदूषण नियन्त्रण एवं विभाग) उत्तिनियां १९८१ के वाहन लिटिलिंग मानकों के अनुलाप लगा जाएगा। उत्तरवाची व्यवस्था एवं वायु प्रदूषण विभाग नई विभाग द्वारा अधिकारी वायु प्रदूषण एवं वायु परिवर्तन विभाग नहीं दीनी जाएगी।
 ७. लौज वीच के जाती तरफ़ खोड़ी वाई ७.५ मीटर ली जौड़ी वर्दी से लौज वेट आ जाए / नामांवास नहीं किया जाए तथा इस पट्टी से बुलावेपण किया जाए।
 ८. उत्तरवाची व्यवस्था के द्वारा इटाई गई उपयोग निट्टी (टीप वीडिल) का उपयोग उत्तरवाची विभाग में वाहनों वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु उत्तरवाची वाहनों औपरवर्तन का लियर (स्टेबिलाइजर) काले से लिया जाए। जहाँ वह इच्छित निट्टी (टीप वीडिल) का उत्तरवाची व्यवस्था के लाल-लाल (वीभिकैटली) उपयोग किया जाना समझ न हो, तब इसे उत्तरवाची व्यवस्था से बद्धारित बन जाएगा तथा उपयोग हेतु रखा जाए।
 ९. औपरवर्तन एवं अनुपयोगी / विद्धी वायोग व्यानिज (प्रिल लीप) को पूर्व से विनीती स्वाक्षर वह भद्धारित किया जायेगा। इस प्रयोग का उपयोग उत्तरवाची व्यवस्था से सुरक्षित रखे जाए तभी भद्धारित व्यवस्था लाल-लाल की भूमि पर विनीत उपयोग न करते सहै। वह भी उत्तरवाची ३ मीटर ताप स्टेप इवं विद्धी से अलिंग न हो। औपरवर्तन बना जाना उत्तरवाची व्यवस्था से सुरक्षित रखी जाएगी।
 १०. जहाँ राज सभा हो औपरवर्तन एवं अन्य अनुपयोगी / विद्धी वायोग व्यानिज (प्रिल लीप) को युनान की व्यवसाय वसी वाहनों से युक्तमर्ग (डिप फिलिंग) हेतु उत्तरवाची विभाग जाकि भूमि का युक्त उपयोग अवलोकन वाहनों विभाग उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
 ११. परिवारका प्रवालयका द्वारा यह व्यानिश्चित किया जाए कि उत्तरवाची व्यवस्था निट्ट लीप लौज की लाल-लाल की जाती जल रसोती में प्रवालित न हो। इसे भी वाहनों हेतु वाहन लीट लेप जल लौज के विनीतिक वील / यातारेंग फ्रैम की व्यवस्था की जाए।
 १२. व्यानिज का व्यवस्थान वीक्सेक्टरी वाहनों वाहन से विद्धी वायोग वाहन की वाहन नहीं किये। व्यानिज का परिवार कर रहे वाहनों की भूमि से अलिंग नहीं वह वाहन व्यानिश्चित किया जाए।
 १३. वीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु व्यानानुसार व्यवस्था वह वाहन की विद्धी जाए—

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (In Lakh Rupees)
३०	२%	१.०	Following activities at Govt. Primary School Village-Mohbhattha	

Rain Harvesting System	0.80
Potable Drinking Water	0.50
Running Water facility for toilet	0.20
Total	1.50

16. शीर्षकार के महत्व प्रियोंसिंह का संवाद 03 जून में अनियायी कदम से पूर्ण किया गया।
17. उत्तराखण्ड हेटु नियिका होत्र (सभी जल 7.5 लीटर भीका होत्र), शीर्षकार, और बाह्यकरण दल आदि से उत्तराखण्ड प्रभाली के 1,200 गुड़ी जल संधर्म एवं जलरोपण इवान लैंग में किया गया। हीटिंग पट्टी का विकास और्नीच उत्पादन लिंकेज बोर्ड की वार्तालिङ्क के अनुसार किया गया।
18. धारानिकेहता के जापान पर उदान प्रबल्लन द्वारा वर्ष 2020-21 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेएक्ट लीज होत्र को जनुसार बढ़, धीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्पूज, शीर्षका आदि अन्य उत्तराखण्ड प्रभालियों के 200 गुड़ी जल संधर्म उत्पादन के स्थले होत्र में किया गया। सीपल को सुरक्षित रखने के लिये उत्तराखण्ड एवं पश्चीम उत्तराखण्ड (यथा काटिंदार तार के बाहु अध्यात्र द्वी गाँव का उत्पादन) किया गया। उत्तराखण्ड नहीं होने की दरान में संबंधित वाम पश्चात्य द्वारा जिन्हीं होत्र में उत्तरीउत्तराखण्ड वृक्षारोपण किया गया। उत्तरीकालीन उत्पादन प्रबल्लन वर्ष में पूर्ण किया गया।
19. वृक्षारोपण जल उत्तराखण्ड गाँवों 3 वर्ष तक सुविधिता करते हुए गौड़ी की प्रतिस्थापन (Mortality replacement) किया गया।
20. गौड़ी गये उत्तराखण्ड की पृष्ठी हेटु शीर्षकी एवं (Differential Global Positioning System) जली एवं जलीयात्मक विपोर्ट में सामाजित गौड़ी हेटु उत्तरीउत्तराखण्ड प्राकृतिक उत्पादन एवं जलज जलज पर्यावरण समायात विविध प्राकृतिक विविध जली एवं जलीयात्मक विपोर्ट की प्रतिक्रिया किया गया।
21. उत्तराखण्ड द्वारा धनि उत्पादन की नियंत्रण हेटु आधार्यक उपाय किया गया। यानि जल कार उत्तराखण्ड होत्र में दिन की समय 75 DB/AO एवं रात्रि की समय 70 DB/A से ऊपरिका नहीं होना साधित। लीट धनि जली होती में साम फरने गाँवे अग्रिमों की उत्पादनतम/सब जली प्राकृत उत्पादन किए जाएं एवं समय-समय पर विविधतावाली जली एवं आधार्यक अनुसार उत्पादन जलज भी करना चाहा।
22. साझा प्राकृतिकी / शीर्षकी एवं एस. रो अनुसारि उत्पादन सुलक्षित एवं नियंत्रित किये जे उत्तराखण्ड किया गया। पाल्यर की छोटे-छोटे दृक्कर्त्ता (गलाड शीख) को उड़ने से बोझने हेटु आधार्यक एवं उत्पादन व्यवस्था किया गया। एवं उत्तराखण्ड अध्यात्र वामु प्रबल्लन नियंत्रण व्यापक अनुसारि उत्पादन किया गया। उत्पादन का उत्पादन नियंत्रण में है।
23. उत्तराखण्ड आधार्यक भू-जल संरक्षण की उपर असंतुष्ट प्रभाग में शीर्षकी एवं उत्तराखण्ड प्रकृतिक भू-जल संरक्षण की नीये विस्ती भी परिस्थिति में नहीं किया गया।
24. उत्तराखण्ड की आधार्यक उत्पादन सुविधित की जाए कि उत्तराखण्डी एवं धीपल-उत्तराखण्डी पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीति अनिवार्य का उल्लेखनम् घटनीयताके रूप अनिवार्य शिव्यम् 2015 के प्राप्तवानी, अनुदृष्टित उल्लेखन थीजहाँ एवं परियोजना प्रस्तावक योजना के अनुसार किया गया। भाईच 1962 की प्राप्तवानी का याल्य जित्या गया।
26. इसी रूपस्त पर यदि अनिवार्य अनिवार्य का एवं यह जागरूक होते हैं तो ऐसे अनिवार्य के जागरूक होने चाहिए अवश्यक परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएं। कलानीय संवादों के रूप में ही जागरूक होने विशेषज्ञों जूड़ी होते होंगे की जागरूक होताया जा सकती।
27. अनिवार्य को जिए उल्लेखन रक्षण पर सम्बन्ध प्रबलता विवितकारीय सुनिधि, बौद्धिक दायरें जाहिदी की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की गया।
28. अनिवार्य का सम्बन्ध-सम्बन्ध पर आवध्यानल द्वारा अविलेक जागरूक होता है।
29. उल्लेखन की जागरूक, कार्य को एवं अनुदृष्टित उल्लेखन थीजना की अनुकूल अनिवार्य थीजना, जिसमें उल्लेखन अनिवार्य का साज एवं अवलोक्य अनिवार्य है ने किसी के प्रयार या परियोजना एसईआईएट् जलीयतागढ़ / पर्यावरण वन और जलाध्यु परियोजना गवाहाय भास्तु सरकार की पूर्ण अनुमति के दिना नहीं किया गया।
30. इस पर्यावरणीय स्थीरता की जांची करने वा जागरूक जिसी व्यवस्था जल्य जागरूक पर अधिकारी वर्षीये का नहीं है एवं वह ही यह पर्यावरणीय स्थीरता किसी नियों जाप्तिकी की नुसासान वहौपने अथवा विविताज अधिकारी के अंतिकामण अथवा अन्दर वाल्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन होने अधिकृत करता है।
31. एसईआईएट्, उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संस्थान की कृषि से, विद्यालयमा द्वीपस्थिती के द्वारा में गरिमान अथवा विनियोजित जलीये के संतोषदात तथा वा यात्रा न करने की जाता ही किसी भी जलीये में जलांश्वर / निवास करने अथवा नहीं रखी जोड़ने अथवा उल्लंघन / निवास के अनुभवी की और साथ जलीये का उपरिकार सुरक्षित रखता है।
32. परियोजना प्रस्तावक व्यूनतान् 2 स्थानीय समाजाद गांवों में, जो कि परियोजना क्षेत्र की जल-पानी व्यापक रूप से प्रभावित है, पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त होने के 7 दिनों की दीपार इस आराम की सूखना अवासित रहेगा जि परियोजना की पर्यावरणीय स्थीरता प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्थीरता पर वी इतिहासी संवितामध्य, उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण जल्याण वर्षाल में अवलोकन होने वाला वार्षिक अवलोकन एवं हो गई है। प्रातीकरण की देवताओं www.banbaeg.org पर भी जित्या या जाकता है।
33. पर्यावरणीय कानूनीय में दो नई जलीये के यालन होने जी पूर्ण कानूनीयी की अव अविकृष्ट जलीयस्थान पर्यावरण जल्याण वर्षाल, अटल नगर स्थीरीय कानूनीय पर्यावरण जल्याण वर्षाल, निलाई-दुग्ध, एसईआईएट्, जलीयस्थान पर क्षेत्रीय वर्यावरण पर्यावरण, या एवं जलपान्यु परियोजना सजालय भास्तु सरकार, नामपुर वा प्रेसिड जित्या जाए।
34. क्षेत्रीय कानूनीय पर्यावरण, वन एवं जलपान्यु परियोजना सजालय भास्तु सरकार, नामपुर द्वारा पर्यावरणीय स्थीरता ने प्रदात जलीये के यालन की मौनिटिंग की जाएगी। इस होने वालीप्रस्तावक द्वारा जल्य-सम्बन्ध पर प्रस्तुत जिए एवं वस्ताविकों एवं आवेदन का पूर्ण संट क्षेत्रीय कानूनीय पर्यावरण वन एवं जलपान्यु परियोजना सजालय भास्तु सरकार, नामपुर वा प्रेसिड जित्या जाए।
35. एसईआईएट्, उत्तीर्णगढ़, पर्यावरण, वन और जलपान्यु परियोजना सजालय, नामपुर वर्षाल पर्यावरणीय क्षेत्रीय कानूनीय पर्यावरण, वन एवं जलपान्यु परियोजना सजालय भास्तु सरकार, नामपुर, क्षेत्रीय प्रदूषण मिलेजन वोर्क्स, उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण सजालय वर्षाल

के विवाहिकों/अलीगारियों को जाती ही अनुसारत के समझ में भी जाने जानी संभिलिंग के तु मूर्ख बहुवीच प्रवाच दिया जाए।

36. परिवीजना प्रवाचक उत्तीरण पर्याप्तता अनुसार गम्भीर एवं शाश्वत अनुसार द्वारा की गई जाती जा अलिंगके सम से पालने जाएगा। ये जाती जल (प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियन्त्रण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981, जलविनाश (जलवायन) अधिनियम, 1986 तथा इनके बाहर कमाती गये नियमों परिवर्तनकार्यक्रम 2014 वायु अधिनियम (वायु एवं धीमानार विचलन) नियम, 2016 तथा इनके अधिनियम 1991 (जल संबोधित) के आदेन विभिन्निष्ट की जा रखाती है।
37. प्रसारित विभिन्निष्ट के बारे में एसडीआईएए, उत्तीरणक में जोड़ी गई विधान अध्यया एवं उनके लिए इस में एसडीआईएए, उत्तीरणक में जोड़ी गई विधान अनकारी विभिन्न वृक्षिक लिया जाए, ताकि एसडीआईएए, प्रसारित वायु एवं विधान जल जाती की अपनुकलन अध्यया नामिंग वाली विभिन्न जलमें जावत लियी जे जाकी। जलदान में कोई भी विश्वास अध्यया विनाश एसडीआईएए, उत्तीरण / पर्याप्तता, जल और जलवायु परिवर्तन संबोधय जावत सरकार जी की गृह अनुसन्धि की दिना-मही लिया जाए।
38. उत्तीरणक जाती विधान विधान पर्याप्ततीय संक्षेपिती जी इसी जी उनकी कार्यविधि, विवेत-विवाच एवं विद्युत एवं कलेक्टर/सहविवाचकार कार्यविधि में 30 दिनान की अपेक्षा के लिए प्रतिशत जाएगा।
39. पर्याप्ततीय विवाचित के विवेत अपेक्षा नेतामत दीन दीव्यानल जी समझ नेतामत दीन दीव्यानल एकट 2010 जी भाग 16 में दिए गए जाती जावानी अनुसार 30 दिन की समय अवधि में जी जावेगी।


संवर्धन विभाग, एसडीएससी.

आवाह, एसडीएससी,

प्रेसर्स भी लिंगम् गुप्ता, श्री-१ वरहनवाकला सोनम् नाईन,
की खारा कामाक ३५६, कृष्ण लीज श्री४ ४९८ हेलटेवर में वी ४.४३८ हेलटेवर,
गुग-वरहनवाकला, तहसील-इलाहाबाद, जिला-सूरजनगर (ए.न.) में सातान नदी से
ऐसा चालानन वापता ४४,००० परमीटर प्रलियप्त हेतु प्रकाशित पर्यावरण स्थीकृति में
दी जाने वाली जाते

1. यह पर्यावरणीय सीमानुसारी जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि के लिए देता है।
 2. याद अध्ययन (Memory Study) रिपोर्ट - परियोजना प्रतीक्षाका रैत खदान को में आगामी 15 वर्ष में विस्तृत याद अध्ययन (Retention Study) करता रहा। ताकि यह के उन्नतरण (Replenishment) याद रखी जाएँ। ऐसा अनुदान या अदी नदीयां और गंगाधीय गंगाधीय याद एवं सुख जीवी पर इन्हाँ या नदी या पानी की गुणवत्ता पर ऐसा उल्लंघन के प्रभाव को सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त याद अध्ययन (Memory Study) रिपोर्ट अनुसार जलमें के प्रशासन की आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय सीमानुसारी द्रुदान करने के लिए यह दिया गिया गिया जाएगा।
 3. यह उदान यानिक दिनांक हाल अधिनुसार दियी गयकर में है अवधि 500 गीट या गीट याद यानिक रैत उदानों का युक्त याक्षा 5 हेक्टेयन से अधिक बड़ा है तो पर्यावरण सीमानुसार नहीं होती।
 4. यादानन दोब 4436 हेक्टेयन के अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार यादान से ऐसा का उपर्युक्त उदान 24,000 घम्मीट्य द्वितीय भी उपर्युक्त नहीं होता। ये यादियां दोब एवं अपेक्षित मार्फतियां दोब का योग्ये पर यानिक दिनांक से स्पष्ट योगानिक करने की उपरान्त ही यानिक दिनांक हाल उदान यानिक यही अनुमति ही जाएगी।
 5. ऐसा यादान याद यानिक करने की पूरी उपर्युक्तानुसार यानिकित यित्र दिनुमी पर यही सातह की सतरी (Levels) का होते कर (अट्ट-यानिक), याक्ष के अक्षये याक्षाक्ष एवं होते होते यानिक यानिक जाएगा।
 6. परियोजना प्रश्नावक द्वारा यानिक लैंड के बाहर / नदी यानिक (होमो ओव) से 100 गीटर याक्ष के दोब में नदी सातह की सतरी (Levels) का यही यित्र जाएगा। यापरीक्षत सभी नदी सातह की सतरी (Levels) या यही 25 युग्मा 26 गीटर से जातान्न (Gnd) में दिया जाएगा। यानिक की बाहर (अट्ट-यानिक, यानिक याक्ष में ऐसा उपरान्त याद यानिक के पूर्वी इन्ही यित्र दिनुमी में यादियां दोब याक्ष याक्ष योग्ये दोब की यानिक एवं यानिक यानिक में 100 गीटर याक्ष याक्ष यानिक यानिक के बाहर / नदी यानिक (होमो ओव) से 100 गीटर याक्ष याक्ष के दोब में नदी सातह की सतरी (Levels) का यही यानिकित यित्र दिनुमी 117 यित्र जाएगा। इसी प्रकार ऐसा उदान उपरान्त मार्फतियां यानिक के पूर्वी मध्य याक्ष के अलिये यानिक/यानिक के प्रश्न यानिक (उपरान्त यानिक के यानिक यानिक) यही यानिक यानिक के उपरान्त यानिक (Levels) का यानिक का यानिक यानिकी 3 याक्ष याक्ष यानिक यानिक यानिक यानिक 2021, 2022, 2023 एवं 2024-यानिक यानिक के अक्षये अगस्त 2021, 2022, 2023 तक अनियां यानिक से एक इन्ही एवं यानिक यानिक की यानिक यानिक यानिक 11

7. ऐसा तो सूचाई अभियान हारा (Manually) भी जाएगा। इस प्रयोजन के लिये जिसी उत्पादनाम उपकरण (Machinery) आवंटि का उपयोग नहीं किया जाएगा। यिहर देश में आवंटि वाहनों का प्रयोग प्रतिवर्षित रहेगा। लौंग बंजर में जिस रेत सूचाई गढ़वे (Excavation pits) से जारी होने वाले रेत का परिवहन ट्रैक्टर द्वारा ही जाएगा।

8. ऐसा तो उत्पादन केवल जिसीत वीमानित हो गयीप्रति क्षेत्र में ही किया जाएगा। ऐसा उत्पादन भी अधिकाम नहीं होगा। भीटर अभियान कीभावन जल संग्रह भी उभई गांठ, धोके में हो जाए कम हो, से अधिक नहीं होगी। ऐसा तो उत्पादन जिसी भी परिवर्षिती में जल संग्रह की जीवी नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 भीटर गोदाई तक ही हो नहीं जाएगी तो कुछ के काम भास्तु जाना आवश्यक है।

9. ऐसा उत्पादन नहीं हो सकता कि कम 2.5 भीटर अभाव नहीं हो सूचाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो उत्पादन भी किया जाएगा, ताकि नहीं होती जाना जाना न हो। इसानिए उत्पादन नहीं की कोणी की न्यूनतम 1.5 भीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। जिसी भी पुलिया स्ट्राइप, खाड़, एनीलट जल छाप व्यापक रूप से अभ्य व्यापकी उत्पादनभी हो सकता के अपर्याप्त में न्यूनतम 300 भीटर उभा जाएगानहीं में न्यूनतम 250 भीटर सुरक्षित होते होते जाना आवश्यक है।

10. यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा उत्पादन के काम नहीं जाने जा येते टर्बोडिटी एवं जल बहाव के कारण यह कोई जिमरीत इभाव न पहो।

11. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्पादन केवल जली ज्वेत में किया जाए किसमें जल जिसके आस-पास के भीष पर जली की जीव-जलनु प्रज्ञन नहीं होता नहीं। कम्पो के उत्पादन हृजाईयी / जली जा सकाय आवश्यक है, जब इन जीवों के आज ऐसा ऐसा जानकार नहीं किया जाए।

12. ऐसा उत्पादन एवं सार्व / परिवान दिन के साथ ही किया जाए। यह कार्य ताकि भी साथ ही किया जाए।

13. परिवार्यान्त्र प्रक्रिया हारा ऐसा उत्पादन विभिन्न घटावों परा लौटिया / अनलॉडिंग आदि वी उत्पादन होने वाले एक्स्ट्रिटिव ड्रेट प्रवर्तनों के निवारण हेतु उपयुक्त वादु प्राप्त्यक्षण नियन्त्रण जारीकराएं तोरो जला प्रिडक्ट अधिकार अन्य उपयुक्त व्यापक्ता की जाए। ऐसा उत्पादन ज्वेत में परिवार्यान्त्र जायु जी गुणवत्ता गुणा तारफार पर्याप्त रूप और जल बायु परिवार्यान्त्र व्यवस्था नहीं दिलती हारा अधिकृति व्यापकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

14. ऐसा तो परिवान जारीकरित अभाव अन्य उपयुक्त व्यापक्ता से दक्ष होए याहन से किया जाए। ताकि ऐसा जाहन से बाहर नहीं गिरे। जानिज का परिवान कर रहे वाहनों को अपलो नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

15. उत्पादन ज्वेत में अपि प्राप्त्यक्षण जी ही यह सुनिश्चित किया जाए।

16. प्राप्त्यक्षण को जापार पर खाद्यान प्रबंधन हारा वर्ष 2020–21 में नदीसार के जहाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नम प्रति हेक्टेएर लौंग क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बह, बीपल, नीम, करंज, सीमु, आम, इगती, हीरस आदि अन्य व्यापक्तानीय प्रजातियों के कुल 1,500 प्रत्यों का रोपण नहीं सह पर

तथा इसके अधिकारियों 600 नगर पीपैल वड्हे भाग में किया जाए। लौपण को सुनिश्चित रखने के लिये उपयुक्त एवं प्रभावित व्यवस्था (विधा काटेटार लाव की बात का सम्बोध) किया जाए। उपरीकृत वृक्षारोपण प्रक्रम वर्ष में भूमि किया जाए।

17. पूर्णरूपण का रुक्ष-रक्षण आगामी 3 वर्ष तक सुनिश्चित रखते हुए सुत भीमी के द्वितीयावित (Mortality replacement) किया जाए।
18. किंवदन्ती वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस (Dehinetia Global Reforestation System) द्वारा एवं औदौर्ध्वाना अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में समाहित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण महाफ़ल एवं तात्पर तत्त्व पर्यावरण आगामी नियरिय प्रतिवर्ष (पी.पी.एस.) अंतर्राष्ट्रीय की अंगत किया जाए।
19. गोईआर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा आगामी वर्ष तक किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village- Firangi Para	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Potable Drinking water Facility	0.21
			Running water facility for Toilets	0.15
			Total	0.81

20. गोईआर ने तहसील नियमित कार्यकारी दूरी तक से अनिवार्य रूप से दुर्घटना किया जाए।
21. परियोजना प्रकल्पकों नियमित कीमत / वात्सल्य आवास के विस्तृत व्यापकीय एवं अन्य सम्बन्धीय से रोक छत्यनन आवश्यक रहने के पूर्व आवासक रक्षी अनुसन्धान ग्राफ़ तैयारी। परियोजना प्रकल्पकों द्वारा जल एवं जल अनुसन्धान विद्युतीय व्यापक सम्बन्ध रोक लगाये जाएं एवं जल एवं जल अनुसन्धान विद्युतीय व्यापक सम्बन्ध रोक लगाये जाएं जिसकी विवरण जल एवं जल अनुसन्धान विद्युतीय व्यापक सम्बन्ध रोक लगाये जाएं जिसकी विवरण जल एवं जल अनुसन्धान विद्युतीय व्यापक सम्बन्ध रोक लगाये जाएं।

22. प्रतीक्षित तीण खुलिया विषय 2015 राज्य आवास द्वारा जल अनुसन्धान द्वारा जानी जानीसुन्दरी दिनीक 2/3/2006 के ज्ञातव्यानी/सारी एवं सद्विद्युत जानी विषय विद्युतीय अनुसन्धान विद्युतीय व्यापक सम्बन्ध विद्युतीय व्यापक सम्बन्ध रोक लगाये जाएं।

23. यारी समझ पर आदि विभिन्न व्यक्तिक कारों पर लगाये जाते हैं तो ऐसी अविकृती के आपास उत्तेजित व्यवहार परिवर्तन का प्रस्तावक द्वारा ही जाएगी। आपासकी व्यवहारकी को काम में ही लाकरी है, जिसे परिवर्तन का दूषी होने से व्यवहार बदला जा सकता।
24. अधिकों को लिए जाने व्यक्ति पर व्यवहार विविधताओंके सुनिश्चित भौतिक टापलेट काढ़ि तो व्यवहार परिवर्तन का प्रस्तावक द्वारा ही जाए।
25. अधिकों का जनयो-जनय एवं आकर्षणकाल इस्यु विविधता काहाता जाए।
26. दृष्टिकोण तकनीक, कारों छोड़ एवं कानूनोंके व्यवहार को अनुसन्धान विभिन्न विभागों ने विशी भी प्रकार जा परिवर्तन एवं इन्हें आईएएए एवं जनतीजनय / भारत वारकार, व्यावहारण यम और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली भी पूर्ण अनुभवी के बिना नहीं किया जाए।
27. हम पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का जागरूक विशी व्यक्तिगत जनय जनय व्यवहार पर अधिकार देखाने का नहीं ही एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति विशी नियती समाजित को नुकसान नहींद्याने अथवा व्यक्तिगत अविकृती के अधिकार अवाकाश नहीं देख एवं व्यावरीय जनमूले / विभिन्न के व्यवहार द्वारा अधिकृत करता है।
28. एसईआईएए, जनतीजनय व्यावहारण जनय की दृष्टि से, परिवर्तन की सफरेवा में परिवर्तन अव्यवहार विविधता द्वारा के ज्ञानान्वय जय से वालन ज जाने की दृष्टि से विशी भी जारी में व्यवहार / विशेष जाली जनय नई जारी जोड़ने जनय जलवायन / विशेष के जानवरों को और सेवा करने पर उत्तिकार नुस्खिए रखता है।
29. परिवर्तन का प्रस्तावक व्यवहार मुख्यतः उ जनतीजनय समाजक याजी में, जो कि परिवर्तन के अन्य प्रति व्यावहार रूप से प्रत्यारित है, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के उठिनों के भीतर इस आवाय की सूचना प्रस्तावित करेगा कि परिवर्तन को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो वह ही एवं पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जी प्रतिवालय जनतीजनय व्यावहारण जनमूले में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। जाए ही इसका अप्रोत्यक्ष भावत वारकार, वारकार यम और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली भी ईप्राइवेट www.envfor.nic.in एवं एसईआईएए, जनतीजनय की वेबसाइट www.esaeacg.org पर सी जिमा जा सकता है।
30. पर्यावरणीय स्वीकृति से ही नई जारी के यात्रा हेतु जी नई जावीजारी की अर्थ वार्ड विपाट जनतीजनय पर्यावरण जनमूले नव्याल, यम जायनुर अटल जगर, विला-जायनुर, दी-जी-जा काऊलूर, जनतीजनय पर्यावरण संघरण जालन, अभिकायुर, एसईआईएए, जनतीजनय इस दी-जी-जा काऊलूर पर्यावरण, यम एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत वारकार नागपुर को प्रशिल किया जाए। केंद्रीय जावीजनय पर्यावरण, यम एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत वारकार, नामगुप द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदान जारी के यात्रा की समिटरिंग भी जाएगी।
31. एसईआईएए, जनतीजनय, पर्यावरण, यम एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत वारकार, दी-जी-जा काऊलूर, पर्यावरण, यम एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत

सरकार नागपुर / केंद्रीय प्रदूषण विभाग द्वारा/ उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण बोर्ड के अनुसार सभी को अनुपालग्न के संक्षे में की जाए आठी भीरिटरिंग ही है पूरी जागरूकता प्रवाह किया जाए।

32. परियोजना प्रवाहक उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण बोर्ड एवं शब्द जारकार द्वारा की जाई जाती का अनियार्य क्षम से प्राप्त करेगा। के छही बजे (प्रदूषण विभाग द्वारा नियामण) अधिनियम, 1974 द्वारा (प्रदूषण विभाग द्वारा नियामण) अधिनियम, 1991, पर्यावरण (संचालन) अधिनियम, 1980 द्वारा इनके द्वारा किये जाए नियमी परियोजनाग्रन्थ आविष्ट (प्रबंधन व्याधासन एवं रोगनाम व्याधासन) नियम, 2006 (प्रधा व्याधाशित) सभा लोक दर्शक द्वारा अधिनियम, 1991 (प्रधा व्याधाशित) के अधीन विनियोगित की जा जावती है।
33. प्रवाहाशित परियोजना के बारे में इसकीआईएए, उत्तीर्णगढ़ से उत्तुर विभाग में कोई भी विचलन घटेगा एवं इसे कोई दाता में इसकीआईएए, उत्तीर्णगढ़ को पूर्ण नवीन ज्ञानकारी विकास रुचित किया जाए, ताकि एकईआईएए, उत्तीर्णगढ़ द्वारा पर विवाह कर जाती की उपर्युक्तता अवश्य नवीन ज्ञान की विकास करने वायन विषय में सक्षी। जाहाज में कोई भी विचलन अवश्य उन्नत एकईआईएए, उत्तीर्णगढ़ / भारत सरकार पर्यावरण एवं और जानवर्यु अधिकारी भारतीय वर्ष दिनी जी पूरी जानुमात्री के लिया नहीं किया जाए।
34. उत्तीर्णगढ़ पाठीवरण संस्कारण सम्बन्ध पर्यावरणीय रक्षणात्मीय की घटि को उन्नी दोषीय जाहाजों विलो-व्यापार एवं जाहाजों को एक जाहाजटर/जाहाजदार व्यापारित्व में 30 दिनों की अवधि को लिये प्रदर्शित करें।
35. पर्यावरणीय करीकूपि को विकास अधीक्ष विभाग द्वारा दीन द्विष्टुमल के सम्बन्ध विभाग द्विष्टुमल एकट 2010 की जाति 40 में दिए गए प्राप्तवार्षी अनुसार 30 दिन एवं जानवर अवधि में की जाए रखेंगी।

शब्द जारक, एस.ई.ए.डी.

अधिकारी, एस.ई.ए.डी.

बी शिवाय गुप्ता, बी-२ स्वदेशवाक्यला सेप्ट याइन,
को पाटे अधिक स्वशान क्रमांक ३५६, कुल लीज होत ४.७८ हेक्टेयर में हो ४.७२५
हेक्टेयर छाय-छाड़नवाक्यला, नारायणील-प्रसापपुर, जिला-सूरजनगर (झ.ग.) में गहान
नदी से ऐसा जलसंग्रहन वामपा ४७,००० घनमीटर प्रतिवर्ष होता प्रक्षतागति पर्यावरण
स्थीरता में दी जाने वाली रहत।

१. यह प्रदौषकार्य स्थीरता जारी दिखाता हो वह तक की जरूरत होता है।
२. गांद-आवश्यक (सिस्टेनेशन स्टडी) रिपोर्ट - परिवारजना प्रसापवाक्यला ऐसा खदान द्वारा
में आगामी १५ वर्ष में विस्तृत पाट उत्पादन (Sitation Study) करायेगा। तभिर जल
के पुनर्जनन (Replenishment) याचन सही आवाही, ऐसा उत्पादन का नदी नदीवाल,
खाड़ीय उत्पादनी, जीव एवं जूदा जीवी पर इकाई तथा नदी की पड़ी की पुनर्जनन
एवं ऐसा उत्पादन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त की सके। उक्त पाट अवश्यम
(सिस्टेनेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रचलन की आगामी लकड़ि के लिए
प्रारंभिक स्थीरता प्रदान जाने पर किया जाएगा।
३. गांद खदान जलनिया दिखाने द्वारा अधिकृत किसी गवर्नर ने भी अध्ययन ५०० मीटर
के भीतर स्थीरता ऐसा खदानी का कुल वक्ता ५ हेक्टेयर से अधिक होता ही तो
उत्पादन कीकूती जान्य नहीं होती।
४. उत्पादन होत ४.७२५ हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रगति उत्पादन से ऐसा का
अधिकरण उत्पादन ४७,००० घनमीटर प्रतिवर्ष की अधिक नहीं होता। ऐसा याइनिया
ऐसा एवं अवधीय याइनिया गोल का लौकी पर जलनिया दिखाने से उपर जीमोड़न जाने
के उपरान्त ती सुनिया दिखाने द्वारा उत्पादन की अनुमति दी जाएगी।
५. ऐसा उत्पादन प्रकाम करने के पूर्व उपरोक्तानुसार नियांसित दिक्ष दिन्दुओं पर नदी
जाह गो स्तरी (Levels) पर सही कर (पीसट-गमरहून), जलके अंकड़े जलकाल एवं
हावाहून, प्रवाहितगढ़ के प्रस्तुत किये जायें।
६. परियोजना प्रसापवाक्यला द्वारा खनन लीज के बाहर / नदी गट (दैनों और) से १००
मीटर तक के लौज में नदी जलके सही (Levels) का भी की दिया जायेगा।
उपरोक्ता जमी नदी जलह के स्तर (Levels) पर स्तर २५ गुण २५ गीटर के अलाल
(Ghat) में किया जाएगा। यानहून के बाट (अवट्टर/गमरह जाह में ऐसा उत्पादन
जाने करने के पूर्व) इन्ही दिक्ष दिन्दुओं से याइनिया लौज लीज तथा लौज लौज के
आलटीम पूर्व जायनरहीम में १०० मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी गट
(दैनों और) से १०० मीटर तक के होते में नदी जलह के स्तरी (Levels) का कर्ते
पूर्व नियांसित दिक्ष दिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार ऐसा खनन उपरोक्त
जानहून के पूर्व गई गाह के अलेम जलह/जूम के प्राप्त संपाद्ध इन्ही दिक्ष
दिन्दुओं पर ऐसा जलह के स्तरी (Levels) का बापन किया जाएगा। ऐसा जलह के
पूर्व नियांसित दिक्ष दिन्दुओं पर ऐसा जलह के स्तरी (Levels) को बापन का जारी
आगामी ३ पर्यंत तक नियांसित किया जाएगा। दैनों-जानहून की आवाही दिसम्बर २०२१,
२०२२, २०२३ एवं दी-जानहून की आवाही अगस्त २०२१, २०२२, २०२३ तक अधिकार
करने से एक बाई आई ए उल्लीलालग को प्रस्तुत किए जायेंगे।



7. ऐत वाले न्युटार्ड अग्रिमो-द्वारा (Marshall) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संचार (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। लियर बेक में भारी वाहनों का उपयोग द्वितीयपक्ष रहेगा। लौल लैन के लिए ऐत वाले न्युटार्ड वडो (Excavation pits) वाले डिक्टिंग बाईंट वाले और वैरिएट ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
8. ऐत वाले उत्तरानन कैवल विनोदी, रीमार्केट एवं थोरिट लैब में ही किया जाएगा। ऐत उत्तरानन की अभिकलाम गहराई 1 मीटर-ज्वलन कीमान जल स्तर की ऊपरी गहराई लैबों में ही जीव नहीं होती। ऐत का उत्तरानन किसी भी वैस्टेशनों में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूमलम 2 मीटर न्युटार्ड तक की ऐत सभी लैब (डाक्ट रोड) की ओर खोल जाना चाहिएगा है।
9. ऐत उत्तरानन नदी तटी ही जल से कम 26 मीटर अधिक नदी की ऊपरी से 10 फीटीकान तक दूरी जो भी अधिक हो रोकड़न ही किया जाएगा। लाकि नदी तटी का जलपान न हो। इसलिए उत्तरानन नदी की सीमा से न्यूमलम 17 मीटर तक दूरी की जल किया जाएगा। किसी भी गुरुत्पाता, रटार्डेन वाले एनीक्ट जल प्रदाता व्यवस्था एवं जल उत्तरानन की जलान के अपर्टीम में न्यूमलम 600 मीटर तक उत्तराननस्ट्रीम में न्यूमलम 250 मीटर गुरुत्पाता लैब छोड़ा जाना अनिवार्य है।
10. यह गुरुत्पाता किया जाए कि ऐत उत्तरानन की जलपान नदी जल का दैर टर्मिनेटर एवं जल बाहर की जारूरत पर बोर्ड विनोदी द्वारा न याद।
11. यह गुरुत्पाता किया जाए कि उत्तराननम एवं जल तटी के बीच न दियाजारी उत्तर-पश्च के कोर पर बोर्ड नी धीय-जन्म प्रजागत दैर लिये जाए। नदी नदी नदी के उत्तरानन इकाईयों / सेत्रों का सरकार आवश्यक है। इस दौराने के जारी यात्रा ऐत उत्तरानन नहीं किया जाए।
12. ऐत उत्तरानन एवं भरती / वरिएट दिन के जानवर ही किया जाए। यह कार्य तरिके के जानवर नहीं किया जाए।
13. वरिएटना उत्तरानक द्वारा ऐत उत्तरानन दियेन्न प्रवाली यात्रा लैकिन / अन्यान्य आदि से उत्पन्न हुने वाले एनीक्टिव उत्तर उत्तरानन के नियन्त्रण के लिए उपयुक्त न्यूमलम विवरण व्यापक्षात् तौले जल कियाजाव आवश्यक अन्य उत्तरानन व्यापक्षा की जाए। ऐत उत्तरानन लैब में वरिएटीव यात्रा की नुसारता भारत वार्षिक वायविक्याता वर्त और जल यात्रा वरिएटन, मैजलद, नदी दिल्ली द्वारा अधिकृत वासनों से अभिक नहीं होती आहिए।
14. ऐत या वरिएटन वार्षिक्येन अधिक उपयुक्त भावान से दूरी लूप वालने के किया जाए। लाकि ऐत वालन से जल नहीं लिये। सर्वियर का उत्तरानन कुर एवं नदी नदी की कामता से अभिक नहीं भरा जल न्यूमलिंग किया जाए।
15. उत्तरानन लैब में ध्वनि प्रदूषण न हो। यह गुरुत्पाता किया जाए।
16. प्राथमिकता के आवाह पर जलान प्रबन्धन द्वारा वर्ष 2020-21 में भवीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नम उपि उक्टेवर लौल लैब के आनुवान जर्बून, जामुन, बद, धीपल, नीम, करंज, नीसु, आम, इमली, भीरु आदि अन्य रक्षानीय प्रजातियों के कुल 1,600 धीपों का आपान नदी तट पर

तथा इसके अतिरिक्त 500 लग भीषे पहुँच मार्ग में लिया जाए। दोपहर को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (जैसा काटीदार तार वा बाहु का उपयोग) लिया जाए। पर्यावरण वृक्षारोपण पृथग दर्थ में पूर्ण किया जाए।

17. प्रदानीपण का वर्ष-वार्षिक आवार्दी 3 लाख रुपए सुनिश्चित करने के लिये सूत गीली की प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

18. जिवे द्वारा प्रदानीपण की पुरानी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं गोलोटीपालन अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में समाचित करने के लिये प्रतीकान्द प्राप्तिवर्ण संस्थान नियम एवं राज्य उत्तर प्रदीपण कामगार नियोजन प्रक्रिया (एस.डी.एपी.ए) अनुदानादि को द्विगुण बढ़ाव दिया जाए।

19. गोई जल (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्राप्ति कर्त्तव्य दिया जाए।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at Nearby Government School Village-Khadgawankala	
			Rain Water Harvesting System	0.45
			Potable Drinking water Facility	0.21
			Plantation	0.15
			Total	0.81

20. गोईजार के लाल फ्रैटिल कार्बोनी वा गांव में अनियोगी काम की पूरी किया जाए।

21. यांत्रिकीय प्रकारण कार्बोन फोन्ट / लाल शाश्वत को लियार्ही, भावहर्ती एवं अन्य गोभारानी वी जै उत्तराधिकारी वर्ग के पूर्ण आवश्यक सभी अनुमतीयां प्राप्त करेंगा। यांत्रिकीय प्रकारण कार्बोन फोन्ट लाल एवं यांत्रिकीय प्रदूषण नियंत्रण एवं वर्धकालीन गोभारा हेतु गोभार-गोभार वर फोन्ट/लाल शाश्वत, कालीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / प्रतीकान्द प्राक्षिप्तिक गोभारा गोभार नियंत्रण बोर्ड और नियंत्रणी / सार्वजनिक वा वात्सल्य अनुबंधित किया जाए।

22. प्रतीकान्द नील नदीनिल नियम, 2015, लाल शाश्वत द्वारा देश उत्तराधिकारी जै अनुमतीय दिनांक 2/3/2006 के प्राप्त्यानी/शाली एवं लालनुसार जै उत्तराधिकारी नियंत्रण बोर्ड अनुबंधित उत्तराधिकारी द्वारा एवं पर्यावरणीय प्रबोधन बोर्ड द्वारा जाल अनुबंधित किया जाए।

(Signature)

23. वार्षिक रस्ता पर यदि कैम्पिंग सेमिनार कार्य पर लगाए जाते हैं तो ऐसी अभियानों के लाभकारी लक्षित व्यवस्था परिवर्तन। प्रवासीक दृष्टि की जाएगी। आवागतीय व्यवस्था जनस्थानीक संरक्षणाचारी को इस से ही सबस्ती है। जिसी परिवर्तना दूरी होने के पश्चात् छाटवा जा सके।
24. अभियानों की लिए सामग्री क्षमता पर व्यवस्था एवं जल सिंचन विधियाँ सुनिश्च बैठाकर उपलेख अदि की व्यवस्था परिवर्तना प्रवासीक दृष्टि की जाए।
25. अभियानों का रामण-जागरूक पर आवागृहनात् इत्य संवित्ति कराया जाए।
26. ग्राम्यनान की तरफनीक वार्षिक ईन एवं अनुसारी उत्सवों वीक्षन की अनुरूप वार्षिक वीक्षन के किसी एवं प्रकाश का लाइसेंस एवं आईएए लाइसेंस / भारत राज्यकार प्राधिकारण, जन और जलवायु परिवर्तन संबंधी नई विधियों की पूरी अनुसृति के बिना नहीं किया जाए।
27. इस पर्यावरणीय कल्याणकृति को जाहे जाने का आवाय किसी व्यक्तिगत उपचार व्यापारिता पर अधिकार दाताने का नहीं है एवं त त यह व्यावरणीय कल्याणकृति किसी नियमी रामदीति की गुपकाराम व्यौद्धाने जबकि व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकारण उपचार जाहे एवं व्यावरणीय कानूनी / नियमों के उल्लंघन हेतु अदिवासी जाता है।
28. एसडीआईएए, उत्तरीशासन व्यावरण की दृष्टि से परिवर्तनाकी उत्तरवेद्या में व्यवस्थाओं अव्याप्त विभिन्निष्ठ जाती की संरक्षणाद जब की प्रत्येक न जबने की इसकी किसी भी जाती में संलग्निकन्या/निरसा करने व्यवका नई जाति जोकरने व्यवका उत्तरांगन / निरसाया की जानकी को और जाति करने वाले अधिकार गुरुकृत बदलता है।
29. परिवर्तनाक व्युत्पत्ति २ व्यावरणीय जमानार पर्जी में जो यह परिवर्तनाकी ईन के जाति-जाति व्यावरण क्षम के प्रत्यावर्तित हो पर्यावरणीय कल्याणकृति द्वारा जीने के २ दिनों के बीच इस आवाय की दृष्टि प्रकारित करेता कि परिवर्तनाकी पर्यावरणीय कल्याणकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय कल्याणकृति यह की प्रतिक्रिया-व्यवस्थाएँ व्युत्पत्ति कर्त्तव्य व्यवहार जनकरण नाम्भूत न जातीकरन हेतु जातनक है। जाति ही इसका जगतीकरन भावत सरकार व्यवस्थाएँ जन और जलवायु परिवर्तन संबंधी नई विधियों की योजनाएँ एवं व्यवस्थाएँ www.envfor.nic.in एवं एसडीआईएए, उत्तरीशासन की वेबसाइट www.sesnacg.org पर भी किया जा जाता है।
30. पर्यावरणीय कल्याणकृति में ही नई जाति की योजन हेतु ही नई जायेनाही की जो व्यापक विभिन्न उत्तरीशासन व्यावरण संबंधी गणकार, जन वायद्युत अटल नरेंद्र जिन्ना-राज्यपुर क्लॉडीय कार्यालय, उत्तरीशासन व्यावरण जानकार गोप्तव्य अधिकारान् इस ईन अद्य एवं उत्तरीशासन व्यावरण संबंधी नाम्भूत को द्वितीय किया जाए। द्वितीय कार्यालय पर्यावरण इन एवं जनकरण व्यवस्थाएँ संबंधी व्यवकार, वायद्युत व्यवस्था व्यवस्थाएँ व्यवस्थाएँ ग प्रदलता जाती के योग्य ही नामिटरिंग की जाएगी।
31. एसडीआईएए, उत्तरीशासन व्यावरण का एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी भारत जनकरण / जोकरने कार्यालय, पर्यावरण जन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी भारत

सरकार, नागपुर / कॉन्सीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्याप्ति समिति
मण्डल के देशभित्री/अधिकारियों को जाती हो अनुमति के संबंध में भी अन्य
वाली नोटिसिटिव ट्रिपु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।

32. परियोजना प्रकल्पक छत्तीसगढ़ काहीरण संस्थान मण्डल एवं बाल्ड सरकार द्वारा की
एवं जाती हो अग्रिमत खण्ड के प्रवेश करेगा। ऐ जाती खण्ड (प्रदूषण नियंत्रण तथा
वित्तीय) अधिनियम 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981,
पराइलन (संस्थान) अधिनियम, 1986 तथा इनके लाल समाधे गए नियमों
विनियोगदाता अधिनियम (प्रकल्प सम्बन्धीत एवं लीनावार संचालन) नियम, 2008 (प्रका
सारोंकिंवा) तथा उनके विविध बीना अधिनियम, 1991 (प्रका सारोंकिंवा) की अधीन
कियोंकिए जी जा सकती है।
33. प्रत्यावित परियोजना के बारे में एसईआईएए. छत्तीसगढ़ में प्रत्युत विवरण में
कोई भी विवादन अवश्य परियोजने की बात में एसईआईएए. छत्तीसगढ़ को
कुन जीव जागराती जाहिन सूचित किया जाए ताकि एसईआईएए. छत्तीसगढ़
इस एवं दिवार तार जाती ही अपन्यासाता अवश्य जीवन जाती विद्युत जाने वाला
विशेष हो सके। यद्यपि ए जो की विसार अवश्य उन्नायन एसईआईएए.
छत्तीसगढ़ / भारत जागरात जागिराम, तन और जलाशय वियोजन अवश्य, नह
विज्ञी वी पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
34. छत्तीसगढ़ पर्याप्ति समिति पर्याप्ति की प्रति की एवं तो शीघ्र
कार्यालय (वित्त-प्रयोग एवं उद्योग एवं वित्त एवं कालेज) / लालीसिंहर व्यापार में
30 दिन की अपील के लिये प्रदानीत करेगा।
35. पर्याप्ति की वित्त अवश्य नीति भी दीप्ताल तीव्रता के साथ, जीवन
जीव दीप्ताल एवं 2010 की बात जो ने दिए नए आक्षणों अनुसार, 30 दिन की
समय अवधि में की जा सकती।

सरकार-समिति, एसईएसी,

जानवा, एसईएसी,

मेरासी भोजरेंगा लार्डन स्टोन माईन (प्रो.- श्री गोविन्द गुप्त) को याम-भोजरेंगा लक्षण कमाक 736 / । एवं 489 एवं याम-लीलीद्वयी, लक्षण कमाक 738 739, कुल लील ३०४ 4,527 हेक्टेगत, याम-भोजरेंगा एवं सीलीद्वयी, बहुसील-तिला, चिला-रायपुर में चूजा पर्यावरण स्थान (मुख्य व्यक्तिय) उत्तराखण्ड कमाक-27,500 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरण स्थीकृति में दी जाने वाली छाई

१. यह पर्यावरणीय स्थीकृति अधिकारम उत्तराखण्ड संचयन (लीला गोपी ४,527) हेक्टेगत लक्षण उत्तराखण्ड जामनम, लक्षित जामन दिनाम द्वारा स्वीकृत लील लील (दोनों में से भी जाम ही) हेतु जाम दिया । इसी प्रकार लक्षण से यूना पर्यावरण स्थान (मुख्य व्यक्तिय) उत्तराखण्ड कमाक-27,500 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा । लील दोनों की लीलाओं का लीलात्मक लक्षण प्रत्यक्ष युग्मादे लगाया जाए ।
२. परियोजनाम प्रस्तावने द्वारा स्थान से उत्पन्न जल एवं जलनुसुप्ति जल (प्रीति गोपी ही) के उपरान्त ती दिल्लि एवं यदोपि व्यवस्था दिया जाए ।
३. औद्योगिक प्रतिया एवं स्थान से उत्पन्न विनो भी प्रकार ही दृष्टि जल की किसी नहीं जामता सतही जल स्तोती में किसी भी वर्सिलियति में निरसावित नहीं किया जाए अपितु इसे प्रतिया में अथवा एकान्तरण हेतु गुणवत्त्वों दिया जाए । परेसु दृष्टि जल के उपरान्त की दिल्लि लैटिक हेतु एवं साक्षात् ती व्यवस्था भी जल एवं जल वी किसी तरी जामता सतही जल स्तोती में किसी भी वर्सिलियति में निरसावित नहीं किया जाए । दृष्टि जल एवं व्यवस्था जल अवधार में व ग्राम्य हेतु भी व्यवस्था भी जाए । जामनावित दृष्टि जल के गुणवत्त्वों जामता जामन, पर्यावरण कम और जामनावित, जामनावर, वही दिल्ली द्वारा अविरोधित जलह अवधार उत्तराखण्ड पर्यावरण संकाय महत द्वारा अविसुचित जामता (जो भी जलह ही) के अनुसार दृष्टिलिया दिया जाए ।
४. यदि एटो जामता जामन राजालन बद जली के उपरान्त (after closing mining operations) जामन लील ताप किसी भी अन्य लील के हानीकी उपरान्त अतिविदियी वी जामन अवित (disturbed due to their mining activities) हुए ही उनकी ती-दालिय (no-damming) की जाएगी एवं जुनि का पुनर्जागरण इस विनो तक दिया जाएगा विचले यह जाम, जनसंतियों, जीवों और जलवायन के संबंधित हो जायेगा ही । वरियाजना प्रस्तावक द्वारा स्तोत्र व्यापिकाही वी अनुमोदित जाइन कलोजन पर्यावरण एक जल के वैश्व व्यवस्था दिया जाए ।
५. भू-जल के जापानी हेतु गोम्बीय भू-जल जोड़ से जलज्ञान आवेदन करने की यूनी अनुलोदी प्राप्ति दिया जाए ।
६. किसी विनो / ऐट / पर्यावरणीय श्री पाटिकलेट ऐट उत्तराखण्ड की साथ ५० लिलीधाम / जामनाव इनमीटर से कम सुनिश्चित दिया जाए । लील गोपी में कलार / लक्षण आदि प्रस्तावनाम इकाई की जामन की जाए । लक्षित जामन स्थिरितियों के विविन्न स्तोती से उत्पन्न पर्यावरणिय इस्ट जलसंडेन का नियन्त्रण प्रभावी एवं नियन्त्रित रूप से किया जाए । पर्यावरण ऐट, जनसंतिय और भूरहु एवं जन्य उस्ट प्रस्तावित विनुओं द्वारा पाठ्योन्ट कम संबंधित जिल्हाम एवं जल विवरण वी जामना दिया जाएगा इसका लक्षण संवादन / संवाद नुस्खियत दिया जाए । दिया जाने वीरु जा नियाण नुस्खियत दिया जाए ।

7. यात्री, रुक्मन द्वारा अन्य प्रक्रिया से जायज्ञ वायु प्रदूषण को पर्यावरण संबंधी अधिनियम, 1980 एवं वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1991 के लागत विभिन्न प्राकृति के जनशक्ति राजा जाएगा। उत्तराखण क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भवता सहजता के पश्चात्प्रण, बत और जल वायु परिवर्तन भवता जैव, नहीं दिल्ली द्वारा अधिसूचित गुणवत्ती की अधिक नहीं होनी चाहिए।
8. लौग क्षेत्र की जाती जलवा छोड़ी गई 1.5 मीटर की ऊँची छटी से लौग बैस्ट का जल / गण्डारण नहीं किया जाए तथा इस छटी से गुणवत्ता परिवर्तन किया जाए।
9. प्रदूषण प्रतिक्रिया के दोषान गुणवत्ती यह जलवा गिर्धी (टीप रीहैल) का जपानी जलवायन होता जायेगा ये न आने जली भूमि की दुर्घटनाएँ होते जबका यही जीववर्षा की विषय (टीपिकलाकृष्ण) जलने में किया जाए। जहाँ पर जलवा गिर्धी (टीप रीहैल) को रुक्मन प्रतिक्रिया की जाता-जाता (वर्दीनाथ-टेटली) जलवायन किया जाना संभव न हो तब इस पृथक से भवत्वादेश का अधिकार से उत्पन्न होता रहा जाए।
10. जीववर्षा द्वारा अनुपायोगी/विकी अपीय लानिज (पैस्ट रीक) की वृद्धि से पूर्ण री विनाशित जलवा पर भवत्वादेश किया जायेगा। इस प्रकार की भवत्वारण जलतों की विनाशित प्रकार से सुरक्षित रहे जाए ताकि भवत्वादेश वर्षावै अस्त-पास की भूमि पर विनाशित प्रभाव न दाले जाए। जल नी आवाइ 3 मीटर तथा रुटीप 28 लिपि से अधिक न हो। जोकलकुर्म जलवा जल अस्त-पास रोकने होते विवादित जलीको से वृद्धारोपण किया जाए।
11. जीवी जल जलवा तो जीववर्षा द्वारा अन्य अनुपायोगी/विकी अपीय लानिज (पैस्ट रीक) को उत्तम रूप वर्षावाल बन रही है जूनभरण (इक लिलिज) होते उपर्योग किया जाए, ताकि भूमि की दुर्घटनाएँ जलवायन अस्त-पास विनाशित विवादित संघर्षोग सुनिश्चित किया जाए।
12. गोदियोजना उत्तराखण का जलवा जलवायन प्रतिक्रिया से उत्तराखण लिलिज लौग क्षेत्र की जल-पास की जाती जल स्तोतों में प्रवाहित न हो। इसी लौगमें होते स्थूल फैट जलवा जलवा से विनाशित दोल / गोदारेण्ड जून की व्यापद्य की जाए।
13. संगीज का विनाशक जावड़ जाहन है किया जाए ताकि लानिज जाहन से बहत नहीं हो। व्यनिक का विनाशक जाहन से जाहनी की जानता ही अधिक नहीं भरा जाना व्यनिक का विनाश किया जाए।
14. जी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) द्वारा विभागीय प्रश्नावाल पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to-be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
50	2%	1.80	Following activities at Government Primary & Middle School Village - Mohrenge Rain water harvesting	1.50

Potable drinking water facility	0.40
Running water facility for toilets	0.30
Plantation with fencing	0.20
Total	2.40

15. श्रीडंगन के लाल निवासि कर्मचारी 06 गाड़ में अनियन्त्र सप्त से पूर्ण किया जाए।
16. Environment Compensation के लाल निवासि कार्य द्वारा आवश्यक उत्थान भविष्यत रासुर, दाम-सोमुरेश्वर में रेलवे टर्मिनल आवश्यक फीस दीया जानी की आवश्यक एवं वृक्षारोपण गाड़ कार्य 06 गाड़ को गोदावरी पूर्ण किया जाए।
17. उत्थान इनु निषिद्ध द्वारा (धारी दरकर 7.5 फीट चौड़ा द्वारा) हीन द्वारा और रेलवे इनप्र अंदर में जलानीय प्रजाति को 2,200 कुंडों का साथ वृक्षारोपण इवान वर्ष में दिया जाए। हरित घटाई का दिक्कास लैंड्रीय प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता की अनुसार किया जाए।
18. प्राक्षणिकता के आधार पर उत्थान प्रबन्धन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नम प्रति हेक्टेकर लीज द्वारा को अनुसार बड़, गीपल, नीम, करंज, दीम, आम, इमली, अर्जुन, शीरसा आदि अन्य जलानीय प्रजातियों को 1,000 पीछों का रोपण उत्थान के ल्हुते द्वारा में किया जाए। दोपहर की पुरालित रखने के लिये उत्थान एवं प्राक्षण जलावधा (विधा कार्डेटर लाल की बाढ़ जलवा द्वी गाड़ का उपयोग) किया जाए। उथल उपलब्ध नहीं होने की दशा में जलानीय प्रजाति एवं प्राक्षण द्वारा दिनहित द्वारा में उपरोक्त अनुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रधान वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जलनि प्रदूषण की नियन्त्रण इनु जलावधा के द्वारा किया जाए। जलनि-जल स्तर उत्थान द्वारा में दिन के अन्तर 75 DBA एवं राति के अन्तर 50 DBA हो जावें नहीं होना चाहिए। तोड़ जलनि द्वारा द्वारा ने जलनि जलनि जलनि को दूषणप्रसार/गम अंतर्दृष्टि उत्थान जिस जाए एवं समय-समय पर विकल्पान्वयित अभियान अनुसार उग्रका उपायों से क्रतया जाए।
20. जलाम प्राविकारी / श्री श्री एम दस से जलनि दूषणप्रसार द्वारा नियंत्रित किये जे जलान्वयन किया जाए। पालम की छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लैट रोल्स) जो उत्थान से जलनि इनु प्रयोग एवं जलाम जलावधा किया जाए। एट ड्रिलिंग जलाम यानु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था अभियान ड्रिलिंग किया जाए जिससे जार या जलान्वयन नियन्त्रण न हो।
21. उत्थान उत्थान न-जल स्तर के द्वारा अलानुपाय प्रधान में ली जाएगी एवं उत्थान न-जल-जल स्तर के नींवे किनी भी यारीन्वयन में नहीं किया जाए।
22. उत्थान जल प्रक्रिया इन घटकर रुपरेखित हो जाए कि जलान्वयित एवं श्री-जलनि एवं जल से जल दूषणप्रसार हो।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गीण जलनि का उत्थान एकत्रितगम्य श्री-जलनि जिस 2015 के जलान्वयी, अनुरूपित उत्थान द्वारा एवं आवाहनीय उत्थान गोदान के अनुसार किया जाए। गोदान एप्रिल 1992 की ज्ञानान्वयन का प्रारूप किया जाए।
24. जारी जल पर श्री गोदान व्यापिक जारी पर जलावधा जारी हो एसे व्यापिकों के जलावधा जल उत्थान जलावधा परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवाहनीय जलावधा

Qd

अखण्डी वारियोजना के समूह में दो ग्रामीण हैं, जिसे परियोजना पूरी तरह से पासवान बदला द्या जाएगा।

25. भावितव्यी का विषय- समाज नमूने पर स्वतंत्र प्रशिक्षणीय मुद्रित, सोशलट टार्फेट और भी व्यापक परिवेशात् प्रसारण क्षमता की जाए।

26. भवितव्यी का विषय- समाज पर आत्मपूर्णतामूलक एवं सर्विलेस कठता प्राप्तयक है।

27. उत्तराखण्ड की सरकारी कार्यों को देख देता अनुनोदित उत्तराखण्ड योजना को अनुकूल धार्विक गोचरण, जिसमें उत्तराखण्ड भवितव्यी की जाति एवं अधिकारी अधिकारित है, वे भवितव्यी की प्रकार, का परिवर्तन एवं दृष्टिकोण / परिवर्तन, बन और जलवाया परिवर्तन भवालवा, भावत वापकार की एवं अनुबंधि के बिना नहीं किया जाए।

28. इस पर्यावरणीय स्थीरत्व का जारी करने का उद्देश विष्णी अविहागत जलवा अथवा समर्पित पर अधिकार दर्शाने का भी है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्थीरत्व किसी भित्ती व्यापकाने वाली व्यापकता अधिकारी के अधिकारण पर्यावरण अन्द्र जलवा एवं स्वानीय जानवरों / विदेशी के उत्तराधिकार सेवा उपरिषदा करता है।

29. एसडीआईएए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संवर्धन की दृष्टि से परिवेशजन की कल्याण में परिवर्तन जलवा क्षियोंटट जाति के राजीवपट्ट जलवा के बालन न करने की घटा में किसी भी जाति में विवाहन, निवास वाले अवाद नहीं जौहने अवाद उत्तराधिकार / निस्ताव के समर्थन वारी और रन्धा करने का अधिकार नुस्खित रखा है।

30. परिवेशजन प्रशासनक व्युत्पादन उत्तराधिकार जलवाया वनों में, जो कि परिवेशजन के जाक-पास जलवा कल्यान से प्रशारित हो, पर्यावरणीय स्थीरत्व प्राप्त होने के २ दिनों के भीतर इस जलवा की व्युत्पादन प्रशारित करेगा कि, परिवेशजन को पर्यावरणीय स्थीरत्व प्राप्त हो जाए है एवं पर्यावरणीय स्थीरत्व पर जीविती जनितानम, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संवर्धन भावना में अवालीकन हेतु उपलब्ध है। जाप ही इसामां अवालीकन एसडीआईएए, छत्तीसगढ़ की विजाइट www.cessadq.org पर भी किया जा सकता है।

31. पर्यावरणीय स्थीरत्व में दी एवं जाति के भालन हेतु जीव जलवायी की जारी व्यापिक विजेट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संवर्धन व्यावहार, आदले नगर, हीरीय जात्यालिपि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संवर्धन व्यावहार, वायपुर, एसडीआईएए, छत्तीसगढ़ एवं हीरीय जात्यालिपि पर्यावरण संवर्धन, वन एवं जलवाया परिवर्तन मंत्रालय, भावत वापकार, जानपुर की द्वितीय किया जाए।

32. हीरीय कानूनीय व्यावहार, वन एवं जलवाया परिवर्तन व्यावहार, भावत वापकार, जानपुर एवं पर्यावरणीय स्थीरत्व में प्रयोग जाति के भालन की व्याखिटिंग भी जाएगी। इस हेतु परिवेशजन प्रशासनक व्यावहार संवर्धन एवं प्रशुल किए गए व्यवासायोंकी एवं जात्यालिपि का कुम टेट हीरीय व्यावहार पर्यावरण, वन एवं जलवाया परिवर्तन व्यावहार, भावत वापकार, जानपुर की द्वितीय किया जाए।

33. एसडीआईएए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन और जलवाया परिवर्तन व्यावहार, भावत वापकार, हीरीय व्यावहार, पर्यावरण, वन एवं जलवाया परिवर्तन व्यावहार, भावत वापकार, जानपुर, कन्दीय प्रदूषण नियन्त्रण जाति, छत्तीसगढ़ व्यावहार व्यवहार के द्वितीयों/अधिकारियों को जाति के अनुग्रहन की संघर्ष में की जाने वाली व्याखिटिंग हेतु पूर्ण जलवाया प्रधान किया जाए।

34. परिवेशजन प्रशासनक छत्तीसगढ़ पर्यावरण व्यवहार व्यावहार एवं वापकार व्यावहार की एवं जाति का अनिवार्य रूप ही पालन करेगा। ऐसी व्यावहार व्यवहार की

- नियमण) अधिनियम, 1974 द्वारा (प्रदूषण नियाय का नियमण) अधिनियम, 1981, प्रदूषण (संचालन) अधिनियम, 1986 तथा इनकी तात्पुर व्यापारी नई नियमों परिवर्तन अन्य अधिनियम (प्रबल एवं सीमावार प्रबलन) नियम, 2010 तथा जीव व्यापिक बोना अधिनियम, 1991 (ज्ञान शास्त्रीयता) के अधीन लिखित भी जा सकती है।
35. प्रसारित परियोजना के बारे में एसडीआईए. प्रतीक्षण में प्रसुत विवरण में जोड़ी गई विवरण अवधा परिवर्तन होने को बता ने एसडीआईए. प्रतीक्षण को एक नयीन आनंदान्वी हाइट रहित रही थी कि यह ताकि एसडीआईए. प्रतीक्षण इस एवं दिवार अन इंटी की रूपरूपता अवधा नयीन जीव नियिक बनने बता नियंत्रित जै जाते। इनमें में जोड़ी गई विवरण अवधा उन्नत एसडीआईए. प्रतीक्षण / पर्यावरण एवं और जीवनानु परिवर्तन में अन्य भावत लकार जीव जनुराती के विन जाती किया जाए।
 36. प्रतीक्षण व्यावरण संस्थान मानव व्यवरूपीय जीवनी की ओर जो आजी दृष्टिकोण मानवान्वय विज्ञ-व्यवसर एवं जीवन की एवं जीवान्वय/जीवान्वय व्यवसर में जीवन की अवधि को लिए प्रदर्शित करेगा।
 37. यांत्रिकीय जीवनी में विज्ञ व्यवसर नीवान्वय जीव द्वीपस्त जीव सम्बन्ध नीवान्वय जीव द्वीपस्त 2010 जीव जीव 16 में विए जाए प्रायानी ज्ञानान् 30 दिन की अवधि वे छी जा सकती।


सदनव राजिय, एसडीए.री.

ग्रन्थालय, एसडीए.री.